राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तिरेपनवां दिवस [संख्या : 20

गुरुवार,

19 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हरिसिंह रावत।

भीम में विधायक अनुशंसित पुलिया निर्माण कार्य

455. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 में विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत थानेटा के मियालाखेत नाडिया परतों का चौड़ा पुलिया निर्माण हेतु विधायक मद से 1.5 लाख रुपये आबंटित किए गए थे? क्या उक्त राशि अनुसार उक्त पुलिया का निर्माण कराया गया? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पुलिया का भौतिक सत्यापन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र भीम की वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत थानेटा के मियालाखेत नाडिया परतों का चौड़ा पुलिया निर्माण हेतु विधायक मद से रुपये 1.50 लाख के स्थान पर 1.00 लाख रुपये का कार्य स्वीकृत किया गया था क्योंकि उक्त कार्य के लिए रुपये 1.00 लाख की अभिशंसा माननीय विधायक महोदय द्वारा की गई थी। इसके तहत पाइप कलवर्ट का निर्माण 1.1.2005 को पूर्ण कराया गया था।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड आमेट द्वारा उक्त कार्य कराया जाकर राशि 83,463/- रुपये का व्यय किया गया।

(2) जी हां। कार्य का भौतिक सत्यापन करवाया गया है। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर उपलब्ध है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय को बिलकुल असत्य का पुलिंदा हाथ में दिया गया है। मैं स्वयं नाडिया परतों का चौड़ा में गया था और तब मैंने खुद ने देखा कि यहां जो पुलिया बनायी है, वह कहां है? मेरे साथ जो सरपंच थे, उन्होंने कहा कि पुलिया तो यहीं बनी हुई है, हम कम से कम एक किलोमीटर तक इस पुलिया को ढूंढते रहे और पुलिया हमें कहीं नजर नहीं आयी। हमने वापस ए ईएन से सत्यापन कराया तो देखा कि खाली दो पाइप दबे हुए थे और चारों तरफ मिट्टी भरी हुई थी। वहां पता ही नहीं लगता कि यहां कोई पुलिया है। वापस जाकर चैक किया तो दो पाइप नजर आये और जब इनको वापस पता लगा कि एम एल ए को मालूम पड़ गया है, तो इन्होंने नरेगा के अन्तर्गत, इन्होंने जो रिपोर्ट में भी दिया है, नरेगा में कच्चे पत्थर लगाये। आज अगर पुलिया की हालत देखें, तो कोई पुलिया नहीं है और दो पाइप डले हुए हैं। दो पाइप की कीमत, मैं सोचता हूं कि 10-15 हजार से ज्यादा नहीं होगी। खाली लीपापोती करके यह जवाब दिया जाए कि पुलिया बनी हुई है, हकीकत है कि वहां पुलिया है ही नहीं। अगर वहां चैलेंज करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप चल सकते हैं। मंत्री महोदय जाकर देखें कि वास्तव में पुलिया है क्या? केवल लीपापोती करके कह दिया 83,463 रूपया व्यय हुआ, जबकि वहां 10 हजार, 15 हजार, मैक्जिमम 20 हजार मान लीजिए, 20 हजार से ज्यादा का काम हुआ ही नहीं होगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस पुलिया का वापस सत्यापन कराएं और आपको समय मिले तो आप भी चलिए और मैं भी चलता हूं। वास्तव में यह सही है, इतना घोर अंधकार है, अगर विधायक मद से ही ऐसे कार्य होंगे तो क्या स्थिति होगी? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विधायक मद के अन्तर्गत जो कार्य होते हैं, उनका सत्यापन कराएं कि वास्तव में सही हुआ या नहीं। विधायक मद का पैसा इसलिए दिया जाता है कि जनता को जल्दी राहत मिले, लेकिन इस प्रकार का काम होगा तो मैं समझता हूं वहां धन और श्रम, दोनों ही जाया होंगे। इसके लिए जांच कमेटी बिठाएं।

(श्री हरिसिंह रावत)

दूसरा, मेरा आपके माध्यम से इसी सम्बन्ध में एक सवाल और है, क्या उक्त नाडिया परतों का चौड़ा दर्रा वाया मेलाखेत सड़क का पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत रोड स्वीकृत हुई है? अगर हां, तो कब तक यह प्रारम्भ होने की सम्भावना है, मुझे स्पष्ट करावें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह असत्य का पुलिंदा है, तो मैं यह बात नहीं कह सकता कि कोई असत्य का पुलिंदा है। अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की गयी है और उसका भौतिक सत्यापन कराया, जो आज रिकार्ड पर दर्ज है। इसके साथ ही इस पुलिया का हमने नक्शा, उसके साथ फोटो भी कराया गया, जो यहां पर संलग्न है। कहीं न कहीं अधिकारियों पर हमको विश्वास करना पड़ेगा और उसी आधार पर तो इस सदन में हम जवाब देते हैं। दूसरा, आपका प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष जी...

श्री उपाध्यक्ष: यह तो भीम का है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, वहीं का।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत यह सड़क स्वीकृत है या नहीं है, पंचायती राज का इस सब्जेक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपाध्यक्ष जी, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, आप तो इसी सम्बन्ध में कहो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने खुद ने लिखा है, इन्होंने खुद ने माना है, पुलिया के पाइप के अन्दर काफी मिट्टी भर गयी है जिसको निकाला जाना आवश्यक है। वर्तमान में भी उक्त कार्य ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हरिसिंह जी, यह नहीं है। देखिए, प्रश्न यह है, आप भी इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, एक्जीक्यूटिंग एजेंसी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ही है, उसी से कराया है, उससे बड़े अधिकारी से करा सकते हैं क्या?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): जांच कमेटी बिठा दीजिए ना, पता चल जाएगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न यह है कि जो विधायक मद से पैसा दिया जाता है ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आप जांच कमेटी बिठा दीजिए, दूध-का-दूध पानी-का-पानी हो जाएगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जिस समिति ने यह जांच की है, उस समिति में माननीय सदस्य भी साथ चले जाएं, सामने दिख जाएगा। इसमें क्या बात है? फिजिकल वर्क हुआ नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): विधायक मद का जो पैसा लगता है वह पंचायत समिति के माध्यम से लगता है। आप मंत्री हैं यहां पर, क्या आप इनके इस सवाल का जवाब देंगे कि जो विधायक मद का पैसा लगा उसका दुरुपयोग हुआ? और यह केवल एक विषय नहीं है, इस विषय में बहुत सारे ऐसे एम एल एज हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह नहीं है। आप विराजिए। (व्यवधान) उनका प्रश्न डाइल्यूट मत करिए आप, उनका स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): डाइल्यूट नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते हो, मैं अगला प्रश्न पुकारूं? (व्यवधान) केवल हरिसिंह जी का अंकित हो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। हरिसिंह जी, आप जवाब सुन लीजिए। पहले जवाब सुनिए। हरिसिंह जी, जवाब सुनिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। हरिसिंह जी का जवाब आ जाने दें। इनका जवाब आ जाने दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब आ जाने दो। माननीय मंत्रीजी, आप।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस पुलिया के सम्बन्ध में अपनी जो बात कही है, मैंने उसका पूर्व में भी उत्तर दिया है, हमको दुबारा जांच कराने में कोई एतराज नहीं है और माननीय सदस्य अगर चाहते हैं तो हम उस कमेटी में शरीक करके मौके पर एक बार फिर भौतिक सत्यापन करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी।

प्रदेश में संचालित सरकारी एवं गैर-सरकारी विधि महाविद्यालयों में रिक्त पद

456. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) राज्य में कुल कितने सरकारी व गैर-सरकारी ला कालेज (विधि महाविद्यालय) संचालित हैं? स्थान व नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में से किन-किन के स्वयं के भवन हैं तथा जिन महाविद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं हैं, उनके भवन निर्माण हेतु क्या सरकार द्वारा कोई राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या उक्त राशि से भवन निर्माण के कार्य प्रारम्भ हो गए हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएंगे? महाविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधि विश्वविद्यालय व बार काउंसिल के अनुसार उक्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों के कितने-कितने पद होने चाहिए तथा वर्तमान में उक्त में से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? महाविद्यालय एवं पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या गत तीन वर्षों में बार काउंसिल द्वारा उक्त महाविद्यालयों में से किसी महाविद्यालय की मान्यता निरस्त/रद्द की गई है? यदि हां, तो किसकी, कब से व क्यों तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? महाविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. दयाराम परमार): (1) राज्य में 15 राजकीय विधि महाविद्यालय एवं 43 गैर-सरकारी विधि महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजकीय विधि महाविद्यालय, बूंदी तथा झालावाड़ के स्वयं निर्मित भवन हैं। जी हां। राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर, सीकर, अलवर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा तथा श्रीगंगानगर के भवन निर्माण हेतु रुपये 16 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से वित्तीय वर्ष 2011-12 में रुपये 6 करोड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। शेष पांच राजकीय विधि महाविद्यालयों – चूरू, सिरोही, पाली, धौलपुर व नागौर के भवनों का यथाशीघ्र निर्माण करवाया जाएगा।

(3) जी हां। राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर तथा सीकर का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। श्रीगंगानगर राजकीय विधि महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु सीमांकन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा की निविदा जारी हो चुकी

(डा. दयाराम परमार)

है। राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा हेतु प्राचार्य, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा को उक्त महाविद्यालय की भूमि में से भूमि आबंटित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। उक्त महाविद्यालयों के भवन निर्माण को चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।

(4) राज्य में कोई विधि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं है जो विधि महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करता हो। विभिन्न सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पद स्वीकृत किए जाते हैं। बार काउंसिल आफ इण्डिया के नियम 2008 के शिड्यूल तृतीय के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार, विधि व्याख्याता के कार्यभार के सम्बन्ध में अंकित किया गया है कि प्रत्येक पूर्णकालीन व्याख्याता उतनी कक्षाएं अपने विषय में पढ़ाएगा जो उन्हें मापदण्ड तय करने वाली संस्था, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, के द्वारा आवंटित किए गए हैं। राजकीय विधि महाविद्यालयों के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री वासुदेव जी देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ला कालेजेज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है और सारे विद्यार्थियों के मन में असमंजसता का इस समय भाव बना हुआ है। इन्होंने जो सूची दी है, उसमें 15 कालेजेज में एक भी प्राचार्य कार्यरत नहीं है। क्या बिना प्राचार्य के कभी कोई कालेज चलता है? कितने वर्षों से खाली है?

इन्होंने खण्ड 5 में जो उत्तर दिया है, जिसमें मैंने बार काउंसिल की मान्यता के बारे में पूछा है, एक भी सरकारी कालेज को बार काउंसिल की मान्यता नहीं है और आप कह रहे हो कि किसी की भी निरस्त नहीं है। इसका प्रमाण है कि अजमेर का जो ला कालेज है उसके वहां के विश्वविद्यालय ने एक लाख बीस हजार की पेनल्टी केवल इसीलिए लगाई है कि उनके पास बार काउंसिल की मान्यता नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि क्या बार काउंसिल से राजस्थान के जो सरकारी कालेज हैं, उनको मान्यता प्रदान की गई है? मान्यता नहीं है तो कब से नहीं है? और मान्यता यदि प्रदान नहीं की जा रही है तो उसके कारण क्या हैं?

(श्री वासुदेव देवनानी)

दूसरा, प्राचार्यों के पद कब से खाली हैं? क्या आपको बार काउंसिल ने नहीं कहा कि आप ला कालेज का एक अलग से कैडर बनाएं? आज आप कहते हैं कि जो डायरेक्टर आफ कालेज एजुकेशन है, उसके प्रमोशन में ला कालेज वाले जूनियर हैं, इसलिए उनको हम प्राचार्य नहीं लगा सकते हैं तो आपने प्राचार्य का अलग से कैडर आज तक क्यों नहीं बनाया? आपके यहां डायरेक्टरेट में इतना है कि कुछ आपके लेक्चरर्स का, जिनका प्रमोशन वाइस-प्रिंसिपल में हुआ है, उनको भी आपने ला कालेज में नहीं लगाकर एकेडेमिक कालेज में लगा रखा है, जहां एक भी क्लास नहीं ले रहे हैं। यह आज आपकी स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरे तो इन तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर मैं अजमेर से सम्बन्धित ला कालेज के प्रश्न पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष जी, प्राचार्य के हमारे 15 कालेज में सभी पद खाली हैं। उनको प्रमोशन से भरना है और प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक वहां से फैसला नहीं हो जाता है, तब तक उनका प्रमोशन नहीं होगा और तब तक पद भरे नहीं जा सकेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तीन प्रश्न पूछे हैं। माननीय मंत्री जी, मैंने यह पूछा है कि बार काउंसिल की मान्यता किस-किस सरकारी कालेज को है, इसका उत्तर दो फिर मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूं।

श्री उपाध्यक्ष: अगला क्या? आपने पूरक प्रश्न भी पूछ लिए। आपने पूछ लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने तीन पूरक प्रश्न पूछे हैं, तीन प्रश्नों का तो उत्तर दे दें। मेरे छह प्रश्न हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। पहला प्रश्न है, मैं एक बार पूछ लूं....

श्री उपाध्यक्ष: आपने पूछ लिया।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बार काउंसिल से आपको किस सरकारी कालेज की मान्यता है? प्राचार्य के पद के लिए अलग से ला का कैडर बनाने का क्या सरकार विचार रखती है? नहीं, तो कब तक भरे जाएंगे? नम्बर तीन, आपके राजस्थान के अन्दर ला यूनिवर्सिटी है, क्या देश भर में या

(श्री वासदेव देवनानी)

राजस्थान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहां वहां के कालेज उसके साथ सम्बद्ध नहीं हों? आज लॉ यूनिवर्सिटी के साथ राजस्थान का एक भी ला कालेज सम्बद्ध नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या सरकार इनको सम्बद्ध करने का विचार रखती है?

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिए। विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नम्बर चार, अजमेर का जो आपने उत्तर दिया कि 10 में से 7 पदों पर कार्यरत हैं....

श्री उपाध्यक्ष: आप दो पूरक प्रश्न अधिक से अधिक पूछ सकते हैं। आपने पहले ही पूछ लिये, अब जवाब आने दो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। बड़ी मुश्किल से प्रश्न लगा है। आज ला कालेज के बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, असमंजसता है। सारे ला कालेजेज की हालत दयनीय है।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिए आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जो छह करोड़ रुपये दिए हैं, वे भी आपने कुछ कालेज को दिए हैं। कुछ के पास जमीन ही नहीं है। अजमेर के लॉ कालेज को जमीन 2005 में हमारी सरकार ने दे दी थी और आज तक, आपने पैसे भी जो अब दिए है, वह भी सीमित दिए हैं। वहां पर बाउंडरी भी अभी नहीं बनी है। इसका उत्तर दे दें। पहले उत्तर दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हो, बिरला जी?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बता दें कि कोटा में जो ला कालेज की जमीन के बारे में आपने कहा है कि हमने लिखा है, तो कब से लिख रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कब तक जमीन उनको मिल जाएगी? और अगर जमीन नहीं मिलेगी...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वहां पर एलएल एम शुरू होगा, क्या आपने पद स्वीकृत किए हैं? क्या आज अजमेर यूनिवर्सिटी के अन्दर एलएल एम चल रहा है? (व्यवधान) मेरे प्रश्न का उत्तर दो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। पहले उत्तर आने दें।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे 15 सरकार के कालेज हैं, उन सभी कालेजों को मान्यता प्राप्त है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बार काउंसिल की?

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए। क्या है आपका प्रश्न है तो? आप सुनिए।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): हां, बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त हैं और वहां सभी कालेज में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक क्वेश्चन है, मुझे बस एक प्रश्न पूछना है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक लाख बीस हजार इसलिए पेनल्टी लगाई है यूनिवर्सिटी ने कि वह बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं है। उसकी मान्यता है तो बताइए।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूछना चाहते हैं? माननीय तिवाड़ी साहब, आप पूछना चाहते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह मामला आपके हस्तक्षेप के बिना नहीं निपटेगा। बार काउंसिल आफ इण्डिया ने राजस्थान के हमारे सभी ला कालेजेज की मान्यता यह कह कर समाप्त कर दी कि न तो वहां प्रिंसिपल है, न आपका कैडर है, न आपकी जमीन है और सारी की सारी ला कालेज अलग से होनी चाहिए, वह किसी कॉलेज का अंग नहीं होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय का जवाब देने का तो सीमित काम है, पर जब तक राज्य सरकार यह व्यवस्था नहीं करेगी तब तक सारी की सारी कालेजेज में हमारे जितने बच्चे हैं, वे सड़क पर आ जाएंगे। बार काउंसिल उनकी डिग्री को मान्यता नहीं देगी और इस कारण से सरकार का लगा हुआ सारा पैसा और विद्यार्थियों के तीन साल समाप्त होंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस विषय पर स्वयं ध्यान देकर इसका अगर समाधान नहीं करेंगे तो यह सारे राजस्थान की समस्या है...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: आप उनका भी आ जाने दो, आपने तीन पूछ लिए हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा प्रश्न यह पूछना है कि आप क्या ला यूनिवर्सिटी से बाकी कालेजेज को सम्बद्ध करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। अनिता जी, आप क्या पूछना चाहती हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है मेरा। क्या एम डी एस यूनिवर्सिटी, अजमेर द्वारा विधि महाविद्यालय पर एक लाख बीस हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों लगाई गई? एक तो यह प्रश्न है, इसका उत्तर दें। दूसरा प्रश्न यह है...

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिए आप। विराजिए आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक और प्रश्न है कि राज्य में 15 सरकारी कालेज हैं....

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आप जवाब दीजिए। आप विराजिए। अनिता जी, आप विराजिए। फिर जवाब नहीं आएगा। आप जवाब सुनिए।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक लाख बीस हजार की पेनल्टी लगाने का प्रश्न पूछा गया है, उसकी मैं जानकारी करूंगा कि क्यों पेनल्टी लगाई गई। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया। एक मिनट। राजस्थान भर की सारी ला कालेज आज बंद होने के कगार पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल जी मीणा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया। राजस्थान में विधि विश्वविद्यालय बनाया गया है, कल भी हमने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार इन सारे कालेजेज को उससे सम्बद्ध कर देगी ताकि बार काउंसिल के सारे कामों से बच जाए? सरकार अगर इस पर विचार नहीं करेगी तो नहीं करे, लेकिन राजस्थान के सारे स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए, मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि यह मामला बिना आपके हस्तक्षेप के नहीं निपटेगा और आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोपाल जी मीणा।

जमवारामगढ़ के वन्य अभयारण्य क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

457. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में डामरीकृत

(श्री गोपाल मीणा)

सड़क बनाने के लिए क्या-क्या मानदण्ड/नियम निर्धारित किए गए हैं? मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र से कौन-कौनसी सड़कें किस-किस जगह से होकर गुजरती हैं? क्या उक्त सड़कों का डामरीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सभी सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के डगोता, बामनवाटी, मंहगौर एवं नांगल तेजसिंह गांवों में डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. फेज-II एवं फेज-III योजना में डामरीकृत सड़कें स्वीकृत की गई थीं? क्या उक्त सड़कों का डामरीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कें वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में होने से उनका डामरीकरण नहीं कर उनकी स्वीकृतियों को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु नियमों में संशोधन कर उक्त सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बार काउंसिल के नियम यूनिवर्सिटी में भी लागू होते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भरत सिंह जी का अंकित होगा।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 के परिपत्र के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ के नेशनल बोर्ड एवं माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके ही डामरीकृत सड़कों के प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। मानदण्ड/नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र से गुजरने वाली 8 सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। उक्त सड़कों में से 4 सड़कें डामरीकृत हैं। शेष सड़कों पर डामरीकरण वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों में विद्यमान नीतियों/नियमों के कारण नहीं किया जा सका है।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के वन्य जीव अभयारण्यों से गुजरने वाली सड़कों पर डामरीकरण (अपग्रेडेशन) का कार्य विद्यमान नीतियों/नियमों के कारण वन विभाग द्वारा अनुमत नहीं है।

(4) जी हां। स्वीकृतियां प्राप्त हुई थीं। उक्त सड़कों का वन्य जीव अभयारण्य, जमवारामगढ़ क्षेत्र में विद्यमान नीतियों/नियमों के कारण वन विभाग द्वारा डामरीकरण कार्य अनुमत नहीं किया गया है।

(5) जी हां। वन विभाग द्वारा डामरीकरण कार्य की स्वीकृतियां नहीं देने के कारण निरस्त किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(6) वन्य जीव अभयारण्य नियमों में संशोधन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गोपाल जी मीणा।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए हुए हैं कि अगर फोरेस्ट एरिया में से कोई सड़क निकल रही है तो सड़क की स्वीकृति तभी जारी हो जब उस सड़क को बनाने में कोई पेड़ नहीं काटने पड़ें। सड़क बनाने में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेने और वन क्षेत्र में सड़क वन क्षेत्र को नहीं तोड़ती हो, इस तरह के निर्देश जारी हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जिन सड़कों की स्वीकृति फोरेस्ट में आने के कारण निरस्त की गई है, वे उक्त नियमों के अन्तर्गत आती हैं। इन सड़कों को बनाने में किसी प्रकार के पेड़ काटने की जरूरत नहीं है और न ही ये किसी प्रकार के वन क्षेत्र को तोड़ती हैं। ये सड़कें तो मात्र वन क्षेत्र के किनारे से गुजर रही हैं। 15 किलोमीटर में से केवल डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो वन क्षेत्र में आता है, बाकी क्षेत्र को सड़क से नहीं जोड़ा गया है।

दूसरा, मैं यह बता रहा हूं, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, माननीय मंत्रीजी, आप यह बता दें कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन अभयारण्य क्षेत्र बनने के सम्बन्ध में पहली बार नीति-नियम कब बनाये गये? क्या इन नियमों में आज तक संशोधन नहीं किया गया है? आप बहुत ईमानदार, इंटेलिजेंट और

(श्री गोपाल मीणा)

काबिल मंत्री हैं, आप चाहें तो इन नियमों में संशोधन करवा सकते हैं। क्या आप इन नियमों में संशोधन करवाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने का विचार रखते हैं?

तीसरा, मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा, जिस वन क्षेत्र में सड़कें हैं, मेरे यहां नेशनल हाइवे 11 है, वहां केवल एक किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो वन क्षेत्र में आता है और 60 किलोमीटर जो सड़क है, मनोहरपुर वाया दौसा तक बन चुकी है। आज तक उस सड़क की, केवल सवा किलोमीटर की वजह से पूरे क्षेत्र में आवागमन में, आने-जाने में बहुत तकलीफ हो रही है और यह नेशनल हाइवे है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इस सड़क की कब तक वन विभाग से अनुमति मिलेगी? या नहीं मिलेगी?

दूसरा, मेरे क्षेत्र में जो वन विभाग का क्षेत्र है, उसमें...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न सीमित करें, गोपालजी।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): हां। आज करीबन 60 वर्ष हो गये और वन विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए 2008 में एक्ट जारी किया गया था, उसमें सड़क बनाने का नियम पारित है और उसमें ऐसी कोई अड़चन नहीं है। वन विभाग क्षेत्र में सड़क बन सकें, ऐसा नियम भी है। तो मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कब तक ये सड़कें बन पायेंगी?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, जमवारामगढ़ वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर तो जो इनको दिया गया है, उसमें सब बातें स्पष्ट हैं। सदस्य की भावना से तो मैं इस रूप में सहमति प्रकट करता हूं कि हम जहां एक तरफ सारे गांवों को सड़कों से जोड़ना चाहते हैं, जो गांव इसकी पात्रता पूरी करते हैं, पी एम जी एस वाई के कुछ गांव इस प्रकार के हैं, जिनको फोरेस्ट में होने की वजह से आज तक सड़कों से नहीं जोड़ सके हैं। हमने राजस्थान में 500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा है। बहुत सारे गांव, लगभग 70-80 गांव इस प्रकार के हैं, फोरेस्ट की वजह से हम इनका डामरीकरण नहीं कर पा रहे हैं। यह मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है कि मैं इसके लिए कहूं कि मैं इनको एक निर्धारित समय के अन्दर पूरा करवा दूंगा। इनका जो जमवारामगढ़

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

क्षेत्र है, यह टाइगर बफर जोन का क्षेत्र है और इनका प्रस्ताव वाइल्ड लाइफ बोर्ड के माध्यम से दिल्ली गया था। वहां पर इनकी सड़कों को कैटेगरिकली टर्न-डाउन कर दिया गया कि यह बफर जोन के अन्दर है, टाइगर के प्रोजेक्ट के अन्दर है, इसलिए इनकी सड़कों को डामरीकरण नहीं किया जा सकता। मौजूदा जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में ये सड़कें इनकी रहेंगी।

मैं फिर भी, क्योंकि मेरा वन्य जीव में रुझान है और मैं यह भी महसूस करता हूं कि डवलपमेंट के साथ-साथ हमको फोरेस्ट को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्य के साथ इनके क्षेत्र की सड़कों का व्यक्तिगत अवलोकन करूंगा और किस प्रकार से हम वाइल्ड लाइफ बोर्ड को इस बात के लिए, हम क्या सुझाव दे सकते हैं, उसको देखकर ही हम कोई चीज करेंगे। अभी तक तो वर्तमान स्थिति में तो इन सड़कों का डामरीकरण कराना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती संजना आगरी। एक मिनट। आपको पूरक प्रश्न पूछना है, गोपाल जी? इनका पूरक प्रश्न आ जाये पहले।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी कंटालिया से बोबान तक सड़क स्वीकृत हुई है, उसको रोक दिया है। (व्यवधान) मेरा भी इसी से सम्बन्धित प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: यह इनके जमवारामगढ़ का वाइल्ड लाइफ वाला मामला है, आपको ध्यान में है। यह कैसे परमिशन मिलती है, बताओ यह तो आप। माननीय गोपाल जी।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): मैं यह पूछना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का पहले हो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...और जहां चाहते हैं, वहां पर वन विभाग में यह सड़क कर देते हैं वन विभाग वाले।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसारामजी, ये मूल प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं, फिर उसके बाद देंगे आपको मौका।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ): ...सिद्ध के तिबारे, झीरी, आंधी, रामगढ़ सड़क, कुल लम्बाई 48 किलोमीटर है, उसमें केवल आठ किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो वन विभाग में आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: वह बता दिया है, उन्होंने कहा कि वे खुद अवलोकन कर लेंगे। अब आप विराजिये। आपका तो प्रश्न पूरा हुआ, उन्होंने आश्वासन दे दिया है।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): एक मिनट। वह केवल रोड बनी हुई है, पुरानी रोड है और उसमें केवल आठ किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो डामर से बनी हुई है पहले से, लेकिन वह आठ किलोमीटर क्षेत्र अभी तक सही नहीं हुआ। बाकी रोड बन चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। क्या बात है, केसाराम जी?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में भी इस प्रकार पाली जिले को जोड़ने वाली तीन सड़कें हैं...

श्री उपाध्यक्ष: यह ब्यावर की बात नहीं है, रामगढ़ सैंक्चुएरी की बात है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): तीन सड़कें हैं जो मात्र तीन-तीन किलोमीटर हैं, जो वन क्षेत्र में हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) विषय एक ही है। अब आप एक-एक विधान सभा क्षेत्र को निपटाओगे क्या? मंत्रीजी तो पूरे राजस्थान के हैं।

श्री उपाध्यक्ष: केसारामजी। केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग जहां चाहता है, वहां पर सड़क बनाने देते हैं। सुमेल से कालिया महादेव, जो बिलकुल वाइल्ड लाइफ क्षेत्र के बिलकुल पास है और वन क्षेत्र में था, वहां पर तो सड़क बना दी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नियम तो सबके लिए एक ही लागू होगा। वन क्षेत्र में इनका भी है और वन क्षेत्र में हमारा भी है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...मगर ढिंगोर की प्याऊ से काजलबास है, एक किलोमीटर सड़क को फोरेस्ट में दे दिया, जबकि रास्ता बना हुआ है, डामर डला हुआ है। कंटालिया से बोबान, बोबान तक ले जाकर सड़क रोक देते हैं, जो स्टेट हाइवे है। उस स्टेट हाइवे को भी रोक देंगे। तो इसके लिए कोई न कोई नीति बनायें।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। आप कुछ कहना चाहते हैं, कैलाश जी?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि डब्ल्यू बी एम से बीटी फेज सेकण्ड और थर्ड है, जो राजस्थान के अन्दर डामर कर दी गई हैं...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह उसका नहीं है, यह तो वाइल्ड लाइफ का है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): डब्ल्यू बी एम से बीटी का मैटर है। डब्ल्यू बी एम है, वह बीटी फेज सेकण्ड और थर्ड में है। भीलवाड़ा जिले में दो सड़कें मेरी डब्ल्यू बी एम सड़कें बची हुई हैं, कल्याणपुरा तक डामर करने का विचार रखते हैं क्या आप डब्ल्यू बी एम से बीटी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप विराजिये। विराजिये विराजिये, नहीं, नहीं, नहीं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे को तो समय नहीं दे रहे हैं। विषय एक ही है, कोई नई बात नहीं है। स्टेट हाइवे है और...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...होते हुए भीम रास्ता निकलता है और उसको ज्यूनारडी तक ले जाकर पूरा करेंगे, केवल दो किलोमीटर बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। आपका जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप राजस्थान के मंत्री हैं, आप जो भी विषय दोगे, एक-एक विधान सभा क्षेत्र वाइज नहीं दोगे। जो वन क्षेत्र में पूरे राजस्थान में जहां-जहां पर, जहां एक-एक या दो-दो किलोमीटर बाकी है, उनको पूरा करने के लिए निवेदन करते हैं, उनको पूरा करने की परमिशन दी जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंह जी। शंकर सिंह जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न करना चाहती हूं। एक प्रश्न है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ जाने दो। जवाब आ जाने दो। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सब साथ में जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: यह जनरल प्रश्न नहीं है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह इसी से जुडा हुआ मैटर है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी की जानकारी में नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं फोरेस्ट के बारे में आपको जनरल समस्या बताना चाह रही हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): यह जनरल समस्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह जनरल समस्या है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) जवाब आने दो आप। जवाब आने दो। माननीय मंत्रीजी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): यह हमारे वहां विधान सभा क्षेत्र में भी वन क्षेत्र की समस्या है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब आने दो। पहले जवाब आने दो आप। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जानकारी चाही थी कि दौसा से मोहनपुरा जो सड़क है, उसकी 1.2 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, टेण्डर प्रक्रिया में है इनकी सड़क के...

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती संजना आगरी। (व्यवधान) माननीय श्रीमती संजना आगरी। (व्यवधान) वह आपका नहीं आ रहा है। उसी में सब निहित है। (व्यवधान) श्रीमती संजना आगरी। श्रीमती संजना आगरी। (व्यवधान) हां, वह तो उस टाइम पूछ लेना आप। आप विराजिये, आप विराजिये।

पाली जिले के शहीद सैनिक के उत्तराधिकारी को राजकीय सेवा में नियुक्ति/सहायता

458. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली के वर्ष 1990 से 2010 तक वायु व जल सेना के कितने सैनिक शहीद हुए? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली के शहीद सैनिकों के कितने उत्तराधिकारियों को सरकारी नौकरी पर लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संजना आगरी)

(3) क्या वर्ष 1990 में श्री किस्तूरराम परिहार निवासी करनका की वायु सेना में सुरक्षा गार्ड रहते हुए गोली से मृत्यु हुई थी? क्या उसके परिवार के किसी उत्तराधिकारी को सरकारी नौकरी पर लगाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) वर्ष 1990 से 2010 तक पाली जिले से वायु व थल सेना के छह सैनिक शहीद हुए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

नाम मय पद	शहीद होने की तिथि	तहसील का नाम
कैप्टेन उम्मेद सिंह	7.9.1994	जैतारण
राइफलमैन हनुमान सिंह	13.2.1999	रायपुर
ग्रेनेडियर मोहन काठात	8.5.1999	रायपुर
सूबेदार भँवर सिंह	15.6.1999	सोजत
सिपाही पूना राम	17.12.1999	सोजत
नायक पूरण काठात	30.5.2002	रायपुर

(2) जिला पाली के एक शहीद सैनिक सूबेदार भंवर सिंह के आश्रित पुत्र भवानी सिंह को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी गई है।

(3) राज्य सरकार के नियमानुसार युद्ध में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग हुए सैनिकों के आश्रितों को ही नियोजन देय है। एक्स नं. 14547465 सिपाही कस्तूर राम परिहार निवासी करनका का डी.एस.सी. की 567ए प्लाटून में 293 स्क्वाड्रन एयर मार्फत 56 एपीओ में दिनांक 26.12.1990 को ''Shot to Death'' रिकार्ड में दर्ज किया गया। इनकी पत्नी को लिब्रलाइज्ड फैमिली पेंशन नहीं दी जा रही है, जो कि शहीदों को देय है। इसलिए इनके परिवार के उत्तराधिकारी को सरकारी नौकरी पर नहीं लगाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती संजना जी। (व्यवधान) वे मूल प्रश्नकर्ता हैं, उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): धन्यवाद।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने

(श्रीमती संजना आगरी)

जवाब दिया कि पूरे जिले के अन्दर छह शहीद हुए हैं। मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि शहीदों को सबसे पहले मान-सम्मान देने का जो विचार भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था और उस समय शहीदों के परिवारों को गैस एजेंसियां, उनको कोई सरकारी नौकरी, पेट्रोल पम्प और भूमि दी जाती थी। सैनिक जो शहीद होते थे, उन शहीदों के मान-सम्मान के लिए, जब उनकी डैड बाडी को घर पर नहीं लाया जाता था उस समय उन्होंने ऐसा कानून बनाया था कि उनकी डैड बाडी मान-सम्मान से उनके घर पहुंचे, जिसके अन्दर पूरे जिले के और प्रदेश के सम्मानित सभी, कलेक्टर्स, एस पी, वगैरह, सभी उसके अन्दर उनकी अंत्येष्टि में शामिल होते थे। मैं माननीय मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगी, यह पूछना चाहती हूं कि आपने पहले प्रश्न के जवाब में दिया कि कैप्टन उम्मेद सिंह जो 7.9.94 जैतारण के अन्दर, राइफलमैन हनुमान सिंह जो 13.2.99 को रायपुर में, ग्रेनेडियर मोहन काठाता 8.5.99 रायपुर, सूबेदार भंवर सिंह 15.6.99 सोजत, पूना राम 17.12.99 सोजत, और नायक पूरण काठात 30.5.02 रायपुर के अन्दर, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि पूरे जिले के अन्दर सन 1990 से लगाकर 2010 तक छह सैनिक शहीद हुए हैं। उन सैनिकों में से पाली जिले के एक शहीद सैनिक सूबेदार भंवर सिंह के आश्रित पुत्र भवानी सिंह को कनिष्ठ लिपिक के पद पर आपने नौकरी की नियुक्ति दी। तो मेरा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि उक्त जो पांच सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों को आज दिन तक नौकरी क्यों नहीं दी गई? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहूंगा कि कैप्टन उम्मेद सिंह की पत्नी नियोजन नहीं चाहती है, वह सर्विस नहीं चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष: सर्विस नहीं चाहती?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): राइफलमैन हनुमान सिंह की पत्नी ने पुत्र के लिए यह अधिकार सुरक्षित करवा रखा है, जब वह इसके लिए एलिजिबल होंगे, उनको नौकरी दे दी जायेगी; ग्रेनेडियर मोहन काठात को पेट्रोल पम्प आबंटित कर दिया गया, जिसको पेट्रोल पम्प आबंटित किया जाता है उसके आश्रित को सर्विस नहीं दी जाती है; सूबेदार भंवरसिंह के पुत्र को नौकरी दे दी है; पूनाराम, सिपाही पूनाराम के

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

परिवार ने, उनकी पत्नी ने पुत्र के लिए अधिकार सुरक्षित कर रखा है; और नायक पूरण काठात, इनके परिवार ने भी पुत्र के लिए अधिकार सुरक्षित कर रखा है, जब वह एलिजिबल हो जायेंगे, उनकी एक उम्र निश्चित हो जायेगी तो उनको रोजगार दे दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कर्नल...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पहले उन्होंने पूछा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप उनका आने दो, इसके बाद में आपको। (व्यवधान) एक और मौका दूंगा आपको, एक मौका और दूंगा, इनका आ जाय। (व्यवधान) वे खड़े हो गये हैं, इनके बाद आपको मौका दूंगा।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष जी, इनको पहले आपने..., हम प्रश्नकर्ता हैं, पहले हमारा एक, उपाध्यक्ष महोदय जी, उसके बाद में आप उन्हें सुन लें। मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको मिलेगा, वे खड़े हो गये पहले।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): पहले आप हमारी सुनें, ये बाद में बोलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, माननीय कर्नल साहब, एक मिनट। हां, संजनाजी, बोलें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, प्रश्न संख्या तीन के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष: किसी फौजी को भी पूछनें दे तो क्या एतराज है एक प्रश्न।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): कस्तूर राम परिहार निवासी करनका, जो कि आपने जवाब के अन्दर दिया है कि 'शाट-टू-डैथ', तो यह 'शाट-टू-डेथ' क्या है? इसके बारे में आप मुझे बतायें। क्या आप उसको शहीद नहीं मानते हैं? और लिब्रलाइज्ड फैमिली पेंशन आप उसकी पत्नी को नहीं दे रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो यह क्या है? इसके बारे में भी आप हमें बतायें।

श्री उपाध्यक्ष: हां, माननीय कर्नल साहब। (व्यवधान) आप उनसे पहले, देखो....(व्यवधान) मंत्रीजी, इनका साथ ही दे दो। मंत्रीजी, कर्नल साहब का साथ ही दे दें। हां, कर्नल साहब।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि राजस्थान की वीर भूमि ने आजादी के बाद में चार लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं, एक चाइना के साथ। इन लड़ाइयों के दौरान बहुत वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी सबसे ज्यादा आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, नैवी, एयर फोर्स में राजस्थान के सर्विस दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस दौरान जो भी शहीद हुए हैं उनको जो यह वीर चक्र है, परम वीर चक्र है, शौर्य चक्र है और पीस में मिलता है, उसका, और राज्यों ने जो है बहुत कुछ, पंजाब है, हरियाणा है, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा रखा है, वह जो मिलता है वहां। यहां पर राजस्थान सरकार ने बहुत कम, उसका नहीं दिया है। पिछली बार हेमाराम जी थे, उस वक्त भी सवाल उठा था, उन्होंने आश्वासन दिया था, हां, बढ़ायेंगे। तो मेरा आपसे पाइंटेड क्वेश्चन यह है, क्या राजस्थान सरकार जिस तरह से पंजाब, हरियाणा में जो आनर्स हैं, जिनको अवार्ड मिला है, शौर्य चक्र मिला है, वीर चक्र, उनको भी क्या बढ़ायेंगे या नहीं बढ़ायेंगे? और उसके साथ-साथ में जो पीस टाइम में...

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): पीस टाइम में जैसे मुझे भी राष्ट्रपति का अवार्ड मिला हुआ है, मुझे भी राष्ट्रपति का अवार्ड मिला है, बी एस एफ, बी एस एफ में, कुछ राज्यों के अन्दर बी एस एफ को भी अवार्ड देते हैं परन्तु, मुख्य मंत्रीजी चले गये, एक्चुअली मुख्य मंत्रीजी की बात थी, मेरे शुरू करते ही चले गये...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बात ही नहीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए अब।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर एक में इन्होंने...

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): नहीं, नहीं, इसी के साथ में क्या जवानों के लिए....

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मंत्रीजी ने जवाब दिया कि ग्रेनेडियर मोहन काठात को पेट्रोल पम्प अलाट हो गया....

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं खतम कर रहा हूं। (व्यवधान) जवानों के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, जवानों के लिए कुछ जिलों में, खास करके

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

बोर्डर जिलों में वहां डिफेंस कालोनी खोलनी थी और वहां सिपाहियों को वहां भर्ती, वहां जमीन देनी थी। यह भी प्रस्ताव चल रहा है। पंजाब, हरियाणा सब जगह उन्होंने दे रखे हैं। तो राजस्थान की सरकार क्या सोच रही है, डिफेंस कालोनी के लिए, एक्स-सर्विसमेन को...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। विराजिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): और जो अवार्ड मिला है, उनको जमीन देने की सोच रहे हैं कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। हां, माननीय केसाराम जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रेनेडियर मोहन काठात को पेट्रोल पम्प अलाट हो गया, इसलिए उसको नौकरी नहीं दी। तो सूबेदार भंवर सिंह के भी पेट्रोल पम्प अलाट हुआ और उसके बच्चे को नौकरी भी दी गई, ये दोनों चीजें हुई हैं। तो मोहन काठात, उसको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पूरे देश के अन्दर सबसे अग्रणी राजस्थान होना चाहिए, जो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी का होगा केवल। केवल माननीय मंत्रीजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय मंत्रीजी का। हां, अब माननीय मंत्रीजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, मंत्रीजी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): एक्स नम्बर 14547465 सिपाही कस्तूर राम परिहार निवासी करनका डी एस सी की 562-ए प्लाटून में उतरलाई के वायु सेना स्टेशन में पोस्टेड था और उनका 'शाट-टू-डैथ' का जो माननीय सदस्या ने पूछा है, वह मतलब है, गोली से उनका देहांत हुआ। वह क्यों हुआ गोली से, क्या नहीं हुआ, यह ...(व्यवधान) बता रहा हूं न, बता रहा हूं, मैडम। जो भी ऐसी घटना होती है उसमें पहले जहां जवान पोस्टेड होता है, जवान या अधिकारी, उसकी बटालियन हमको सूचित करती है, सैनिक कल्याण विभाग को कि यह अमुक व्यक्ति शहीद है या नहीं

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

है। इसके मामले में हो सकता है, खुद गोली लग गयी हो, किसी ने मार दी हो; हमको सेना ने कोई सूचित नहीं किया। यह पीस स्टेशन में पोस्टेड था, डी एस सी के अन्दर यह था, पहले यह ई एम ई में थे, वहां से रिटायर होकर आ गये, रिएम्पलाइड हो गये डी एस सी में, वहां पोस्टेड थे...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, मंत्रीजी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): तो पहले उसकी बटालियन हमको बताती है। तो शहीद का दर्जा हम नहीं देते हैं, मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स देती है, भारत सरकार; वह बटालियन हमको बताती है। फिर भी कहीं शंका होती है तो आर्मी हैडक्वार्टर के पास मैटर जाता है; वहां भी कोई शंका होती है तो इनका जो पेंशन देने का विभाग है, उसके पास जाते हैं; और हम वहां तक भी इंतजार करते हैं और जिसको लिब्रलाइज्ड पेंशन मिल जाती है, उसको पहले अगर डिक्लेयर नहीं किया है तो भी हम उसको फिर शहीद डिक्लेयर कर देते हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा। माननीय श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गोविन्द सिंहजी। माननीय श्री...(व्यवधान)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त आयुष चिकित्सकों को देय सुविधाएं

459. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक नियुक्त किये गये हैं? यदि हां, तो कब से व कितने? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्र में आयुष चिकित्सक के रूप में संविदा पर नियुक्त उक्त यूनानी, होम्योपेथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों से ग्रामीणजन को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं? क्या उक्त चिकित्सक पूर्ण योग्यताधारी हैं?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु केन्द्र सरकार को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हां, तो कब? सम्बन्धित पत्रादि की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में चार-पांच वर्षों से कार्यरत आयुष चिकित्सकों को नवनियुक्त एलोपेथिक चिकित्सकों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना व क्यों? क्या सरकार इनका वेतन बढ़ाने एवं इनको स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत समस्त कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय चिकित्सा मंत्री का अंकित हो। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्षः अब आप विराजिए, केवल चिकित्सा मंत्री का। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्षः अब आप विराजिए, अगला प्रश्न आ गया है। आप विराजो तब देंगे।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्षः आगे का प्रश्न आ गया है। आप विराजिए, पहले आप विराजिए। माननीय मंत्रीजी। केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आपका अंकित हो रहा है, आप बोलिए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां)): (1) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1,138 आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद, होम्योपेथिक एवं यूनानी) एवं 97 एलोपेथिक चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं, जिनकी नियुक्ति अवधि सहित जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेद, होम्योपेथिक एवं यूनानी) से ग्रामीणजन को बेहतर आयुष चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। उक्त आयुष चिकित्सक पूर्ण योग्यताधारी हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पदों के स्थान पर स्थायी पद सृजित किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए एलोपेथिक चिकित्सक एवं आयुष चिकित्सक दोनों को ही मानदेय 16,800 रुपए प्रति माह दिया जाता है। जी हां। वेतन बढ़ाने एवं स्थायी करने का विचार नहीं है अपितु राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पदों के स्थान पर स्थायी पद सृजित किए जाने का विचार रखती है।

(5) राज्य सरकार राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत समस्त कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार नहीं रखती है बल्कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पदों के स्थान पर स्थायी पद सृजित किया जाना विचाराधीन है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्दसिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने जो जवाब भिजवाया है, उसके खण्ड संख्या-2 में इन्होंने लिखा है ग्रामीणजन को बेहतर सुविधाएं यह जो एन आर एच एम के जो डाक्टर या कर्मचारी हैं वे दे रहे हैं और ये पूर्ण योग्यताधारी हैं। मैंने प्रश्न के खण्ड-3 में पूछा था कि क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

के तहत कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है या नहीं भेजा है, माननीय मंत्री महोदय ने इसका न 'हां' में जवाब दिया और न 'ना' में जवाब दिया; इन्होंने यह कहा है, खण्ड-3 के उत्तर में कि हमने संविदा के पदों के स्थान पर स्थायी पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि ये जो पूर्ण योग्यताधारी हैं, मेरिट के आधार पर आये हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में भी यह कहा है कि हम 21,000 हजार कर्मचारियों के पद सृजित करने जा रहे हैं; तो ये जो बच्चे पांच साल से एन आर एच एम के माध्यम से बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, कम पैसे में दे रहे हैं, इनकी आयु सीमा भी जा रही है, तो क्या ऐसे कर्मियों को सरकार इनमें समायोजित करने का विचार रखती है, 'हां' या 'ना'? इसके बाद एक-दो क्वेश्चन और करूंगा। इसका हां या 'ना' में उत्तर में आ जाए, उसके बाद में करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब एन आर एम एम...

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब आने दीजिए।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जब एन आर एच एम की स्कीम लांच की गई थी 2005 में, तो अमेण्डेट था वह यह था कि यह टवेल्व्थ फाइव यीअर प्लान के लिए एन आर एच एम चलाया जाएगा और यह था कि ग्रामीण इलाकों में जो रेगुलर सेवाएं दी जा रही हैं, उनको ये सप्लीमेंट करेंगे, उसमें मदद करेंगे कि ग्रामीण इलाक़ों में ज्यादा से ज्यादा तौर पर लोगों को सुविधाएं मिल सकें। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अभी इस बजट भाषण में यह घोषणा की है कि 21,000 पोस्टें जो हैं, वे क्रीएट की जाएगी; उनका जो अपाइंटमेंट होगा, वह गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 21,000 हजार पोस्टों का अपाइंटमेंट होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय विधायक जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या सरकार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इन एन आर एच एम कर्मियों, जिनमें चिकित्सक भी हैं, पैरा-मेडिकल स्टाफ भी है, उनको कोई आयु सीमा में छूट देने या इनको अनुभव का लाभ देने का विचार रखती है? इनको नियमित करने का प्रावधान का विचार रखती है या नहीं रखती है? क्या सरकार ने फार्मेसिस्ट की भर्ती में जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है, उसमें इस प्रकार के बोनस अंक दिए जाने, अनुभव के आधार पर और आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है? अगर किया है तो ये एन आर एच एम के कर्मी जो पांच सालों से विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या सरकार इन नवसृजित पदों पर इन एन आर एच एम कर्मियों को, चाहे वह चिकित्सक हो, एक चिकित्सक नया लगता है 30 हजार रुपए लेता है, एक पांच साल में एन आर एच एम में वही चिकित्सक, वहीं योग्यताधारी 16,800 में नौकरी करता है, वहीं एक ए एन एम दस हजार से अधिक लेती है। मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्या आयु सीमा में और योग्यता के आधार पर बोनस अंक दिये जाकर ये जो एन आर एच एम के कर्मी हैं चिकित्सा विभाग में, उनको नियमित करने का विचार रखते हैं? माननीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी सबका ध्यान रखते हैं, इसलिए इनमें भी यह प्रावधान किया जाए जिससे इनका भविष्य सुधर सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न का उत्तर तो दिलवाओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। क्या छूट का...

श्री उपाध्यक्ष: आ जाएगा, इसके साथ में ही आ जाएगा जवाब। पहले प्रश्न का उत्तर आ गया, दूसरे का भी इसके साथ आ जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्वयं अलवर के हैं क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे, अलवर जिले में एन आर एच एम में पचास से सौ करोड़ का घोटाला हुआ है और ...

श्री उपाध्यक्ष: यह इससे सम्बन्धित नहीं है। नहीं, आप विराजिए। माननीय डा. दिगम्बर सिंह जी। अब आपने बोल दिया है, आपका प्रश्न आ गया है, अब आप विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उसका हिसाब नहीं दिख रहा, सी एम एण्ड एच ओ यह कह रहे हैं कि मुझे इसका पता नहीं है। इस घोटाले का एन आर एच एम से सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए, आ गया है आपका सवाल, दे देंगे जवाब।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: वह व्यवस्था अपने आप है कि जो भी असंसदीय शब्द होगा, शाम को अपने आप निकाल देंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय डोटासरा जी ने जो सवाल किया है उसमें मैं एक सप्लीमेंटरी एड करना चाह रहा था। माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का श्रम करें, क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसी राजनीतिक या पब्लिक फंक्शन में यह घोषणा की थी कि एन आर एच एम में कार्यरत सभी कर्मियों को नियमित किया जाएगा? अगर उन्होंने घोषणा की है तो उस घोषणा के अनुरूप सरकार और विभाग उस पर क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। गोविन्द सिंह जी का और इनका दे दें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसका डा. दिगम्बर सिंह जी ने अभी जिक्र किया है, इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने यही कहा है कि 21,000 पोस्टें, उनको एज पर गवर्नमेंट रूल्स से उनको भरा जाएगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप, जवाब दे दिया है उन्होंने। मूल प्रश्नकर्ता का आने दें पहले। मूल प्रश्नकर्ता का अंकित होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या फार्मेसिस्टों को इस प्रकार की आयु सीमा में छूट...

श्री उपाध्यक्ष: वह कह रहे हैं कि वह जो है, उनको बोनस अंक दे दिया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और अनुभव के आधार पर देने का निर्णय किया गया है? यदि हां, तो क्या इन एन आर एच एम के अन्य कर्मियों को भी इस प्रकार का लाभ दिया जाएगा या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने बता दिया है सर, ये 21 हजार की, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इनकी भर्ती की जाएगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: वह उन्होंने मना कर दिया न। माननीया श्रीमती सज्जन कटारा।

प्रश्न संख्या–460

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी...

श्री सभापति: माननीय श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सवा सात करोड़ का तो पता ही नहीं है, कहां गये। बाकी जो घोटाला हुआ, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं आया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)... ये रहा तुम्हारा घोटाला, ये रहा।

शेरगढ़ (जोधपुर) तहसील क्षेत्र के कृषकों को अनुदान/सहायता

461. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कृषि को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में सरकार द्वारा काश्तकारों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं?

(3) कृषि के उपयोग में आने वाले कौन-कौन से कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) तहसील शेरगढ़ में कृषि उपयोग के काम आने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु किन-किन काश्तकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया और उक्त आवेदनों में से किन-किन को कितना-कितना अनुदान जारी किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (1) वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा राज्य योजना, कार्य योजना, आईसोपाम, गहन कपास विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आत्मा योजना संचालित की जा रही हैं।

(2) विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा कार्य योजना, आईसोपाम एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कृषि यंत्रों पर दिये जा रहे अनुदान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) तहसील शेरगढ़ में कृषि उपयोग के काम आने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन परिशिष्ट-3 एवं दिये गये अनुदान की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबूसिंह जी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड-1 में माननीय मंत्री महोदय से पूछा है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कृषि विभाग में ड्रिप, फव्वारा, ग्रीन हाउस, पाली हाउस, नेट हाउस में अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो जोधपुर जिले में फव्वारा अनुदान के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितनों को अनुदान दिया गया? इसी में आपने बताया है कि 'आत्मा' योजना, तो ये आत्मा योजना क्या है? और आपकी 'आत्मा' में और सरकार की 'आत्मा' में कृषि विभाग में कार्य करने की कोई जगह है कि नहीं है? अगर है तो जोधपुर जिले में इस योजना में आपने क्या काम करवाये? ...(व्यवधान)... कृषि विभाग में बागवानी खेती आती है या नहीं? अगर आती है तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, एन एच एम, यह कितने जिलों में लागू है और कितनों में नहीं है? जिनमें नहीं है, वहां कब तक लागू कर दोगे? उसके साथ ही ये खण्ड-4 मैंने पूछा है कि अनुदान के लिए कितने आवेदन आये और कितने आवेदन मंजूर किये, आपने कहा कि खण्ड-3 और खण्ड-4 पर आपको सूची दी है, लेकिन खण्ड-4 की सूची मेरे पास नहीं है। खण्ड-4 का परिशिष्ट-4 मेरे पास नहीं है, जो आपने नहीं दिया है। तो कितने आवेदन आये और कितने अनुदान आपने स्वीकार किये? इन चारों का जवाब आप मंत्री महोदय से मुझे दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बागवानी का सवाल है, बागवानी में अलग बजट है, अलग सारी योजनाएं हैं। आपने केवल कृषि का पूछा है, इसलिए आपको कृषि विभाग द्वारा दी जा रही योजनाओं का विवरण दिया गया है।

जहां तक परिशिष्ट-4 का सवाल है, परिशिष्ट-3 जो दूसरा पेज है उसमें लग गया है, ये गलती से लग गया। परिशिष्ट-3 में तो जो इस साल में प्रार्थना पत्र आये और उनको जो अनुदान दिया, उसका है और परिशिष्ट-3 ही दुबारा उसमें लग गया। यह परिशिष्ट-4 है। उसमें गत वर्ष में जितने भी प्रार्थना पत्र अनुदान देने से वंचित रह गये थे, उनको सबको अनुदान दिया गया है और आज की तारीख में जोधपुर जिले में कोई भी अनुदान कृषि यंत्रों पर बकाया नहीं है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 'आत्मा' के बारे में पूछा है और बागवानी' यह कृषि विभाग में आता है कि नहीं आता है, आप कह रहे हैं कि अलग बजट है। अगर अलग बजट है' कृषि विभाग में आता है, तो मैंने पहले ही प्रश्न में कहा है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए अब इसमें फव्वारा का अनुदान, ड्रिप का अनुदान आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जोधपुर जिले में कितने आवेदन आये और किसी को दिया है कि नहीं दिया है। आप बताओ न। और 'आत्मा' में क्या है? ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): 'आत्मा' में, आर के वाई में, सब में कृषि के ही कार्य हैं और बागवानी के भी हैं। एन एच एम में चौबीस जिले हैं और बाकी जिलों में 'आत्मा' योजना के अन्तर्गत जो चौबीस जिलों में सुविधा दी जाती है, वह उनमें भी दी जाती है। जहां तक आप बार-बार यह कह रहे हैं, कृषि का बजट अलग है और बागवानी का अलग है; आप इस बागवानी का पूछते, कृषि और बागवानी, तो दोनों का देते। आपने सिर्फ कृषि का जिक्र किया है, इसलिए कृषि का उत्तर दिया है।

दूसरी बात, आज की तारीख में कोई भी प्रार्थना पत्र कृषि यंत्रों का या अन्य कोई भी अनुदान देना बकाया नहीं है, जितने आवेदन थे उनको सबको 31 मार्च तक अनुदान दे दिया गया है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि को

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

बढ़ावा देने का पूछा है, तो कृषि में बागवानी है कि नहीं है? कृषि को बढ़ावा देना नहीं है क्या? 'आत्मा' का मतलब पूछ रहा हूं, 'आत्मा' में आपने क्या काम करवाये?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री जगसीराम जी कोली। माननीय राजस्व मंत्री जी। केवल राजस्व मंत्री जी का अंकित होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

रेवदर के खातेदारों को खातेदारी अधिकार

462. श्री जगसीराम (रेवदर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सरकारी जमीन पर काबिज किसानों को निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर उस भूमि का उनके नाम से नियमितीकरण कर दिये जाने की कितनी समय सीमा के बाद सम्बन्धित किसान की गैर-खातेदारी की भूमि को खातेदारी में तब्दील कर म्यूटेशन भरे जाने का नियमों में प्रावधान है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2008-09 से फरवरी, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र रेवदर में प्रशासन-गांवों-के-संग कैम्प में जिन-जिन किसानों को सरकारी भूमि पर नियमित किया गया था, उन्हें गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार देकर उनके म्यूटेशन अभी तक नहीं भरे गये हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त अवधि के कैम्पों में गैर-खातेदारी अधिकार पाने वाले किसानों, भू-धारकों की नियमित की गई भूमि का रकबा, खसरा, गैर-खातेदारी अधिकार दिये जाने की तिथि सहित पटवार हल्का, उपखण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त में से प्रत्येक गैर-खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके किसानों को खातेदारी अधिकार देकर उनका म्यूटेशन खोलने तथा समय पर खातेदारी अधिकार देकर म्यूटेशन नहीं खोलने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (1) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 के तहत भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का आबंटन एवं उक्त नियमों के नियम 20 के

(श्री हेमाराम चौधरी)

अनुसार भूमिहीन व्यक्ति का सरकारी भूमि पर कब्जा होने पर नियमित करने का प्रावधान है। आबंटी द्वारा आबंटन शर्तों की पालना करने पर नियम 18 में आबंटन के तीन वर्ष पश्चात गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान है। खातेदारी आदेश होने पर नामान्तरकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) वर्ष 2008-09 से अब तक विधान सभा क्षेत्र रेवदर में प्रशासन-गांवों-के-संग कैम्पों में नियमन के लिये कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात् इस अवधि में कोई नियमितीकरण नहीं हुआ है। अतः सूचना शून्य है।

(3) उक्त बिन्दु-2 के अनुसार कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने बताया कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 के तहत भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का आबंटन एवं उक्त नियमों के नियम 20 के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति का सरकारी भूमि पर कब्जा होने पर नियमित करने का प्रावधान है और नियम 18 में आबंटन के तीन वर्ष पश्चात खातेदार को खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान है। खातेदारी आदेश होने पर नामान्तरकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। दूसरे में दिया है, वर्ष 2008-09 से अब तक विधान सभा क्षेत्र रेवदर में प्रशासन-गांवों-के-संग कैम्पों में नियमन के लिये कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात् इस अवधि में कोई नियमितीकरण नहीं हुआ है, अतः सूचना शून्य है। तीसरे में दिया है, उक्त बिन्दु के अनुसार कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि प्रशासन-गांवों-के-संग जो कैम्प हुए, ये रिपोर्ट मेरे हिसाब से पूरी गलत है। पूरे क्षेत्र में जब भी प्रशासन-गांवों-के-संग कैम्प हुए, उनमें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसी में पूछना है न आपको? प्रश्न पूछना है न? इनके बाद।

श्री जगसीराम (रेवदर): मैं यही पूछ रहा हूं कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जिन काश्तकारों ने जो आवेदन किये हैं, उनकी कार्यवाही नहीं हुई है। मैं एक ग्राम पंचायत धानका का उदाहरण दे रहा हूं कि ... (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही का है।

श्री उपाध्यक्ष: इनका जवाब आने के बाद में।

श्री जगसीराम (रेवदर): ये तगा भील मलावा के हैं, ...(व्यवधान) उरमल, तलकारगा मेघवाल, मलावा; मंजित, धर्मा मेघवाल, मलावा; और भूरा जैसा जी तूरी मलावा; विष्णु धना तूरी, मलावा; और प्रताप मफा कोली दादरला, रघुनाथ सुरता जी कोली और ओबामाला कोली, ये जो हैं, एक धानका पंचायत ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हो रहा है, शार्ट करिये।

श्री जगसीराम (रेवदर): और आपके इसमें यह जो बताया कि कृषि प्रयोजनार्थ में, इसमें जो यह सारा बताया है...

(12.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब लेना चाहते हो या नहीं?

श्री जगसीराम (रेवदर): मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट आई है, वह गलत आई है। रेवदर तहसील में 270 बीघा जमीन आबंटित हुई है और आपने उसमें शून्य बताया है। मंत्री महोदय, आपको जो गलत आंकडे दिये गये हैं उनको क्या एक बार वापस दिखवाने की कृपा करेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें साथ ही यह भी जवाब दिलवा दें, अलवर और भरतपुर जिले में भी गैर कस्टोडियन खातेदारी बहुत ज्यादा है और कब्जे के आधार पर जो पट्टे दिये गये थे, गैर-खातेदारों को आज तक पट्टे नहीं दिये गये। सदन में माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके हैं, उसके बाद भी एक भी गैर-खातेदार को, कस्टोडियन गैर-खातेदार को अलवर जिले में पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। उनको कब तक पट्टे दे दिये जायेंगे, मंत्री महोदय बतायें।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह सिरोही जिले का मैटर है और सिरोही जिले में यह जो आवंटन का मामला है, प्रशासन-गांवों-के-संग में सबने आवेदन किये। आप कह रहे हैं कि किसी ने आवेदन किया ही नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। प्रशासन-गांवों-के-संग में सबने आवेदन किये थे।

श्री जगसीराम (रेवदर): ...(व्यवधान) यह पूरे जिले में शून्य बता रहे हैं। यह अंधेरे में रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से अजमेर की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु आवश्यक उपाय करने के सम्बन्ध में।

(2) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से डाबला-जयपुर वाया कोटपूतली-शाहपुरा-आमेर रेलवे लाइन, कोटपूतली के आसपास सीमेंट उत्पादन हब, निजी क्षेत्र में हवाई अड्डा तथा विशाल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(3) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय में ओवरब्रिज एवं सीवरेज निर्माण की योजना की क्रियान्विति करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली की महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में ।

(5) श्रीमती संजना आगरी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली को अतिशीघ्र नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

माननीय रघु जी आप वहीं विराज जाइए। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिये।

(6) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से सीकर व झुंझुनूं जिले में अध्यापकों की नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्ति करने से ग्रामीण इलाकों के विद्यालय अध्यापक-विहीन हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य की ओर से कृषि विभाग द्वारा बीज खरीद में कंपनियों से मिलीभगत करके किसानों को घटिया बीज उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर क्षेत्र में रसद विभाग और राशन डीलरों की मिलीभगत से अन्त्योदय और बी पी एल

(श्री उपाध्यक्ष)

परिवारों के लिये आवश्यकता से दुगना गेहूं उठाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री ज्ञानचन्द पारख इसी विषय पर आज पर्ची के माध्यम से सदन में विचार रखेंगे।

(9) श्री बाबूलाल खराड़ी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जनजाति छात्रावासों में गेहूं के बजाय आटा पहुंचाना शुरू कर देने से सरकारी खजाने पर पड़ रहे करोड़ों रुपये के व्यर्थ वित्तीय भार के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुखराम, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल तथा 6 अन्य सदस्यों की ओर से स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में हो रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाकर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में नि:शुल्क दी जा रही जेनेरिक दवाइयों का प्रभाव कम होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(12) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से खेतों में निवास करने वाले किसानों को घरेलू विद्युत कनेक्शन नहीं देने एवं छह-छह माह तक खराब मीटर नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री बाबूलाल खराडी, श्री सुखराम, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री मोहनलाल गुप्ता एवं श्री अमराराम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्या की ओर से विधायक कोष निधि से अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति एवं निष्पादन बिना किसी विलम्ब के तीव्र गति से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(2) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के अधिकांश गांवों एवं कस्बों में विद्युत सुविधाओं का अभाव होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से मकराना में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से डेगाना कस्बे के एक मात्र गन्दे नाले को पक्का कराने एवं कस्बे की सड़क से रेलवे का अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर में विद्युत आपूर्ति अपर्याप्त होने तथा घरेलू विद्युत लाइनों की स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से मण्डी घड़साना को पुन: नगर पालिका घोषित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री सुखाराम नेतड़िया, सदस्य की ओर से मेड़ता में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में औद्योगिक इकाइयों (तेल मिलों) को मंडी प्रांगण में दुकान/गोदाम/भूखण्ड विधिसम्मत आवंटित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती गंगादेवी, सदस्या की ओर से बगरू से नायला वाया रामबाग सर्किल उपनगरीय बस सेवा तथा भांकरोटा से जयपुर शहर वाया रामबाग सर्किल तक लो-फ्लोर बस सेवा संचालित करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा (धौलपुर) में पेयजल के संकट के निवारण हेतु 100 हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से राजस्थान स्पिनफेड के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री कल्याण सिंह चौहान, सदस्य की ओर से उदयपुर जोन की कांस्या पट्टी माइनिंग खान के सम्बन्ध में उचित पालिसी बनाने एवं विक्रय माल का पक्का बिल दिलाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री बाबूलाल खराड़ी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जनजाति आश्रम छात्रावासों में गेहूं के स्थान पर आटे की आपूर्ति से राजकोष पर अनावश्यक भार

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं एक विशेष विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति आश्रम छात्रावास संचालित हैं और उन आश्रम छात्रावासों में सरकार द्वारा पहले गेहूं दिया जाता था, वह सस्ता था और आज उसी जनजाति विभाग द्वारा प्राइवेट कम्पनियों के माध्यम से 21 रुपये और कुछ पैसे के हिसाब से आटा दिया जाता है। अगर वही आटा रसद विभाग से दिया जाता है तो वह आटा 8 रुपये और कुछ पैसे पड़ता है। जनजाति विभाग सरकार के खजाने से करोड़ों रुपये व्यर्थ खर्च करके क्यों सरकार के खजाने को चूना लगा रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, यह शंका है कि इसमें कहीं न कहीं करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है, जिसे रोका जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज रसद के हिसाब से फोर्टिफाइड आटा आश्रम छात्रावासों में, होस्टलों में अगर पहुंचाया जाता है तो वह गुणवत्तायुक्त आटा होगा और सरकार को करोड़ों रुपये का फायदा होगा। जनजाति मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पर पुनर्विचार करके बी पी एल का आटा अगर रसद विभाग से उपलब्ध कराया जाये तो सरकार को करोड़ों रुपये का फायदा हो सकता है, अन्यथा करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इस पर विचार करके निश्चित रूप से आप उपभोक्ता भंडार से या रसद विभाग से आटा खरीद कर पहुंचायेंगे तो आटा गुणवत्तायुक्त होगा, पौष्टिक होगा। इससे उन बालकों का भी भला होगा और सरकार का भी फायदा होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम।

स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्रक्रियागत भर्ती में एससी/एसटी के हितों की सुरक्षा

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में सभी नियमों को ताक पर रखकर जो एस सी,

(श्री सुखराम)

एस टी का बैकलाग है, उसको खतम करके वहां पर सिर्फ अपने चहेतों को नौकरी देने के लिये नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ पांच दिन में दो विज्ञापन जारी किये गये। पहला विज्ञापन जारी किया गया 3.11.2011 को और इसमें कहीं पर भी कुलपति महोदय ने बैकलाग के बारे में नहीं बताया। कुल 112 पद थे, राज्य सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त इन पदों के लिये एक विज्ञापन जारी होना था, परन्तु कुलपति महोदय ने अपनी मनमर्जी करते हुए दो-दो विज्ञापन जारी किये और वे विज्ञापन सिर्फ इसीलिए जारी किये... इसमें एस सी, एस टी के जो अभ्यर्थी हैं उनके अधिकारों की रक्षा उनके द्वारा नहीं की जा रही है...

श्री उपाध्यक्ष: अभी चन्द्रकान्ता जी भी बोलेंगी इसलिए थोडा शार्ट करो।

श्री सुखराम (बसेड़ी): और उनके बैकलाग को खतम करके सामान्य श्रेणी के और वह भी, उनके चहेते लोगों को नौकरी में लेने के लिये यह नियमों की धज्जियां उडाई गई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक महिला वर्ग है, चाहे वह जनरल का हो या एस सी का हो, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप मुख्य सचेतक जी, आप विराजिए, खड़े-खड़े बात नहीं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में नियमों की धज्जियां उड़ाकर यह भर्ती प्रक्रिया की जा रही है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का नहीं हो, ...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए और उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उसकी जांच कराई जाए कि आखिर एस सी, एस टी लोगों का जो बैकलाग है, उसे क्यों खतम कर रहे हैं और क्यों अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर यह जो धांधलियां हो रही हैं बीकानेर स्वामी केशवानन्द विश्वविद्यालय में, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय चन्द्रकांता जी। थोड़ा शार्ट में, क्योंकि वह ही बात है, इसलिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन के माध्यम से मैं स्वामी केशवानन्द विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति महोदय द्वारा जो कृत्य और जो बैकलाग को एक तरफ नजरअंदाज करके एक पत्र जिसका क्रमांक 2011/156 है...

श्री सुखराम (बसेड़ी): मंत्री बैठे हुए हैं, जरा गौर कराएं वे अपनी बात में मशगूल हैं। (व्यवधान) जबकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): दिनांक 15 सितम्बर, 2011, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार को लिखा गया और जिसमें राजस्थान सरकार के कृषि (ग्रुप-2) के पदों की स्वीकृति एक साथ दिये जाने हेतु लिखा गया था, जबकि उक्त दिनांक 15 सितम्बर, 2011 से पूर्व कुल 112 पदों की स्वीकृति विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुकी थी। पत्र में केवल प्रोफेसर कीट विज्ञान के पद की स्वीकृति शीघ्र भिजवाने का उल्लेख था और उक्त पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को शायद इस बात का आश्वासन भी दिया गया था कि उक्त पद की स्वीकृति मिल जाती है तो इन सब पदों के लिए एक ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस पद की स्वीकृति माह अक्टूबर, 2011 में दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें तीन विंग कार्य करती हैं, नम्बर एक जो कृषि शिक्षा है, नम्बर दो-अनुसंधान, एवं कृषि। विश्वविद्यालय में पदों का निर्धारण तीन विंग के पदों को मिलाकर किया जाता है लेकिन इन पदों में से कुलपति महोदय के चहेतों को, हो सकता है, उनके कोई रिलेटिव हों, मैं किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं लगा रही हूं लेकिन मैं सरकार को इसलिए बता रही हूं कि सरकार इस पर उचित कार्यवाही करें। अपने चहेतों को पदों पर, बैकलाग में लाने लगे या एस टी, एस सी की श्रेणी में जाने लगे, तो मात्र पांच दिन के अन्दर, उन्होंने दो दिन के अंतराल में दो विज्ञापन जारी किए, जिनमें एस सी, एस टी के पदों को सामान्य श्रेणी में बदल दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है और मैं मानती

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हूं कि राज्य सरकार को इस बात पर चिंता करनी चाहिए। इस तरह एस सी, एस टी का जो बैकलाग है, जिन पदों को सामान्य श्रेणी से भरा जा रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। शार्ट करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक तरफ जब राज्य सरकार महिलाओं के हितों की बात करती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट, लेकिन विज्ञापनों में महिलाओं के लिए एक भी पद नहीं था और न ही सामान्य श्रेणी की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई पद उसमें नहीं था और जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, उनका भी नहीं रखा गया, जबकि कुलपति महोदय यह दावा कर रहे थे कि भर्ती नियामानुसार हो रही है। मैं चाहती हूं, यह बड़ा गम्भीर विषय है और इस पर कार्यवाही राज्य सरकार को करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करती हूं कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए और इन विज्ञापनों के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर तुरन्त रोक लगाई जाए और नये सिरे से जो भर्ती प्रकिया है उसको आरम्भ किया जाए। यही बात कहना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मोहनलाल जी गुप्ता।

राजकीय चिकित्सालयों में वितरित नि:शुल्क जेनेरिक दवाइयों का कम प्रभावी होना

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने जेनेरिक दवाइयों की व्यवस्था की है और उन जेनेरिक दवाइयों की व्यवस्था के कारण आज राजस्थान भर में सारे पेशेंट्स को फ्री दवाइयां मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है और सरकार की इस घोषणा का हम स्वागत भी करते हैं लेकिन इसमें जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उनकी ओर मैं इस स्थगन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 450 दवाइयां इस योजना के तहत घोषित होनी थीं, लोगों को उपलब्ध कराई जानी थीं लेकिन किसी भी अस्पताल में 150 से ज्यादा दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं आज की तारीख में। इमरजेंसी में पेशेंट को बाहर की दवाइयों को एन ओ सी लेकर खरीदना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जेनेरिक दवाइयां बहुत ही घटिया स्तर की हैं और

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

गुणवत्ता वाली नहीं हैं और उन दवाइयों के कारण लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसी रिपोर्टस आ रही हैं। बात यह है कि जिस प्रकार से, आप जाकर देख लीजिए, दस रुपये में एक आउटडोर की पर्ची है, दस रुपये में वह आउटडोर की पर्ची बनाता है; पहले वह आउटडोर की लाइन में लगेगा, उसके बाद डाक्टर की लाइन में लगेगा, उसके बाद दवाइयों की लाइन में लगेगा, जांच की लाइन में लगेगा; उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। दस रुपये की पर्ची के बाद में उसको तीन या चार रुपये की दवाई देते हैं, केवल तीन-चार रुपये की दवाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मांग है कि जिसको तीन-चार रुपये की दवाई दे रहे हो, उसको सात रुपये वापस तो करो।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ जो व्यक्ति, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक उदाहरण है एमिकासिन, वह सात रुपये का आता है, तीन लगता है, अगर वह तीन दिन लगाने सुबह और शाम आएगा, वह गरीब आदमी बस में आएगा, रिक्शे में आएगा, तांगे में आएगा, जिससे भी आएगा, उसके 100-150 रुपये वैसे ही खर्च हो जाएंगे। तो फिर दवाई का मतलब क्या निकला? मैं यह कहना चाहता हूं, आपने उससे दस रुपये लिए हैं, अगर उसकी पर्ची है सात दिन की दुबारा आने की, तो उसको बस की सुविधा भी फ्री करें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आउटडोर बढ़ा है, कहीं शिकायत नहीं आई। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हां, बढ़ गया आउटडोर, मैं यही कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ऐसी कहीं शिकायत नहीं है कि दवाइयां नहीं मिल रही हैं। (व्यवधान) पहले 300 रुपये का आता था इंजेक्शन, आज वह सारी पी एच सी, सी एच सी, जनरल हास्पिटल, सबमें फ्री है। गरीबों को कितनी राहत मिल रही है और आप उसकी खिलाफत कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था में सुधार की बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहनलाल जी, समाप्त कीजिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पूरी बात सुनिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने पहले इसका स्वागत किया है, और अच्छी बात है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमराराम जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): तीन दिन में उसको दुबारा पर्ची कटवानी पड़ती है, यह बिल्कुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): दस रुपये की पर्ची और तीन रुपये की दवाई, यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमराराम जी। अब आप विराजिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आपको सरकार का जवाब भी मिल गया।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपने जब समय दिया है तो मुझे दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किन-किन फर्मों से दवाइयां खरीदी गई हैं, यह जो जेनेरिक दवाइयां हैं, ये अच्छी और गुणवत्ता वाली कम्पनियों से खरीदी जा सकती हैं, उनकी रेट भी वह ही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा ... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): दवाइयां अच्छी हैं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हम सब एम एल एज हैं, मंत्री हैं, आई ए एस आफिसर हैं, उनको जेनेरिक दवाइयां दीजिए। गरीब व्यक्ति को जेनेरिक दवाइयां देने का क्या मतलब है? गरीब व्यक्ति को जेनेरिक दवाइयां दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहस का विषय नहीं है, आपने सूचना दे दी। ...(व्यवधान)...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): क्यों नहीं एम एल ए, एम पी को, क्यों नहीं आई ए एस आफिसर को देते हैं? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): गरीबों को लाभ मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): गरीबों को लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इनको तकलीफ है कि इनकी दुकानें बंद हो गईं। गरीबों को लाभ मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): तीन रुपये की दवाई, पर्ची दस रुपये की ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमरारामजी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): गलत आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आरोप नहीं लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल अमराराम जी का ही अंकित होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बस अब आप विराजें। केवल अमराराम जी का।

खेतों में निवासी किसानों को घरेलू विद्युत कनेक्शन पर रोक व खराब मीटर को समय पर नहीं बदला जाना

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या, राजस्थान के उन किसानों के बीच में जो आबादी गांव के क्षेत्र को छोड़कर अपने खेतों में बसे हुए हैं, उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। विशेष तौर से हमारे राजस्थान में बिजली सप्लाई करने का एक ही सिस्टम था, चाहे वह एग्रीकल्चर है, चाहे घरेलू लाइट है, एक सिस्टम था; जब से यह दो सिस्टम, एग्रीकल्चर के लिए ब्लाक अलग होगा,...

श्री उपाध्यक्ष: ऊर्जा मंत्रीजी नहीं हैं, मुख्य सचेतक जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ....और घरेलू लाइट के लिए अलग से सिस्टम होगा...

श्री उपाध्यक्ष: रघुजी, ऊर्जा मंत्रीजी नहीं हैं क्या? स्थगन का है यह तो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उसके बाद राजस्थान के 11 लाख से ज्यादा, उपाध्यक्ष महोदय, 11 लाख से ज्यादा कनेक्शन हैं और उसमें अधिकतर लोग जो बिजली से अपने खेत की सिंचाई करते हैं, वे अधिकतर लोग खेत पर इसलिये कि बिजली की सप्लाई का निश्चित टाइम नहीं है और आवारा पशुओं से, इसलिये अधिकतर लोगों ने जहां-जहां अपना खेत था, वहीं बसावट कर ली और उस बसावट के बाद जब से यह दो तरह की बिजली, एक एग्रीकल्चर की सप्लाई ब्लाक होगा और घरेलू लाइट का अलग से होगा, उसके बाद उन किसानों को, चूंकि जब एक ही ब्लाक में था वह किसान जो ट्यूबवैल पर बसा हुआ था, थ्री-फेज का कनेक्शन था, उससे लाइट का काम भी लेता था लेकिन उसके बाद अब राजस्थान की सरकार ने पहली बार, जब पहले जो भी कोई गांव विद्युतीकृत था, उसमें कोई भी घरेलू लाइट अगर लेना चाहता था तो 10 पोल लगाकर के भी, 15 पोल लगाकर के भी विद्युत निगम और बोर्ड उसको कनेक्शन देता था। आज जब सबसे ज्यादा आवश्यकता हो गयी है, उपाध्यक्ष महोदय, जब 21वीं सदी है, जब आम विद्यार्थी को, 6 से 14 साल के हर बच्चे को, हम पढ़ाने के लिये योजना कर रहे हैं, उस 21वीं सदी में वह बालक, जिसके माता-पिता खेत में बसे हुए हैं, वह आज भी 21वीं सदी में

(12.20 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

चिमनी की रोशनी में पढ़े। आज गरीब से गरीब आदमी भी, जब से मोबाइल तकनीक आई है, जिससे मोबाइल रखता है, वह भी चाहता है कि उसके घर में भी बिजली का कनेक्शन हो और सरकार उन तमाम किसानों को जो खेत में बसे हुए हैं, और न केवल जो बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं, वे खेत में बसे हुए हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि राजस्थान की 40 से 45 प्रतिशत आबादी वह है। चाहे वह बिजली के कनेक्शन हैं, चाहे आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां एक-एक परिवार अलग-अलग जगह बसा हुआ है, चाहे मजरा कह दीजिए आप, ढाणी कह दीजिए, खेत कह दीजिए और केवल आप यह कहें कि वह सौ की आबादी और उससे कम की आबादी भी, एक तरफ सरकार यह कहती है कि जनसंख्या को नियंत्रित करें, जो अपने खेत में बसा हुआ है, उसकी सौ की आबादी या 70 की आबादी किस तरह से होगी?

(श्री अमराराम)

तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसी भी सूरत में जो भी खेत में, जो भी गांव, राजस्थान का जो भी रेवेन्यू विलेज इलेक्ट्रिफाइड घोषित है, जहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंची हुई है वहां जो भी किसान अपने खेत में बसा हुआ है और घरेलू लाइट के लिये आवेदन कर रहा है, जहां लाखों आवेदन आज भी विद्युत वितरण निगम की तीनों कम्पनियों के कार्यालयों में पड़े हुए हैं, उनको अतिशीघ्र कनेक्शन दिये जाएं। जिन-जिन गांवों को अभी तक आपने, रेवेन्यू विलेज को, इलेक्ट्रिफाइड नहीं किया, उसकी बात तो समझ में आती है लेकिन जो गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं और उस गांव में कनेक्शन हैं, ढाणियों में कनेक्शन हैं और दूसरी ढाणी में कोई कनेक्शन लेना चाहे, उसके लिये आपने एक बहुत ही खतरनाक योजना कि सेल्फ-फाइनेंस, कनेक्शन है, घर वहीं है लेकिन घरेलू लाइट का कनेक्शन नहीं होगा। घरेलू, उसके पढ़ने के लिये लाइट, उसके बच्चे आज भी 21वीं सदी में वे चिमनी की रोशनी में पढ़ें। सभापति महोदय, उसके साथ-साथ जो बहुत ही खतरनाक है कि वे 5 लोग मिल करके लेंगे, उसका सेल्फ-फाइनेंस में जितना खर्चा होगा, वह उपभोक्ता देंगे और उसके साथ ही, इससे भी खतरनाक, शायद राजस्थान में नहीं, देश में भी नहीं होगा काला कानून कि उसका ट्रांसफार्मर अगर जलेगा, अगर ट्रांसफार्मर चोरी होगा तो उन पांच उपभोक्ताओं को ही उसका वहन करना पड़ेगा, 45 हजार रुपये। शायद कहीं भी नहीं है। क्योंकि राजस्थान की सरकार यह सोचती है कि किसान मजबूरी में जो नर्सरी योजना, फार्म हाउस योजना, हर तरह की किसान की जो लूट एग्रीकल्चर में की, तो सोचती है कि ढाणी में बैठा हुआ किसान है वह जिस तरह से एग्रीकल्चर के लिये पैसा दिया, उसी तरह से उनके लिये दे देगा।

इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से आज से पहले घरेलू कनेक्शन जिन इलेक्ट्रिफाइड ढाणियों में दिये जा रहे थे, निश्चित रूप से उसी तरह से दिये जाएं जिससे उनके बच्चे भी इस 21वीं सदी में बिजली की रोशनी में पढ़ सकें और जो हर व्यक्ति आज गरीब से गरीब, जिसके घर नहीं है, केवल डेरा लगाकर रहता है उसके पास भी मोबाइल है। वह भी चाहता है कि उसके घर में बिजली का कनेक्शन हो तो कम से कम वह मोबाइल चार्ज करने के लिये दूसरे के घर में नहीं जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, एक दूसरी बात। आज तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों में, चाहे किसान हों, चाहे आम उपभोक्ता हों, उनके 40 प्रतिशत से ज्यादा मीटर या तो जले हुए हैं या खराब हैं और 6-6 महीने, एक-एक साल तक तीनों विद्युत वितरण कम्पनियां उनके मीटर रिप्लेस करने का काम नहीं करतीं। छह सौ रुपये 2,250 रुपये कर दिये, तीन सौ रुपये जो घरेलू उपभोक्ता के थे, उसके नौ सौ रुपये कर दिये। लेकिन उसका मीटर एक-एक साल तक इसलिये नहीं बदलते कि मीटर बंद बताकर, जला हुआ बताकर मनमर्जी का बिल लेने का काम, जिस तरह से आम उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं, जिससे असंतोष, न केवल गांवों में, बल्कि शहर और गांव, दोनों जगह 40 प्रतिशत मीटर आज आम उपभोक्ता के डिफेक्टिव हैं, जले हुए हैं। कम्पनी उनको, आयोग ने कह दिया, लेकिन बदलती नहीं हैं और मनमर्जी के बिल ले करके आम उपभोक्ताओं को लूटने का काम करते हैं।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का आम अवाम जो ढाणियों में बसा हुआ है, जो अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है, लेकिन उसको आज 21वीं सदी में बिजली का घरेलू कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो दिलाने के लिये करें और जितने भी आज एक-एक साल तक जले हुए मीटर नहीं बदलते हैं, मनमर्जी के बिल देते हैं, उन पर रोक लगायें और इसका समाधान करें जिससे उनके बच्चे भी बिजली की रोशनी में पढ़ सकें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका है नहीं इसके अन्दर। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, बिजली के मामले में... (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, यह भयंकर समस्या है। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह भयंकर समस्या है। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह भयंकर समस्या है।

श्री सभापति: बिजली की बात है ना। (व्यवधान) आपको भी वही कहना है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ढाणियों में लोग रहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजिये, आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो, आपके लीडर बोल गये ना। फिर उसके अन्दर बार-बार आप क्या बोलोगे? आप विराजो, मैंने आपको अलाउ नहीं किया। (व्यवधान) मैंने आपको भी अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 24 घण्टे बिजली आती है आपके यहां। (व्यवधान) आप चित्तौड़गढ़ में रहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपको भी अलाउ नहीं किया। (व्यवधान) आप विराजो। मैं अलाउ करूंगा तब आप बोलें। आप विराजो, आप विराजो, प्लीज। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गांवों की समस्या है, गांव की तरफ देखिये, हम लोग गांवों में रहते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट के लिये... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। एक वक्ता बोलेंगे। आप बोलें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट में आप बोल दो। बात वही की वही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट में निवेदन यह है, सभापति महोदय, कि जो लोग रहते हैं उनको बल्ब नहीं है, आज की तारीख में, 60 साल बाद में। तो इनकी व्यवस्था करें, ढाणियों में कनेक्शन मिलना चाहिए। जो गरीब लोग बैठे हैं, वे ढाणियों में रहते हैं। अपना जीवनयापन करने के लिये उनको कनेक्शन आज नहीं तो कब देंगे? हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात की पीड़ा है कि ढाणियों के लोगों को मिलें। हम माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहते हैं, आपके माध्यम से, कि यह घोषणा करें कि कब, कितनी जल्दी इन ढाणियों में बैठे लोगों को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवा देंगे?

श्री सभापति: हां, माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता था ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं, आप शहर में रहते हो, जो हाउस में बैठे हैं, 80 प्रतिशत आदमी शहर में रहते हैं। गांव की समस्या हम जानते हैं। गांवों में कुओं के ऊपर आज यह हालत है, कुए पर नहीं, जोहड़ों में जो बस गये, जब

(श्री श्रवण कुमार)

उस समय पटवारी ने कुछ नहीं कहा, तहसीलदार ने कुछ नहीं कहा, वे जोहड़ों में बस गये, अब उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, गर्मियों के अन्दर बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो मंत्रीजी बैठे हैं, अगर घोषणा कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: बात हो गयी, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति: आप तो विराजो, आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो तो सही ना। आप विराजो ना।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय सभापतिजी, यह पूरे राजस्थान की एक ज्वलंत समस्या है। जब गांव पूरा इलेक्ट्रिफाइड है तो वहां उसकी सीमा पर जाकर, गांव की सीमा पर बसे हुए आदमी को कनेक्शन किस कारण से नहीं दिया जाता है?

श्री सभापति: बात वही है ना, माननीय सदस्य। चलिये, आप विराजिये।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): यह सरकार की अदूरदर्शिता का प्रतीक है। इसमें संशोधन करके यह लागू कर देना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह एक ही बात है। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ताकि कहीं पर भी, सीमा पर जो कोई आदमी रहता है, घरेलू कनेक्शन देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना है, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। यह स्थगन प्रस्ताव पर कितने लोगों को बोलने का मौका दूंगा? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा, एक मिनट। जब आपने उधर बुलवा दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मेरे यहां तो जिले में गत दो साल से, दो साल से... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान की 90 प्रतिशत आबादी जो है, यहां कितने माननीय सदस्य बोले, पूरे राजस्थान में... (व्यवधान)

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): दो साल हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो। (व्यवधान) आपको विश्वास नहीं है क्या कि इन्होंने कोई पक्की पूरी बात नहीं की है, अमरारामजी ने? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, आप तो विराजो, माननीय सदस्य। मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री पेमाराम (धोद): दांतारामगढ़ से आने वाले।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): दांतारामगढ़ से, मुझे पुरानी कांस्टिटुएंसी का ध्यान रह गया। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी है। लम्बे समय से इस बात को लेकर सभी में भारी चिन्ता थी।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में स्थापित खेतों में जहां पांच के.वी.ए. के सिंगल-फेज ट्रांसफार्मर्स थे, वहां पांच कनेक्शन दिये जाते थे। फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम में थ्री-फेज और सिंगल-फेज को अलग-अलग कर दिया गया था। जहां पांच कनेक्शन देने थे ट्रांसफार्मर में, अगर वहां तीन हैं तो दो को दिया जाता था लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि अधिकतर लोग गांवों से ढाणियों में गये, ढाणियों से खेतों में चले गये। हमारे शेखावाटी में अधिकतर जगह और अन्य स्थानों पर, जोधपुर में और अन्य स्थानों पर भी बड़ी भारी समस्या हो गई कि लोग खेतों में चले गये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हाल ही में इस सारी समस्या को देखते हुए अभी बजट में घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, जो सारा एनालाइसिस था, उसमें हमारे 300 से ऊपर की ढाणियां, फिर उनमें दिसम्बर तक बचे हुए कनेक्शन हो

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जाएंगे; फिर 300 से 100 की ढाणियां, वे 12वें प्लान में ली गई हैं और उसके अन्दर अभी एक्सपेक्टेड है कि 300 से 100 के बीच की ढाणियों को, करीबन हमारा 1,350 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है वह भारत सरकार में लम्बित है, शीघ्र स्वीकृत हो जाएगा लेकिन जो 100 नीचे की ढाणियां हैं, जिनमें दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, सूरजगढ़ से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की है, हमें भी चिंता है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें, बजट में कदम उठाते हुए निर्णय लिया है, इस तरह की जो शुरुआत की है, उसमें 60 हजार कनेक्शन दो वर्षों में दिये जाएंगे और इसमें तीन सौ करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा गया है। मैं समझता हूं कि जो पांच का ग्रुप, जो दो किलोमीटर के एरिये में, मैं समझता हूं कि खेत भी उसमें, दो किलोमीटर के करीब-करीब के एरिये में आ जाता है, खर्चा ढाई लाख रुपया होगा, यह एस्टिमेट हमने किया है, तो जो-जो खेत और जो-जो बस्तियां इसमें इंडिकेटेड हैं, जो 100 से कम की बस्तियां हैं, या जो दो किलोमीटर के रेडियस में हैं, खर्चा ढाई लाख का है, तो पांच का ग्रुप बनाकर देंगे उनको; माननीय सभापति महोदय, कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

श्री पेमाराम (धोद): साहब, इसमें अन्याय हो जाएगा।

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 । श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, सरकार ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ढाई लाख उन पांच से ही लेना चाहते हैं तब तो...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये। अब आप विराज जाइये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): ... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, उससे 3,500 रुपये लिये जाएंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): और दो किलोमीटर के एरिये में?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): दो किलोमीटर के एरिये में।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तब तो ठीक है।

श्री सभापति: मिल गया आपको जवाब?

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

विधायक कोष निधि से अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति एवं निष्पादन में शीघ्रता

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहती हूं कि विधायक कोष के सम्बन्ध में जो वर्तमान में नियम बने हुए हैं, उन नियमों में सरकार माननीय विधायकों से परामर्श लिए बिना ही अपने स्तर से परिपत्र के माध्यमों से बार-बार अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी करती है। राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही यह प्रक्रिया बिलकुल भी न्याय संगत नहीं है।

अत: विधायक कोष के नियमों के सम्बन्ध में जो भी दिशा-निर्देश परिपत्र के माध्यम से जारी किये जाते हैं, उन्हें जारी किये जाने से पूर्व माननीय विधायकों से सदन में विचार-विमर्श कर सहमति लेकर ही जारी किया जाए क्योंकि सभी विधायक अपनी-अपनी अनुशंसा के अनुसार अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाते हैं।

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में मेरे द्वारा विधायक विकास निधि से ग्रामीण विकास के लिए अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति एवं निष्पादन में भी अत्यधिक विलम्ब होता है तथा वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद भी कार्य में काफी शिथिलता बरती जाती है जिस कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता उक्त लाभ से वंचित रह जाती है।

अत:, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि विधायक कोष निधि से अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति एवं निष्पादन बिना किसी विलम्ब के तीव्र गति से पूर्ण कराये जाएं तथा साथ ही विधायक कोष के नियमों के सम्बन्ध में जो भी दिशा-निर्देश जारी हों, वे माननीय विधायकों से सदन में विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही जारी किये जाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ (अलवर) के गांवों व कस्बों में विद्युत सुविधाओं का अभाव

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, जिला-

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अलवर में अधिकांश ग्रामों एवं कस्बों में विद्युत सुविधाओं का अभाव है। जनता एवं क्षेत्र के आधारभूत विकास में विद्युत आपूर्ति एवं उत्तम विद्युत व्यवस्था का विशेष योगदान है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। क्षेत्र में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण क्षेत्रीय विकास की गति मंद पड़ चुकी है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में विद्युत उपकरणों एवं व्यवस्थाओं की भारी कमी है। क्षेत्रीय जनता की मांग के आधार पर उपकरणों एवं कनेक्शनों का आबंटन तीन-तीन वर्षों में भी नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से बी.पी.एल. वर्ग बहुत ही परेशान है।

माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गोविन्दगढ़ एवं बड़ौदामेव कस्बों में वर्तमान में 33 के.वी. जी.एस.एस. तो हैं किन्तु मांग एवं आपूर्ति के हिसाब से ये जी.एस.एस. अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा 132 के.वी. जी.एस.एस. की मांग विगत कुछ वर्षों से लगातार की जा रही है। क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं विद्युत आपूर्ति के आधार पर 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अलवर जिले के अधीक्षण अभियंता द्वारा इस हेतु उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भी भिजवाया गया है।

अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि अलवर जिले के बड़ौदामेव एवं गोविन्दगढ़ कस्बों में विकास एवं उत्तम विद्युत सुविधाओं हेतु 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति इसी बजट सत्र में की जाए ताकि क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति विश्वास एवं संतुष्टि बनी रहे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

मकराना में राजकीय महाविद्यालय का खोला जाना

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मकराना शहर अल्पसंख्यक बहुल, अन्य पिछड़ा वर्ग, एस.सी., एस.टी. व घनी आबादी वाला शहर है। यहां राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राएं 12वीं कक्षा के बाद शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। अतः निम्न कारणों से मकराना में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना जन हित में आवश्यक है:-

(1) मकराना शहर अन्तरराष्ट्रीय स्तर की मार्बल नगरी है।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

(2) मकराना शहर से राजकीय महाविद्यालय, नागौर की दूरी 120 किलोमीटर है, राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना की दूरी 85 किलोमीटर व मेड़ता की दूरी 105 किलोमीटर होने से अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, एस.सी., एस.टी के गरीब तबके के छात्र-छात्राएं कठिनाई महसूस करते हैं।

(3) वर्तमान में लगभग 2,500 छात्र-छात्राएं कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं।

(4) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना में पर्याप्त मात्रा में भवन उपलब्ध है।

(5) मकराना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 14 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 22 गैर-उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुल 36 विद्यालय चल रहे हैं। उनमें से 200-300 छात्र-छात्राएं ही अन्य कालेजों में प्रवेश ले पाते हैं व अन्य पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।

(6) समस्त मकराना विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से कोई भी व्यक्ति आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर.ए.एस., आदि नहीं बन सका।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से निवेदन है कि मकराना में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अजय सिंह।

डेगाना में गंदे पानी के नाले को पक्का किया जाना एवं रेलवे के अतिक्रमण को हटाया जाना

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत डेगाना विधान सभा क्षेत्र के डेगाना कस्बे में गंदे पानी की निकासी के एक मात्र नाले को पक्का कराने एवं कस्बे की सड़क से रेलवे विभाग का अतिक्रमण हटाने की मांग को सदन के समक्ष ला रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, डेगाना कस्बा डेगाना विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा, उपखंड मुख्यालय एवं महत्वपूर्ण जंक्शन है। डेगाना रेलवे स्टेशन के सामने गंदे पानी की निकासी का बड़ा नाला वर्षों पूर्व बना हुआ है।

(श्री अजय सिंह)

यह नाला पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त एवं खुला है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से कस्बेवासियों के लिए परेशानियों का कारण बना हुआ है। इस नाले में कस्बे की अधिकांश कालोनियों व रेलवे कालोनी से गंदा पानी आता है। वर्षा के दिनों में इस नाले का गंदा पानी आस-पास के घरों में घुस जाता है। कस्बे की बसावट के अनुरूप गंदे पानी की निकासी का एक मात्र यही नाला है।

ग्राम पंचायत के पास नाले के निर्माण व नियमित सफाई के बजट का अभाव है। नाले को रेलवे विभाग द्वारा अपनी भूमि में बताया जाता है लेकिन रेलवे विभाग द्वारा नाले के निर्माण व नियमित सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। इस नाले को रेलवे यदि अपनी सीमा में मानता है तो जन हित में रेलवे द्वारा नाले की सफाई करवाकर पक्का निर्माण करवाया जाए लेकिन रेलवे विभाग द्वारा नाले की सफाई कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मुख्य सड़क पर लोहे के एंगल लगाकर बिल्डिंग लाइन के अन्दर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे कस्बे का यातायात प्रतिदिन बाधित होता है।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा मुख्य मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर एवं मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर को उचित कार्यवाही हेतु लिखा जाए। यदि रेलवे इस नाले का निर्माण व नियमित सफाई नहीं करवाता है तो रेलवे प्रशासन राज्य सरकार को इस भूमि पर निर्माण सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करे जिससे राज्य सरकार मनरेगा या अन्य योजनाओं में इस कार्य को करवा सके ताकि वर्षों पुरानी स्वास्थ्य एवं सफाई से जुडी कस्बे की उचित मांग पूरी हो सके। साथ ही रेलवे द्वारा मुख्य सड़क पर किये गये अतिक्रमण को स्थानीय प्रशासन से हटवाया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानसिंह।

परबतसर में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति व घरेलू लाइनों की शोचनीय स्थिति

श्री मानसिंह (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की स्थिति चिन्ताजनक है तथा इस ओर मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में थ्री-फेज विद्युत पांच घंटे की

(श्री मानसिंह)

सप्लाई के बजाय तीन घंटे ही आ रही है। इस विद्युत सप्लाई का समय पांच घंटे किया जाए, क्योंकि पेयजल टंकियों में पानी भरने में कम से कम पांच घंटे तो लगते ही हैं। सम्भव हो तो गांवों में विद्युत सप्लाई को पांच घंटे से अधिक किया जाए।

दूसरा, यह है कि विद्युत सप्लाई का समय जो अलग-अलग ब्लाक्स में सुबह और शाम का निर्धारित कर रखा है, उसे दिन में किया जाये जिससे इस भीषण गर्मी में वहां की जनता दिन में पंखे व कूलर चलाकर गर्मी से राहत पा सके।

तीसरा, यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ज्यादातर गांवों में घरेलू विद्युत लाइनों की स्थिति भी बहुत खराब है व ज्यादातर तार नीचे झूलते हुए हैं। आंधी-तूफान आने पर झूलते तारों की वजह से विद्युत आपूर्ति की स्थिति खराब हो जाती है, जो दो-दो, तीन-तीन दिन तक ठीक नहीं हो पाती। इन झूलते तारों का सर्वे करवाकर इनको दुरुस्त कराया जाये।

परबतसर विधान सभा क्षेत्र के कई कस्बों यथा परबतसर कस्बा व अन्य ग्राम पंचायतों में विद्युत लाइनें मकानों के ऊपर से जा रही हैं। उनको भी सरकार अपने खर्चे पर स्थानान्तरित करवाये जिससे दुर्घटना या जन हानि होने से बचा जा सके।

अतः, माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर इसका अविलम्ब समाधान कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल।

घड़साना को पुनः नगरपालिका घोषित किया जाना

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10()न.पा.(गठन)सीमा/डीएलबी/08/4268 द्वारा मण्डी घड़साना को चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका घोषित किया गया। पूर्ववर्ती सरकार ने घड़साना को नगरपालिका देकर आने वाले समय में विकास का रास्ता खोला था। लोगों ने भी इसका पुरजोर स्वागत किया। इसी प्रक्रिया में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के पत्र

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

क्रमांक प.8/नियमन/डीएलबी/08 दिनांक 13.10.2008 के द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई जिसके तहत वर्तमान सरपंच एवं उप-सरपंच को कार्यभार सौंपा गया। इसके साथ-साथ ही स्वायत्त शासन विभाग द्वारा तहसीलदार (राजस्व) को नव-सृजित नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया। इसी के तहत नगरपालिका, घड़साना ने अपना कार्य विधिवत रूप से शुरू कर दिया था और अप्रैल, 2009 में नगरपालिका, घड़साना का वर्ष 2009-10 का बजट पास किया गया। इसी दौरान विभिन्न कार्य जैसे स्टेशनरी, फोटोस्टेट, पार्कों के रख-रखाव व सफाई, आदि के लिये निविदायें आमन्त्रित कर कार्य करने के लिये कार्य-आदेश दिये गये और निविदाकर्ताओं द्वारा धरोहर राशि भी जमा करवाई गई एवं कार्य भी प्रारम्भ किये गये।

लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक प.10()न.पा.(गठन) सीमा/डीएलबी/09/4269-4291 के द्वारा पूर्व अधिसूचना दिनांक 6.10.2008 को प्रत्याहरित कर दिया जिससे न केवल आम लोगों की भावना को ठेस पहुंची बल्कि क्षेत्र का विकास रुका।

इसके साथ-साथ नगरपालिका बनने के दौरान ठेकेदार फर्मों को उनके कार्य का भुगतान व धरोहर राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। हालांकि समय-समय पर नगरपालिका मतदाता सूची भी वार्ड-अनुसार बनायी गयी। इसके साथ-साथ वार्ड पार्षदों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को मिलने वाला मानदेय भी आज दिनांक तक नहीं दिया गया जिससे न केवल जनमानस को बल्कि जन-प्रतिनिधियों को भी अपमान का घूंट पीना पडा।

अत: मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि घड़साना को पुन: नगरपालिका घोषित किया जाये।

श्री सभापति: श्री सुखाराम नेतड़िया।

मेड़ता में दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय खोला जाना

श्री सुखाराम नेतड़िया (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं:-

(1) यह कि आपने मेड़ता के महत्व को ध्यान में रखते हुए लम्बे

(श्री सुखाराम नेतड़िया)

समय के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय खोलने बाबत् बजट में घोषणा की, जिसको लेकर मेड़ता की जनता ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। आपका यह कदम पूर्णतया जन हित में है तथा मेड़ता न्यायिक क्षेत्र का मुख्यालय (जिला एवं सेशन न्यायालय) है।

(2) यह कि नागौर बार एसोसिएशन मेड़ता में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय खोलने का जो विरोध कर रही है, वह पूर्णतया अनुचित व निजी स्वार्थपूर्ण है। आज तक उन्हें राजस्थान सरकार व राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय स्थापित कर उन्हें लाभान्वित किया है।

(3) यह कि उपभोक्ता संरक्षण मंच, जो मेड़ता में था, उसे नागौर में स्थापित किया।

(4) यह कि बाल अपचारी न्यायालय हाल ही में करीब 2 वर्ष पूर्व, जो मेड़ता में खोला जाना था, वह नागौर में खोला गया।

(5) यह कि विद्युत चोरी प्राधिकरण का न्यायालय भी मेड़ता में खोलना था, सिंचाई का क्षेत्र मेड़ता में ही है और नागौर में असिंचित क्षेत्र है, उसके बावजूद समस्त विद्युत चोरी के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार नागौर न्यायालय को दिया गया।

(6) यह कि राजस्व अपीलान्ट अधिकारी का न्यायालय भी नागौर में खोला गया।

(7) यह कि श्रमिक समझौता न्यायालय भी नागौर में खोला गया।

(8) यह कि अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय मेड़ता में खोलना था, जो भी नागौर में खोल दिया। जब जिलाधीश नागौर में बैठते हैं तो फिर अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय को नागौर में खोलने का कोई औचित्य नहीं था।

(9) यह कि मुख्य सिविल न्यायाधीश का न्यायालय भी मेड़ता में खोलना था, वह भी नागौर में खोला गया।

(10) यह कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, नागौर, डीडवाना और परबतसर खोलकर मेड़ता जिला एवं सेशन न्यायालय को विखण्डित किया गया। उसके बावजूद यह तीनों की बार जो विरोध कर रही है, वह पूर्णतया अनुचित व उनके निजी स्वार्थपूर्ण है।

मेड़ता जिले का मुख्य केन्द्र है, रेल-बस, आदि की सुविधा है, सभी उप-खण्डों से सड़कों से जुड़ा हुआ है। इस मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

(श्री सुखाराम नेतड़िया)

न्यायालय मेड़ता में खोले जाने पर पक्षकारों को न्याय सस्ता व सुलभ सुनिश्चित मिलेगा। इसलिये आप अपनी घोषणा पर कायम रहते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय मेड़ता में ही खुलवायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्रीगंगानगर में औद्योगिक इकाइयों (तेल मिलों) को मण्डी प्रांगण में दुकान/गोदाम/भूखण्ड का विधि-सम्मत आबंटन

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय कृषि विपणन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों एवं कृषि उत्पादों के मूल्य-संवर्धित व्यवसाय को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसायक नीति 2010 आरम्भ की है। अचल सम्पत्ति आबंटन हेतु 2005 में प्रदत्त प्रावधान अनुसार मण्डी प्रांगणों में खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय हेतु उद्यमियों को आरक्षित दरों में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करवाते हुए भूखण्डों का आबंटन किया जाता है परन्तु यह आवंटन मात्र नई स्थापित होने वाली इकाइयों के लिये ही किया जा रहा है, जबकि राज्य में पूर्व से ही स्थापित कृषि आधारित उद्योगों को मण्डी प्रांगणों में कोई आबंटन नहीं किया गया है। जिन उद्यमियों द्वारा कृषकों एवं आम जनता के समग्र हित में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु पूर्व में ही निवेश किया हुआ है, उन उद्यमियों को किसी भी तरह का आबंटन नहीं किया जाना पूर्व स्थापित उद्योगों को हतोत्साहित करता है।

जिन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना राजस्थान पूंजी निवेश योजना 2003 एवं कृषि प्रसंस्करणों एवं कृषि व्यवसाय नीति 2010 से पूर्व हुई है तथा यदि वे इकाई लगातार उत्पादनरत हैं, उन्हें मण्डी प्रांगणों में भूखण्ड आबंटित किया जाना चाहिये। आबंटन नीति 2005 में इस संदर्भ में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिये। श्रीगंगानगर में कई औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं, जिनको मण्डी प्रांगण में किसी भी तरह की दुकान/गोदाम/भूखण्ड आबंटित नहीं हैं तथा ये सभी इकाइयां गत 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं। मण्डी समिति द्वारा इन इकाइयों हेतु पृथक से प्रावधान नहीं रखने के कारण इन इकाइयों को आम अनुज्ञापत्र धारियों की भांति आबंटन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बाध्य होना पड़ता है, जिसके कारण अभी तक स्थापित इकाइयों को भूखण्डों को आबंटन नहीं हुआ है।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय कृषि विपणन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर में औद्योगिक इकाइयों (तेल मिलों) को मण्डी प्रांगण में दुकान/गोदाम/भूखण्ड विधि-सम्मत आबंटित करने के आदेश फरमावें।

श्री सभापति: श्रीमती गंगा देवी।

(अनुपस्थित)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मेरा नाम कहां गया?

श्री सभापति: श्री रविन्द्र सिंह बोहरा।

राजाखेड़ा (धौलपुर) में पेयजल संकट का निवारण

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में आगामी माहों में पेयजल का बेहद संकट होने वाला है। बड़ी संख्या में जहां एक ओर हैण्डपम्प सूख गये हैं, वहीं अधिकांश जनता जल योजनाएं बेकार पड़ी हैं। समय रहते ड्राई हैण्डपम्पों को स्पेशल अभियान के तहत मरम्मत करवाया जावे तथा जनता जल योजनाओं को त्वरित गति से चालू कराया जाए, अन्यथा जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

संवेदनशील सरकार का पहला दायित्व आम जन को पेयजल उपलब्ध कराना है और धौलपुर जिले का यह विधान सभा क्षेत्र बेहद पिछड़ा एवं किसी भी प्रकार की खानों या उद्योगों से रहित है। लोग केवल खेती पर ही आश्रित हैं और गरीब हैं।

अतः मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कम से कम आगामी माह में 100 ऐसे हैण्डपम्प लगवाएं जो पत्थर भी फोड़ कर स्थापित किये जा सकें ताकि कुछ हद तक पानी उपलब्ध हो जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया।

राजस्थान स्पिनफेड के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 295 के तहत राजस्थान स्पिनफेड के श्रमिकों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। स्पिनिंग मिल लैबर यूनियन द्वारा अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षो से लगातार संघर्ष किया जा रहा है परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बढ़ती महंगाई और पिछले 30 वर्षो से श्रमिकों के वेतन में ना के बराबर बढ़ोतरी की वजह से इन श्रमिकों का जीवन निर्वाह मुश्किल हो गया है जबकि इसके विपरीत स्पिनफेड के स्टाफ व अन्य अधिकारियों को चौथे तथा पांचवे वेतन आयोग का लाभ भी दिया जा चुका है। स्पिनिंग मिल लैबर एकता यूनियन (एटक) द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्रमिकों को भी चौथा व पांचवां वेतन आयोग लागू करने की सिफारिश हेतु जयपुर में मुकदमा दायर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप मिल प्रबंधक द्वारा स्टाफ व अधिकारियों के वेतन आयोग पर रोक लगा दी गयी। बजट 2012-13 में भी सरकार द्वारा फेडरेशन के श्रमिकों के लिए कोई योजना/लाभ का जिक्र नहीं किया गया। अप्रैल, 2009 में विधान सभा पर अपनी मांगों के समर्थन में श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था, जो कि निम्न प्रकार से हैं:-

1. स्पिनफेड श्रमिकों को महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि देने के लिए राज्य सरकार 2,000 रुपये प्रति माह अन्तरिम राहत देने की घोषणा करे;
2. मीणा कमेटी की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जावे;
3. स्पिनफेड की मिलों में सारी मशीनों को संचालित किया जावे;
4. वेतन वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों को स्थायी किया जावे;
5. वर्क लोड का फैसला यूनियन की सहमति से निर्धारित किया जावे; एवं
6. प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार बंद किया जावे।

अत:, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि स्पिनफेड यूनियन की सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जावे तथा जल्दी से जल्दी इन श्रमिकों की मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कल्याण सिंह चौहान।

कांस्या पट्टी खान (उदयपुर) के सम्बन्ध में उचित पालिसी बनायी जाना एवं विक्रय माल का पक्का बिल दिलाया जाना

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 11.04.2012 को पावन स्थान रामेश्वर महादेव मंदिर, राजसमन्द पर श्रीनाथ कांस्या पट्टी विक्रेता संघ, उदयपुर जोन की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निम्न निर्णय लिये गये:-

1. यह कि जिले में कांस्या पट्टी, कांस्या फर्सी, छाबड़ा, आदि विक्रय कर कार्य करते हैं तथा आये दिन ये लोग उक्त सामान सरकारी विभाग में भी सप्लाई करते आ रहे हैं, पर अब सरकार द्वारा उक्त विक्रेताओं से पक्का बिल मांगा जाता है, जबकि उक्त लोगों को कांस्या पट्टी, खान कोटा, बूंदी व भीलवाड़ा के माइनिंग विभाग (कांस्या खान) से सप्लाई की जाती रही है तथा इन खानों द्वारा सप्लाई माल का इन्हें पक्का बिल नहीं दिया जाकर मात्र एक कागज की पर्ची पर स्टाक की जानकारी दी जाती है, जो इन लोगों के लिए समस्या बन गयी है। इसी कारण से इन लोगों को सरकारी विभागों में पक्का बिल देने में बाधा व समस्या पैदा हो गयी है।
2. यह कि कांस्या खान मालिक आये दिन अपनी मनमर्जी से भाव बढ़ाते रहते हैं, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने से गरीब जनता का शोषण हो रहा है तथा इससे इस व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

अतः मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि उदयपुर जोन कांस्या पट्टी माइनिंग खान के सम्बन्ध में उचित पालिसी बनायी जाकर विक्रय माल का पक्का बिल दिलाया जावे एवं आये दिन बढ़ने वाले भावों पर नियंत्रण करवाया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: आज दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को शून्य काल में बोलने हेतु 23 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं।

श्री बंशीधर खण्डेला।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जन-प्रतिनिधियों के पत्र व मुद्दों की अनदेखी

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, सदन में मैं एक ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूं स्वायत्त शासन विभाग के लिए, स्वायत्त शासन मंत्रीजी भी यहां बैठे हुए हैं, उनको मैंने पहले भी लैटर लिखा था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया; ऐसा लग रहा है कि यह सदन बेकार है और यहां लालफीताशाही हावी है और मंत्रीजी के ऊपर भी हावी है। इसके मैं कुछ नमूने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब से मैं विधायक बन कर आया हूं, उसके बाद में खण्डेला नगरपालिका के मैंने कम से कम 10-15 क्वेश्चन पूछे हैं और सब की डिटेल मेरे पास है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, तीसरे विधान सभा सत्र में मैंने पूछा था, अंत: सत्र, क्वेश्चन नम्बर 51, क्या यह सही है कि कलक्टर, सीकर द्वारा अनियमितता के कारण जांच करायी थी और सीकर के कलक्टर ने अनियमितता पायी? तो वहां से डी.एल.बी. में लैटर भेजा, डी.एल.बी. ने, ''आवश्यक कार्यवाही हेतु आगे कार्यवाही की जायेगी''; यह बात 13वीं विधान सभा के तीसरे सत्र की है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। निर्माण कार्य की बात है। नम्बर एक।

नम्बर दो, इसी तीसरे सत्र की बात मैं बता रहा हूं, ए.सी.डी. में शिकायत गयी, ए.सी.डी. ने इस बारे में मामराज और अब्दुल हई, मामराज कनिष्ठ लिपिक है, सहायक कर्मचारी जाखड़ है और अब्दुल हई चेयरमैन है, इनको ए.सी.डी. ने दोषी माना और विभागीय कार्यवाही के लिए स्थानीय निकाय, जयपुर को लिखा, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। डी.एल.बी. का मतलब, डैड लैटर बाक्स; हर कागज वहां जाकर यों गिर जाता है।

आगे की बात कीजिए आप, तीसरे सत्र की, दोबारा क्वेश्चन पूछा मैंने, हर पाइंट का अलग-अलग। एक को ही नहीं पूछा मैंने और कई जगह डबल भी हुआ है। नगरपालिका खण्डेला के अन्दर अवैध रूप से जो बहाव क्षेत्र है, उसके अन्दर पट्टे दिये गये; खसरा नम्बर 1052, खसरा नम्बर 1053, इसके अन्दर पट्टे दिये गये। विभाग ने माना, पट्टे गलत दिये गये हैं; और क्या नियम विरुद्ध जारी किये पट्टों को सरकार निरस्त करने का विचार रखती है, 'नियम

(श्री बंशीधर खण्डेला)

विरुद्ध जारी किये पट्टों को निरस्त करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका को निर्दिष्ट किया जा चुका है।' मानती है, ये पट्टे गलत दिये लेकिन आज तक भी एक भी पट्टा वहां से निरस्त नहीं हुआ। ऐसी क्या बात है, क्या मजबूरी है सरकार की?

चौथे सत्र की बात कर रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, इसके अन्दर अधिशासी अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तारांकित क्वेश्चन नम्बर है 3929, इसके अन्दर भी वह ही गोलमोल जवाब आ रहा है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इन सब को देखकर आप कार्यवाही करें।

(13.00 बजे)

अब पांचवें सत्र के अन्दर बात कर रहा हूं, पांचवें के अन्दर भी यही बात आ रही है, ऐसे-ऐसे पट्टे दे दिए गए, निर्जल भूमि के पट्टे दिए गए लेकिन उनमें आज तक कब्जा नहीं हुआ। निर्जल भूमि पर पट्टा देने का मतलब है, उस पर मकान बनाएं तो उन पट्टों को कैन्सिल किया जाए। ऐसे पट्टे जिनमें बिना इजाजत भी मकान बन गये, पहले पट्टा देने के बाद नक्शा पेश किया जाता है, इजाजत दी जाती है लेकिन वहां तो अन्धेरगर्दी इतनी है कि बिना इजाजत मकान बन गये। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

पांचवें सत्र की बात कर रहा हूं, तारांकित प्रश्न संख्या 479, नगरपालिका खण्डेला में तत्कालीन...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो पांचवां सत्र आया, सात का बताना है, दो-दो मिनट और हैं। शिकायत तो पूरी करने दो, मैं तीन साल से पूछ रहा हूं, एक का भी जवाब नहीं आया। मैं आशा करता हूं, मंत्रीजी जवाब देंगे इनके।

माननीय सभापति महोदय, सहायक कलक्टर ने यह भी माना, वहां शिकायत करने के बाद में...

श्री सभापति: क्या पढ़ रहे हो आप?

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मैं पढ़ नहीं रहा हूं, इनको करतूत बता रहा हूं। आज तक कुछ भी नहीं किया इन्होंने। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह करें। दो मिनट और दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी हिसाब से इन्होंने जो पट्टे दिए, वहां का तत्कालीन नायब तहसीलदार ई. ओ. के पद पर था, अनियमितता पाई गई।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

उसमें भी इन्होंने यह कहा कि रेवेन्यू विभाग को 16 सी सी ए, 17 सी सी ए का नोटिस देने के लिए भेज दिया गया, आज तक उसको नोटिस नहीं मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा कि सारे नियमों के हिसाब से क्या मंत्रीजी से, सरकार से ऊपर अधिकारी हैं? मंत्रीजी कुछ करना नहीं चाहते हैं? मैं आपसे पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारे जो मैंने प्रश्न संख्याएं बोलीं, आजकल तो इंटरनेट पर हर विधायक का, हर क्षेत्र का प्रश्न उपलब्ध है, तो मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो मेरे द्वारा प्रश्न पूछे गये हैं, उनके जवाब अति शीघ्र व इन पर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में ...

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से थोड़ा आश्वासन तो दिलाइये मेरे को।

श्री सभापति: ठीक है, आप विराजें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मैं तीन साल से लगातार एक ही नगरपालिका के बारे में पूछ रहा हूं, मंत्री जी बैठे हैं, हमारे संरक्षक हैं, कृपया आप मेरे को थोड़ा बहुत आश्वासन तो दिलवाएं कि कुछ कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे मंत्री जी ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने, गैर मुमकिन नदी में पट्टे बांट दिये गये, नाजायज रूप से बताया आपने कि नाजायज रूप से पट्टे बंट गये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): हां-हां, बिलकुल नियम के विरुद्ध; नाजायज, मतलब नियम के विरुद्ध।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस प्रकरण में जांच करवाई गई उप निदेशक क्षेत्रीय से और उसकी जांच रिपोर्ट भी आ गयी और जांच रिपोर्ट में नगरपालिका का अध्यक्ष, नगरपालिका का ही आपका कोई अब्दुल वहीद है अध्यक्ष...

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): हां।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक गुलजारीलाल है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): हां।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और एक है फातमा मलखान।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मलखान, चेयरमैन।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इनको तो धारा 39 का नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि नारायण सिंह और हरिसिंह जो तत्कालीन एग्जीक्यूटिव आफिसर थे, उनको भी नोटिस जारी कर दिये गये हैं और जितने भी पट्टे बांटे गये हैं वे सब कैन्सिल कर दिये गये हैं।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): नहीं, कैन्सिल कर दिये आपने लेकिन उनमें जो टावर लगा हुआ है, मकान बना हुआ है, वे कब तुड़वाएंगे?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरी बात सुन लो, आप काफी बोल चुके हो, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। नगरपालिका ने ही एग्जीक्यूटिव आफिसर को आदेश दिए हैं कि निरस्त करके इत्तला हमें देवें और उन पर कब्जा भी साथ में लेवें। यह आदेश दिये गये हैं।

दूसरा प्रकरण आपने बताया 2001 का, इसमें भी 28 पट्टे बांट दिये गये। उसकी जांच सहायक कलेक्टर और कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला के द्वारा, 29.9.2011 को जांच दे दी गयी है। जांच की जो रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार काम किया जाएगा।

तीसरा आपने बताया कि कनिष्ठ अभियन्ता और एक सहायक कर्मचारी, जो निर्माण कार्यों में लाखों रुपए का घोटाला करके, लाखों रुपए का गबन कर गए, उसके बाबत मेरा निवेदन है कि यह भी जांच जो है, उप निदेशक क्षेत्रीय के द्वारा करवाई गई है और इस जांच में भी यह पाया गया है, इनको खुद दोषी पाया गया है और इसीलिए उन दोनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अधिशासी अधिकारी, जगदीश प्रसाद, जो नायब तहसीलदार था, उसके विरुद्ध भी राजस्व मण्डल को लिख दिया गया है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): यह दो साल पहले लिखा गया था, अभी तक तो हुआ नहीं कुछ भी ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब यह हो गया।

किशनगढ़ बास के बीबी रानी सीनियर सैकण्डरी स्कूल में रिक्त पदों की पूर्ति व स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को राजकीय स्तर से चलाया जाना

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में बीबी रानी सीनियर सेकण्डरी स्कूल है जिसमें अलवर जिले में सर्वाधिक 1,700 बालक उस विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन राज्य सरकार से बार-बार आग्रह करने के बावजूद आज तक प्रोपर शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं, उनको भरा नहीं गया। मैं आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सीनियर स्कूल में लेक्चरर के पद होने चाहिए चालीस, जिसमें पन्द्रह भरे हुए हैं, बाकी खाली हैं। सेकण्ड ग्रेड में विज्ञान के टीचर हैं, उनके पद भी खाली हैं। प्रयोगशाला सहायक के चार साल से पद खाली हैं, फोर्थ क्लास के चार साल से दो पद खाली हैं; पी टी आई नहीं है।

इसमें लगभग सात सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्व वित्तपोषित हैं। भूगोल, विज्ञान और संस्कृत, 2003 से गृह विज्ञान और एग्रीकल्चर 2006 से, जो कि सारा इलाका कृषि व्यवस्था पर आधारित है, और जन सहयोग से ही स्व-वित्त पोषित सब्जेक्टों को चलाया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जो स्व-वित्तपोषित हैं, इनको राजकीय बजट के माध्यम से चलाया जाए और जो रिक्त पद हैं उनको जुलाई से पहले भरा जाएं।

वहां पर रोडवेज की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के जन सहयोग से वहां की विकास समिति ने बालक-बालिकाओं को लाने के लिए प्राइवेट बस, टैम्पू, ट्रैक्स, इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। लगभग एक दर्जन सीनियर सेकण्डरी स्कूल हैं और उनके कम्पीटिशन में 90 परसेंट, सब्जेक्ट एक भी ऐसा नहीं है जिसमें 90 परसेंट से कम रिजल्ट रहता हो, 97, 98; कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें हण्ड्रेड परसेंट बालक पास होते हैं।

ऐसे हालात में जहां कम्पीटिशन में प्राइवेट स्कूल हैं एक दर्जन से ज्यादा, उस कम्पीटिशन में राजकीय स्कूल हैं और जिले का सर्वाधिक माडल स्कूल है जिसमें 1,700 बच्चे पढ़ते हैं। मैं मंत्री महोदय से तीन साल से आग्रह कर रहा हूं, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि

(श्री रामहेत सिंह)

जुलाई में तो कम से कम जो रिक्त पद हैं इनको और जो स्व-वित्तपोषित जो सब्जेक्ट हैं, उनको राज्य के बजट से करने की व्यवस्था करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटकासिम में ही श्रीमती कला देवी महावर राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय भी कार्यरत है। उसमें भी स्व-वित्तपोषित बजट से ही सब्जेक्ट को चलाया जा रहा है। अत: माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उसमें भी स्व-वित्तपोषित को राजकीय बजट में कन्वर्ट करें।

(13.08 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पुन: उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन ग्रहण कर रहे हैं, मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे आश्वस्त करें कि जुलाई के अन्दर अध्यापकों के जो रिक्त पद हैं, उनको भी भरेंगे और स्व-वित्तपोषित सब्जेक्टस को राजकीय बजट में कन्वर्ट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने दो बातें रखी हैं। स्व-पोषित सब्जेक्टों के बारे में, यह स्कीम जो आयी हैं उसमें, जो संस्था बनती है, संस्था प्रस्ताव देती है और उसके प्रस्ताव के मुताबिक जो रूल्स बने हुए हैं उनके मुताबिक उसके सब्जेक्ट खोले जाते हैं। सारा खर्चा उस संस्था को, उस समिति को भुगतना होता है, उनको पेमेण्ट करना होता है। इसलिए सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता। सारा का सारा मैनेजमेंट, सारे टीचर्स की व्यवस्था, सब कुछ उस समिति को करना है। इसलिए इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है।

दूसरी जो बात इन्होंने अध्यापकों की कमी की कही है, कल भी मैं इनको बता चुका हूं, भर्तियों का कार्यक्रम चल रहा है, जुलाई तक जैसे ही हमको टीचर्स मिलेंगे, उनके पदों को भरने की पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द जी पारख।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): कई बार सरकार यह निर्णय लेती रहती है कि वहां की वित्तीय व्यवस्था को देखकर क्षेत्र की ...

श्री उपाध्यक्ष: अब जवाब आ गया, अब इसको बहस नहीं बना सकते ना। इन्होंने कह दिया, पद जब भी, यथासम्भव कोशिश होगी, भर दिये जायेंगे।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सरकार प्राथमिकता तो दे कि इनको भी वित्तीय बजट में रखे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ज्ञानचन्द जी पारख।

पाली की भगवान महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा अनियमित रूप से आबंटन पत्रों का वितरण

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भू माफियाओं की ताकत इतनी बढ़ गयी और उनका दुस्साहस भी इतना बढ़ गया कि सरकार भी उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि भू-माफियाओं के सामने सरकार बेबस और लाचार है। बातें करते हैं हम बड़ी-बड़ी, मुझे याद है पिछली सरकार में 1998-2003 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भू-माफियाओं के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया था और कहा था, भू-माफियाओं को नहीं बख्शा जायेगा लेकिन उस समय भी मात्र लीपापोती हुई।

इस क्षेत्र में भी सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि भूमि विवाद के प्रकरणों में अलग से थाने खोले जायेंगे और जो भी भू-माफिया हैं, यदि उन्होंने गड़बड़ी की है, बदमाशी की है तो उनके विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली की एक भगवान महावीर गृह निर्माण सोसायटी है, उसके कारनामे आप सुन लो, ताज्जुब होता है, इनका दुस्साहस कितना, एक भूखण्ड के दो-दो, तीन-तीन आबंटन पत्र जारी कर दिये। लड़ते रहें खरीददार आपस में, बातें पूरते रहें; थानों में मुकदमे चलते रहे; पर जिसने आबंटन पत्र जारी किया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इससे भी आगे बढ़कर, योजना के स्वीकृत मानचित्र में जो जमीनें सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी थीं, इनका मालिक स्थानीय निकाय होता है, बाद में उनको भी बेच दिया, उनके भी आबंटन पत्र जारी कर दिये, रजिस्ट्री करवा दी और यह क्रम लगातार चल रहा है। एक के बाद एक जो भी रिक्त पड़ी है, चाहे गार्डन की है, चाहे स्कूल की है, चाहे और उपयोगार्थ छोड़ी गयी, लगातार उनके आबंटन पत्र जारी करने हैं, उनकी रजिस्ट्री करवानी है, यह क्रम लगातार चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके दुस्साहस की हद तब हो गयी, इस समिति ने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

अपनी भूमि के पास जो सरकारी भूमि थी 17 बीघा, उस भूमि को भी सरकारी अधिकारियों से मिलकर उसका मानचित्र भी स्वीकृत करवा दिया और उसके बाद अधिकारियों से मिलकर उसके पट्टे उठवा दिये। यह सारी जानकारी स्थानीय निकाय विभाग को भी है, सरकार को भी है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इन लोगों के पास पट्टे पड़े हैं, आपने यह कहकर उनका निर्माण कार्य रुकवा दिया कि आपका जो भूखण्ड है, वह तो सरकारी भूमि का है। जब सरकारी भूमि का पट्टा बन सकता है, तो उसके बाद में उसको रोकना, यह किसी प्रकार की न्यायोचित बात नहीं है। उसका कोई गुनाह नहीं है, उसने तो सरकारी पट्टा देखकर भूखण्ड लिया; उसका कोई गुनाह नहीं है। जिसने गुनाह किया, भू-मालिक, भू-माफिया, जिन अधिकारियों ने, सबने मिलीभगत कर पट्टे बना दिये, गुनाह उनका है। उनका कुछ बिगड़ता नहीं, उनके पास तो पैसे आ गये, लेकिन जिसने पैसे खर्च किये, वह आज भी अपने भूखण्ड से वंचित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर जांच करवायेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रकरण सामने आयेगा, बहुत बड़ा प्रकरण। इस संस्था ने एक नहीं, हजारों व्यक्तियों के साथ ठगी की है, धोखाधड़ी की है। मामला इतना बड़ा सारा है, छोटे में समेटना चाहते हैं आप इसको। इतनी बड़ी ठगी की उन्होंने।

उनका दुस्साहस देखो, जब सहकारिता विभाग उनसे उनके दस्तावेज मांगता है तो वे देते नहीं हैं उनको, मना कर देते हैं। किस-किस व्यक्ति को आबंटन पत्र जारी किया, किस-किस भूखण्ड को कितने-कितने आबंटन पत्र जारी किये? सूचना मांगने पर उनके द्वारा जानकारी नहीं दी जाती, तो सहकारिता विभाग क्या कार्यवाही करता है उनके विरुद्ध? जब सारी कुछ बातें सामने हैं, पाली में यह आम चर्चा का विषय है, कई बार अखबारों में छप चुका है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्यवाही न होना सरकार के ऊपर प्रश्नचिह्न लगाता है।...

श्री उपाध्यक्ष: यह सोसायटी कब रजिस्टर हुई थी, माननीय?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सोसायटी का भी है और सहकारिता विभाग का भी है, दोनों का है यह।

श्री उपाध्यक्ष: कब रजिस्टर हुई थी?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह लगातार 15-20 साल से ठगी का प्रकरण चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: इतना पुराना मसला, आप भी..

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): लगातार चल रहा है। एक भूखण्ड के दो-दो आबंटन पत्र, सार्वजनिक उपयोग की भूमि को बेच देना और सरकारी भूमि के पट्टे बना देना, ये 3 प्रकरण इसमें शामिल हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यही आग्रह है कि सरकार को सब पता, स्थानीय निकाय को सब पता, एक बार मेहरबानी इसकी जांच कराएं और इसमें जो-जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध ठोस कार्यवाही करें...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): और वे बेगुनाह जिन्होंने पट्टे देखकर भूखण्ड खरीदे, उनको भूखण्डों पर निर्माण की स्वीकृति दी जाए, यह मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओमप्रकाश जी जोशी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, मामूली मामला नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: है, 20 साल से चल रहा है यह मामला।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सैकड़ों लोगों के साथ ठगी हुई है, सैकड़ों व्यक्तियों के साथ ठगी हुई है और सरकार कुछ नहीं करे, यह ठीक नहीं। मेरा स्वायत्त...

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, ओमजी, मंत्रीजी बोलना चाहते हैं, आप विराजो।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने महावीर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति का जो प्रकरण अभी बताया, यह सही बात है आपकी और यह बहुत पुराना मामला है। आपको भी मालूम है...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): लगातार कर रहा है। अब भी कर रहे हैं वे...

श्री उपाध्यक्ष: जवाब सुनो तो सही।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अब भी आबंटन पत्र जारी कर रहे हैं। उनके पास...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): फिर वही बात..

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ...आबंटन पत्र की बुक पड़ी है, अब भी जारी कर रहे हैं वे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये। समिति में 28.7.92 को उसके संचालक मंडल को भंग करके प्रशासक लगा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: 92 ?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 92 । उसके बाद आपकी भी सरकार रह ली, हमारी भी रह ली, न तो आपकी सरकार में आपने कार्यवाही करायी। प्रशासक ने उसका रिकार्ड लेने के लिये ए सी जे एम, पाली में इस्तगासा दायर करवाया और वह अभी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ज्योंही रिकार्ड प्रशासक को मिल जायेगा, उसमें जांच करा कर तुरन्त कार्यवाही कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। ओमप्रकाश जी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओमप्रकाश जी। अब बहस नहीं हो सकती।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ओमप्रकाश जोशी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बहुत बेच खाया है...

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फलौदी विधान सभा क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान का पिछड़ा क्षेत्र है...

श्री उपाध्यक्ष: हां, मंत्रीजी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): उस पिछड़े क्षेत्र में..

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, ओमजी, गृह मंत्रीजी बोलना चाहते हैं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी बोलना चाहते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति की खुद के खाते की 73 बीघा जमीन थी, उन्होंने 73 बीघा जमीन में 22.30 बीघा जमीन और सरकारी शामिल कर ली। यह बात सही है। एस टी पी से दोनों प्लानों को मंजूर करवा लिया, एस डी ओ से पट्टे बंटवा दिये। एस टी पी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

के खिलाफ भी कार्यवाही जेरकार और डी ओ पी को लिख दिया गया है एस डी ओ के खिलाफ। दो बात तो ये हो गयीं।

तीसरी बात, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो आप बता रहे हैं, नगर परिषद् के द्वारा तहसीलदार, पाली से सम्पर्क करके उसका सीमाज्ञान करवा लिया गया; सीमाज्ञान में वह जमीन वाकई सरकारी पायी गयी, 22.30 बीघा। ठीक है? नगर परिषद् के द्वारा इश्तहार निकाल दिये गये अखबारों में कि कोई भी इस पर काबिज न हो, इस प्रकार के सब कब्जे खारिज किये जायेंगे। परिषद् के द्वारा यह भी लिख दिया गया कि कोई भवन निर्माण की स्वीकृति वहां पर नहीं दी जायेगी और न ही किसी को कब्जा दिया जायेगा। अब इससे ज्यादा और क्या कार्यवाही चाहते हैं आप?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केस रजिस्टर कराया है। वह तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। आपने गवर्नमेंट के ध्यान में ला दिया, आ गया, दो मंत्रियों ने जवाब दे दिया, फिर भी...। अब श्री ओमप्रकाश जोशी। माननीय ओमप्रकाश जोशी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

फलौदी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र फलौदी जो कि एक पिछड़ा इलाका है। उस पिछड़े इलाके में शिक्षा के सम्बन्ध में...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी खड़े हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी बात मान ली कि रैकेट है। अब जो लोग रैकेट में इन्वाल्व हैं, वह चाहे एस टी पी हो, चाहे ए एस पी हो, उन दोनों के खिलाफ कार्यवाही जेरकार है।

दूसरी बात, नगर परिषद् की जमीन है। नगर परिषद् ने लिख दिया, इश्तहार जारी कर दिया, किसी को कब्जा नहीं देंगे, किसी को निर्माण की स्वीकृति नहीं देंगे। और क्या चाहते हैं आप?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओमजी के अतिरिक्त और किसी का, केवल ओमप्रकाश जी का।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): जब भी अवसर आया और हमारे गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने वाली सरकार आयी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री जी जवाब नहीं देंगे और ना कोई अंकित होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): नवीन पाठशालाएं खोली गयी; नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये; माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये; हमारे कांग्रेस के पिछले शासन काल में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय भी दिया गया। इसके साथ ही, उच्च प्राथमिक स्तर के 66 विद्यालय प्राथमिक से क्रमोन्नत किये गये। बहुत बड़ा जो यह शिक्षा का प्रशासनिक विस्तार था, उसमें पूर्व में वर्ष 1979 से 1988 तक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित था, उसकी देखरेख में पूरे इलाके की शैक्षणिक निरीक्षण की व्यवस्था की जा रही थी। 1988 में यह जो कार्यालय था, उसके अन्तर्गत शेरगढ़ और फलौदी क्षेत्र आते थे, 1988 के बाद में इस कार्यालय का क्रमोन्नयन कर दिया गया और इसका मुख्यालय फलौदी से हटा दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फलौदी जोधपुर जिले से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अंतिम छोर का गांव है वह 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे हालात में अगर किसी बालक को अपने सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर भी करवाना है तो उसको जोधपुर जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ओसियां, शेरगढ़ और फलौदी को मिलाकर जिला शिक्षा अधिकारी का पदस्थापन फलौदी में होना चाहिए। जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तौर पर पर्यवेक्षण हो सके, निरीक्षण हो सके। शिक्षा में जो गिरावट आ रही है, चाहे वह अध्यापकों की कमी से हो ...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): शेरगढ़ शामिल नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बीच में नहीं बोलें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह शेरगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं वहां का विधायक हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैसे चुप बैठूंगा?

श्री ओम जोशी (फलौदी): धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम फलौदी से ... (व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर से 40 किलोमीटर है और आपके वहां से 120 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर नजदीक है या 120 किलोमीटर? जोधपुर ही रहेंगे हम तो।

श्री ओम जोशी (फलौदी): धन्यवाद। फलौदी के दामाद हैं आप, हम तो इसलिए नजदीक बुला रहे थे। ...(व्यवधान)... फलौदी में यह कार्यालय पहले स्थापित था, उस दृष्टि से इसका औचित्य है; प्रशासनिक दृष्टि से इसका औचित्य बनता है। इसलिए मैं सरकारी यात्रा व्यय की मितव्ययता, पूर्ण पर्यवेक्षण के लिए फलौदी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित करने की मांग करता हूं। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो व्यवस्था दी हुई है, उसके तहत ना तो स्कूलों का पर्यवेक्षण हो सकता है, ना मिड-डे मील के संचालन का निरीक्षण हो सकता है। ब्लाक शिक्षा अधिकारी के पास सीमित अधिकार हैं। ऐसे हालात में जो शिक्षा की स्थिति है, वह चरमरा गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित हुआ, कई विषय आये, छात्रों की संख्या भी हमारे इस कार्यकाल में बढ़ी, इन 3 वर्षों में हमारे फलौदी विधान सभा क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय को लेकर 24 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया, इस तरह से जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार को तरीके से संचालित करने के लिए यह जो मांग है, वह पूर्णतया उचित है। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि फलौदी में जिला स्तरीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एस.पी. की पोस्ट स्थापित हो चुकी है...

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़ा शोर्ट करें। आप संक्षिप्त करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): ए डी एम की पोस्ट स्थापित हो चुकी है, डी टी ओ की पोस्ट स्थापित हो चुकी है, पूर्ण कृषि मंडी हो चुकी है, अतः मेरा अनुरोध है कि फलौदी में जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया जाये।

(श्री ओम जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी विसंगतियां रही हैं, जिनकी वजह से हमारे क्षेत्र में कई इलाके राजनीतिक कारणों से वंचित रह चुके हैं। माध्यमिक विद्यालय खीचण गांव में है, जो वर्ष 1964 से माध्यमिक विद्यालय के रूप में काम कर रहा है और उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन की मांग वहां के लोगों द्वारा निरन्तर की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): एक ऐसी स्कूल है जो प्राथमिक स्कूल है फलौदी में, सरदारपुरा जो कि 1940 से प्राथमिक स्कूल ही है, उसको भी उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने की बात है। पिछले 1989-90 के वर्ष में हमारे यहां पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शिक्षा की डिमांड पर डिस्कशन हो गया सारा। शिक्षा की डिमांड की बातें बोल रहे हो आप, कृपया आप समाप्त करें। फिर भी आपको मौका दे रहे हैं।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मेहरबानी आपकी, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें आप।

श्री ओम जोशी (फलौदी): फलौदी के लिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो कि वर्ष 1988 तक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय था, उसको क्रमोन्नत करते हुए फलौदी में रखने के लिए कृपया सरकार व्यवस्था करे। यह मेरा पुरजोर और विनम्र निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत पुराना है, यह 1988 की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक जिले में दो हो सकते हैं ना?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): हो सकते हैं, यह तो मामला दिखाने की बात की जायेगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जयपुर में चार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह नया है। शिफ्ट करने में राजनीति आड़े आयेगी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): चूंकि यह मामला बहुत पुराना है, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): इसको गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कराकर कोई फैसला लेंगे।

बाकी कुछ अध्यापकों की बात है, पहले भी मैंने जवाब दिया है, इनको भी जवाब देता हूं कि भर्तियां हो रही हैं, भर्तियां होते ही इनके यहां पर टीचर्स लगा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्रीमती गोलमा देवी। गोलमा जी, संक्षेप में बोलना आप। आप लम्बा भाषण दे जाती हो।

सूचना

सवाई माधोपुर काण्ड की जांच

श्रीमती गोलमा (महुवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सवाई माधोपुर काण्ड के बारे में बोलती हूं। वे गरीब तीन दिन से यहां भूख-हड़ताल पर बैठे हैं विधान सभा के सामने।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो कल आ गया, गोलमा जी।

श्रीमती गोलमा (महुवा): सुनो आप, बता रही हूं, उपाध्यक्ष जी। आप थोड़ा-बहुत सुना तो करो।

श्री उपाध्यक्ष: क्या बता रही हो? वह तो कल ...(व्यवधान)

श्रीमती गोलमा (महुवा): उन गरीबों की सुनी ही नहीं, तीन दिन से भूखे बैठे हैं वे।

श्री उपाध्यक्ष: तीन लाख रुपये मुआवजे की बात भी हो गयी कल।

श्रीमती गोलमा (महुवा): देखो, सवाई माधोपुर में मर्डर हुआ, उसकी तीन साल से चल रही है, तीन साल से कोई सुनवाई नहीं की सी बी आई ने। माधोगढ़ की और सूरवाल की सी बी आई ने जांच करवा ली; जो मेव बाबों का कांड हुआ उनके काण्ड की करवा ली, उनकी सी बी आई ने जांच करवा ली; भंवरी वाले काण्ड में जांच करवा ली; तीन साल से यह चल रहा है, विधान सभा में इसकी एक सुनवाई नहीं हुई। यह जांच होनी चाहिए, गरीब की सुनवाई होनी चाहिए, मैं तो आपसे यही कहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती गोलमा (महुवा): हां, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंह जी रावत। आपको पर्ची पर नहीं बोलना है ना?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: देखो, ऐसे बार-बार हर पाइंट पर नहीं। यही कृपा करें। शंकर सिंह जी रावत। टेबल पर उधर दो, उधर।

ब्यावर में ज्योति हत्याकाण्ड

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में ऐसी सूचना दे रहा हूं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत कि ब्यावर में ज्योति हत्याकाण्ड जो कि 11 साल की लड़की...

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंह जी, थोड़ा संक्षेप में बोलना। मैं कोशिश करता हूं कि सब एडजस्ट हों।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उसकी हत्या हुई। उसकी हत्या इस प्रकार हुई कि उसका कलेजा गायब, फेफड़े गायब और गुर्दे गायब और उसकी लाश के दो टुकड़े करके पहाड़ी पर डाला गया। अभी तक भी पुलिस उसका पता नहीं लगा पायी है। वहां की पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जांच में लिप्त हैं, उच्च पदों के ऊपर, वे आई पी एस हैं लेकिन वे भी श्री सीमेंट के डाक बंगले में जाकर रहते हैं और श्री सीमेंट और उनकी मिलीभगत से ही इस हत्या का राज नहीं खुल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे यह राज खुले। अजमेर जिले के अन्दर कितनी हत्याएं हुई हैं, पुष्कर में 3 हत्याएं हुईं, सारी हत्याओं के राज वहां दबाये जा रहे हैं। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि वे जवाब देवें कि यह राज कैसे खुलेगा? उस बच्ची की हत्या कैसे हुई है! ऐसी दर्दनाक हत्या कभी किसी की देखी भी नहीं होगी और सुनी भी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट लूंगा, क्योंकि दुबारा मौका मिलता नहीं है।

यह जो जल नीति है, उस जल नीति के तहत जो मैंने मांग की है, ब्यावर, अजमेर और किशनगढ़ के लिए बीसलपुर बांध का निर्माण हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष: दो सब्जेक्ट नहीं होते, एक ही सब्जेक्ट होता है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अन्य जिलों को पानी दिया जा रहा है। अगर कल मुख्य मंत्रीजी के बोलने से पहले ब्यावर को पानी की घोषणा नहीं की गयी तो उनका जवाब मैं सुनूंगा नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय अन्जू खन्गवाल।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उनको डिस्टर्ब करूंगा। उनको बोलने नहीं दिया जायेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनको निर्देशित करें कि ब्यावर क्षेत्र के गांवों की पीने के पानी की समस्या के लिए हर हालत में कल उनको घोषणा करनी पड़ेगी...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजें, माननीय सदस्य। अन्जू खन्गवाल जी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अन्यथा हम दूसरे जिलों को जाने वाली लाइन को जाने नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, आप का ही अंकित होगा। केवल अन्जू खन्गवाल जी का।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

बस्सी में मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्राधिकार की जद्दोजहद

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पाइंट आफ इन्फार्मेशन के जरिये सूचना देना चाहती हूं कि कल शाम को खानपुरा में जिला दौसा का रहने वाला व्यक्ति शंकर लाल शर्मा अपने खेत पर काम करने जा रहा था। वहां जाकर उसने बिजली का स्टार्टर स्टार्ट किया और उसको करंट लग गया। वह घायल हो गया। क्योंकि बस्सी चिकित्सालय दौसा से ज्यादा पास पड़ता है, खानपुर ज्यादा पास पड़ता है, इसलिए उसके परिजन उसको वहां ले आये। उसको लाने के बाद डाक्टरों ने अटेण्ड करने से मना कर दिया कि यह हमारे एरिये का नहीं है, इसे आप दौसा ले जाइये। इसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया, वह मर गया। उसके बाद रात भर थाने के बाहर वह डैड बाडी पड़ी रही क्योंकि वहां मोर्चरी नहीं है। पूरी रात उसके परिजन बिलखते रहे और उस बाडी की निगरानी करते रहे क्योंकि मोर्चरी नहीं होने की वजह से उन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी कि वे उस डैड बाडी की देखभाल करें।

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

वे लोग जा भी नहीं सकते थे क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए जब सुबह तक इन्तजार किया तो डाक्टरों ने फिर यही जवाब दिया कि हमारा एरिया नहीं है, आप ले जाइये, यहां पर इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर वह पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण वहां चक्का जाम हो गया, वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ गई। उसके बाद साढ़े नौ बजे मेरे पास फोन आता है वहां के लोगों का, मैंने सी एम एच ओ से बात की, उसका पोस्टमार्टम कराया।

कोई मरने वाला व्यक्ति कभी भी यह सोचकर नहीं मरता कि वह अपने एरिये में मर रहा है या एरिये के बाहर मर रहा है। वह कहीं भी मर सकता है। डाक्टरों ने, जिस तरह से थानों में होता है कि यदि किसी थाने का एरिया नहीं लगता है तो केस दर्ज नहीं होता है, उसी तरह से डाक्टरों ने किया कि उस एरिये का नहीं है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। परिवारजन उसको लेकर इधर-उधर घूमते रहे, बाडी को। इसके बाद वहां पर जब मैंने बात की, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ है।

मैं यह चाहती हूं, पहली बार यह नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर बाडी रखने के लिए जगह नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान) हां, बिलकुल।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो डाक्टर ऐसा रुख रखते हैं, अमानवीय, गैर जिम्मेदार हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा। (व्यवधान) आप पहले बोल चुकीं, वही है न? डबल-डबल नहीं बोल सकते।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बोलने का मतलब, यहां पर नम्बर बढ़ाने के लिए नहीं बोलते हैं। हम इसलिए बोलते हैं ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके। तो मैं यह चाहती हूं कि मंत्रीजी जवाब दें, उन पर मुकदमा हो और उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, डी सी एम एच ओ पर, डाक्टरों पर। चिकित्सा मंत्रीजी, मुझे जवाब देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्बर बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूं। उनको न्याय मिले, उनको पता तो चले कि उनके साथ क्या होगा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष: पोस्टमार्टम हो गया न।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): उनको मुआवजा भी मुहैया कराया जाये और उन पर मुकदमा भी दर्ज हो, डाक्टरों और डी सी एम एच ओ के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं जवाब का इन्तजार कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। प्रोमिलाजी।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): कम से कम मुझे जवाब तो दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब का नहीं होता है इसमें। इसमें जवाब नहीं होता है। केवल प्रोमिलाजी का।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रोमिलाजी, बोलिये। (व्यवधान) मैं अगला नाम पुकारूं? अगला नाम पुकारूंगा फिर मैं।

चाकसू में एक ही परिवार के चार मृत व्यक्तियों के वारिसान को सरकारी सहायता

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रही हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि चाकसू के मधेपुरा में जो चार कत्ल हुए थे, नानी का, नवासे का और दो नवासियों का, उनके परिवारजन इतने सदमे में हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां कार्यवाही तो हो रही है लेकिन पकड़े नहीं गये अपराधी। मैं कहना चाहती हूं कि पूरा परिवार नष्ट हो गया, उनका वंश खतम हो गया तथा माता-पिता जो बचे हुए हैं, तीन बच्चियां बची हुई हैं छोटी-छोटी, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ न कुछ तो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि वे गरीब परिवार से हैं और एस सी को बिलोंग करते हैं। उनकी दुर्दशा मेरे से देखी नहीं गई। मैं कल वहां गई थी उनसे मिलने, तो वहां पर बहुत बुरा हाल हो रहा है मां का।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, विराजिये।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): आर्थिक सहायता उनको सरकार की तरफ से मिले।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। आप सीनियर लीडर हो, इसलिए आप शार्ट में बोलें।

जयपुर की सफाई के लिए चयनित कम्पनी की संदेहास्पद साख

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं दो मिनट ही बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान जयपुर शहर में ए-टू-जेड कम्पनी है, उसको 20 साल के लिये जयपुर की सफाई का ठेका दिया जा रहा है। इससे पूरे जयपुर शहर की सफाई की व्यवस्था चौपट हो जाएगी। क्योंकि जिस कम्पनी को यह ठेका दिया जा रहा है, वह पहले भी कानुपर, रांची, पटना और इन्दौर में ठेका ले चुकी है और वहां वह फेल्योर सिद्ध हुई है। क्योंकि वह महापौर की चहेती कम्पनी है, इसलिए उसको ठेका दिया जा रहा है और बदनामी से बचने के लिए आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से टेण्डर मांगे गये हैं और यह प्रचार किया जा रहा है कि इस कम्पनी की जो रेट आई है, वह सबसे कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निविदा प्रक्रिया तय करते वक्त में एक गली छोड़ दी गई कि कचरा एकत्रित करने के बाद कचरागाह ले जाने की राशि कम्पनी बतायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि 2010 में इसी कम्पनी ने जब ठेके के लिए आवेदन किया तो तत्कालीन सी ई ओ ने इसका परीक्षण कराया था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने आपकी बात समझ ली।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं बता तो दूं। तो कानपुर जाकर वहां उसका फीजिकल वेरिफिकेशन किया तो उसने कहा कि यह कम्पनी नाकारा है और यह काम नहीं कर सकती।

इसलिए मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस प्रकार की कम्पनी को ठेका नहीं दे दें कि पूरे जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो जाये। इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महापौर ने इसमें करोड़ों रुपयों का लेना-देना किया है। आप यहां बैठे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप आश्वस्त करें कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को इस प्रकार से चौपट नहीं होने दिया जाएगा। माननीय मंत्रीजी, बोलो।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, अनिता जी, मंत्रीजी कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस कम्पनी का आपने जिक्र किया है, सराफ साहब ने, उस कम्पनी के बाबत और भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों की बाबत, जैसा आपने बताया कि इसने कई शहरों में काम किया है, उन शहरों को भी लिखा गया है कि इसका काम किस प्रकार से वहां चल रहा है। इस टेण्डर के बारे में आपको यह गलतफहमी है कि इसको वर्क आर्डर दे दिया गया है, इसको कोई वर्क आर्डर नहीं दिया गया है। अभी यह सब प्रोसेस में है और प्रोसेस को अच्छी तरह देखकर ही आगे जाकर फैसला किया जाएगा।

महापौर का जहां तक ताल्लुक है, महापौर का इस टेण्डर से कोई लेना-देना नहीं है। आवास विकास संस्थान के द्वारा और डायरेक्टर, लोकल बाडीज के मार्फत यह...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आवास विकास संस्थान से इसीलिए दिया जा रहा है कि नगर निगम की बदनामी न हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई लेना-देना नहीं है। वह चूंकि मेयर और आपका लेना-देना ज्यादा है, इस वजह से आप मेयर को हर चीज में डाल देते हैं।

मैं आपसे फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरिट और डि-मेरिट के आधार पर ही इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जाएगा। अगर इस कम्पनी का काम दूसरे जिन शहरों में यह काम कर रही है, अगर वहां का काम सेटिस्फेक्टरी नहीं पाया गया तो इस कम्पनी को काम नहीं दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। एक मिनट में समाप्त करें।

राजस्थान में 12वीं कक्षा के कृषि-पाठ्यक्रम की उपादेयता

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, एक मिनट में ही समाप्त करूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह अवगत कराना चाहती हूं कि 12वीं कक्षा के कृषि पाठ्यक्रम में गत वर्ष 20,794 विद्यार्थी बैठे थे, पिछले

(श्रीमती अनिता भदेल)

साल की परीक्षा में, जबकि इस वर्ष यह संख्या घटकर मात्र, आधी से भी कम, 9,705 रह गई। जब हमने इसका कारण जानना चाहा कि क्यों इतनी संख्या घटी, तब पता चला कि एन सी ई आर टी का पाठ्यक्रम, जो कि राजस्थान में किसी भी सी बी एस ई स्कूल में एन सी ई आर टी का पाठ्यक्रम पढ़ाया ही नहीं जाता है लेकिन हमने उनकी नकल करके जो एग्रीकल्चर में एन सी ई आर टी का पाठ्यक्रम है, वह राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में प्रारम्भ कर दिया। इस एन सी ई आर टी के पाठ्यक्रम में किसी भी विद्यार्थी की कोई रुचि नहीं है, क्योंकि यह एन सी ई आर टी का पाठ्यक्रम न तो राजस्थान की जलवायु को ध्यान में रखकर बनाया गया है और न ही राजस्थान में पैदा होने वाली फसलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस कारण से इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों का मोह भंग हुआ है और उन्होंने इस पाठ्यक्रम को छोड़कर किसी दूसरे विषय में जाना पसन्द किया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी वर्ष यह घोषणा की है कि हम ऐसी बालिकाओं को जो कृषि शिक्षा पढ़ने की इच्छुक हों, उनको प्रोत्साहन राशि 3 हजार रुपये से बढाकर 5 हजार रुपये तक देंगे परन्तु जब उनकी रुचि उस पाठ्यक्रम में ही नहीं होगी, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, पाठ्यक्रम को लेकर आगे काम नहीं कर सकते, तो वह कैसे उन बालिकाओं में रुचि पैदा करेगा? माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एन सी ई आर टी की जगह राजस्थान की परिस्थितियों को देखकर, राजस्थान में पूर्व में एग्रीकल्चर का जो परीक्षा पाठ्यक्रम था उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमरारामजी। मैं आपको बोलने की इजाजत इसी शर्त पर दे रहा हूं...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं तो आपको दे दूं, आप पढ़ दो।

श्री उपाध्यक्ष: आप पढ़ दें लेकिन बहस नहीं करेंगे। आप जिद बहुत करते हो। चूंकि आप सीनियर मेम्बर हो, इसलिए मैं इजाजत दे रहा हूं।

राजस्थान के मजदूरों का सऊदी अरब की कम्पनी अल सोया लि. में शोषण

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 210 मजदूर सऊदी अरब में पिछले तीन साल से एक कम्पनी अल सोया

(श्री अमराराम)

लिमिटेड में गये थे। उन्होंने वहां काम किया लेकिन पिछले 10 महीने से उनको न तो वहां वेतन दिया जा रहा है और न पास दिया जा रहा है कि वे काम से बाहर जा सकें। मुश्किल से किसी एक-दो को पास देते हैं और यहां वापस देश भी नहीं आने दे रहे हैं। वहां का जो हमारा दूतावास है सऊदी अरब में, उन्होंने भी प्रयास किया है, लिखकर भेजा है। तीन साल उनको हो गये, न तो उनको दस महीने से तनख्वाह दे रहे हैं और न वह कम्पनी उनको काम दे रही है, न उनको भारत आने दे रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इतना निवेदन है कि सरकार प्रयास करे कि उनको तनख्वाह भी मिले और केन्द्र सरकार को भी आप प्रतिवेदन भेजें।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी इन्फोर्मेशन सरकार को मिल गई, धन्यवाद, विराजिये।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य, विधान सभा, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रेडियेशन विभाग में कैंसर सेक की सभी मशीनें लम्बे अरसे से खराब होने के कारण मरीजों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री कैलाश चन्दजी भंसाली

(अनुपस्थित)

सुनिए, आप सुनिए। क्या पाइंट आफ इंफार्मेशन है?

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): पाइंट आफ इंफार्मेशन की पर्ची मैंने आपको दी थी और श्रीमान् ने यह फरमाया था कि आप इसमें बहुत कम बोलेंगे, वह पर्ची का मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: जो आसन को यदि उचित लगा होगा, उसी पर बोलते हैं, सारे नहीं बोलते हैं। धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्दजी भंसाली

(अनुपस्थित)

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राजस्थान लोक सेवा आयोग का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद-323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन । श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिका

शेरगढ़ में सहायक कृषि अधिकारी, चामू व कृषि पर्यवेक्षकों के नवीन पद सृजित कर उनका पदस्थापन

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान बजट 2012-2013 में की गई घोषणानुसार तहसील शेरगढ़ में सहायक कृषि अधिकारी, चामू एवं कृषि पर्यवेक्षकों के नवीन पद सृजित कर पदस्थापन करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री भरत सिंह, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य तथा मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल विचार और मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 21– सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,84,92,31,000 (छब्बीस अरब चौरासी करोड़ बानवे लाख इक्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 21 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, ठीक रख दीजिए।

मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,59,22,16,000 (आठ अरब उनसठ करोड़ बाइस लाख सोलह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 19 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अर्जुन गर्ग।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या – 19 और 21 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ, उसके पहले पी डब्ल्यू डी विभाग में नगरपालिका, नगर सुधार न्यास, इरिगेशन, पी एच ई डी, ये सारे विभाग इसमें सम्मिलित थे। धीरे-धीरे इस विभाग में, ज्यों-ज्यों अन्य विभागों में भार बढ़ता गया तो इस विभाग को छोटा करते करते मात्र पी डब्ल्यू डी को एक पैचवर्क डिपार्टमेंट कर दिया, या यों कहें कि प्लैजर-विदाउट-डैंजर कर दिया इसको। इसके लिए सरकार की, चाहे किसी की सरकार रही हो, वह सरकार की गलत नीतियां रही हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार मानव शरीर में हृदय एक सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, उसी तरह उसको और खून संचालन के लिए धमनियां, आर्टरीज और वैंस ज्यों आवश्यक हैं, तो देश व प्रदेश के विकास के लिए उतनी की उतनी सड़कें भी आवश्यक हैं।

इसमें सड़क, आज पहले तो यह स्थिति होती थी कि कई गांव जो इंटिरियर में होते थे उनमें कुंवारों की संख्या ज्यादा होती थी, धीरे-धीरे दो दिलों को मिलाने में इस सड़क निर्माण का एक महत्व रहा है। गरीबी उन्मूलन में भी सबसे पहली प्राथमिकता सड़क निर्माण की रही है, क्योंकि उसमें किसानों के लिए, यातायात व्यवस्था के लिए, व्यापार वाणिज्य इन सब के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए सड़क को बनाना महत्वपूर्ण रहा है। स्वामीनाथन अय्यर ने भी कहा था कि सड़क ग्रामीण सम्पर्क का द्योतक है तथा अर्थशास्त्री राबर्ट चैम्बर्स ने भी कहा कि यदि मेरे पास धन देते हो तो मैं सबसे पहले उस धन

(श्री अर्जुन लाल)

का यूज सड़क निर्माण में करता हूं; उसके बाद मेरे पास धन बढ़ता है, उसको भी मैं सड़क निर्माण करवाने में लगाता हूं; और धन मेरे पास आ जाए तो मैं सड़क निर्माण में लगाऊंगा। यह सड़क इसलिए महत्वपूर्ण रही है।

इसके बाद 1929 में जयपुर कमेटी बनी थी और उसने, उस समय कोई इतने साधन भी नहीं थे, राजा-महाराजाओं के पास ही साधन होते थे, तो उन्होंने भी उस समय 1929 में दो आना सैस लगाकर, जो अभी सरकार 50 पैसे सैस लगाती है, उस समय की सोच है कि पैट्रोल-डीजल पर दो आना सैस लगाकर एक सड़क निर्माण के लिए कोष का गठन किया था। उसके बाद 1934 में आई आर सी का गठन हुआ और इसकी सिफारिशों पर नागपुर प्लान बना, जिससे सड़कों का वर्गीकरण हुआ। उसमें पांच प्रकार की सड़कों का वर्गीकरण किया गया था, नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, एम डी आर, ओ डी आर और विलेज रोड्स। उसके बाद धीरे-धीरे बम्बई प्लान बना, लखनऊ प्लान बना, वर्तमान रोड और यह प्लान 2021 तक, जिसमें किन-किन सड़कों पर किस-किस प्रकार की कैसी गुणवत्ता होगी, उसमें कैसी विशिष्टियां होंगी, उसमें सारा उल्लेख किया है।

2000 के अन्दर हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह सोच रही थी कि सड़कों का गांवों तक विस्तार कैसे हो। उन्होंने केन्द्रीय अधिनियम बनाकर पी एम जी एस वाई योजना के मार्फत एक सड़क क्रांति देश के अन्दर पैदा की और उससे लगभग आज पूरे देश के अन्दर और अपने प्रदेश, राजस्थान के अन्दर तो लगभग 80-85 प्रतिशत रोड कनेक्टिविटी हो गई है। इसके बाद सड़कों का घनत्व बढ़ने से हमारे प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन हुआ है, साक्षरता बढ़ी है, कोष बढ़ा और सामाजिक उत्थान हुआ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि मैंने प्रतिवेदन देखा था और उसमें मुझे आश्चर्य हुआ, मंत्री महोदय, आप जिस महल के कंगूरों पर विराजमान हैं, जिसकी लम्बी-चौड़ी नींव होती है, उस महल की नींव बिलकुल है ही नहीं, पता नहीं यह महल कब ढह सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नींव के पत्थर जो कनिष्ठ अभियंता होते हैं, वे आपके विभाग में बिलकुल ही नहीं हैं। जब भी आप, मुझे पूरा विश्वास है, मांग का जवाब देंगे उसी समय आप घोषणा करेंगे,

(श्री अर्जुन लाल)

इस विभाग के अन्दर जो नींव का पत्थर है, उनको, वापस कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती के लिए घोषणा करेंगे। आज हरेक काम के अन्दर जवाबदेही और पारदर्शिता होनी चाहिए। जब आपके पास इतना लम्बा-चौड़ा विभाग और इतनी लम्बी-चौड़ी सड़कें हैं, करीब 1 लाख 44 हजार किलोमीटर लम्बी-चौड़ी सड़कें हैं, उसके अन्दर देखने के लिए, उनके सुपरविजन के लिए आपके पास एक भी कनिष्ठ अभियंता नहीं है।

दूसरा, आपके विभाग में जो भी पद हैं, आपने इस प्रगति प्रतिवेदन में बताया है, 1,885 पद रिक्त हैं; उसमें 323 डेपुटेशन पर भेज दिये और एक-तिहाई पद रिक्त पड़े हैं, 505 पद रिक्त पड़े हैं। पता नहीं, यह विभाग कैसे कार्य करेगा? आपने प्रमोशन करके जो सहायक अभियंता बिठाये हैं, तो एक सहायक अभियंता के पास करीब 200 किलोमीटर का भार पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि आप कनिष्ठ अभियंताओं के साथ सहायक अभियंता के पद भी भरें।

वार्षिक योजना 2011-12, जो मुझे प्रगति प्रतिवेदन दिया है, इस प्रतिवेदन में आपने दर्शाया है कि टी एफ सी आर, पेज नम्बर 11 पर, 13वें वित आयोग, राज्य आयोग, इसको आप देखें, आपका लक्ष्य था 37.5 करोड़ और 100 किलोमीटर रोड का था और आपकी उपलब्धि है, फाइनेंशली तो यह बता दिया कि 2.77 करोड़ खर्च हुए हैं, लेकिन फीजिकल जीरो। वह फीजिकल जीरो है तो 2.77 करोड़ कहां लगाया? ग्रामीण सड़कें, जिसमें आपने बताया, 17.20 करोड़ 20 किलोमीटर; फीजिकल अचीवमेंट और उपलब्धियॉं 10.63 करोड़ रुपया लगाकर 5 बतायी है। इसमें इतना फर्क है कि 61 परसेंट तो फाइनेंयल उपलब्धि है और 25 परसेंट फीजिकल है यह समझ में नहीं आ रहा है।

आप देखेंगे तो बड़ा ताज्जुब होगा, वैसे की वैसे टी एफ सी आर (नान -प्लान) में यह दे रखा है। सीरियल नम्बर 13 पर सड़कों का पैच कार्य है, इसमें भी आपने फीजिकल तो 75 परसेंट बता दिया और फाइनेंशल, 95 परसेंट। इससे यह जाहिर होता है कि वह पैसा या तो आपने कहीं और जगह खर्च कर दिया। इसके अलावा, आपने इतना पैसा खर्च किया है इस साल के अन्दर सिर्फ पैच वर्क के लिए, 163.71 करोड़। आपने इसमें बताया है कि 36,549 किलोमीटर सड़कें हमने रिपेयर की हैं, जबकि उपलब्धियां यह बता रही हैं कि 123.55 करोड़ रुपये और आपने 34,945 किलोमीटर सड़कें तैयार की

(श्री अर्जुन लाल)

हैं। लेकिन इतने माननीय सदस्य बैठे हैं, आप किसी से उनकी अंतरात्मा से पूछ लें, पार्टीबाजी की बात नहीं है, दलगत बात नहीं है, कोई भी विधायक अपने क्षेत्र के जो पैच वर्क हो रहा है उनसे संतुष्ट नहीं है। पता नहीं, वह पैसा कहां खर्च हुआ? मेरा आज का सवाल था पी डब्ल्यू डी पर, मेरा नम्बर नहीं लगा, दसवें नम्बर पर था, आपने जवाब दिया है, मैं मांग रहा हूं, 'डब्ल्यू बी एम कितनी क्वांटिटी में और बीटी पैच कितने क्वांटिटी में हुए हैं'; आपने जवाब दिया कि 20 किलोमीटर का पैच कर दिया। अब वह क्वांटिटी या तो क्यूबिक मीटर में होनी चाहिए थी या स्क्वायर मीटर में होनी चाहिए थी, लेकिन आपने दे दिया, 20 किलोमीटर में यह कर दिया, 219 किलोमीटर हमने पैच कर दिया।

इसके अलावा, हमारी अभूतपूर्व मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजे की सरकार में राज्य योजना का सड़क निर्माण पेटे 7.48 परसेंट हिस्सा लगा। उसके बाद प्रगति प्रतिवेदन 2010-11 के अन्दर इसकी रेट गिरते-गिरते 3.55 परसेंट पर आ गई। मेरा एक कट मोशन भी था जिसमें मैंने कहा था कि जो 11-12 विभाग हैं जिनके करीब 746 काम पी डब्ल्यू डी को प्लान के अन्दर दे रखे हैं, अब उन कामों में लगभग 857 करोड़ रुपये प्लान के लम्बे समय से पी डब्ल्यू डी के पास पड़े हैं और काम नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी एक जांच बिठायी जाय कि वास्तविकता में यह पैसा कितने समय से विभाग में पड़ा हुआ है और वह काम नहीं हो रहा है।

बजट भाषण में भी मुख्य मंत्रीजी ने मेगा हाइवे के लिए पी पी पी, बी ओ टी, वी जी एफ जैसी योजनाओं की मार्फत पैसा लगाने की बात की है। इसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसमें 'हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखो ही चोखो', सरकार की तरफ से कुछ नहीं लगता है, बी ओ टी में आप ठेकेदार को देते हो और वह बी ओ टी के अन्दर सड़क बनाकर टोल वसूलता है। इसमें भी एक निवेदन है कि हमारे जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री जब भी जाते हैं तो उनको रोककर वे टोल वसूल लेते हैं। तो इस मांग की मार्फत मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कल अपन भी पूर्व हो सकते हैं, तो आप उनके लिए अब कोई बी ओ टी, पी पी पी या वी जी एफ का प्रोजेक्ट तैयार करें तो उसमें यह भी शर्त डालें कि पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री से टोल एग्जम्प्ट करें।

अब एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क निर्माण में हमेशा शब्द चलता है भ्रष्टाचार का। इसमें आप भी जाते हैं, चैक करते हैं; हम मान रहे हैं, आप काफी ईमानदार भी हैं, आपका दबदबा भी है; कुछ समय हुआ

(श्री अर्जुन लाल)

है, विभाग में हलचल मची हुई है। मैं आपसे एक ही चीज निवेदन करता हूं कि आप जो आपके मातहत अधिकारी हैं, ये सुपरविजन के लिए दो चीज पर ध्यान दे देंगे, एक तो क्वालिटी स्वतः ही आ जाएगी, यदि आप क्वांटिटी से समझौता नहीं करेंगे; क्वांटिटी पूरी देते हैं तो स्वतः ही क्वालिटी आ जाएगी। क्वांटिटी में भी सड़क 20 किलोमीटर बनी है, आप नहीं नाप सकते, मैं नहीं नाप सकता; जो चौड़ाई है उसमें 1-2 सेंटीमीटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पी डब्ल्यू डी में एक थिकनेस चीज होती है, वह थिकनेस, आप कहीं भी इंस्पेक्शन करें तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप थिकनेस चैक कर लें, उससे उस वर्क का पता आपको चल जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: धीमा बहुत बोल रहे हैं। अर्जुनलाल जी, बहुत धीरे-धीरे बोल रहे हो, बहुत धीरे बोल रहे हो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): सुझाव तो दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी स्पीड तो बड़ी खड़ाखड़ होती है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): तेज बोलूं?

रिन्युअल साइकल के लिए बार-बार माननीय सदस्य हमेशा यहां कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में 10 से 12 साल हो गये, सड़क का निर्माण नहीं हुआ। मंत्री महोदय, यह रिन्युअल साइकिल उस समय तय हुआ था, 1961 के अन्दर, जब

(14.00 बजे)

ट्रैफिक ग्रोथ 4.5 परसेंट थी। जब आज वाहनों की संख्या प्रदेश के अन्दर करीब 87-88 लाख हो गई हैं तथा सड़कों की व्यवस्था भी सुधरी है, उनकी कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, जगह-जगह गांवों में विकास भी हुआ है, मैं आपसे यह चाहता हूं कि 1961 के अन्दर जो साइकल तय किया है उसमें डामर की गुणवत्ता भी अच्छी थी, उसमें जो सामग्री प्रयोग में आती है वह भी अच्छी थी, लेकिन आज डामर की क्वालिटी, जो रिफाइनरी से आता है वह डामर भी खराब होता है, उसकी क्वालिटी पहले वाले डामर की क्वालिटी से पुअर है, तो मैं यह आपसे निवेदन करता हूं कि ट्रैफिक ग्रोथ जो 12 प्रतिशत हो गई है, जब साढ़े चार प्रतिशत के टाइम आपने 10 और 12 वर्ष किए थे तो इसमें आप इसके रिन्यूअल साइकल पर भी विशेष ध्यान दें ताकि सड़कों का वापस जीर्णोद्धार, मरम्मत टाइम-टू-टाइम जल्दी हो जाए, नहीं तो हमें बनाने के चार-पांच साल बाद, आपकी डी एल पी के बाद पांच साल और इंतजार करना पड़ता है। इसलिए आप इसके रिन्यूअल साइकल को एक कमेटी तय करके करें और उसकी अवधि कम कराएं।

(श्री अर्जुन लाल)

इसके अलावा, मैं मेरे क्षेत्र की माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि राज्य में जितने भी डाक बंगले हैं, गेस्ट हाउस हैं, रेस्ट हाउस, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हम कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं, हमारे खादी मंत्रीजी के दूदू में देखा है, हकीकत में वहां पर इतने जाले हैं और कमरे खराब पड़े हैं कि कोई आदमी वहां पर ठहर नहीं सकता है। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास झाड़ू के पैसे नहीं हैं। यह स्थिति है! उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी राज्य के रेस्ट हाउसेज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, डाक बंगले हैं, उनकी स्थिति सुधारी जाए। आपने जो यह लोक निर्माण की मांग रखी है, तो उसमें और राशि बढ़ाकर भी जितने भी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस और डाक बंगले हैं, इनका कम से कम सुधार करवाएं। उनमें चद्दरें फटी पड़ी हैं, उनके टायलेट के अन्दर बिप-काक भी लगी हुई नहीं है, पानी टपक रहा है, जगह-जगह से छत टूटी हुई है। इसलिए सबसे पहले आप डाक बंगलों का सुधार करवाएं ताकि जो भी वी आई पीज हैं या आप जैसे भी कभी पधारते हैं तो 5-10 मिनट उनका वहां रुकने का मन करे।

दूसरा, बरसात में जितनी भी सड़कें टूटी थीं, मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई थी और मैं मेरे क्षेत्र की बता रहा हूं जिसमें गांव आपके रिकार्ड में तो कनेक्ट बोल रहा है लेकिन बाढ़ के कारण उसमें आधा किलोमीटर रोड टूट गई और वह आज भी टूटी हुई है, जबकि आपके रिकार्ड में तो वह कनेक्ट बोल रही है। इसलिए उसको अनकनेक्ट की गिनती में लेकर किसी भी योजना में वापस उस गांव को कनेक्ट करवाएं। आज 10-10 साल से वे गांव अन्कनेक्टेड पड़े हैं। जब भी पी डब्ल्यू डी के अधिकारियों से बात करते हैं तो वे यही बात बताते हैं कि यह हमारे रिकार्ड में जुडी हुई है, हम इस योजना में सम्मिलित नहीं कर सकते। दूसरी योजनाएं आपके पास एस आर, ए आर हैं, जो आपने सारी बंद कर दीं। इसके अलावा डब्ल्यू.बी.एम...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें। अर्जुन जी, संक्षिप्त करें। आपको बहुत टाइम हो गया, पर पहले वक्ता हो इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा था।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): संक्षिप्त ही कर रहा हूं।

इसके अलावा डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें जो भी हैं, आपके प्रगति प्रतिवेदन में दे रखा है, स्टेट हाइवे पर और एम डी आर जैसी मुख्य सड़कें हैं, उनके ऊपर

(श्री अर्जुन लाल)

भी डब्ल्यू.बी.एम. और ग्रेवल सड़कें अधूरी पड़ी हैं, बीच में मिसिंग पड़ी हैं। 20 किलोमीटर डामर दोनों साइड में है और बीच में 5 किलोमीटर स्टेट हाइवे में कच्चा ट्रेक पड़ा है। आपने उसको स्टेट हाइवे घोषित कर दिया, तो कम से कम सबसे पहले आप, चाहे उस सड़क को चौड़ा करें या नहीं करें, जो सड़क आपने स्टेट हाइवे घोषित की है या एमडीआर घोषित की है, उसके बीच का जो मिसिंग पोर्शन है जो फेयर वेदर ट्रैक है, कार ट्रैक है या ग्रेवल रोड है उसमें आप सबसे पहले डामरीकरण कराएं।

1,271 किलोमीटर आपकी डब्ल्यू बी एम पड़ी हैं, जबकि एक बार योजना बनी थी कि जितनी भी डब्ल्यू बी एम सड़कें होंगी उनका डामरीकरण कर दिया जाएगा। उसमें ये कैसे रह गईं? मेरे क्षेत्र में 5-10 सड़कें हैं जैसे हीरावास से गणमगरा, होलपुरा कलां से हुणगांव, मुरतासनी से पटेल नगर, बोरूंदा पटेल नगर जो सीधी जाती है, वह और पीपाड़ शहर से जवासिया, ये सारी डब्ल्यू बी एम सड़कें हैं, इनका अस्तित्व खतम हो गया है। यहां रास्ता ही नहीं रहा है, साइड में अलग से कोई रास्ता निकालकर गाड़ियां या पैदल आदमी जा रहा है। उनके ऊपर आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है। तो कृपया इनको भी अब की बार आप प्राथमिकता दें।

इसके अलावा, टी एफ सी आर के अन्दर जो भी सड़कें टूट चुकी हैं, जो साइकल के अन्दर आ गई हैं, उस फाइल को आप इधर-उधर घुमा रहे हैं। उसमें पहले हमारी मुख्य मंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने 60 किलोमीटर प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में रिन्यूअल के लिए अनुशंसा मांगी थी। तो कम से कम हम अनुशंसा भेजें, माननीय विधायक आपके पास अनुशंसा भेजें, उनको आप पुनः पंचायत समिति के मार्फत् भिजवा रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें अर्जुन जी। समाप्त करें, प्लीज।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): एक मिनट, सर। माननीय विधायक अनुशंसा कर रहे हैं उनको आप पंचायत समिति में भेज रहे हैं और उसमें डिले हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष: कितना टाइम हो गया। कितने बजे स्टार्ट हुए थे? (व्यवधान) इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई नियम है क्या, ओपनर हैं तो? यह पता करो पहले। आप समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय विधायक की अनुशंसा पर आप कम से कम 60 किलोमीटर करें। रिन्यूअल,

(श्री अर्जुन लाल)

मिसिंग लिंक आपने दी ही नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की ही नहीं; कुछ मिसिंग लिंक और रह गई हैं, उनको करें। पहले आपने 16 किलोमीटर दी हैं तो 16 किलोमीटर में क्या होता है? 200-400 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसमें भी रह जाती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मिसिंग लिंक, धार्मिक स्थलों को जोड़ने की सड़कें और यह रिन्यूअल, जो 60 किलोमीटर पूर्ववर्ती सरकारों ने दी हैं, अशोक जी ने खुद ने अपनी सरकार में 60 किलोमीटर प्रति विधायक के क्षेत्र में दी हैं, तो उसमें भी आप घोषणा करेंगे।

इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री टीकाराम जी जूली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपकी अनुमति से मांग संख्या 19 व 21 पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ी डिमांड जो विधायकों की थी और क्षेत्र की भी डिमांड थी, मिसिंग लिंक और धार्मिक स्थलों को जोड़ने की जो सड़कें दीं, जिससे कि गांवों की आपस में जो दूरियां थीं वे नजदीकियों में बदली हैं, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट में आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जो कि ढाणियों में रहते हैं, सड़कों के दूर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि 250 से 500 की आबादी के गांव आपने इस बजट में जोड़ने के लिए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में, 2,900 गांव-ढाणियों को आप इसमें जोड़ेंगे, वह एक बहुत बड़ा डिसिजन है। क्योंकि अब तक तो ऐसा हुआ है कि कोई थोड़ी बहुत सड़कें जुड़ी हैं, इतना बड़ा डिसीजन कभी नहीं हुआ।

स्टेट हाइवेज के लिए आपने 750 करोड़ रुपये आने वाले दो वर्षों के लिए रखे हैं, जिसमें 3,000 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले बजट में भी हमें 40 करोड़ रुपये अलवर के लिए मिले जिससे कि काफी सड़कों की हालत ठीक

(श्री टीकाराम जूली)

हो पाई है। 16 मेगा हाइवे जो कि 2630 किलोमीटर लम्बाई के बनेंगे और 3,590 करोड़ रुपये का अनुमानित उसमें खर्चा है, जिसमें एक मेगा हाइवे हमारे अलवर जिले को भी मिला है, उस सड़क की हालत शायद किसी से छिपी हुई नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर छोटी-मोटी बातों की तरफ अपन ध्यान रखें तो अपन काफी अच्छा काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिसिजन जो पारदर्शिता का है, जो राजस्थान सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी बात कहते हैं कि एक पारदर्शी और संवेदनशील सरकार आम जन के लिए हम दे रहे हैं, उसकी शुरुआत आदरणीय भरतसिंह जी ने की है। आपने मंत्री बनने के बाद में, विभाग जब से आपके पास आया है और लगातार कहां-कहां इसमें कमियां हैं, कहां-कहां इसमें कैसे सुधार की आवश्यकता है, उसके प्रति आपने जोर दिया। हमने अखबारों में पढ़ा, टीवी पर भी देखा, सामने भी देखा कि किस प्रकार से सड़कों की क्वालिटी को सुधारना और उनको मेन्टेन करने के लिए आपने कदम उठाये हैं। इसी कड़ी में आज हर सड़क के ऊपर नागरिक सूचना पट्ट आपने लगवा दिये कि यह सड़क किसके द्वारा बनाई गई, कब बनाई गई, क्या जिम्मेदारी है, कितना इसमें मैटेरियल कम्पोनेंट है। पूरा, एक आम आदमी भी पढ़कर उसको देख सकता है कि मेरे यह सड़क बनी है, इसमें कितनी लागत लगनी थी और कितना काम हुआ है। आपने पारदर्शिता की तरफ एक कदम बढ़ाया है।

मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज सड़कों के ऊपर सबसे ज्यादा अतिक्रमण हो रहे हैं। आज हम बाइपास निकालते हैं, उन बाइपासों की स्थिति आज यह हो गई कि लोगों को बाइपास पुरानी रोड्स से ज्यादा पसंद आता है। बाइपास का सर्वे ही यदि हो जाये, उसके आसपास लोग जमीन खरीदना शुरू कर देते हैं। बाइपास का मकसद जो हमने रखा, वह यह रखा कि ट्रैफिक तेजी से वहां चले और ट्रैफिक से लोगों को परेशानी न हो, तो उसमें आज सबसे पहले वहां दुकानें बन जाती हैं और अतिक्रमण इतना भारी हो जाता है कि वे बाइपास बहुत कंजेस्टेड हो गये हैं। इसमें जो आपकी पालिसी है, पहले तो पालिसी यह थी कि 91 के अधिकार थे, वे आपके ए.ईएन. के पास रहते थे और वह नोटिस थमाकर अतिक्रमण हटवा सकता था, परन्तु आज स्थिति यह है कि वे सारे अधिकार तहसीलदार के पास हैं और उसमें ए.ईएन. को उनके पास में एप्लिकेशन लगानी पड़ती है, थाने में जाना पड़ता है

(श्री टीकाराम जूली)

और उसके बाद वह रेस्पांस दें या नहीं दें। एक जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की तय होनी चाहिए थी। उसमें भी एक रास्ता मिल गया कि हम क्या करें, तहसीलदार अतिक्रमण हटाने नहीं आता है या पुलिस वाले अतिक्रमण हटाने नहीं आते हैं। आज हमें यह देखना है कि हमारी जो सड़कें हैं, उनको जब हम बना रहे हैं, उस समय कहां ब्रेकर होना चाहिए, कहां उसके पास नाला होना चाहिए, ये सारी चीजें देखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी, कुछ समय बाद ही हमारे सामने समस्या यह आ जाती है कि वे चीजें जब हमने एस्टिमेट में ली थीं, वे सारी कम पड़ जाती हैं।

हमारी सड़कों पर सबसे बड़ा अतिक्रमण जो कर रहा है, वह हमारा ही डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट बिजली विभाग है। बिजली विभाग के खम्भे कहीं तो दो फीट की दूरी पर लगे मिलेंगे, कहीं पांच फीट की दूरी पर लगे मिलेंगे, कहीं सात फीट की दूरी पर लगे मिलेंगे। बिजली विभाग को हम निर्देशित करें, अपनी तरफ से हम भेजें कि हमारी जहां पर बाउंडरी है, जितनी सड़क की सीमा आती है, उस सीमा के ऊपर वह खम्भा लगे। अब कल को सड़क का सुदृढ़ीकरण करते हैं या सड़क चौड़ी होती है तो वे खम्भे उनको फिर हटाने पड़ेंगे। स्थिति यह है कि कई जगह मैंने खुद देखा है कि उनसे एक तो एक्सीडेंट होते हैं, दूसरा दुनिया भर का पैसा बाद में बिजली विभाग को जमा करके उनको शिफ्टिंग का काम कराना पड़ता है। तो यह चीजें हमको देखनी होंगी।

खास तौर से एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, सुबह क्वेश्चन आवर में भी यह बात आई थी कि वन विभाग का हर जगह दखल है। वन विभाग की वजह से कहीं दो किलोमीटर का टुकड़ा है, कहीं तीन किलोमीटर का टुकड़ा है, कहीं पांच किलोमीटर का टुकड़ा है, उस टुकड़े के चक्कर में कहीं 50 किलोमीटर का फेर, कहीं 100 किलोमीटर का फेर हम लोगों का लग रहा है। उसमें कोई कमेटी उच्चस्तरीय बने, दोनों तरफ के विभाग के अधिकारी भी बैठें और उसमें हम कोई डिसिजन कर सकते हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं, वह रास्ता निकालें। सड़कें तो चालू हैं, वाहन भी जा रहे हैं, आवागमन भी बाधित नहीं है, बस यह है कि वह जो टुकड़ा है, वह पक्का नहीं होगा; वह कच्चा ही चलता रहता है। यदि उस पर आवागमन हो रहा है तो हमें उसको कच्चे की जगह पक्का करने में कहां दिक्कत है? इस बारे में हमें चर्चा करने की जरूरत है।

(श्री टीकाराम जूली)

एक खास तौर से सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, वह यह आ रही है कि हम जो सड़कें पेवर की हमारी मंजूर कर रहे हैं पी एम सी की, तो उसमें पूरे राजस्थान में हमने एक तखमीना अपना रखा है कि एक किलोमीटर के 10 लाख रुपये। पहले वह सड़क कहां बननी है? अगर आप जिले की फीजिबिलिटी देखेंगे तो हमारे अलवर जिले में तो एन सी आर की वजह से इतना भारी लोड है, इतना हैवी ट्रैफिक चलता है, हरियाणा में खनन बंद हो गया तो वह ओवरलोड के डम्पर भी वहां से निकलते हैं। जैसलमेर का ट्रैफिक, बीकानेर का ट्रैफिक, सीकर का ट्रैफिक और अलवर का ट्रैफिक, कोटा का ट्रैफिक, हम सारे ट्रैफिक को एक कैसे मान सकते हैं? उसके बावजूद भी अगर हम अलवर की बात करते हैं तो अलवर में ही कोई रास्ता तो ऐसा है जिसमें ट्रैफिक ज्यादा निकलता है और कोई रास्ता ऐसा है जिसके बीच में गांव ज्यादा पड़ रहे हैं, कोई रास्ता ऐसा है, एकदम सपाट एरिया है और कोई रास्ता ऐसा है जिसकी सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। अपन यह लेते हैं कि जहां गांव के अन्दर है, हम उसमें सीसी रोड लेंगे, हम उसके दोनों तरफ नाले भी लेंगे; हम उस 10 लाख रुपये में कैसे काम पूरा करेंगे? और फिर वह ठेकेदार रोता है कि साहब, मेरे इसमें तो वारा ही नहीं खा रहा, मैंने तो टेण्डर कम डाला है, मेरी तो पूर्ति नहीं हो पा रही। तो ये चीजें जहां से आती हैं, पहले उसका एस्टिमेट मंगवाया जाये और उसके आधार पर उन सड़कों की सैंक्शन निकले।

एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा। रिन्यूअल के समय में हम देखते हैं, सड़कों का रिन्यूअल करना है तो वही हमने कर दिया, कि 20 एम एम की पेवर सड़क डालते हैं। 20 एम एम की जहां तक बात है, मैं कहना चाहूंगा कि वह समय गया; पता नहीं, 20 एम एम का कब से एस्टिमेट में यह चलता हुआ आ रहा है; आज स्थिति पहले के मुकाबले काफी चेंज हुई है, आज जरूरत है कि इसको 20 एम एम से 30 एम एम करें, उसकी मोटाई 20 एम एम से 30 एम एम हो। सब जगह यह शिकायत आती है। क्योंकि 10 साल बाद तो सड़क रिन्यूअल हो रही है और 10 साल में तो सड़क की हालत यह है कि उसमें दो-दो फीट के, डेढ़-डेढ़ फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। तो उसमें जब वह रिन्यूअल करने ठेकेदार जाता है तो कहीं उसकी मशीन टिक रही है, कहीं मशीन नहीं टिकती है। गांव वाले काम को रोक देते हैं, वे शिकायत करते हैं कि हमारे तो काम ही नहीं हो रहा है, यह तो सारी लीपापोती हो रही है, ठेकेदार थोड़ा-थोड़ा डालकर जा रहा है। तो इसमें हम पेवरीकरण करने से पहले,

(श्री टीकाराम जूली)

उन खड्डों को भरने का एक अलग एस्टिमेट बनायें, जिससे कि वे खड्डे लेवल हों और उसके बाद 20 एम एम से हम 30 एम एम का पेवरीकरण करें जिससे कि सड़कों की मजबूती बने।

मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आज हम कोशिश यह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनें। हम 100 किलोमीटर सड़क बनाना चाहते हैं पर 100 किलोमीटर सड़क हम ऐसी बना दें हल्के एस्टिमेट की कि वह दो साल भी नहीं चले। हम ठेकेदार को देते हैं कि पांच साल की इसकी गारंटी है, डेढ़ साल बाद वह ठेकेदार ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। हमारे नियम और कानून इतने सख्त नहीं हैं कि हम उसको इस बात के लिए बाध्य कर सकें। कम ही सड़कें ऐसी हैं। अलवर जिले का मैं बता सकता हूं कि जो ठेकेदार है, वह उसकी मरम्मत नहीं करता है, छोड़कर चला गया; उसको यह महसूस होता है कि मैं यह जो मरम्मत करूंगा ना, इससे अच्छा तो यह है कि जो मेरा पैसा जमा है, वही जब्त हो जाये। उसमें हम यह चीज देखें कि अच्छी क्वालिटी की सड़कें जो हमारी बन रही हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय भरतसिंह जी को कि इन्होंने जब से डिपार्टमेंट को सम्भाला है, सड़कों की क्वालिटी में सुधार आया है। जहां भी जाते हैं, पेच लगे हैं; जहां पेच नहीं लगते थे, उन सभी जगहों पर पेच लगें और एक-एक सड़क की जांच हुई है। पहले तो यह होता था कि जहां ज्यादा दिक्कत रहती थी, वहां पेच लग जाते थे, बाकी सब रह जाते थे। अब एक सिरे से सब जगह का सर्वे करवाकर, सब जगहों पर सड़कों के पेच लगाये गये हैं। तो इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

एक चीज और कहना चाहूंगा। मैं कह तो मेरे अलवर के लिए रहा हूं पर आपको यदि अच्छी लगे तो इसे दूसरे शहरों पर भी आप लागू कर सकते हैं। आज किसी भी सिटी के लिए ट्रैफिक का जो भारी दबाव है, उसको कम करने के लिए अपन बाइपास रोड निकालते हैं। अलवर में भी बाइपास निकला है पर वह निकाला कितना, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर दूर। उस बाईपास का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम किसी शहर को बाइपास देना चाहते हैं और खास तौर से हमारे अलवर में तो बहुत भारी डिमांड है, अलवर का ट्रैफिक चारों तरफ से आता है, अलवर शहर से 10-15 किलोमीटर पहले ही हम क्यों नहीं बाइपास बनायें? हमारी सड़कें बनी हुई हैं। मैं कहना चाहूंगा कि एक सड़क है जो सावड़ी से महुआ होती हुई सालपुर और सालपुर से एम आई ए और वहां

(श्री टीकाराम जूली)

से छीकाणी जाती है, अगर वह बन जाये तो बाइपास का बाइपास बन जायेगा, शहर का ट्रैफिक कम हो जायेगा और लोगों को पहुंचने में आसानी होगी, ट्रकों का डीजल बचेगा, पैट्रोल बचेगा।

यह और एक खास चीज है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एक बहुत बड़ा जो इश्यू है, वह सरिस्का की सड़क के निर्माण का है। वह सड़क, वन विभाग यह कहता है कि फोरेस्ट में है, हम नहीं बनाने देंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जब तक डायवर्जन नहीं होगा, तब तक यह सड़क नहीं बनाई जायेगी। उस आदेश में कहीं भी ऐसा नहीं है, आदेश तो यह है कि इनके मूल अधिकार नहीं छीने जायें, यहां अपन इनको पूरी व्यवस्था कर दें उसके बाद हम अपना डायवर्जन बना लें। तो वह सड़क भी आपका पी डब्ल्यू डी और वन विभाग का आपस का मैटर है, उसमें आप बात करके, उस सड़क की पेवरीकरण हो, उस सड़क में दो-दो, तीन-तीन फीट के गड्ढे वहां पर पड़े हुए हैं। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि हम सरिस्का में जो नेशनल सैंक्चुअरी है, वहां पर बाघ लाकर बसा रहे हैं और एक तरफ उसके जाने का रास्ता ऐसा है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जो गाड़ी जाती है, शुक्र मनाओ कि सही-सलामत वहां पहुंच जायें। कोई ही ऐसी गाड़ी होगी वहां जो सही-सलामत पहुंचती होगी; नहीं, कुछ न कुछ उसमें जरूर टूटता है।

मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, पीछे एक डिसिजन आया कि सारे जे ईएन थे, उन सबका प्रमोशन करके ए ईएन बना दिये, आज स्थिति यह है कि जहां तीन-तीन जे ईएन होने चाहिए वहां जे ईएन तो है नहीं, वह सारा काम एक ए ईएन के ऊपर है। अब वह एक ए ईएन क्या-क्या काम करे? वह सूचनाएं भेजे, वह एस्टिमेट बनाये, वह जांच करे; क्या करे वह? तो इसलिए एक ए ईएन के नीचे दो या तीन जे ईएन भी होने चाहिए जो कि उसकी हेल्प करें और जो भी पी डब्ल्यू डी के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसमें वह ध्यान रख सके।

एक खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अलवर जिले में जो तिजारा फाटक पर एक फ्लाई ओवर बन रहा है, वह पिछले तीन-चार वर्षों से मंजूर है और उसकी गति तो ऐसी है कि कछुआ चाल जो है न, उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया है। तो उसके ऊपर भी आप, माननीय मंत्रीजी, उस पर ध्यान दें।

एक मैं कहना चाहूंगा कि आपके...

श्री उपाध्यक्ष: आपको काफी टाइम हो गया, जूली साहब, थोड़ा सा शार्ट करें, बिलकुल। समाप्त करें।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): जी, उपाध्यक्ष जी।

एक एक्सीडेंट्स के बारे में हमें सोचना होगा। आज एक्सीडेंट्स का जो मुख्य कारण है, वह है कि हम जब तक इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा एक्सीडेंट पाइंट है और कहां एक्सीडेंट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, आप गौर करेंगे, अगर सड़कों का, अगर एक्सीडेंट का अपन पूरा रिव्यू करते हैं तो कई पाइंट ऐसे मिलेंगे कि आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर एरिया ऐसा होता है जो एक्सीडेंट जोन बन जाता है और उसमें....

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्षजी, थोड़ा सा, यह लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है।

इसमें अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो, छोटी-छोटी चीजों का जब हम एस्टिमेट बनाते हैं, ऐसी टेक्निकल प्रोब्लम, हमारे जो मेगा हाइवे बना है, सोनपुर पुलिया, उसमें पता नहीं, कोई टेक्निकल प्रोब्लम की वजह से वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा; सामने से गाड़ी आती है, दिखाई नहीं देती और एक्सीडेंट होते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी एक्सीडेंट जोन हैं उसका सर्वे हो और उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम गतिरोधक लगायें, हम वहां साइन बोर्ड लगायें या वहां सड़क में कोई कमी है उसको पूरा करायें, इस चीज पर हम वहां पर ध्यान दें।

एक मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष, डेढ़ वर्ष पूर्व हमने हैबिटेशन में कुछ सड़कों को भेजा था, वह पी एम जी एस वाई योजना के अन्दर हमने उन सड़कों को भेजा था और काफी सड़कें, 48 सड़कों के आसपास अलवर की सड़कें उसमें गई हुई हैं, अभी तक उनकी सैंक्शन, सैंक्शन तो आ गई लेकिन बजट नहीं आया है। वह थोड़ा आप उसमें जल्दी भिजवायें।

एक और कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारा-बड़कोल से मालाखेड़ा की एक सड़क 2009 में स्वीकृत हुई थी और 2009 में काम शुरू हुआ था, 2010 तक काम पूरा होना था, वह काम आज तक भी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा है। कृपया उसको जल्दी करायें।

आपने बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। सम्माननीय श्री बाबूलालजी बैरवा।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गये वर्ष

(श्री बाबूलाल बैरवा)

बजट पर भी मैंने बात रखी थी और आज भी मैं पी डब्ल्यू डी की डिमांड पर निवेदन कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर का नगरपालिका क्षेत्र खेड़ली एक तीस हजार की आबादी का कस्बा है, बहुत बड़ी कृषि उपज मण्डी है, अलवर जिले की बहुत बड़ी मण्डियां हैं खैरथल और खेड़ली, खेड़ली मण्डी में रोजाना तीस हजार बोरी सरसों की आती हैं और बयालीस मालगाड़ी और सवारी गाड़ियां गुजरती हैं। सीजन में सावन और भादों के महीनों में वहां गोरधनजी की परिक्रमा के लिए करीब पांच लाख, छह लाख, सात लाख आदमी वहां से गुजरते हैं। आगरा इधर से, जयपुर को जोड़ने के लिए गोरधनजी, डीग, कामां, मथुरा, अलवर, दिल्ली, बालाजी, यहां तक बसें चलती हैं, कहने का मतलब है कि डेली के हजारों वहां से वाहन गुजरते हैं लेकिन वहां आर ओ बी के लिए मैंने गये साल भी निवेदन किया और अब मैं माननीय पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपने गये साल भी कई खोल दिये और इस साल भी कई खोल रहे हो आप, एक खेड़ली में आर ओ बी का होना बहुत जरूरी है।

करीब सैकड़ों बसें जो आपके रोडवेज की भी हैं, प्राइवेट भी हैं, प्राइवेट साधन भी चलते हैं, वह पहले तो खेड़ली मण्डी के नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर गुजरता था, अब वहां से लोहे के एंगल लगने के बाद में वह मार्ग बंद कर दिया है और सड़कों की जो हालत थी, आप अभी पन्द्रह-बीस दिन पहले खुद ही कठूमर जाकर आये हो, खेड़ली जाकर आये हो, आप हालत वहां की देखकर आये हो, पब्लिक से भी मिले हो, वहां के जन-प्रतिनिधियों से भी मिले हो, वहां एंगल लगाने के बाद में खेड़ली मंडी के अन्दर मार्ग से जो बसों का जो साधन गुजरता था वह बंद हो गया, अब वह बाइपास रोड से अग्रसेन सर्कल होते हुए बाइपास से गुजरता है और उसकी हालत आपने खुद ने देखी, बहुत जर्जर हो गई, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस पर तीस फीट चौड़ा, वह साठ फीट चौड़ा रोड तो स्वीकृत है, लेकिन उस पर लोगों ने नाजायज आसपास कब्जे कर रखे हैं, कोशिश डिपार्टमेंट करेगा तो तीस फीट चौड़ी सड़क उस मार्ग से आसानी से बन सकेगी।

दूसरा, आपने 2009 में नरेगा में दो सड़कें सैंक्शन की थीं, एक कठूमर से लक्ष्मणगढ़ और दूसरी कठूमर से घाटी गजसिंह; कठूमर से लक्ष्मणगढ़, तीन साल पूरे हो गये लेकिन उसका बीस परसेंट भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहां कई जवान-जवान मौतें हो गई हैं क्योंकि डेली लैबर लगी रहती है, पत्थर पड़े रहते हैं और बहाना आपका विभाग यह भरता है कि साहब, नरेगा

(श्री बाबूलाल बैरवा)

में लैबर का इंतजाम होता नहीं है। मतलब, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन है कि उस काम को नरेगा में जो आपने दे रखा है, उस नरेगा से होगा नहीं, आप तो डिपार्टमेंट को, पी डब्ल्यू डी को काम सौंप दें तो वह काम बन सकता है।

महोदय, आपने पहले भी गये बजट में घोषणा की थी, इस बजट में आपने घोषणा की है कि पांच सौ की आबादी के गांवों को हम सड़कों से जोड़ेंगे। दिक्कत क्या है कि मेरे क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी आज पन्द्रह सौ-पन्द्रह सौ तक है, पन्द्रह सौ-सोलह सौ तक आबादी है। एक-दो गांव ऐसे हैं, मसारी का नगला, जाटव कालोनी और एक नगला धनसिंह, ये मेव बाहुल्य क्षेत्र हैं; एक में जाटव एस सी हैं, एक में मेव हैं। अब मेव का तो आप जानते हो कि प्रपोर्शनल रेट क्या बढ़ती है उनकी, 2001 में बताई थी उनकी आबादी चार सौ, अब दो हजार की आबादी है। एक के दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह बच्चे हैं। (व्यवधान) रियली, साहब, मेवात की यही स्थिति है; दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह बच्चे, प्रत्येक गांव में। (व्यवधान) कास्ट के प्रपोर्शनल रेट इनकी बढ़ती है। मैं अभी मसारी एक गांव में गया था, उस गांव में करीब चार सौ तो वोट हैं; अपन तो जानते हैं, चार सौ जहां वोट हैं, आठ सौ की तो आबादी आराम से हो गयी। मैंने एक्स ईएन को टेलीफोन से पूछा कि साहब, मसारी का जो नगला है उसमें करीब जो है, हजार की आबादी है; तो उसने यों बताया साहब कि पहले तो ये रेवेन्यू गांव नहीं थे, रेवेन्यू गांव तो तब हों जब बहुत बड़ा कस्बा हों, वह तो एक एस सी की कालोनी है; दूसरे फिर वे राजस्व गांव नहीं है। अब यह राजस्व गांव, 2001 में इनकी जनगणना हुई थी और 2001 के बाद अब 2011 में हुई है, लेकिन 2006 में भी कुछ रेवेन्यू गांव घोषित किये हैं। अब आप दोबारा उनका एक तत्कालन सर्वे करके आपके ए ईएन, एक्स ईएन को बता दें कि जिन गांवों की आबादी एक हजार, पांच सौ नहीं, आपने तो बजट में ढाई सौ-पांच सौ की बात कही है, मैं एक हजार की बात कर रहा हूं, अब भी करीब पच्चीस गांव ऐसे हैं कठूमर विधान सभा क्षेत्र में जिनकी आबादी एक हजार से ऊपर है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लाबी में चले जाइये, इस तरह से बात करें तो। आप यहां नहीं। आपकी बात से डिस्टर्ब हो रहे हैं माननीय सदस्य। आप वार्ता नहीं करें, हंसी-मजाक नहीं करें।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): मैं उदाहरण बताऊं, नगला धनसिंह, चैनपुरा, धनोकड़ा, सहजपुरा, खदानिया, खातीपुरा, मोहनबास और रण्ढा, ये ऐसे

(श्री बाबूलाल बैरवा)

गांव हैं जिनकी आबादी डेढ़ हजार से दो हजार के बीच में है। पहले 2001 में रेवेन्यू रिकार्ड में इनका नाम राजस्व ग्राम नहीं था, अब यह 2006 में राजस्व ग्राम में आ गये और इनकी घोषणाएं भी हो चुकी हैं। दूसरे में चार बड़े कस्बे कठूमर क्षेत्र के ऐसे हैं जैसे मोलिया, इटड़ा, बड़ोदाकान और खेड़ामेदा, इन गांवों की आबादी चार-चार हजार, साढ़े चार हजार की है। इन गांवों के बीच में होकर के दूसरे गांव को निकलने को जो रास्ता जाता है, ऐसे कोई पन्द्रह-पन्द्रह, बीस गांवों को जोड़ता है, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन ऐसा है कि उस पूरे गांव में पहले कभी 15-20 साल पहले कोई कच्चा काम हुआ था, अब आप सभी गांवों को सीसी से जोड़ रहे हो तो ये चार गांव मैं आपको बता रहा हूं- मोलिया, इटड़ा, खेड़ामेदा और बड़ोदाकान, इनमें जो बाहरी इलाका है वह रास्ता जाता है, उनमें करीब एक-एक किलोमीटर, आधा-आधा किलोमीटर, सवा-सवा किलोमीटर आप सीसी रोड की व्यवस्था कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

दूसरी बात यह है कि पहले कई बड़े-बड़े आबादी कस्बे हैं, लिंक रोड्स भी हैं, आपने गत साल एक-एक विधायक को 16-16 किलोमीटर लिंक रोड्स दी थीं, 8-8 किलोमीटर में काम भी चल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 8-8 किलोमीटर से काम चलने वाला नहीं है। आबादी बढ़ रही है, गांव डवलप हो रहे हैं, विकास की सबको जरूरत है। भारत को आजाद हुए 63 साल हो गए लेकिन अभी भी वही कच्चे में चलना, वही कीचड़ में चलना, हमारी पुरानी आदत सी बन गई है। मेरे कठूमर क्षेत्र के कुछ गांव हैं जिनमें ग्रेवल का काम तो उनमें हो चुका है, अगर आप उनका डामरीकरण करवा दें, ये रोड हैं-खेडामेदा से लागती, नूरपुर से गंजपुरा, इसरोता से भोजपुरा, कालवाडी से धनोकरा वाया डोटाणा, तस्सी से नगला धनसिंह, शौकरी से मक्खनपुरा, भरीतलसी से बरोली छाड, मोरलिया से खदानियां, खेडली बाईपास रोड से सहजपुरा, धापिया से चैनपुरा, बांधका से सेमली, कोकर से गढ़हिम्मतसिंह, नगला केसरिया से नगला सीताराम, हनुमानबास से नांगल वाया खाटोडी, झारला से बेतुकला, दूदेरी से सूरवीकनवला, सोप से नगला फरासिया, खोखर से खोखर रोड से मंगरक्या, ये गांव हैं जिनमें ग्रेवल कार्य हो चुका है और इन गांवों को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। आपने बजट में लिखा है कि हम एस सी की कालोनियों को जोड़ेंगे जो 250 की आबादी की हैं, लेकिन ये एस सी की कालोनियां हैं जिनमें एक हजार तक की

(श्री बाबूलाल बैरवा)

आबादी है। जैसे मैंने आपको बताया था, मसारी में जाटव कालोनी, सोप में जाटव कालोनी, मसारी से नगला भंवुरी, पी डब्ल्यू डी रोड से सांवतकाबास और कठूमर मसारी रोड से सूरवीनगला, हाजीपुर से डाक्टर लालाराम जाटव की कालोनी, इनकी आबादी भी 500 से ऊपर है, इनको सड़कों से जोड़ने की जरूर कृपा करें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कठूमर क्षेत्र में पहले नगरपालिका रेस्ट हाउस हुआ करता था, खेड़ली में, उसको टूटे हुए 14-15 साल हो गये। खेड़ली, कठूमर, पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी पी डब्ल्यू डी का रेस्ट हाउस नहीं है। आप एक पी डब्ल्यू डी का रेस्ट हाउस चाहे कठूमर मुख्यालय पर खोल दो, चाहे खेडली नगरपालिका क्षेत्र में खोल दो, इसकी बहुत ही आवश्यकता है।

अलवर हमारे कठूमर से करीब 100 किलोमीटर पड़ता है, डेली स्टाफ को जाने में बहुत परेशानी होती है। एक्स ईएन बैठता है हमारे यहां का राजगढ़ तो अगर आप एक्स ईएन कठूमर में बैठा दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। सम्माननीय श्री कर्नल सोनाराम चौधरी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी मांगों की बहस रखी और मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको।

मैं मेरी बात सड़कों के बाबत ही सीमित रखूंगा, हालांकि पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। सबसे पहले मैं बजट में जो पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट के, खासकर के जो सड़कों के प्रावधान रखे हैं मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

किसी भी देश के अन्दर, किसी भी राज्य के अन्दर सड़कें बहुत मायने रखती हैं। यदि आपको याद हो तो अरली-सिक्टीज में अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जान एफ. कैनेडी से किसी ने पूछा था, किसी ने कहा कि ''President, your country is very rich and that's why you have got very good network of roads in your USA.'' You know, what the reply was? John F. Kennedy said, ''well, gentleman, I don't agree with your assessment and said we are rich and prosperous because we have good network of roads in our country.'' यानी कोई भी देश, अगर जब तक अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो आगे नहीं बढ़ सकता है। यह

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मायना रखता है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है हिन्दुस्तान में और इसमें बड़े दूर-दराज में रहते हैं, खासकर के पश्चिमी राजस्थान के अन्दर। यही सिलसिला रखते हुए 1997-98 में, उस वक्त प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय मैं भी वहां सांसद था, तब यह शुरुआत हुई थी। उसके बाद यूपीए-1 और यूपीए-2 जो अभी चल रही है, भारत सरकार की, वे भी उसी तरह से सड़कों का बहुत विस्तार कर रहे हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसकी वजह से सब जगह फायदा हुआ और बाड़मेर-जैसलमेर में बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि वहां पर जो हजार की आबादी, पांच सौ की आबादी के कई गांव वंचित थे। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि एक वक्त लगातार चार-पांच साल बाड़मेर-बाड़मेर जिले के अन्दर 130 करोड़ रुपए भारत से आबंटित हुए और वही चल रहा है।

मैं मंत्री महोदय को पी एम जी एस वाई सड़कों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि ये सड़कें जो बन रही हैं, इनमें से कुछ सड़कें तो बहुत ही अच्छी बन रही हैं, परन्तु कुछ सड़कें जो हैं, वे वारंटी पीरियड का जिसका बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन है परन्तु कुछ सड़कें जो खराब बनी हैं, वे वारंटी पीरियड में खराब हो गई हैं, उनका नोटिस भी दिया गया है उनको रिस्क एण्ड कास्ट पर कराने के लिए, परन्तु मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि उसका अभी पालन नहीं हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन सड़कें ऐसी हैं जहां पर कायदे से नोटिस दे दिए गए परन्तु अभी तक वे ठीक नहीं हो रही हैं। इसकी मैं अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा। तो मेरा यह कहना है कि जो इसकी सड़कें हैं इनकी मानिटरिंग होनी चाहिए और उसके साथ जो भी ठेकेदार दोषी हैं, उसमें जल्दी से जल्दी करके उसमें रिस्क एण्ड कास्ट पर काम होना चाहिए, नहीं तो कोई इसके मायने नहीं रखते।

दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पी एम जी एस वाई रोड के अन्दर बजट आ गया है और बजट आने के बाद में कुछ रोड्स पर, वहां कुछ झगड़ा-फसाद या कोर्ट केस हो जाता है या लैण्ड एक्वीजिशन हो जाता है तो उसकी वजह से वह काम नहीं चल रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू के अन्दर 15 सड़कें हैं, मैं आपको पढ़कर के सुनाता हूं- जिसमें बायतू-भीमडा सड़क से देलाड़ियों की ढाणी, मालपुरा-बरवाड़ा से शियापुर की ढाणी, चौखला से जसनाथजी की पुरी, भाट का कालोट-पाटोडी रोड, बालोतरा-बागूडी-चिडिया रोड, चवा-फिडसुल रोड, चवा-फिडसुल रोड से

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

केलरीपुरा, चिडिया से सांकरी, संपर्क सड़क जोगासर, करनौल सड़क, छिथरातु की ढाणी, चवा-फिडसुल से दायासर का कलां, बायतू मंगोड़ों की ढाणी, चित्तौडों की ढाणी, डाबलिया सरसो से दाहियों की ढाणी, आप मानेंगे नहीं, ये पन्द्रह हैं, इन पन्द्रह में से तीन में तो कोर्ट केसेज चल रहे हैं और बाकी बारह जो हैं, वहां

(14.38 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

जमीन एक्वीजिशन नहीं हुई है। मंत्री महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो लिटिगेशन है, जो मामले कोर्ट में हैं, तो आपको कोर्ट में जाकर के अच्छा प्रयत्न करना चाहिए, अच्छा एडवोकेट करना चाहिए। जहां तक एक्वीजिशन का केस है, तो एक्वीजिशन के अन्दर तो हमको खुद को सोचना चाहिए, जल्दी से जल्दी से आप करें क्योंकि सरकार है हमारी। इससे लोग वंचित हो रहे हैं और निराश हो रहे हैं कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। कुछ जगह तो इसके फण्ड्स भी मिले हैं और वे फण्ड्स भी लैप्स हो गए हैं। इसमें मेरा निवेदन है कि आप भारत सरकार से इस तरह का प्रयास करें कि जो सड़कें बनने में देर हो जाती हैं, तो बजट में वह आपका लैप्स नहीं होना चाहिए। और एक्वीजिशन आप जल्दी करायें।

दूसरा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन सड़कों के चरण को, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण को करीब दस साल हो गए हैं और इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके जो मापदण्ड हैं, उस मापदण्ड के तहत ही, जो मुझे मिले हैं, उसमें यह है कि जो पी एम जी एस वाई की सड़कें हैं, वे दस साल में होनी चाहिए; दूसरी कुछ सड़कें हैं स्टेट की, वे आठ से नौ साल में होनी चाहिए। तो यह जो पी एम जी एस वाई में जो पहले मेरी सड़कें हैं, वे जीर्ण हो गई हैं और बड़ा अफसोस है कि उन सड़कों का डामरीकरण हो नहीं रहा है। इससे क्या हो रहा है, नुकसान होता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तीन सड़कें हैं, सतरा से उतरनी 6 किलोमीटर है, कोकसर से कोकसरपूर्व 8 किलोमीटर है, गिरड़ा से मालपुरा 5.5 किलोमीटर है, तो ये जो ड्यू हैं, उसमें आपको कोशिश करके करना चाहिए। इसी तरह से फेज-3 में मेरी करीब पांच सड़कें हैं, वह मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, आपको दे दूंगा, वे भी इस साल ड्यू हैं। तो इसमें अगर इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं और रखरखाव स्टेट नहीं कर सकता है तो बड़े अफसोस की बात है।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

इतना ही नहीं, मैं आपसे दूसरी स्टेट रोड्स की, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड की बात करना चाहता हूं। इसमें मेरी करीब दस-बारह रोड्स ऐसी हैं जो मापदंड के हिसाब से अभी रि-सरफेसिंग के लिए ड्यू हैं और वे दो-दो साल से ड्यू हैं परन्तु रि-सरफेसिंग नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे कहना है कि आपने जरूर इसमें होमवर्क किया होगा, जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही इतनी हैं तो पूरे राजस्थान में कितनी होगी। अगर दो साल से ड्यू हैं और आठ साल के बाद में आप नहीं करते हो, तो सड़क में ऊपर से पहले डामर जाता है, डामर के बाद में डब्ल्यू बी एम जाता है, कहीं तो 3-4 फीट के गड्ढे पड़ गये। तो ऐसी स्थिति में आपको सोच करके उसके लिए अलग बजट का जो दिया है, उसमें सोच करके, उसमें प्रावधान करके उसमें देना चाहिए; नहीं तो, मैं मानता हूं कि आज हमारी सड़कों का मामला बहुत खराब है।

अभी 9 फरवरी को, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, भरतसिंह जी पधारे थे, आपको आपके अधिकारी लेकर गये थे। बड़ी खुशी हुई कि आप आये, आपने वहां इंस्पेक्शन किया परन्तु आपको जहां बड़ी अच्छी सड़कें थीं, वहां से लेकर गये; कुछ सड़कें बीच में खराब थीं, वहां आपको लेकर नहीं गये। मैं आपसे सही कह रहा हूं, मैं बताऊंगा, आपको कहां से लेकर गये थे, आपने मुझे टेलीफोन भी किया था। तो कहने का मतलब है कि वे आपसे घबराये होंगे या सोचा होगा कि खराब सड़क पर साहब को नहीं लेकर जाएं।

तो एक सड़क जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, पचपदरा-पाटौदी 20 किलोमीटर है, ये दो साल पहले ड्यू हुई है, यह 11 पंचायतों को जोड़ती है, पचपदरा-बालोतरा के बिलकुल पास में ही है और वह नहीं हुई है। आज ऐसी स्थिति है कि पोटहोल्स बन गये। कुछ पोटहोल्स रिपेयर किये हैं, वह दो महीने के अन्दर खराब हो गये। ठेकेदार को नोटिस दिया। पर नटशेल में, हो क्या रहा है, इससे लोगों को बहुत हताशा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है।

दूसरी आर्डिनरी रोड है, जैसे भाटका-कालोडपरेऊ, 108 किलोमीटर है, यह कई जगह टूटी हुई है। यह जाकर एन एच-15 जैसलमेर-बाड़मेर, वहां रोड को मिलाती है। वह रोड भी ड्यू हो रही है। इसी तरह से हमारी कुछ दूसरी रोड्स हैं, बाबूडी, रूपजी राजाबेरी, सागियाली, परेऊ, इस रोड में भी, यह 27 किलोमीटर है, इसमें कुछ पैच तो ठीक हो गये पर काफी खराब है। जब आर्मी

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

आयी थी तो आर्मी ने भी काफी नुकसान किया। उसके लिए आपको जरूर पैसे दिये होंगे, नहीं दिये होंगे, परन्तु रोड ऐसी स्थिति में है कि चलने लायक नहीं है।

तो फिर मैं दोहराऊंगा कि जो पी एम जी एस वाई के तहत और जो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, उनकी रि-सरफेसिंग, खास कर के मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेहरबानी करके इसके लिए आप बजट दें।

इसी तरह से स्टेट हाइवे है, चवा-बायतू-फलसूंड, जो कि जैसलमेर को जाकर मिलाती है, आप मेरे ख्याल से उसी रोड से आये थे, यह रोड भी काफी खराब है। इसी रोड से जब बाबा रामदेव जी के दर्शन करने आते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, पूरे देश से होते हुए पैदल आते हैं, 5-6 सौ किलोमीटर पैदल आते हैं। तो उस वक्त उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसको करें। अब रोड का जो रखरखाव है, इस रोड का, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सी आर एफ, जो सेन्ट्रल रोड्स फंड्स आते हैं, कुछ रोड्स जिसमें आप लेते हैं, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कि उससे उनको फायदा मिल जाएगा।

इसके साथ-साथ में कुछ मेरी प्रायोरिटी के रोड्स हैं जो अभी ड्यू हैं, ये करीब 12 सड़कें हैं- परयू से खोकसर (13 किलोमीटर), परयू से लापोदरा (18.5 किलोमीटर), गिरा से मालपुरा (5 किलोमीटर), संतरा से उतरली (6 किलोमीटर), सिलानाडी से नमक (5 किलोमीटर), मालपुरा से पतासर (6.7), चुरसिया से बागावास (10 किलोमीटर), श्यानों की ढाणी से (2 किलोमीटर) सेस से सवाई पदमसिंह (5 किलोमीटर), रतेऊ से ऊंडू (2 किलोमीटर), ये इस तरह से चार-पांच और हैं, मैं टाइम नहीं जाया करूंगा। इन बारह में से मेरी छह रोड्स ड्यू हैं, एक साल से, तीन साल पहले से, इसमें बहुत पोटहोल्स हो गये हैं तो ये इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको करें। यह जो आपका मेट्रो बनी है, मैं मेट्रो के खिलाफ नहीं हूं, मेट्रो बननी चाहिए पर आप मेट्रो में 15 हजार करोड़ खर्च कर रहे हैं और यही अगर रि-सरफेसिंग हो जाए रोड के ऊपर, कितने लोग चलते हैं। मेरे बायतू में ऐसी-ऐसी ढाणियां हैं जहां 6 -6 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। मैं तो कहता हूं, यह मेट्रो चार-पांच साल पोस्टपोन हो सकती थी और यह पानी और सड़कों में देना चाहिए था। आप देखना, डेढ़ साल के बाद एम एल ए के चुनाव हैं और दो साल बाद एम पी के चुनाव हैं, यहां पर 15 हजार करोड़ खर्च करते तो आपके कितने वहां उम्मीदवार जीतकर आते। यह मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं पर

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

हकीकत है। ये प्रायोरिटी यहां बिलकुल चेंज्ड है। आपने तो मेट्रो में लगा दिया, हमारे यहां तो सड़कें खराब पड़ी हैं, हमारे पानी की दिक्कत अलग है। उसके अन्दर आपको सोच-समझ कर पैसे देने चाहिए।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आप लिंक दे रहे हैं, रोड लिंक, मिसिंग लिंक, बहुत अच्छी बात है पर मिसिंग लिंक में जैसे 7.5 किलोमीटर देते हैं 8 किलोमीटर, हर साल, ये आप हर एक एम एल ए को देते हैं, बड़ी अच्छी बात है पर आपको सर्वे कराना चाहिए कि कहां पर कितनी जरूरत है। मेरे बाड़मेर के साथ में जोधपुर है और जैसलमेर जिला है। पिछली बार मुझे मिले, तो सात किलोमीटर में सिर्फ दो जिलों को मिलाने के लिए इधर चवा और उधर फलसूंड की तरफ दे दिये। अभी जो मैंने प्रपोजल दिया है, जैसलमेर शहर कोकसर से था 6.5 किलोमीटर, उसके लिए 1.25 करोड़ का था, मैंने मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा, साहब इसके लिए बजट दो, तो पैसे देने तो दूर की बात है, मेरे पास जवाब तक नहीं आया। मैं सदन में बहुत सोच-समझ करके बोल रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ा, 7.5 किलोमीटर में 6.5 किलोमीटर मैंने मेरी जेब से दिया। इतनी इम्पोर्टेंट रोड है। तो इस तरह से हर एक विधायक की जो भी है, और एम एल ए को ज्यादा चीजें भी नहीं लिखी हैं, तो मंत्रीजी, मेरे ख्याल से, आपको मैं अलग से भी दूंगा आप अगर मुझे वो 1.25 करोड़ दें तो मैं, वह 6.5 किलोमीटर जो दे रहा हूं, वह कहीं और जगह यूटिलाइज कर लूंगा। तो उससे मेरे को फायदा हो जाएगा। दूसरी इसी तरह से मेरी बायतू से डंडाड़ी, 22 किलोमीटर है, वह भी रोड काफी खराब है। उसके लिए भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं।

इसके अलावा, कुछ जो मेरा आब्जर्वेशन है, सड़कों के कुछ ठेकेदार जो काम करते हैं वे ठेकेदार या तो किसी एम एल ए, एम पी या किसी प्रधान, प्रमुख के रिश्तेदार हैं या किसी को प्रभावित करते हैं, तो वे कहते हैं कि इसको नोटिस मत दो। वे नोटिस दे देते हैं। मैं यहां सदन में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, कुछ जगह तो अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी, उनकी ए सी आर खराब कर दी। यह अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है, आप नरेगा में थे, ग्रामीण विकास में थे, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ नोटिंग किया कि यह काम ठीक नहीं हुआ है; आगे उनको पनिशमेंट मिला कि नहीं मिला, यह दूसरी बात है। इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप ईमानदारी से कर रहे हैं और इस तरह की जो बातें हैं,

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

आप कहेंगे तो कुछ केसेज मैं व्यक्तिगत लाकर दे दूंगा, इस तरह से अगर किसी ठेकेदार द्वारा इंजीनियर को हैरेस किया जाता है तो उसमें आपको उसकी सही बात को सपोर्ट करना चाहिए ताकि आगे कोई किसी तरह का गलत काम हो तो वे ईमानदारी से काम कर सकें।

इसी तरह से मैं एक और आब्जर्वेशन आपसे कहना चाहता हूं, जो उस दिन सवाल भी आया था, आपने कहा था कि जब मेरा डिस्कसन होगा तब अपन इस पर बात करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज गये क्या?

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यह है, क्वेश्चन नं. 362 था, यह 16 तारीख का है। इसमें था कि क्या सरकार 250 तक की आबादी वाले गांवों और ढाणियों को जोड़ने के बारे में विचार कर रही है? इसमें मेरा एक सुझाव है, आप 250 आबादी कैसे लेंगे, आप अगर देखेंगे, हमारे वहां कई ढाणियां हैं जहां कहीं 25 आदमी हैं, कहीं 50 हैं, कहीं 60 हैं, तो मेरा सुझाव है कि वह आपके लिए डिफाइन कर दें तो उसका कुछ क्लस्टर और ढाणियां ले लें। जैसे पानी के लिए आपने किया, 1.6 किलोमीटर में सबको देना चाहिए, तो कुछ क्लस्टर और ढाणी लेकर के, वहां पानी देते हैं, तो उस तरह से आप मापदंड दें ताकि ज्यादा से ज्यादा ढाणियां जुड़ सकें। यह वहां जिला परिषद में दो-तीन बार आया तो मैंने उनसे पूछा कि आप 250 आबादी लेते हो तो क्या मापदंड देते हैं, तो मुझे कहा कि यह तो हमारा चीफ इंजीनियर तय करता है। तो चीफ इंजीनियर वहां बैठा है, वह कौन होता है? हमें तय करना चाहिए। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है कि जहां ये दूरदराज के इलाके हैं, खास करके पश्चिमी राजस्थान में, ये 250 में ढाणी जुडनी चाहिए। इसमें आप रियलिस्टिक अप्रोच लेकर के और जैसे मैंने बताया कि कलस्टर और ढाणी लेकर दें, क्योंकि भारत सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ढाणियां और कलस्टर बनायें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी राजस्थान के लोग उसमें फायदा उठा सकें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे थोड़ा टाइम दीजिये, मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

दूसरा, जो मिसिंग लिंक है, मैंने आपसे कहा, एक जो भांडखा से कालोड़ सड़क है, वहां 53-54 किलोमीटर में एक बहुत खतरनाक रास्ता जाता है, रोड है वह तीनों तरफ 15-20 फीट है, साल में 6-7 महीने जब हवा चलती

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

है तो वह बंद हो जाती है। उसका प्रस्ताव आपको भेजा है, उसको रिरूट करना है या डेटूर लेकर करना है, यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह 15 पंचायतों को जोड़ती है।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि बायतू में एक डाक बंगला था, वहां 5-6 साल पहले एस डी एम आफिस अपग्रेड हुआ था तो वह उसने आक्यूपाई कर लिया। अब सरकार ने कुछ अलग से पैसे दिये हैं, हेमाराम जी अभी हैं नहीं, हेमाराम जी ने कहा है कि मैं बजट का प्रावधान कर रहा हूं, आप और रेवेन्यू मंत्रीजी मिलकर अगर जो एस डी एम आफिस बन रहा है उसको जल्दी बना दें तो हमारा डाक बंगला फ्री हो जायेगा और लोग उसका फायदा उठा सकेंगे।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं जालूपुरा में रहता हूं और जालूपुरा के क्वाटर्स कोई आकर देखें, बड़े हैं, काफी जमीन है, मैं कहता हूं कि 50-60 के हैं, उनकी कंडिशन बहुत खराब है। सिर्फ चारदीवारी है, एक आलमारी है 9-10 इंच की जिसमें सिर्फ किताबें रख सकते हैं। इसमें इम्पूवमेंट होना चाहिये। हालांकि थोडे पैसे खर्च कर रखे हैं। आज 21वीं शताब्दी में अपन हैं, अपन को अच्छी तरह से रहना चाहिये, एक एम एल ए का स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिये। या तो इनको तोड़कर वापस बनाओ। मेरा एक सुझाव है, मैंने आपसे बात भी की थी कि जिस तरह से दिल्ली एम एस फ्लैट बने हैं, एम पीज के फ्लैट्स को तोड़ कर वहां मल्टी-स्टोरीज फ्लैट्स बनाये गये हैं, वे इतने पापुलर हैं कि स्टेट मिनिस्टर तक वहां जाना चाहते हैं। इसी तरह से आपका जालूपुरा का इतना बड़ा एरिया है, बहुत गंदा है। सुबह जब हम उसमें से निकलते हैं तो कभी-कभी उस छोटी सी रोड में ही 10-10 मिनट लग जाते हैं। एक तरफ ठेले वाले हैं, एक तरफ कार रिपेयर वाले हैं। वहां पर कंडिशन बहुत खराब है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अपना डेढ़ साल बाकी है, वहां पर एक मल्टी-स्टोरी बना दें। वहां चारों तरफ कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, कोई भी घुस सकता है। आप वहां यह बना दें, यह आप अपने भाषण में कह सकते हैं, मुख्य मंत्री जी को भी कह सकते हैं। कोई कह रहा है कि इस जमीन को बेचकर पैसे कमाकर हम मल्टी स्टोरी काम्प्लेक्स बनायेंगे, तो ऐसा तो मत करना क्योंकि इतनी कमजोर सरकार नहीं है कि जमीन बेचकर ऐसा करे। एम आई रोड के पास कहां जमीन मिलती है? वहां एक्स-एम एल ए के लिये कोई क्लब बन सकता है। जिस तरह से आज जितने भी सीनियर आई ए एस आफिसर हैं, उनकी हर जगह एसोसिएशन है, इनके हर जगह क्लब हैं; हमारे आर्मी के खुद के हैं जहां बहुत

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

आराम से रहते हैं; तो क्यों नहीं एम एल ए अपने लिये कोई काम्प्लेक्स बनाये? एक्स-एम एल ए तो सबको बनना ही है, जरूरी नहीं कि हरेक के पास जयपुर में मकान हो ही। इस पर भी मेरा सुझाव है कि इसके लिये भी बजट में कुछ प्रावधान करें और इसमें कुछ घोषणा करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओटाराम देवासी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): आदरणीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 19 और 21 के सम्बन्ध में सबसे पहले आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र में जो फोरेस्ट की समस्या है, वह इतनी बड़ी समस्या है कि जो एक रोड बनी हुई है कृष्णगंज से सनपुर, वह रोड खाली तीन किलोमीटर फोरेस्ट में है, खाली वह तीन किलोमीटर रोड नहीं बनने के कारण 40 किलोमीटर चक्कर काटकर वहां आना पड़ता है। यह बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो वन क्षेत्र में यह रोड आ रही थी, उसकी एवज में फोरेस्ट ने दूसरी जगह जमीन की मांग की; दूसरी जगह जमीन एक्वायर भी की गई, उसके बाद भी आज दिन तक वह तीन किलोमीटर की रोड नहीं बनी।

इसी तरह, पहले की सरकार में हमारे पूर्व विधायक महोदय ने रोवाड़ा घाटा में एक सड़क बनाई, उस सड़क में करीब डेढ़ करोड़ रुपया कृषि मण्डी से लोन लेकर जो रोड बनी, उसमें भी आज दिन तक जिस तरह से आल्पा की तरफ से रोड बन गई, मणादर की तरफ से रोड बन गई, रोवाड़ा घाटा जो फोरेस्ट में आता है, आज दिन तक वह रोड नहीं बनी।

यह जो रोडों की समस्या है, यह समस्या इतनी विकट है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में फोरेस्ट की जितनी भी रोडें हैं, वे आज की तारीख में कृष्णगंज से सनपुर, बाल्दा राजपुरा से कलदरी और पालडीएम से गणकेश्वर होते हुए बड़ावेरा और आल्पा से रोवाड़ा घाटा देवनगर, ये करीब चार-पांच रोडें हैं, वे सब फोरेस्ट की रोडें हैं और इस कारण दोनों साइड रोड बन गई और दो-तीन किलोमीटर रोडें नहीं बनीं। इसका मुख्य कारण रहा डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें जो भी समस्या आती है, लोगों के बीच में जब भी जाते हैं तो सबसे पहले यही बात चलती है कि हमारी यह रोड नहीं बन रही है। रोवाड़ा से

(श्री ओटाराम देवासी)

जालौर मालेनाथ, जालौर की तरफ से रोड बनी हुई है और रोवाड़ा गांव के पास करीब 5 किलोमीटर रोड है, वह आज दिन तक नहीं बनी। इसी तरह से ये जितनी भी रोडें हैं, ये फोरेस्ट में आने वाली रोडें हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, पहले माननीय सदस्य ने फोरेस्ट के बारे में जो प्रश्न किया था, उसमें मंत्रीजी ने कहा था कि आपके क्षेत्र में फोरेस्ट वाली जितनी भी समस्याएं हैं, इसके लिये मैं वहां दौरा करूंगा, वहां मैं खुद आऊंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरोही में जितनी भी रोडें फोरेस्ट में आती हैं, उनका आप खुद एक बार वहां पधारकर देख लें, वहां की जो स्थिति है वह आप खुद देख लें।

हमारे वहां पहले भी मिसिंग लिंक में जो रोडें दी गईं जिनमें वाड़का से जोगापुरा और जो भी प्रपोजल, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में कहा था कि एक एम एल ए को 16 किलोमीटर रोड दी जायेगी, उसमें 8 के प्रपोजल तो हमारे से मांग लिये थे, 8 के अभी बाकी थे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे 8 किलोमीटर की जो रोड है, उसके भी प्रपोजल मांगे जायें ताकि जो टुकड़े रह गये हैं उनको पूरा करा सकें। वाड़का से जोगापुरा सिर्फ डेढ़ किलोमीटर रोड है और डेढ़ किलोमीटर के कारण वह जोगापुरा नहीं आ सकते। इसी तरह से कालन्द्री से पाड़ीव, अगर कालन्द्री से पाड़ीव रोड हो जाये तो 5-7 किलोमीटर में हम सिरोही पहुंच सकते हैं, परन्तु इस सड़क के नहीं होने के कारण हम वहां नहीं पहुंच सकते। इसी तरह से मनोरा से नारादरा, चडुआल से मोहब्बत नगर, बरलूर से वराड़ा, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी बरलूर से वराड़ा 9 किलोमीटर रोड है, वह इतनी विकट समस्या है कि हजारों लोग, हजारों ट्रक रोजाना उसी रास्ते से निकलते हैं, आज यह सिंगल रोड है। यह रोड जालौर जिले को मिलाती है और जालौर से बालोतरा जहां कपड़े का बड़ा उद्योग है, वहां तक आने-जाने का एक मात्र रास्ता है, जहां लगभग 500 ट्रक रोज आते-जाते हैं। जालौर जिले में ग्रेनाइट का बड़ा उद्योग है जिसके कारण बड़े-बड़े पत्थर लेकर इसी मार्ग से आवागमन होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सड़क बरलूर से वराड़ा जो 9 किलोमीटर है, पहले भी इसके प्रस्ताव भेजे गये थे परन्तु आज दिन तक उस सड़क का कुछ नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं

(श्री ओटाराम देवासी)

(15.00 बजे)

कि वहां आए- दिन वहां सिंगल रोड होने के कारण जीप, दुपहिया वाहन, आए-दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए-दिन यह समस्या होती है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर और सिरोही, दो जिलों को जोड़ने वाली औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा व पाली, तीर्थस्थल नाकोड़ा जी जाने के लिए जो सिरोही से एक मात्र सड़क है, उसको चौड़ा किया जाए ताकि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान हो सके।

मैं आपके माध्यम से आज, देवस्थान में भी पहले सरकार ने हमारे पास से प्रस्ताव मांगे थे, मैं आपके माध्यम से आल्पा गांव से आल्पा माताजी, जो पांच किलोमीटर पड़ता है, हजारों लोगों की आस्था जुडी हुई है, हजारों लोग वहां पहुंचते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि देवस्थान की जितनी भी रोड हैं, यह भी हमें 5 किलोमीटर दें। सिरोही शहर से, सिरोही से लगता हुआ एक बीरवावसी का स्थान है, वहां बहुत बड़ा मेला लगता है, वहां भी सड़क के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

दूसरा जितनी भी सिरोही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बनी हुई हैं, उनके नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं। सिरोही का जितना भी आबादी क्षेत्र के हिसाब देखा जाए तो सिरोही में नये राजस्व गांव आज दिन तक, 2011-12 में सरकार ने एक भी नया राजस्व गांव घोषित नहीं किया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे आबादी के हिसाब से जो भी राजस्व गांव हों, उनकी घोषणा हो और उनको सड़क मार्ग से जोड़ा जाए।

दूसरा, सिरोही विधान सभा क्षेत्र में नरेगा में जितनी भी ग्रेवल सड़कें बनी हैं, उनका भी डामरीकरण करने का अनुरोध करता हूं। सिरोही क्षेत्र की जितनी भी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, विशेष तौर से, आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, उन सड़कों का भी निर्माण किया जाए। सिरोही नगरपालिका क्षेत्र में और शिवगंज नगरपालिका क्षेत्र में जितनी भी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उनको भी बनाने की कोशिश करें। इसी तरह से एक मेरमाड़वाड़ा से जो सड़क है, उसके भी नवीनीकरण के लिए आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

आने वाले समय में जितने भी आस्था स्थल हैं और जितने भी विधान सभा क्षेत्र की सड़के हैं, वे करीब-करीब जोड़ने की कोशिश करें।

आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, आज पी डब्ल्यू डी और लोक निर्माण, दोनों की मांग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

2012-13 के बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने 250 की आबादी को रोड से जोड़कर जो बजट में प्रावधान किया है, इससे 2,900 गांवों की आबादी को लाभ मिलेगा। हमें छोटी-छोटी ढाणियों में जाने में दिक्कत आती थी, हकीकत में वहां के लोगों को इसका पूरा-पूरा लाभ मिल पाएगा।

इसी के साथ मेगा हाइवे, जो 16 मेगा हाइवे दिए हैं, उनमें मेरा नीमकाथाना कोटपूतली से होता हुआ कुचामन तक जाएगा, इसमें दो बाइपास, एक बाइपास पाटन का, एक नीमकाथाना; नीमकाथाना का बाइपास 16-17 किलोमीटर लंबा है, पाटन का बाइपास 4-5 किलोमीटर लंबा है, साढ़े चार किलोमीटर। इस क्षेत्र के विकास में मेगा हाइवे की यह सौगात हमारे क्षेत्र के लिए न केवल आवश्यक थी, इसकी महती आवश्यकता थी। बल्कि जिस तरीके से नीमकाथाना क्षेत्र माइनिंग जोन के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा है, ट्रैफिक की जिस तरीके से, बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, उस सब मांग को देखते हुए मेगा हाइवे की आवश्यकता को मुख्य मंत्री महोदय ने पहचाना। यहां हमारे पी डब्ल्यू डी मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि योजनाएं मेगा हाइवे जैसी बहुत अच्छी दी हैं। इस मेगा हाइवे का जब पूरा सर्वे किया गया, इंटरनेट के जरिए किया गया, हम लोगों ने उस पूरी व्यवस्था को गूगल के जरिए देखा। आबादी को छोड़ते हुए बाइपास की जो रूपरेखा तय की गई थी, आर एस आर डी सी को आपने यह योजना ट्रांसफर की और आर एस आर डी सी ने उस आबादी को छोड़ते हुए जिससे कंट्रोवर्सी न हो, जिससे लोगों के आब्जेक्शन न हों, हमने इस योजना को बनाया था।

मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी योजना बनाने के बाद अब जब हकीकत में इस रोड को स्टार्ट करने का टाइम आया तो मैंने आर एस आर डी सी के चैयरमेन को भी कहा कि विभाग इच्छाशक्ति की कुछ कमी दिखा रहा है। बार-बार कहने पर भी विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिन अधिकारियों को साथ लेकर टीम वर्क के रूप में, एक टीम को जिस तरीके से काम करना चाहिए, वह काम नहीं कर रही है। कभी हम तहसीलदार साहब से मिलकर, लोकल प्रशासन से मिलकर, हम किसी तरीके से पटवारी और

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

गिरदावरों की व्यवस्था कराते हैं। इनके अपने आर एस आर डी सी की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको इनको चाहिए कि आपस में कोरिलेट करते हुए उस काम को जल्दी शुरू करवाएं, लेकिन विभाग न केवल ढील बरत रहा है इस काम में, बल्कि मैं तो यह भी कहूं कि उस पूरी योजना में जो हमने पहले इसका सर्वे कराया था, पहले डिमार्केशन भी कर दिया था, उस डिमार्केशन में कुछ चेंजिग भी कर रहे हैं, जैसे कुछ बीनानी सीमेंट, वगैरह आ गई सामने, बीनानी सीमेंट को लाभ पहुंचाने के लिए बीच में अनावश्यक दो-तीन मोड़ देने की ये कोशिश कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इतनी बड़ी योजना, जो 285 करोड़ की योजना है, यह कहीं विभागीय अधिकारियों की वजह से या, मैं कहूं, अनावश्यक किसी को लाभ पहुंचाने की गरज से कहीं यह गलत ना बन जाए। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मेरा क्षेत्र माइनिंग जोन है, मंत्री महोदय, मैं आपसे कई बार निवेदन भी कर चुका हूं कि यहां जिस तरीके से दो-ढाई हजार ट्रक पर डे न केवल पत्थर के निकलते हैं, ओवरलोड निकलते हैं; पूरा रोड अस्त-व्यस्त होकर टूट गया है, पूरे रोड में खड्डे पड़ गए हैं। आप मेहरबानी करके ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि ऐसे माइनिंग जोन में हम जो रोड बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, आपने हमारे आसामपुर से लेकर भोपिया होते हुए रामसिंहपुरा तक, और इधर चला से लेकर गोविन्दपुरा तक, और उधर जिलोर, करजो से लेकर रामपुरा बेगा के नांगल की जो रोड आपने दी है, उन रोड के टेण्डर ही नहीं आ रहे हैं, लोग उन रोड पर टेण्डर देना ही नहीं चाह रहे क्योंकि आपके अधिकारियों ने वही घिसा-पिटा, पुराना बी एस आर रेट और वही सिस्टम, 10 लाख रुपये का रोड रिपेयरिंग का होगा, कौन ठेकेदार आएगा। कोई ठेकेदार टेण्डर डालना ही नहीं चाह रहा। मेरी दो साल से नीमकाथाना क्षेत्र में पी डब्ल्यूयू डी की व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। आप मेहरबानी करके अपना सर्वे करवाएं, इन उच्चाधिकारियों को यह भी कहें कि आप मौके पर जाकर कम से कम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं देखें। जिस टेण्डर को आप देना चाह रहे हैं, उस टेण्डर में क्या दस लाख रुपये की रोड रिपेयरिंग पर कोई ठेकेदार आ भी जाएगा क्या? अगर वहां 50-50 टन के ट्रक निकलेंगे और जब 40-40, 50-50 टन ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, कई बार हमने ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों को कहा है कि इस ओवरलोड को आप रोकिए, लेकिन वे कह रहे हैं कि हम जब्त तो कर लेंगे लेकिन जब्त करने के बाद इनको खड़ा कहां करेंगे? यहां इतनी बड़ी मात्रा में

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

ट्रक निकलते हैं। तो मेहरबानी करके, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे होंगे, हमारे क्षेत्र में ओवर-लोडेड जो ट्रक हैं इनको रोकने की आप व्यवस्था करें जिससे वहां रोड्स की व्यवस्था सही हो सके। पी.डबल्यू.डी. अपना काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, टेण्डर देना भी चाहता है लेकिन टेण्डर कोई लेना ही नहीं चाहता।

वहां पर इस तरह की, तो इसकी दूसरी व्यवस्था भी है, आप यहां बी.ओ.टी. रोड की व्यवस्था भी कराएं। पिछली बार बी.ओ.टी. रोड के लिये हम मुख्य मंत्री महोदय से मिले थे, मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया। तत्कालीन हमारे पी.डबल्यू.डी. मिनिस्टर महोदय ने हमें यह भी कहा कि हम जल्दी ही सुओ-मोटो यहां बी.ओ.टी. रोड की व्यवस्था लेकर आएंगे। अभी मंत्री महोदय यहां बैठे नहीं, मंत्री महोदय से मिले कि मंत्री महोदय, हमारे पूरे क्षेत्र में रोड बिलकुल टूट टुके हैं, कोई ठेकेदार रोड लेना नहीं चाहेगा। जब ठेकेदार रोड लेना नहीं चाहें तो इन कामर्शियल ट्रकों से हमें चाहिए कि हम बी.ओ.टी. के रूप में या सुओमोटो के रूप में टैक्स लगायें और इनसे टैक्स लेकर इन ट्रकों का आवागमन हम चलायें। लेकिन उस वक्त भी आपने हमें यह आश्वासन दिया था कि हम बी.ओ.टी. रोड बनाएंगे। उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह व्यवस्थाएं अगर आप नहीं कर पाएंगे तो रोड्स की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मेरे क्षेत्र में कोई भी रोड, एक छोड़कर इधर नीमकाथाना साइड में, पूरे पाटनवाटी के रोड पूर्ण रूप से टूट चुके हैं। उसका मुख्य कारण अधिकारी भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। इसकी आल्टरनेटिव व्यवस्था अगर नहीं की जाएगी, अधिकारियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि योजनाओं को लागू करने से पहले वहां की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, वहां टेक्निकल प्राब्लम क्या हैं, वहां किस तरह की योजना बनाई जानी चाहिए; 40 लाख, 35 लाख की अगर एक किलोमीटर की व्यवस्था नहीं करेंगे, अगर वहां की रोड की थिकनेस को आप बड़ा नहीं करेंगे, मोटा नहीं करेंगे और वहां मजबूत रोड की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह रोड तो एक महीने में ही टूट जायेगी, जब एक महीने में टूट जायेगी तो कोई ठेकेदार आना नहीं चाहेगा। इसलिये मेहरबानी करके आप इन इंजीनियर महोदय को कहें, ये मौके पर जाएं, वस्तुस्थिति को ढंग से समझकर, टेक्निकल पाइण्ट-आफ-व्यू से उस रोड को बनाने की योजना लेकर आएं। जब योजना उस तरीके से आएगी, तब ये रोड बन पायेंगी। आज छह या सात रोड्स के टेण्डर मेरे

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

बाकी पड़े हुए हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि बी.ओ.टी. रोड पाटन से लेकर, करजो से होता हुआ, रामपुरा बेगा का नांगल से होता हुआ, चौधरी का नांगल में जो मेगा हाइवे, दूसरा निकल रहा है भरतपुर से होता हुआ, अलवर से होता हुआ, उस मेगा हाइवे को टच करेगा, इधर मेगा हाइवे पाटन को टच करेगा। इसी के साथ पाटन-डाबला से होता हुआ, दूसरा सुओ-मोटो रोड या बी.ओ.टी. रोड आप कोई देना चाहें तो आप दें। आप अपने प्रचार माध्यम के जरिये से या अपनी एजेंसी के जरिये यह टेण्डर देने की कोशिश करें कि जहां कोई भी बी.ओ.टी. रोड, या आर.एस.आर.डी.सी. को दें आप जिससे कम से कम सुचारु व्यवस्था तो हो सके। मेरा आपसे यही निवेदन है कि पाटन में जितने भी रोड हैं, या फिर आप रायल्टी के ऊपर, आज 21-21 करोड़ की रायल्टी का ठेका है, वहां जो पत्थर के, रोड़ी के जो ट्रक जाते हैं, आप उनके ऊपर और टैक्स लगा दो, आप उस पर एक्स्ट्रा रोड के नाम पर कोई टैक्स लगा दो जिससे कम से कम रोड तो वहां सही हो सके। वहां एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट के खड्डे पड़ चुके हैं, पाटन में, पूरा पाटन का क्षेत्र माइनिंग जोन होने की वजह से।

तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी रोड्स का ठेका नहीं उठ रहा है, टेण्डर आ नहीं रहे, मेरे क्षेत्र में रोड माइनिंग जोन होने की वजह से बिलकुल टूट चुके हैं, उस माइनिंग जोन की रोड की आल्टरनेटिव व्यवस्था अगर आपने सही ढंग से और सही तकनीकी दृष्टि से उसका टेण्डर करवाने की कोशिश नहीं की तो कोई भी ठेकेदार वहां नहीं आयेगा। आप मेहरबानी करके उन रोड्स को ठीक करवाएं।

लोक निर्माण के बारे में मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा। नीमकाथाना में जब भी दो अक्टूबर को हम जेल विभाग में जाते हैं, वहां जेल में एक ही बात सुनने को मिलती है, जेल छोटी है। 70 या 65 आदमियों की कैपेसिटी है और वहां डेढ़-डेढ़ सौ आदमियों की भर्ती हो जाती है उस जेल में आकर। सभी कैदी एक ही बात कहते हैं कि साहब, हमारे पैर सीधे नहीं होते। यह मानवीय दृष्टिकोण कहता है हम लोगों को और आप लोगों को समझना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो वह सज़ा पाएगा अपने आप, उसने जो कर्म किये हैं उसके आधार पर मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि हम मानवीय दृष्टिकोण की अवहेलना कर दें पूर्ण रूप से। वहां पैर फैलाने के लिये उनके पास जगह नहीं है। मेहरबानी करके कोई दूसरी जेल बनाइये,

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

बड़ी जेल बनाएं, यह मानवता कहती है, मानवीय आधार पर और मानवीय मूल्यों के आधार पर हमें उन लोगों को, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे पूरा दिन और रात वहां गुजारते हैं। एक ही बात वे कहते हैं अक्सर कि हमारे गोडे सीधे नहीं होते, पैर भी सीधे नहीं हो पाते हैं। यह ओवरक्राउडेड जो जेल है, छोटी सी एक जेल है, उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं और उसी पर बार-बार तार और बाइंडिंग करके उसी को ही आगे बढ़ा देते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप वहां मेहरबानी करके उस जेल में कोई दूसरी जेल बनाने की व्यवस्था करें क्योंकि क्षेत्र बड़ा होने की वजह से यह वहां की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मैं पुनः मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि नीमकाथाना क्षेत्र में माइनिंग जोन होने से बी.ओ.टी. रोड आर.एस.आर.डी.सी. को दीजिए या सुओ-मोटो रोड के लिये आप काल कीजिए किसी टेण्डरदाता को कि वह आकर काम ले और मेरे जो पेंडिंग टेण्डर हैं, उन टेण्डर्स के लिये आप उनका रेट बढ़ाइये। 10-10 लाख रुपये किलोमीटर के हिसाब से रोड का काम करने के लिये कोई ठेकेदार आयेगा नहीं और यह व्यवस्थाएं तीन साल तो गुजर गये, बाकी दो साल और गुजर जायेंगे, यह व्यवस्था, इस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहां पर आम जनता को।

मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा, मेहरबानी करके आप इन व्यवस्थाओं को करें। वहां ओवरलोड ट्रक चलने की वजह से, और दो-दो हजार, ढाई-ढाई हजार ट्रक रोजाना चलते हैं। वहां जब ब्रेक लगाता है 60 टन का कोई ट्रक, तो रोड को तोड़ कर आगे चलता है, ब्रेक लगकर गाड़ी बाद में ठहरती है। यह हालत वहां की है। क्योंकि वहां सारा मिनरल जाता है हरियाणा साइड में और वे लोग अंधा-धुंध, रात और दिन दोहन करके अंधा-धुंध ओवरलोड लेकर चलते हैं।

आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21, लोक निर्माण और सड़क व पुल की मांग पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य और देश के विकास का आधार सड़क है। चाहे जो भी उत्पादन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, जितनी बढ़िया सड़कों की स्थिति होगी, मैं समझता

(श्री अमराराम)

हूं, उससे उस राज्य की छवि इस बात से दिखती है। लेकिन, मंत्री महोदय, एक तो जो दो तरह की सड़कें हमारे राज्य में थीं, इस बात के लिये तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मार्केटिंग बोर्ड से जो सड़कें बनाई गयी थीं, किसी भी सूरत में वे चलने लायक नहीं थीं, उनको एक ही विभाग पी.डबल्यू.डी. के अण्डर में सबको करने का काम किया, इसके लिये तो वे धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन जो सड़कों की हालत है, सभापति महोदय, ठीक से बरसात हुई और पूरे राजस्थान की सड़कों की जो हालत हुई, मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की कि दीपावली से पहले सब सड़कों का पेचवर्क करके वे चलने लायक हो जाएंगी, लेकिन दीपावली गयी, होली गयी और दुबारा दीपावली आ रही है, वे ठीक से चलने लायक नहीं हुई; आगे-आगे पैच करते हैं और पीछे-पीछे खड्डे वापस होते रहते हैं। क्योंकि यह इस विभाग में जिस तरह से व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, यहां के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से जो हालत हो रही है, मैं समझता हूं कि इस विभाग में मंत्रीजी के आने के बाद निश्चित रूप से इन भ्रष्ट अधिकारियों में थोड़ा सा भय जरूर पैदा हुआ है, मंत्रालय सम्भालने के बाद उन्होंने पूरे राजस्थान के अधिकतर जिलों में दौरा भी किया है, इसके लिये तो वह धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन आज हालत यह है कि बांसवाड़ा में विद्यार्थियों के लिये छात्रावास बनता है और छात्रावास में छात्र रहने से पहले गिर जाता है; सड़क बनती है और सड़क को बने हुए दो महीने नहीं होते, कम्प्लीट हुए, उससे पहले उसमें खड्डे हो जाते हैं। हो सकता है, एक-दो खड्डा तो हो जाए लेकिन 20-20 प्रतिशत सड़क वहां नहीं मिले, तो मैं समझता हूं कि इसमें गुणवत्ता में गिरावट है।

सभापति महोदय, इसलिये इस सड़क की हालत और जिस तरह से ठेकेदारों की हालत है, मैं कहना चाहूंगा कि जो धार्मिक सड़कें हर विधान सभा क्षेत्र में हर विधायक को पांच-पांच किलोमीटर पिछले बजट में दी थीं, मैं समझता हूं, किस तरह से ठेकेदार उस जनता के पैसे को पूरी तरह से मिस्यूज करते हैं। मेरे सीकर जिले में 8 विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें से 6 विधान सभा क्षेत्रों में वे धार्मिक सड़कें बन करके लोग डामर की सड़क पर चल रहे हैं लेकिन मेरे और धोद विधान सभा क्षेत्र, दोनों सड़कों का पैकेज एक ठेकेदार का है, वह 10 किलोमीटर सड़क पर, जहां डामर हो गयी बाकी छह विधान सभा क्षेत्रों में, लेकिन वहां पूरे 10 किलोमीटर में अभी तक ग्रेवल भी नहीं है; पूरा ग्रेवल नहीं हुआ है पूरे 10 किलोमीटर में।

(श्री अमराराम)

मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे ठेकेदार जिसने पी.एम.जी.एस.वाई में सड़कें बनाईं, बनाने के जस्ट बाद टूट गयीं। लगातार चार साल के बाद, लगातार इस बात को चीफ इंजीनियर तक, अधिकारियों के आखिरी स्तर तक कहने के बाद उन सड़कों को रिपेयर किया गया। रिपेयर नहीं करने के कारण उसको डिबार किया गया लेकिन रिपेयर करते ही 24 घंटे में उसको वापस कर दिया गया। वही ठेकेदार, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, उसने जितनी भी सड़कें आज तक, उसके पी.डब्ल्यू.डी. का 'ए' क्लास ठेकेदार बनने के बाद, जितनी भी नई सड़कें बनाने का उसने, जितनी भी आज तक पन्द्रह साल में जो भी टेंडर लिया है, मेरा दावा है कि एक सड़क भी उसने समय पर पूरी नहीं की। वे लगातार समय पर सड़क पूरी नहीं करते और डेढ़-डेढ़ साल और दो-दो साल ऐसे अधिकारी बिना कोई कारण के उनका टाइम एक्सटेंड करते रहते हैं, डिबार होने के बाद में भी किसी न किसी राजनीतिक प्रभाव से वापस हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे ठेकेदार जो जनता के पैसे का समय पर काम नहीं करके जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ, ऐसे ठेकेदारों को बचाने के लिए जो भी अधिकारी काम करते हैं, उन अधिकारियों और ठेकेदारों पर जब तक सख्ताई से काम नहीं होगा, माननीय सभापति महोदय, हालत यह है कि करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, सीकर में सीकर से खूड़ तक 20 किलोमीटर सड़क पर साढ़े तीन करोड़ रुपया जनता का खर्च हुआ और खर्च होने के बाद तीन महीने बाद में बरसात हुई और आज उस सड़क की हालत यह है कि छह महीने उसको कम्प्लीट हुए हैं और आज चालीस परसेंट सड़क गायब है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं, इसी तरह से तय रूप से इस मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने रिनोवेशन के थे, तमाम का टाइम निकल गया। सी.आर.एफ. में सीकर जिले में चाहे वह श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ का सवाल हो या दूसरे हों, जो सी.आर.एफ. में जितनी भी सैंक्शन हैं, चाहे वह खाटू से बाय का सवाल हो, समय सबका निकल गया, किसी को एक साल हो गया, किसी को छह महीने हो गया, लेकिन उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो पी.एम.जी.एस.वाई., तय रूप से पी.एम.जी.एस.वाई. से बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ है लेकिन इसका आधार वर्ष 2001 है, जबकि अब 2011 की जनगणना हो

(श्री अमराराम)

चुकी। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय को प्रयास करने चाहिए कि केन्द्र सरकार इसका आधार वर्ष 2011 की जनगणना को बनाये जिससे 2001 से लेकर 2011 तक जितने भी नये रेवेन्यू विलेज हुए हैं, उनको बनाने का काम करें। जो हैबिटेशन के लिए अभी कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, वह जनगणना के आधार पर जो ढाणियां उनको ली हैं, उनका आधार वह सार्वजनिक निर्माण विभाग ले रहा हे जो 2003 में वाटर वर्क्स ने कुछ ढाणियों को चिह्नित किया था, जहां पर पानी की व्यवस्थाएं नहीं थीं लेकिन एक्चुअल में जो बहुत बड़ी-बड़ी ढाणियां, आज से जो पचास साल पहले की हैं, जिनकी आबादी पांच सौ से ज्यादा की है लेकिन उस वक्त वहां पर पानी की समस्या नहीं थी, इसलिए वाटर वर्क्स ने उन ढाणियों को उन ढाणियों में चिह्नित नहीं किया जहां पानी के लिए व्यवस्था करनी थी। तो उन ढाणियों के साथ आज मैं समझता हूं कि जो सैंक्शन निकली है उनमें उन ढाणियां, जो सैंक्शन वाली हैं, उनसे ज्यादा की आबादी है लेकिन क्योंकि वे 2003 की वाटर वर्क्स की हैबिटेशन की चिह्नित में नहीं थीं, इसलिए जो हैबिटेशन में थे, मैं समझता हूं कि आज 2011 में, जनगणना में हैबिटेशन कहां पर कम रह गये, जहां राजस्व रिकार्ड में नये रेवेन्यू विलेज हो गये, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले उनको लेने की आवश्यकता है।

जहां तक नरेगा का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, सरकार ने भी घोषणा कर दी और हर पंचायत समिति में नरेगा का एक ए.ईएन. भी विभाग ने बैठा दिया और यह भी आदेश दे दिया कि पूरे राजस्थान में इस नरेगा में जितने भी रेवेन्यू विलेज, 2001 के बाद 2011 तक की जनगणना में जितने गांव बने हैं, उनको ग्रेवल सड़क से, उस आधार की ग्रेवल सड़क जो पी.एम.जी.एस.वाई. की बनती है, उसी आधार पर नरेगा के माध्यम से बनाने का काम करें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सीकर में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 39 रेवेन्यू विलेज, 2001 की जनगणना के बाद 2011 की जनगणना के बीच में 39 रेवेन्यू विलेज हैं, एक में भी ग्रेवल सड़क नहीं बनी है। बहुत सी सड़क जो दस साल पहले कभी अकाल राहत में कंकर डाल दिये, पांच साल पहले डाल दिये, जब आप ग्रामीण सड़क को, डामर सड़क को, ग्रामीण सड़क को भी जब आप दस साल बाद में रिन्यूअल करते हैं तो आप अन्दाजा कीजिए कि जिस समय दस साल पहले अकाल राहत में कोई ग्रेवल बनी थी, वहां पर क्या हालत होगी!

(श्री अमराराम)

इसलिए आज उस नरेगा का भी उपयोग, मैं समझता हूं, उस गांव की कनेक्टिविटी करने में उस ग्रेवल सड़क का हो सकता है। उसका बहुत बड़ा उपयोग, जो सड़क की साइड्स हैं, हमेशा सबसे ज्यादा खराब होती हैं और सड़क को तोड़ने में सबसे बड़ा काम करती हैं, इस नरेगा योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन कोई भी विभाग, मैं समझता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग किसी भी रूप में उस नरेगा का उपयोग साइड ठीक करने और ग्रेवल डालकर उस रास्ते को सही करने में; काम होगा, साइड ठीक होगी तो मैं समझता हूं कि सड़कें भी कम टूटेंगी। लेकिन आज जिस तरह से, आज उस नरेगा में उपयोग, हर पंचायत समिति में एक ए.ईएन. आपने लगाया है, मैं समझता हूं कि उसको ठीक से करेंगे।

जब तक जे.ईएन. भर्ती नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, और एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो 20-20 साल से जे.ईएन. विभाग में थे, उन सबको आपने, जिनकी 20 से 25 साल की नौकरी थी, उन सबको आपने ए.ईएन. में प्रमोशन कर दिया, लेकिन इसी विभाग में 20-25 जो इलेक्ट्रिसिटी के जे.ईएन. हैं, उनको आज तक भी आपने ए.ईएन. नहीं बनाया। जब विभाग में बाकी सब जे.ईएंस. को, जो डिप्लोमाधारी थे, उनको आपने ए.ईएन. में प्रमोट कर दिया, तो उन इलेक्ट्रिसिटी वालों को, जब सिविल वालों को कर दिया तो जो इलेक्ट्रिसिटी में थे, उनका प्रमोशन, मैं समझता हूं कि उनके साथ यह भेद-भाव नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, उनको भी करने का काम करें। जब तक जे.ईएन. की भर्ती नहीं होगी, माननीय सभापति महोदय, एक ए.ईएन. ही, फील्ड का काम भी वही करे, आफिस का काम भी वही करे; तो मैं समझता हूं कि सही समय पर सही देखरेख, जो पैसे का उपयोग जिस तरह से होना चाहिए था, वह नहीं होगा। इसलिए जे.ईएंस. की भर्ती हो।

एक जो बी.ओ.टी. के आधार पर, मैं समझता हूं कि हर सड़क को आज सरकार यह बहाना करके कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये कम्पनियां भी कोई पैसा विदेश से नहीं ला रही हैं। कुछ पैसा अपने पास से लगाकर बैंक और फाइनेंस कम्पनियों से लोन लेकर सड़कें बनाकर टोल वसूल करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, इससे पांच साल बाद में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर, सीकर हो, झुन्झुनूं, एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जिस पर जो कोई भी गाड़ी लेकर निकलेगा उसको टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। तो

(श्री अमराराम)

जब कम्पनियां कर सकती हैं, फाइनेंस और बैंकों से लोन लेकर वह प्राइवेट कम्पनी कर सकती है तो हमारा विभाग क्यों नहीं कर सकता? उनसे लोन लें, बी.ओ.टी. में सड़कें बनायें और जो भी कोई उस पर से जाएगा, तो मैं समझता हूं कि कम्पनियों को लूटने का एक हथियार जो हम दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि पांच साल बाद में एक भी सड़क नहीं बचेगी, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वह राज्य मार्ग हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, एक भी सड़क जिले से निकलने वाली नहीं बचेगी, उस लूट का हाथ है उसको बटाने के लिए।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि सड़कों का रिनोवेशन समय पर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी, अभी नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि दस-बारह गांवों की, जो कि रिनोवेशन के सैंक्शन हुए डेढ़ साल हो गया, चार दफा टेंडर हो गया, एक दफा एक टेंडर आया उसको निरस्त कर दिया कि यह बहुत ऊंची रेट पर आ गया, चार दफे दस-दस सड़कों का आपने पैकेज बनाकर... और जो बढ़िया कमाई नहीं होगी तो कोई ठेकेदार लेना नहीं चाहता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि टाइम बाउंड सड़कें नियमानुसार, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हों या गांव की रोड हो, उनका जो रिनोवेशन का साइकल है, निश्चित समय पर होगा, हमारी सड़कें अगर सुदृढ़ होंगी तो गांव से आने वाले को, गांव को सामान जाने में, पढ़ने वाले और आम अवाम को, राजस्थान की छवि ठीक होगी। मैं समझता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के पिछले वक्त बहुत बड़ा, 75 प्रतिशत सड़कों का पेवर से रिनोवेशन करने का काम किया गया था, मैं समझता हूं कि उसी तरह से एक दफा पूरे राजस्थान की स्टेट हाइवे से लेकर ग्रामीण सड़क तक पेवर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का भला होगा।

आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पूराराम।

(अनुपस्थित)

श्री अशोक पींचा।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरदारशहर से जो सड़क चूरू मुख्यालय को जोड़ती है

(श्री अशोक पींचा)

वाया पूलासर, उसकी हालत ऐसी जीर्ण-शीर्ण हो गयी है कि उस 47-48 किलोमीटर की दूरी के लिए कम से कम दो घंटे का समय लगता है और कोई भी व्यक्ति, सुरक्षित पहुंचना, सुरक्षित आना बड़ी मुश्किल का काम है। आज उसके हालात यह हैं कि पूरी सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गयी, आवागमन बंद हो गया। हम लोगों को भी गांवों की सड़क से घूमते-घूमते 15-16 किलोमीटर ज्यादा चलकर चूरू मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह आग्रह है कि सरदारशहर से चूरू मुख्यालय सड़क को तुरन्त ठीक करायें, ताकि आवागमन में, मुख्यालय पहुंचने में आम लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही दूसरा निवेदन है कि खेजड़ा से कादनबास सड़क आज से दो साल पहले स्वीकृत हुई, उसके टेण्डर हो चुके लेकिन ठेकेदार ने समय पर काम नहीं किया। ठेकेदार द्वारा काम नहीं करने के कारण से पिछले सत्र में मैंने क्वेश्चन भी उठाया तो इनके विभाग ने उन ठेकेदार पर पेनल्टी इम्पोज कर दी, नया ठेका निकालने के लिये चूरू के एस.ई. ने आर्डर कर दिये, लेकिन बड़ी दु:खद बात है कि वह ठेकेदार किसी के माध्यम से सतर्कता समिति, चूरू में परिवाद ले गया, इसलिये ले गया कि उसके ऊपर 75 हजार की शास्ति लग रही थी। उसके बाद चूरू सतर्कता समिति ने उसकी सुनवाई प्रारम्भ कर दी। तो जिस व्यक्ति ने काम नहीं किया, इनके विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर वहां आकर दौरा करके चले गये; कुछ जगह उन्होंने माना कि यहां स्थिति ज्यादा गम्भीर है, उन्होंने दो लाख रुपये एक्स्ट्रा और दे दिये। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जो परिवाद सतर्कता समिति में सुनने लायक नहीं हो, उसको भी यहां मंगायें। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व मंत्री, प्रमोद जी जैन को भी एक पत्र दिया था और आज भी मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में मैं एक पत्र देऊंगा, ताकि उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही हो सके और इस सड़क के लिये नई निविदाएं आमन्त्रित करके काम कराया जाना जरूरी है।

इसके अलावा, सरदारशहर से कालू-लूणकरणसर सड़क जा रही है, उसकी भी हालत ऐसी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा उस रोड से गुजरता है और वह कालू-लूणकरणसर होते हुए बीकानेर, आगे तक सड़क जाती है। उसकी हालत भी बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। तो उसको आप

(श्री अशोक पींचा)

सी.आर.एफ. से या किसी भी फण्ड से उसका पैसा आप दें ताकि उसका भी समय पर काम होकर जनता को राहत मिल सके।

इसके अलावा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन ढाणियों का सर्वे हुआ। जैसे अभी अमराराम जी ने कहा कि वाटर सप्लाई के लिये जो सर्वे किया गया, उस सर्वे को मानते हुए आप ढाणियों का प्रपोजल भेज रहे हो, जबकि 2011 की जनगणना हो गयी। मेरा निवेदन है कि उसका प्रपोजल आप 2011 की जनगणना के अनुसार भिजवायें और सरदारशहर तहसील में केवल मात्र यह गांव ही ऐसा है, जो किसी भी तरह से सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है और उसकी आबादी 250 की है। उस गांव का नाम जोरावरपुरा है। यदि इस गांव को जोड़ दिया जाये तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा, जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं होगा। यह अपने आप में एक उपलब्धि होगी।

इसके अलावा, आपने पिछले बार जो मिसिंग लिंक दीं, उसके प्रपोजल भी हमसे मंगवा लिये गये हैं। पिछले साल मैंने 7 किलोमीटर के कार्य करवाये। इस साल मैंने 9 किलोमीटर का जो प्रस्ताव भेजा, तो उसको यहां के चीफ इंजीनियर ने एक बार वापस लौटा दिया। फिर मैंने बात की कि जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 16 किलोमीटर दो साल के लिये कहा है तो मैंने पहले 7 किलोमीटर का भेज दिया तो दूसरे साल में 9 किलोमीटर भेज रहा हूं, तो कहां अन्याय हो रहा है? इस बात को भी आप दिखायें कि इस कारण से कोई भी गांव सड़क से वंचित नहीं रह जाये।

इसके अलावा, आपने जो लूणकरणसर, कालू, डूंगरगढ़, सरदारशहर, तारानगर, सादुलपुर के लिये जो मेगा-हाइवे प्रस्तावित किया है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूं।

देवस्थान विभाग के लिये भी, जैसे हर विधायक को पांच किलोमीटर की परिधि में देवस्थान, मंदिरों को जोड़ने का जो पहले निर्णय किया था, उसे पुनः लागू करें ताकि देवस्थानों में लोगों को आने-जाने के लिये सुविधा उपलब्ध हो सके। (व्यवधान) अच्छा, पर्यटक के लिये ठीक है।

आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रतापसिंह जी खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय सभापति महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की चर्चा हो रही है। जब सड़क का, लोक निर्माण विभाग का नाम आता है, किसी भी प्रदेश में यदि पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट ठीक है तो यह माना जाता है कि पूरा प्रदेश ठीक है और कहीं भी, किसी भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी बाहर का व्यक्ति हो, यदि वह स्टेट में प्रवेश करे और प्रवेश करते ही उसको लगे कि मेरी गाड़ी आराम से चल रही है तो उसके मुंह से जरूर निकलता है कि यह कौनसा प्रदेश आ गया? लोग यदि कह दें, यह राजस्थान है और आपकी सड़कें बढ़िया हैं, तो बोलें, राजस्थान का राज बहुत बढ़िया है। यह राज का फैसला करता है, ऐसा डिपार्टमेंट है जो राज की सफलता और असफलता तय करता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि इस बार इस विभाग का चार्ज जिन मंत्रीजी को दिया गया है, उनकी बहुत अच्छी इमेज है और आपने जाकर सड़कों को चैक भी किया। लोगों को अच्छा भी लगा कि भरत सिंह जी खुद सड़कों को चैक कर रहे हैं। कुछ जगहों पर आपने उद्‌घाटन नहीं किये। उसका भी एक बहुत बड़ा संदेश गया और लोगों में दहशत व्याप्त हुई। लेकिन जब पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की बात होती है, यह इसी राज की बात नहीं है, जैसे ही पी.डब्ल्यू.डी. का नाम आता है, तो लोग कहते हैं पी.डब्ल्यू.डी. मतलब भ्रष्टाचार; भ्रष्टाचार मतलब पी.डब्ल्यू.डी.। यह एक ट्रेंड बन गया और इस ट्रेंड के लिये विधायिका कोई जिम्मेदार नहीं है, इस ट्रेंड के लिये कार्यपालिका जिम्मेदार है। हम इसलिये जिम्मेदार हैं कि हम उसकी ढंग से मानिटरिंग और कंट्रोल नहीं कर पाते। विधायिका की जिम्मेदारी बनती है कि इतना जबरदस्त कंट्रोल हमारा हो कि यदि हम 800 करोड़ का, 1,300 करोड़ का प्रावधान करें और उस प्रावधान के बाद जनता में संदेश अच्छा जाये, एम एल ए भी खुश हो जाये, प्रधान, सरंपच भी खुश हो जाये, गांव का हर आदमी भी खुश हो जाये और यदि उम्मीद करे कि अब तो 250 तक की आबादी का हमारा गांव सड़क से जुड़ जायेगा लेकिन हम उसमें गली निकालने की कोशिश नहीं करें। हमने दिया है तो 2001 की जनगणना के अनुसार नहीं, अब हमको उसको 2011 की जनगणना के अनुसार देना चाहिये क्योंकि 2011 की जनगणना हो चुकी है। हम 2001 की जनगणना को लेंगे तो फिर लोग यह कहेंगे कि जब यह सरकार दे ही रही है, जब दिया जाये तो राज में पूरा दिया जाये और नहीं दिया जाये तो बिल्कुल नहीं दिया जाये। यह फैसला हमको करना चाहिये। क्योंकि दो ही तरह से होता है मैंने विधान सभा

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

में देखा, बार-बार मंत्री से कई बार लोग कहते हैं, साहब, हां या ना में जवाब दो; हां या ना में नहीं दें तो वे प्रेस्टिज इश्यू बना लेते हैं। वह साफ कह दें, नहीं हो रहा, ना; हो रहा है तो हां; बात खतम। लेकिन वे उसको घुमाते रहते हैं। क्योंकि वे यह भूल जाते हैं, मंत्री लोग जब जवाब देते हैं, उस वक्त वे यह समझते हैं, राज एक ऐसी चीज है कि जब तक वह जाये नहीं ना, तब तक हर आदमी के मन में यह उम्मीद रहती है, मैं ही हूं। जबकि यह तो रेगिस्तान की रेत है, जिसने इसको मुट्ठी में ज्यादा दबाया, जब मुट्ठी खोली तो खाली मिली। ऐसे ही हालात हैं। ऐसे में जब राजस्थान का बजट इतना बढ़िया है, पैसा इतना बढ़िया है, हमारे फैसले इतने अच्छे हैं, बजट की सब जगह तारीफ हो रही है, तो फिर खुलकर दिया जाये और जनता के प्रति जवाबदेही हो।

हमारे यहां बहुत बड़ा डिसिजन हुआ है कि सड़कों की जिम्मेदारी पांच वर्ष के लिये अब ठेकेदार की है। इंजीनियर क्या करता है, पांच वर्ष की जिम्मेदारी ठेकेदार की है, हर वर्ष इंजीनियर उसको एन.ओ.सी. देता है, इसकी सड़क बढ़िया है, दूसरे वर्ष, इसकी सड़क बढ़िया है। इंजीनियर बदल जाये, लेकिन वह एन.ओ.सी. देने का सिस्टम चलता रहता है, क्योंकि उस इंजीनियर साहब की जेब में पैसा जाता रहता है। इंजीनियरों ने इस धंधे को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया कि दो-चार-पांच परसेंट तो हमारा है ही, यह तो ईमानदारी का है। इसको वे भ्रष्टाचार में मान ही नहीं रहे। हालात देखो आप। लेकिन मंत्री अब की बार ऐसा आया है कि आप चाहो तो मैं आज कह रहा हूं, आपके मन में ताकत है, आप रोकना भी चाहते हो और आपने रोका भी है, आपके लिये यह इमेज है कि आनेस्ट मिनिस्टर आया है, वह भी पी.डब्ल्यू.डी. के ऊपर। अब हाथी की सवारी तो आदमी कर सकता है, लेकिन नीचे शेर है, शेर भी भ्रष्टाचारी है और जब भ्रष्टाचारी शेर हो और खून मुंह लगा हुआ हो तो उसकी नाक में आपको नकेल डालनी है। आप शेर पर सवारी कर सकते हो क्योंकि खुद आप भी शेर हो। लोगों को बड़ी उम्मीद है। अब दो शेरों का मुकाबला है, एक शेर खून में मुंह लगाकर निकला हुआ है, जिसको आज तक किसी ने रोका ही नहीं, जो भी मंत्री आया, मुझे पुराना इतिहास ज्यादा तो पता नहीं, उसका भी काम तो ऐसा ही रहा जैसा इंजीनियर्स का रहा। अब की बार शेर के ऊपर सवारी जोरदार है। अब यह राजस्थान में परम्परा बननी चाहिए, इतिहास बनना चाहिए, मंत्रीजी, कि यह जो शेर है जिसके मुंह

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लगा हुआ है, जिसका नाम शायद कुछ भी समझ लो, कार्यपालिका के नाम पर यह जो भ्रष्टाचार है यह रुक सकता है और इसको रोकने के लिए ज्यादा हमें किसी से लड़ना नहीं है, पांच वर्ष की यदि सड़क की गारंटी है तो पांच वर्ष से पहले आप एक तीसरी ताकत डिपार्टमेंटों से कोई खड़ी करो और वह तीसरी ताकत चाहे वह गांव की हो, चाहे उस विधान सभा क्षेत्र के विधायक की हो, चाहे किसी और की हो, जैसे अब नगर निकायों में भी होने लगा, जे.डी.ए. में भी तीसरी ताकत, तीसरी आंख खड़ी कर दी तो वह पोल खुलने लगी, सैम्पल लिये जाने लगे। मैं यह नहीं कह रहा कि सारे अधिकारी या सारे इंजीनियर्स चोर हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग चोरी नहीं करते। आज भी 40-45 परसेंट लोग ऐसे होंगे जो भले हैं, उनके साथ उनको एडजस्ट किया जाए तो यह चोरी रोकी जा सकती है और पांच वर्ष तक जो एन.ओ.सी. गलत देने का धंधा चल रहा है, वह भी रुक सकता है।

अभी एक नयी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी कि यह जो ठेकेदार हैं यह ठेकेदार काम कर रहा है और काम कर रहा है, काम करते ही एक ठेकेदार वह है जिसकी सड़क के बारे में कहा जाता है कि, साहब, यह सड़क किसने बनायी, यह 20 साल से नहीं टूटी, यह 5 साल से नहीं टूटी; ऐसे ठेकेदारों को हम चिह्नित करें जिनका काम जोरदार है, जिनका काम बड़ा है और मान लीजिए कि ज्यादा रेट में भी काम कराना पड़े तो हम करायें लेकिन उसकी उम्र तो तय हो ऐसे में। ऐसे ठेकेदार जिनका काम अच्छा है, हम उनको फर्स्ट प्रिफरेंस दें।

अब क्या हो रहा है, ई-टेंडरिंग कर दी। अभी मेरे को पता चला कि कई डिस्ट्रिक्ट में टेण्डर हुए और जो ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार थे उन्होंने टेण्डर ले लिये; विभाग की भी मोरल ड्यूटी थी, विभाग ने उठाकर उन ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों के ठेके कैंसिल कर दिये। वह कोर्ट में चले गये, उन एरियाज में काम रुक गया। अब वह काम रुक गया। तो ऐसे में हमारी टेण्डर प्रक्रिया हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए तय की कि ट्रांसपेरेंट काम हो और वहां का काम रुक गया तो सरकारी योजनाएं रुक गयीं।

और सरकार के हालात देखिये, राजस्थान और हिन्दुस्तान हैं, इस देश की डेमोक्रेसी सिस्टम में दो सबसे पावरफुल पोस्ट हैं, बाकी आप और हम तो साइन करने वाले हैं, दो ही पोस्ट हैं, पी.एम. और सी.एम.। मैं हमेशा कहता हूं, एम.एल.ए. साहब पच कर मर जाए, मंत्रीजी कोई पावर यूज में ले लें, तो ले लें

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बाकी पी.एम. और सी.एम.। चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां घोषणा की कि राजस्थान के हर विधान सभा क्षेत्र में 6 करोड़ रुपये दूंगा ...(व्यवधान) 7 मान लो, सारी, 7 करोड़। 7 करोड़ रुपये सब जगह चले गये, हर जगह यही संदेश है, लगभग गये भी लेकिन 7 करोड़ रुपये जब घोषणा हो गयी, उस घोषणा में यह नहीं था कि कुछ विधान सभा क्षेत्रों को नहीं दिये जायेंगे, सिटीज में वे नहीं पहुंचे, जयपुर सिटी में नहीं पहुंचे। वह सी.एम. की घोषणा है, राजा कह दे और राजा के बाद घोषणा लागू नहीं हो, यह चुनौती है राजस्थान की सरकार को। वे अधिकारी कौन हैं जिन लोगों ने मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को लागू नहीं होने दिया? वह अधिकारी कोई भी हो, उस अधिकारी को क्या अधिकार है राजस्थान में बैठने का, बड़ी-बड़ी पोस्टों पर बैठकर तनख्वाह लेने का, जो राजस्थान के मुख्य मंत्री का आदेश नहीं माने? और वह भी विधान सभा में मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर दें और घोषणा के बाद 7 करोड़ रुपये हर विधान सभा क्षेत्र में नहीं पहुंचें। यह मजाक है? और उसके बाद नहीं पहुंचे जब बता दिया जाए, यह बहुत बड़ी बात है। यह हमारी विधान सभा और हमारे लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ऐसे में ऐसे अधिकारियों का इलाज होना चाहिए जो लोग मुख्य मंत्रीजी की घोषणा का सम्मान नहीं करते। वह बजट घोषणा, इसमें, मंत्रीजी, आपको चैक करवाना चाहिए और मैं माननीय सभापति महोदय से कहूंगा, सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी के वचनों से कोई बात इस सदन में तय हो जाए, लागू हो जाए और उसके बाद उन विधान सभा क्षेत्र के विधायकों को बताया नहीं जाए कि आपके यहां पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात है।

इसलिए मैं कहूंगा, या तो इस सदन में कोई बात आये नहीं, आये तो फिर वह बात पूरी हो और कोई पूरी नहीं करता है, मुख्य मंत्रीजी की ईमानदारी पर इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जिन लोगों ने पूरी नहीं की, उनसे यह तय किया जा सकता है कि यह तो मुख्य मंत्रीजी के आदेश, बजट में कहा गया प्रावधान है। अब ये हालात हैं। ऐसे में कोई अधिकारी यह समझे कि मैं तो आई.ए.एस. आफिसर हूं, मैं तो आर.ए.एस. आफिसर हूं, मेरा क्या कर देंगे?

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, you should not cross the line, between the two persons. Absolutely, you did cross. 180 डिग्री, देखो आप है कि नहीं? You can ask one of the Engineers.

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तो मैं, सभापति महोदय, इसलिए निवेदन करूंगा और मैं यह बात जो इतनी सीरियसली कह रहा हूं, इसका कारण यह है कि मैंने खुद ने कई अधिकारियों को सूचित किया है। यह तो मैं था, कोई और विधायक होता, मैं एम.एल.ए. नहीं था तब भी बात होती थी, तो अधिकारी मुझे जानते थे, उसको पता नहीं, क्या घुमा देते थे। यह बात मेरी मुख्य मंत्रीजी से भी चर्चा हुई, इसके बाद एक अधिकारी, एक जगह से मुझे सूचना मिली कि अब डेढ़ करोड़ रुपये भेजे गये हैं किसी और डिपार्टमेंट को पी.डब्ल्यू.डी. के जरिए।

इतना मैं कहना चाहता हूं कि अब किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो और कोई डिपार्टमेंट हो लेकिन विधान सभा की एक मर्यादा है, इस राज का एक इकबाल है और वह इकबाल बुलंद नहीं रहे तो हमारा इकबाल कहां रहेगा? कोई पूछने वाला ही नहीं है।

अभी एक दिन कहीं कुछ हो रहा था, लाल बत्ती की गाड़ी रुक गयी। मैंने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा कि यह मंत्रियों की गाड़ी है, आप इनको ही रोक लेते हो! इनको ही रोक लोगे तो फिर तो हो गया काम, फिर राज कैसे चलेगा? हालत यह है कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो उसमें, मंत्रीजी, उसके लिए मैं आपसे कार्यवाही की उम्मीद करता हूं।

राजस्थान में अभी, मंत्रीजी, आपके पास, आपके इस सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. के पास इतनी सम्पत्तियां हैं कि उनको आप चिह्नित करा सकते हैं, सिर्फ आप, आपका एक आदेश क्योंकि आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है। वे सारी सम्पत्तियां आप चिह्नित करवा लो, मैं कह रहा हूं आपको कि स्टेट टाइम के डाक बंगले आज भी पी.डब्ल्यू.डी. के पास हैं, लेकिन वहां पर कर्मचारी नहीं हैं, वहां पर चपरासी नहीं हैं, चौकीदार नहीं हैं। स्टेट टाइम का फर्नीचर, जब अंग्रेज थे उस जमाने का फर्नीचर, जो बहुत ही कीमती है, वह इन डाक बंगलों को नहीं संभालने की एवज में खराब हो रहा है। आप ऐसे डाक बंगलों को या तो अपने हिसाब से किसी को आप रेंट पर दें या फिर आप पंचायत समितियों को दे दें या फिर किसी और विभाग को दे दें। कम से कम उसकी देखरेख हो सकेगी, वे डाक बंगले सुरक्षित रह सकेंगे और पंचायत समितियां उनको बचा पायेंगी, अन्यथा इसका बहुत बड़ा नुकसान हमको भुगतना पड़ेगा। बहुत से विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सर्किट हाउस नहीं हैं, डाक बंगले ही हैं। ऐसे में उनका रख-रखाव किया जा सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सारी प्रोपर्टीज को हम काम में ले सकते हैं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सड़कों के साथ, अभी एक बहुत बड़ा डिसिजन हुआ, सभापति महोदय, सड़कें बनेंगी, सड़कों के साथ-साथ लगेंगे। पेड़ लगेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण को लेकर, फोरेस्ट को लेकर, मैडम बैठी हैं, मंत्रीजी बैठे हैं, पूरा सदन चिंतित रहता है। पेड़ लगाने के लिए बाकायदा आजकल शर्तें तय होती हैं। मंत्रीजी, उनको आदेश दो आप, जहां-जहां शर्तें तय कीं, वहां पर पेड़ नहीं लगाये ठेकेदारों ने। पेड़ नहीं लगे और इंजीनियर ने एन.ओ.सी. दे दी। क्यों, कैसे दे दी? उसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है। आखिर उस इंजीनियर को अधिकार किसने दिया? बिना पेड़ लगाये एन.ओ.सी. दे रहा है। वह एन.ओ.सी. इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है, बिना काम किये पैसे पास करने की। अब तो जनता जाग गयी।

एक काम और हो सकता है, अभी एक बड़ा झंझट चल रहा है, कितना भी काम कर दो, सबसे ज्यादा ईमानदारी की उम्मीद लोग विधायिका से करते हैं, मेरी विधायिका ईमानदार हो, मेरा विधायक ईमानदार हो। मैं सच कह रहा हूं, मैं पब्लिक के बीच में जाता हूं, मैंने लोगों से कहा, इस देश में ईमानदारी उस दिन पूरी तरह से लागू होगी जिस दिन यह देश की जनता ईमानदार बन जायेगी। यह बात कोई नहीं कह सकता, मैं कहता हूं कि बीच में थे भी ईमानदार बनो। कोई दस काम कर दे, एक नहीं करे तो उस दस का तो बोलना नहीं, उस एक को पकड़ कर बैठ जाते हैं। आप भी ईमानदार बनो, तौलो, परखो, देखो और फिर बताओ कौन काम करा, कौन नहीं करा। पता तो पड़ना चाहिए लोगों को, अपन भी ईमानदार बनें। दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद ज्यादा है।

ऐसे में एक नया कानून आप ला सकते हो। जहां भी सड़कों का काम हो, चाहे पी डब्ल्यू डी करे, चाहे स्वायत्तशासी संस्थाएं, जे डी ए, नगर निगम करे, उसमें विकास समितियों को, गांव समितियों को, बाहरी समितियों को, कस्बा समितियों को, जो जनता द्वारा आपस में; तय करते हैं लोग कि भई, म्हारा गांव में सड़क बन रही है, आप उसमें भागीदार बना दो। उस गांव के 31 लोगों की सब जगह कमेटी बनाओ, उन कालोनियों की कमेटी बनाओ। ज्यादा ईमानदारी को भूत बांके हैं, बिने बाड़ दो बीं कमेटी में, या तो चैक करो या बनवाओ; जोड़ो उनको, यह इलाज हो जाएगा। यह राजस्थान देश का पहला राज्य हो सकता है जब विकास के हर पैसे में आप लोगों को जोड़ दो। यह झंझट मिट जाए रोज-रोज का। मंत्री, एम एल ए, सब के सब लोगों के ऊपर जो आफत आती है, अधिकारियों के द्वारा, उसके द्वारा सारी दूर हो सकती है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

तो मैं आज आपसे, जब यह पी डब्ल्यू डी की मांगों पर चर्चा हो रही है, निवेदन करना चाहूंगा कि आज मंत्रीजी के काम से बहुत जोरदार मेसेज सब जगह जा रहा है, आप घूम रहे हैं। मैंने कहा हर मांग में, जहां मैंने भाग लिया; मैंने सब मंत्रियों से निवेदन किया कि यह राज चाहे इधर का हो चाहे उधर का, हो सकता है पचास परसेंट, सत्तर परसेंट मंत्री पूरे स्टेट में घूमे हों लेकिन पांच साल निकल जाते हैं, चाहे बी जे पी के मंत्री हों, चाहे कांग्रेस के मंत्री हों, पचास परसेंट मंत्री तो ऐसे होते हैं जो पूरे बत्तीस जिलों में जाते ही नहीं हैं। बत्तीस के बत्तीस डिस्ट्रिक्ट में कभी जा ही नहीं पाते, पचास परसेंट तो ऐसे होते ही हैं, चाहे किसी भी पार्टी को राज दे दो और पचास परसेंट ऐसे भी होते हैं जो सब जगह जाते हैं। अब मंत्री अपने विधान सभा क्षेत्र का मंत्री नहीं होता, वह मंत्री पूरे राजस्थान का होता है। जब मंत्री यह पूछबा लाग जाए कि आप कठे का, अब वह कह दे कि महाराज, आप कठे का मंत्री हो; फेर दिक्कत हो जाए न। मैंने देखा कई मंत्री कहते हैं कि आपको विधान सभा क्षेत्र कुणसो; वो लाई चमक जाए, फेर वो खुद का एम एल ए कनै जावे। तो मेरे से एक ने पूछा कि आजकाल मंत्री भी एक ही जगह का हो गया कांई; नहीं, वे पूरा राजस्थान का होवै है मंत्री, एक जगह का कोनी, सब जगह का है।

यह जो हमारी पावर है, पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी के लिए बात नहीं है, मैं ओवर आल कर रहा हूं, यह कहीं आप सोच लो कि भरत सिंह जी नै मैं कह रह्यो हूं, यह बात नहीं है। अभी आप बाड़मेर भी गये हैं, आज कर्नल साहब तारीफ कर रहे थे आपकी, बहुत बड़ी बात है, कर्नल अठे कोनी, बंदूक कोनी उठाई, बड़ी बात है। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि यह डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें लोगों में चर्चा है, आपकी आनेस्टी की लोग तारीफ करते हैं लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि वीणा के तार ज्यादा कस दें, कहीं टूट नहीं जायै, ढीला भी नहीं पड़ जावै, ढीला पड्या फेर बाजेली कोनी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए यहां तो जितने भी लोग हैं नीचे, कई लोग जे डी ए में लगे हुए थे, वापस पी डब्ल्यू डी में चले गये। मैंने पूछा, आप तो अच्छा काम कर रहे थे; बोले, साहब, मेरा जे डी ए में मन नहीं लगा। बाद में मनै पतो पड्यो कि पी डब्ल्यू डी में ई वास्ते गया कि भई, पी डब्ल्यू डी को मामलो बड़ो स्पेशल है।

यह जो हालात हैं, उन हालात में अब जबकि सबके मन में डर है आपका, डर रहे हैं आपसे लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यह जो गैंग है, जो ऊपर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बैठकर सड़कें तय करती है, आज भी हालात यह है कि आप बिहार में चले जाओ, बिहार में नीतिश कुमार जो चुनाव जीता, मैं गया था वहां बिहार के चुनाव में, कई लोग गए थे, रघु जी भी गये, हम लोग गये, वहां पर हमने देखा, कांई कोनी हुयो वठे। जो सड़कें बरसों से टूटी हुई थीं उन सड़कों को उन्होंने चमाचम कर दिया। अब पैसे हमारे पास हैं, सड़कें, राजस्थान में आप टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दे दो, जो सड़कों के पैसे आपने पास किये हैं 800 या 1,300 करोड़ रुपये, अलग-अलग मद में दिए हैं आपने लगभग 1,300 करोड़ रुपए। आप हर अधिकारी को यह कह दो, क्योंकि यह जो डामर है, मेरी टेक्निकल बात हुई कई इंजीनियर्स से, उन्होंने कहा, आप मई, जून तक दे सकते हो सड़कें; जून के बाद डामर का काम नहीं होगा; जैसे ही थोड़ी ठण्ड बढ़ेगी, डामर उखड़ेगी। डामर का यह सिस्टम है, तब डामर उखड़ेगी। यदि आप उसको लेट कर दोगे तो फिर बरसात आ जाएगी, बरसात में होगा नहीं काम; सर्दी में डामर का काम होता नहीं। हमारी जितनी भी लम्बी गांवों में, कस्बों में सड़कें बनानी हैं, वे सब डामर से बननी हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, पैसा पास है, बजट है, प्रोग्राम दे दिया सरकार ने, इसमें इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें। शार्ट नोटिस पर टेण्डर निकाले जाते हैं सात दिन की लिमिट में। यह टेण्डर ठोकते हैं पैंतालीस दिन, एक महीने के काम से। आप उनको शार्ट नोटिस पर टेण्डर निकलवाएं टेण्डर निकलवाकर उनका तय करें टाइम बाउण्ड कि जो ठेकेदार इतने दिन में काम नहीं करेगा, उसके माथे पेनल्टी होगी। यहां पर जयपुर में मैंने देखा, पैसे पास हो गये, टेण्डर हो गये, वर्क आर्डर हो गया; काम इसलिए नहीं हुआ, सर्दी आ गयी। किसी रोड को मैंने जिद करके डलवाया, वह उखड़ गयी। बात की लोगों से तो उन्होंने कहा कि सर्दी में डामर नहीं बैठता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यही वक्त है, जब आप इस काम को अपने हाथ में लेकर किसी भी तरह से टाइम बाउण्ड प्रोग्राम देकर पूरा करवा सकते हैं।

यह पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट, आज जब इसकी मांग पर चर्चा हो रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, पी डब्ल्यू डी में उन सड़कों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप लें, मंत्रीजी, जो सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, बिलकुल। आप यहां से जयपुर से निकलो, जोबनेर होते हुए जाओ, वे एम एल ए साहब बैठे हैं, पूरी टूटेड़ी है थ्हांकी सड़क, पूरी टूट्योड़ी पड़ी है। आज तक ऐसा नहीं आया, जोबनेर होकर अगर मेरे गांव जाना हो, पूरा टूटा हुआ पड़ा है। केकड़ी की

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सड़क टूटी हुई पड़ी है और गांव जाते हैं खाचरियावास तो लोग कहते हैं, थ्हांका राज में और कांई तो करयो कोनी, या रोड तो बणा द्यो म्हां कानी। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, भैरोंसिंह जी शेखावत साहब थे तब खाचरियावास की रोडें बन जाती थीं, अब छोटा खाचरियावास आ गया, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन सड़कों को तो बना दो कम से कम । जयपुर में तो मैं लड़-भिड़ कर करवा लेता हूं, वह तो मुझे आता है लेकिन मेरे गांव की सड़क टूटी हुई है। यह एक नहीं है, कब से टूटी हुई है, जब से आदरणीय भैरोंसिंह जी ने राजनीति से बैकआउट किया। अब तो वे आज हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन हमारी मोरल ड्यूटी बनती है, वह चाहे हरिदेव जोशी का क्षेत्र हो बांसवाड़ा, चाहे भैरोंसिंहजी का क्षेत्र हो, उनका गांव खाचरियावास हो, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया जी का हो, किसी का भी हो, शिवचरण माथुर साहब का हो, सबका मान लिया, पहाड़िया जी का हो, जिनका भी क्षेत्र हो, वसुन्धरा जी का हो, वसुन्धरा जी को ध्यान राखणो ही पडसी, वसुन्धरा जी तो म्हांकी खास हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रघु जी को भी ध्यान राखो फेर।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): रघु जी को है। घनश्याम जी भाई साहब को तो सिटी में है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं, सभापति जी, खतम कर रहा हूं एक मिनट में मेरी बात।

मैं इतना ही अनुरोध करूंगा, पी डब्ल्यू डी हमारी सरकार की भी लाइफ-लाइन है, राजस्थान की भी लाइफ-लाइन है, यदि इस लाइफ-लाइन की हम मानिटरिंग अच्छी कर लें, आपका मन अच्छा है, आपकी दिशा अच्छी है, आपका विजन अच्छा है लेकिन यह जो फोर्स खड़ी है कार्यपालिका के रूप में, इसको टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम देकर हम हमारे बजट को जो सड़कों के लिए दिया गया है, पी डब्ल्यू डी के लिए, पुलों के लिए दिया गया है वह लैप्स नहीं होना चाहिए। जिस तरह जलदाय विभाग में बजट लैप्स हुआ, यदि वैसे बजट लैप्स होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी, हम सबकी होगी। मैं भरोसा करता हूं, बजट लैप्स नहीं होगा और राजस्थान की सड़क कोई भी जोरदार बनने से बचेगी नहीं और पूरे राजस्थान की लाइफ-लाइन पी डब्ल्यू डी राजस्थान को आगे बढ़ाने में और राजस्थान की जनता की समस्याओं का समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर।

श्री सभापति: आप विराज जाएं, आपकी पर्ची डिप्टी स्पीकर साहब के पास में भेज दी गयी है। उनके पधारने के उपरांत ही इस पर कोई व्यवस्था दी जाएगी।

मंत्री महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय सिविल लाइन्स से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने जो बात फरमाई, एक आपकी माडल सड़क खाचरियावास तक जाने के लिए बने, जिसे लोग-बाग यह देखें कि पी डब्ल्यू डी की एक माडल सड़क है। हम सब चीज बनाते हैं। शायद दिवंगत व्यक्तित्व को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि खाचरियावास के लिए एक माडल सड़क आप बनवाएं पूरे मापदण्डों से, और लोग बाग देखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से इस सदन में बैठे हुए माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित

(16.00 बजे)

करना चाहूंगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय भवनों का निर्माण एवं रख-रखाव के कार्य हेतु वर्ष 2011-12 में 203 करोड़ 43 लाख रुपये रखे गये थे। राजकीय भवनों में सावर्जनिक निर्माण विभाग द्वारा जो काम किये जा रहे हैं, उनमें सामान्य प्रशासन, भू-राजस्व, न्यायिक, पुलिस, सहकारिता, वाणिज्यिक कर, समाज कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जेल विभाग, परिवहन, पशुपालन एवं वक्फ बोर्ड, आदि के भवन निर्माण के कार्य किये जा रहे हैं।

मैं खास तौर से स्कूल भवन और अस्पतालों की स्थिति आपके समक्ष रखना चाहती हूं। उसमें आपके द्वारा जो रखरखाव का बजट रखा जाता है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। वह इसलिये कि जब हम लोग स्कूल भवनों की बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान जो केन्द्र सरकार का चल रहा है, उसके तहत जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां तक का तो जो बजट है, जो पैसा है स्कूल भवन बनाने का, वह तो केन्द्र सरकार से मिल जाता है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की हालत बहुत ज्यादा बदतर है। उनके स्कूल भवनों का विकास करना है या रिपेयर करना है, उसके

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लिये पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट कुछ भी पैसा उपलब्ध नहीं कराता। हालत यह है, मैं अगर राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो राजनगर में उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी के अन्दर है, शहर में स्कूल होने के बावजूद भी इस तरह की हालत है कि पट्टियां कभी भी बच्चों के सिर पर गिर सकती हैं। इसका कोई अनुमान नहीं। इतनी बार लिखने के बाद में भी उस भवन के निर्माण के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया, उसके रिपेयर, रखरखाव के बारे में एक भी पैसा अभी तक हमें नहीं मिला। तो कृपा करके यह देखें कि जहां-जहां भी इतने पुराने स्कूल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हो गये हैं, उनकी रिपेयर के लिये निश्चित रूप से कुछ बजट होना चाहिये। उन भवनों को रिपेयर करें। वे बहुत ही सुन्दर पुराने समय के बने हुए भवन हैं, लेकिन रिपेयर नहीं होने की वजह से उनकी बहुत जर्जर हालत हो रही है।

इसी तरीके से, अगर अस्पताल के भवन देखें तो उनकी भी हालत यह है कि मरीजों की आंखों में चूना गिरता रहता है। अस्पतालों की चारदीवारी नहीं है। ऐसा लगता है, वहां पशु भ्रमण करते हैं। पता नहीं चलता है, इन्सानों का अस्पताल है या पशुओं का। गन्दगी का अपार ढेर लगा रहता है। कोई वहां सफाई नहीं हो पाती क्योंकि बाउंडरीवाल नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा बुरी दशा में अस्पताल हैं।

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र जो राजसमन्द जिला मुख्यालय पर है, वहां आर के हास्पिटल, जो राजकीय अस्पताल है, उसके रखरखाव के लिये मात्र 50 हजार से 1 लाख रुपया सालाना मिलता है। आप सोचें, उस अस्पताल का रिपेयर वर्क कैसे करेंगे? उदयपुर का आर एन टी मेडिकल कालेज अगर लूं, तो वह सम्भाग मुख्यालय पर है और उदयपुर सम्भाग मुख्यालय पर आर एन टी मेडिकल कालेज में 2010-11 के अन्दर 7 लाख 80 हजार रुपये मिले पूरे साल भर में रिपेयर के लिये, 2011-12 में 7 लाख 70 हजार रुपये मिले रिपेयर करने के लिये। अब आप सोचिये कि इतनी बड़ी बिल्डिंग रिपेयर करनी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ गयी, सब कुछ रिपेयर का आ गया उसमें, कैसे यह सम्भव होगा? तो या तो आप लोग प्राइवेट-पब्लिक-पार्टनरशिप के तहत आगे आइये। उसमें अगर देना चाहें तो उसमें इन्वाइट करिये लोगों को लेकिन अगर सरकार अपने पास रखती है, सरकार इस पर भी कोई प्रयास नहीं करती तो अस्पतालों और स्कूल भवनों की यह हालत होगी।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

और सारे भवनों के बारे में तो मैं, क्योंकि बहुत लम्बा होगा इसलिये नहीं बोलना चाहती, लेकिन इन दोनों विभागों के ऊपर तो खास तौर से, माननीय मंत्रीजी, कुछ न कुछ ऐसा बजट रखें। पूर्ववर्ती जो सरकार थी, माननीय वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं तो उस समय टी एफ सी के तहत भी भवन निर्माण के लिये पैसा रखा जाता था। आज भी अगर आप चाहें तो टी एफ सी का पैसा केवल सड़क और इसी के लिये ही नहीं, बल्कि इन भवनों के लिये भी कहीं न कहीं उपयोग में ले सकते हैं तो निश्चित रूप से लेने का प्रयास करें।

सी आर एफ की अगर बात करें, सेण्ट्रल रोड्स फण्ड जो आपको मिलता है, उसमें 2011-12 में 422 करोड़ रुपये राज्य को मिला। इस 422 करोड़ में से 218 करोड़ रुपये मात्र भीलवाड़ा जिले के अन्दर ही खर्च हुए, सी आर एफ के। अब, माननीय मंत्रीजी, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से यह कहूंगी कि इस तरीके से अगर हम भेदभाव करेंगे विकास के लिये, चूंकि भीलवाड़ा से जो केन्द्र के मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहां पर, वे प्रभावशाली हैं और उनका क्षेत्र है, इसलिये सी आर एफ का राज्य का जो बजट है उसमें से 218 करोड़ रुपये मात्र भीलवाड़ा में खर्च करें और शेष रहे 214 करोड़ में से पूरे स्टेट के डवलपमेंट के बारे में सोचें, तो मैं सोचती हूं कि न तो हमारा कोई उचित निर्णय होगा और न ही हम पूरे राज्य के विकास करने के बारे में सोचते हैं। सी आर एफ का पैसा सब तरफ लगे और इस पैसे का उपयोग पूरे राज्य की सड़कों के डवलपमेंट के लिये काम में आये तो ज्यादा अच्छा होगा।

पैचवर्क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अभी मुझसे पूर्व और भी बहुत से सदस्यों ने यहां सदन के समक्ष यह बात रखी है। पैचवर्क के लिये 2011-12 में पूरे राज्य का अगर बजट देखें तो 200 करोड़ रुपये आपने रिपेयर वर्क के लिये, रिपेयर वर्क की स्थिति बहुत ज्यादा, पैसे कहां लगते हैं? पैचवर्क सड़कों के ऊपर नहीं हो पाता, रिन्यूअल आफ रोड्स हो नहीं पाता। इन सारी स्थितियों में मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगी कि राजसमन्द के अन्दर 3 सड़कें हैं, पसून से तातोल की सड़क, जैसा मुझसे पूर्व अभी हमारे माननीय सदस्य प्रताप सिंहजी ने कहा, सड़क, लगता ही नहीं कि यह सड़क है। ऐसी सड़कें पूरे राज्य में बहुत सारी जगह पर हैं। पसून से तातोल भी उसी का एक उदाहरण है कि वह सड़क कहने के लिये तो आपके कागजों में यह सड़क है लेकिन वहां अगर मौके पर जायेंगे तो दिखता ही नहीं, यहां सड़क है। पिछले 3 साल से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बार-बार हम लोग इस बात को कहते आये हैं कि पसून से तातोल तक की सड़क को रिन्यूअल आफ रोड्स के अन्दर लीजिये। पता नहीं, इतना पैसा आता है बजट के अन्दर लेकिन वह कहां चला जाता है। उस सड़क को रिपेयर कराने के बारे में सोचें।

कांकरोली से भीलवाड़ा जो सड़क जाती है, उस सड़क की स्टेट हाइवे के लिये घोषणा हो गयी। स्टेट हाइवे के लिये घोषणा हुई यह बहुत अच्छी बात है; वह कब होगी, मुझे पता नहीं। नेशनल हाइवे हुआ है तो भी अच्छी बात है, लेकिन आज की हालत यह है कि उस सड़क के ऊपर इतने बड़े-बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, उसकी रिपेयर के बारे में सरकार नहीं सोच रही। नेशनल हाइवे में घोषित हुआ है, कब वह सड़क बनेगी, उसका सपना देखते-देखते हम आज खड्डों के अन्दर से वहां से निकल रहे हैं, इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं...(व्यवधान) गंगापुर होकर राजसमन्द तक अभी नहीं बनी है।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): नवीनीकरण उसका हो चुका है। कुछ क्षेत्र का काम चल रहा है, बाकी नवीनीकरण हो गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नवीनीकरण नहीं, चल रहा है, अभी तो बाकी है। जो राजसमन्द वाला क्षेत्र है, मैं खास तौर से...

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य I think, Hon'ble Minister is competent enough to give a reply.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, अगर वे देना भी चाहते हैं तो वह अधूरी जानकारी है। क्योंकि राजसमन्द तक की जो बात आप कह रहे हैं, मैं खास तौर से राजसमन्द क्षेत्र से आती हूं और राजसमन्द के क्षेत्र में उस सड़क के ऊपर काफी खड्डे हैं। उस सड़क पर रिपेयर की जरूरत अभी भी है।

पी डब्ल्यू डी से की हुई जो सड़कें हैं, उनमें कांकरोली के अन्दर शहर से जो सड़क गुजर रही है, उसमें भी सौ फीट सड़क पी डब्ल्यू डी के अण्डर में आती है, जो नगरपालिका क्षेत्र से गुजर रही है। नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द की सौ फीट की सड़क की हालत भी बहुत बदतर है। मैं चाहूंगी, माननीय मंत्रीजी, उस सड़क को भी आप लें। इस सड़क की रिपेयर और रिन्यूअल के अन्दर लेकर जो खड्डे हैं, उनका पैचअप भी कराएं, रिन्यूअल आफ रोड्स के अन्दर डामरीकरण कराने की भी महती कृपा करें।

आर एस आर डी पी के द्वारा 16 आर ओ बी की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी हुई। उसमें 204 करोड़ 60 लाख रुपये यू आई टी के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

डिपोजिट वर्क के तहत 2 आर ओ बी सैंक्शन हुए थे, जो 41 करोड़ के थे। अब आज स्थिति यह है कि वह 18 आर ओ बी जो होने थे, उसमें से मात्र 3 आर ओ बीज अभी तक हुए हैं, 16 आर ओ बी अभी तक भी नहीं हुए हैं। ये कब तक होंगे? क्यों नहीं हम टाइम बाउण्ड प्रोग्राम रखते हैं? 18 आर ओ बीज के लिये मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। क्योंकि आर ओ बी सैंक्शन होने के लिये दिल्ली तक फाइल जाती है, उसके लिये वहां पर काफी प्रयास करने के बाद में ये सैंक्शंस वहां से निकलीं और उन आर ओ बी की सैंक्शंस हमें मिलीं। राज्य की ओर से जो आर ओ बीज सैंक्शन हो गये, उसके बाद भी 18 में से अभी केवल 3 आर ओ बी हो पाये हैं, 16 आर ओ बी अभी शेष हैं। उनको भी जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि वहां पर लोगों को राहत मिल सके और ट्रैफिक डाइवर्ट हो सके। इसके लिये बहुत जरूरी है।

आर एस आर डी सी को आप बार-बार काम तो देते हैं लेकिन उनकी काम करने की जो क्षमता है, उस काम करने की क्षमता पर कहीं न कहीं प्रश्न चिह्न लगता है। वह प्रश्न चिह्न इसलिए लगता है कि 19 आपने महत्वपूर्ण सड़कें उनको विकास के लिए दीं, बी ओ टी के अन्तर्गत वे सड़कें दी गयीं, उन 19 सड़कों में से अभी केवल 5 सड़कें हैं, जिनका काम हुआ है। अभी भी इतनी सड़कें शेष बची हुई हैं, जहां पर काम अभी चल रहा है। पूरा होगा, होगा, इसी अंदाज में चल रहा है। उसी में एक सड़क मैं अपने क्षेत्र की जो गोमती चौराहे से लेकर के पाली तक जाती है, जिसके लिए मैंने पहले भी विधान सभा में क्वेश्चन उठाया था, आपने तुरन्त उसकी स्वीकृति जारी की, वर्क आर्डर आपने उसका दिया, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं लेकिन वह काम जल्दी हो। वह टाइम-बाउंड पीरियड में नहीं हो रहा है। ठेकदार पर क्या पेनल्टी लग रही है? इसमें अगर आपकी मानिटरिंग थोड़ी ठीक हो जायेगी, जिसकी हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब आप डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, आप इसको जरा जल्दी करायें। यह जो पाली-गोमती चौराहे तक की जो सड़क है, उस सड़क पर से हजारों यात्री चारभुजा जी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। अभी भी उसने काम शुरू किया है लेकिन पता नहीं, कब तक वह पूरी होगी। उसके अन्दर अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो यह सड़क जल्दी से जल्दी पूरी होगी और इससे हम लोगों को राहत मिल सकेगी।

सभापति महोदय, 16 मेगा हाइवे जो सरकार ने घोषणा किये, वे भी 2 वर्ष पहले घोषणा किये, आज तक मात्र 5 सड़कों के ही काम उसमें हुए हैं और शेष 11 मेगा हाइवे अभी भी पड़े हैं। मैं उन मेगा हाइवेज में जोड़ने के लिए

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अपनी तरफ से प्रस्ताव कुछ आपको देना चाहती हूं। देवगढ़-आमेट, कांकरोली-रेलमगरा और कपासन-निम्बाहेड़ा, ये 3 भी आप इन मेगा हाइवेज के अन्दर जोड़ें। पूर्व में भी यह प्रस्ताव हुआ, इनकी भी सर्वे, वगैरह सारी हो चुकी है, अगर इसको भी आप मेगा हाइवेज में लेंगे तो यह हम सब लोगों के लिए ठीक होगा, उस क्षेत्र के लोगों के लिए ठीक होगा।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह एक बहुत ही अच्छी योजना माननीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने शुरू की थी। इस योजना के अन्दर यह था कि हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 250 की आबादी तक के जितने भी गांव होंगे, वे सारे गांव सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मानिटरिंग प्रोपर नहीं होने की वजह से आज भी यह हालत है कि 250 से 500 की आबादी के राज्य में 1,350 गांव ऐसे हैं जहां सड़कें नहीं हैं, आज भी 2,880 गांव ऐसे हैं जहां पर डामर की सड़कें नहीं हैं। राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 20 गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर 28 किलोमीटर की सड़क, जिनके प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन हैं, उनकी स्वीकृति नहीं होने की वजह से, जबकि ये 250 तक की आबादी के गांव 2012 तक कम्प्लीट हो जाने चाहिए थे, सड़कों से जुड़ जाने चाहिए थे ये गांव, लेकिन आज भी वे पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे पता नहीं कि किस कारण से वे पेंडिंग हैं। उनको भी आप अगर अपने यहां से निकालेंगे तो राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के जो 20 गांव सड़कों से वंचित हैं, वे गांव जुड़ जायेंगे, केवल 28 किलोमीटर की सड़कें ही वहां पर बननी हैं। यह जो लक्ष्य है हमारा, 2012 तक 250 की आबादी के सारे गांव सड़कों से जोड़ने का, उसकी भी पूर्ति हो सकेगी। मैं यह चाहूंगी कि यह काम भी जल्दी से जल्दी पूरा करवायें ताकि राजसमन्द के अन्दर आज भी जो गांव शेष रह रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, उनका काम जल्दी से जल्दी पूरा हो।

सभापति महोदय, पुलिया निर्माण के संदर्भ में भी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारी रेलमगरा पंचायत समिति है, उसके दो प्रपोजल ऐसे हैं, एक तो कुरज ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत में पिछले तीन साल से पुलिया निर्माण का काम पी डब्ल्यू डी के द्वारा चल रहा है। पता नहीं, वह कौन ठेकेदार आता है, फिर वह ठेकेदार चला जाता है। उसके बाद, फिर दूसरा वापस से टेंडर होता है, फिर नया ठेकेदार आता है, फिर वह चला जाता

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है। लोग वहां परेशान हो रहे हैं। लेकिन कुरज की उस पुलिया का काम 3 साल से पूरा नहीं हुआ। हमने कलक्टर को लैटर लिखा, आपके एस.ई. को लैटर लिखा, आपके विभाग के सारे बड़े-बड़े अधिकारियों को लैटर लिखा कि आप इसकी जांच बैठायें। मैं आपको भी आज इस अनुदान की मांग के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस पर जांच बैठायें। यह जो कुरज की पुलिया है, उस पुलिया का काम आखिर कब तक पूरा होगा? इसको कम से कम आप अपने जवाब में बतायें। अगर जांच बैठायेंगे तो पता चलेगा कि यह काम किस कारण से लम्बित हो रहा है।

सभापति महोदय, ऐसे ही जो दूसरा गांव है, वह बड़ारड़ा ग्राम पंचायत का गांव है, उस गांव का नाम है मजा। बड़ारड़ा ग्राम पंचायत का मजा गांव, वहां की पुलिया का काम भी पिछले 3-4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसको भी क्यों पी डब्ल्यू डी विभाग नहीं कर पा रहा है, उसका कोई जवाब विभाग के पास नहीं है। जब भी हम उनसे पूछते हैं तो बार-बार यही कहते हैं कि बस अब शुरू हो जायेगा, ठेकेदार की कुछ कमजोरी थी इस वजह से हमने नया टेंडर किया। वह नया टेंडर किया है तो वह कब पूरा होगा? किसी भी तरह की रेस्पोंसिबिलिटी उनके ऊपर फिक्स करने की जरूरत है। ठेकेदार काम नहीं करते, एस.ई. और एक्स.ईएन. बार-बार हम लोगों को कहते रहते हैं कि कर देंगे। किसकी रेस्पोंसिबिलिटी इसके अन्दर होगी, जो पुलिया का काम आप अधूरा छोड़ देते हैं? ना पब्लिक वहां से गुजर सकती है। जो दूसरा रास्ता है वह भी टूटा पड़ा है। कैसे उस काम को पूरा करेंगे, उसको जरा देखने की जरूरत है। इस पुलिया निर्माण का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो, इन दोनों ही गांवों का, इनका काम शीघ्र हो, यह मैं चाहती हूं।

सभापति महोदय, साथ ही, जो आपके यहां पर हरित सड़क योजना शुरू हुई थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसकी घोषणा की थी, 3 साल में हम लोग कितने ही हजार किलोमीटर की सड़कें हरित बना देंगे, यानी सड़क के दोनों तरफ हम पेड़ लगा देंगे, इस तरीके की यह योजना थी। पी डब्ल्यू डी और फोरेस्ट, दोनों विभागों को मिलकर इस योजना को पूरा करना था। मैं अपने क्षेत्र में तो यह हरित सड़क योजना कहीं भी नहीं देखती हूं। हमने कहीं नहीं देखा कि कहीं वृक्षारोपण सड़क के किनारे हुआ हो। इस पर थोड़ी जांच की जरूरत है। कितना बजट आप लोगों ने रखा है, कितना बजट का उपयोग हुआ है, यह अगर आप अपने रिप्लाई में देंगे तो हम लोगों को ठीक लगेगा। इस

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हरित सड़क योजना में हमें कहीं पर भी कोई सड़क दिख नहीं रही, जहां पर वृक्षारोपण पी डब्ल्यू डी या फोरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ हो।

सभापति महोदय, ऐसे ही माइनिंग की सड़कों के बारे में भी मैं यह चाहूंगी कि जो पहले पूर्ववर्ती सरकार में माननीय वसुन्धरा जी ने एक योजना चलायी थी, सहभागी योजना, जिस सहभागी योजना में 25 परसेंट पैसा वहां के क्षेत्र के लोग इक्टठा करते थे और 75 परसेंट पैसा पी डब्ल्यू डी विभाग देता था और माइनिंग की वह सड़क, माइन्स की ओर जाने वाली सड़कों का काम पूरा किया जाता था, उसके तहत राजसमन्द जिले में भी करीब साढ़े 6 करोड़ रुपयों की सड़क पूर्व में बनी थीं। आज भी 25 परसेंट पैसा देने के लिए पब्लिक तैयार है लेकिन सरकार न तो सड़क अपने स्तर पर बना रही है और ना ही सहभागी योजना के तहत बनाने की किसी तरह की कोई योजना बना रही है। अगर ऐसी कोई मंशा भी सरकार रख रही है तो भी आप बतायें ताकि हम लोग वहां पर लोगों को कह सकें। इसमें सड़कें भी बन जायेंगी और लोगों का सहयोग भी होगा, वहां के लोगों को राहत भी मिलेगी। यह मैं चाहूंगी कि पूर्व में जो सहभागी योजना में सड़कें बनती थीं, उसको फिर से शुरू किया जाये।

सभापति महोदय, इसी सहभागी योजना में जो मुझसे पूर्व हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि धार्मिक स्थलों को जोड़ने की जो योजना थी, वह भी माननीय वसुन्धरा जी ने शुरू की थी। उसमें भी 25 परसेंट पैसा हम लोग अपने एम एल ए फंड से और एम पी फंड से देते थे या वहां क्षेत्र के लोग देते थे, सहभागी योजना में 25 परसेंट पैसा हमारा और 75 परसेंट पैसा सरकार का, उससे भी वह धार्मिक स्थल जुड जाता था। वह जो धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने की योजना थी, वह योजना भी समाप्त हो गयी। हम चाहेंगे कि उस योजना को फिर से शुरू करें ताकि बहुत सारे ऐसे गांव के अन्दर देवरे हैं, मंदिर हैं छोटे-छोटे, जहां हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो अलग-अलग अपने एरिये में बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं लेकिन वहां पर जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह योजना अगर फिर से शुरू होगी तो यह पूरे राजस्थान के लिए बहुत लाभदायक होगी। धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम भी आप फिर से शुरू करेंगे तो अच्छा होगा।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सभापति महोदय, साथ ही, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी जैसे पहले कोटा थर्मल के अन्दर जो राख उड़ती थी, उसकी ईंटें बननी शुरू हुईं। तब ऐसा सरकार ने एक नियम बना दिया था कि उस क्षेत्र के अन्दर उस राख से बनी ईंटों का ही उपयोग पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट अपने यहां करेगा। यह अनिवार्य रूप से कहा गया था पी डब्ल्यू डी को एक आदेश निकालकर। क्यों नहीं आप, हमारे यहां पर राजसमन्द क्षेत्र में जहां मार्बल स्लरी निकलती है इतनी, वह मार्बल स्लरी भी साइंटिफिक रूप से सड़कों में काम आ सकती है। उस मार्बल स्लरी से भी ईंटें बन रही हैं। इस मार्बल स्लरी को सड़कें बनाने में अगर काम में लिया जाये, चाहे उस क्षेत्र के अन्दर ही लेवें, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना तो बहुत महंगा होगा, लेकिन उस क्षेत्र में जितनी सड़कें बनती हैं, वहां की सड़कों के लिए अगर इस मार्बल स्लरी का उपयोग करते हैं तो अच्छा होगा। अगर आप अपने 'जी' शिड्यूल के अन्दर इसको डाल देते हैं तो ही उसका लाभ हो सकेगा। यह मार्बल स्लरी अगर यहां पर सड़कें बनाने में काम में ली जाती है तो पर्यावरण भी ठीक हो जायेगा, मार्बल स्लरी का भी उपयोग हो जायेगा; जो सड़कें वहां पर बन रही हैं, सड़कों के लिए भी यह मार्बल स्लरी अपने आप में एक कम्पोनेंट हो जाएगा और आपके काम भी ठीक होगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि यह पर्यावरण भी ठीक हो जाए और हमारा पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट अगर इस मार्बल स्लरी को 'जी' शिड्यूल में डाल दे, तो यह सड़कों के लिए भी काम में आनी शुरू हो जाएगी।

ऐसे ही एक जो नेशनल हाइवे है, यह हो सकता है कि आप यह समझते हों कि नेशनल हाइवे में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन स्टेट वाले इसमें प्रस्ताव भेज सकते हैं। यह बहुत ही टेक्निकली इतनी गड़बड़ हुई है कि नेशनल हाइवे-8 जो दिल्ली से मुम्बई जाता है, अगर दिल्ली से किशनगढ़ तक आते हैं तो 6 लेन, किशनगढ़ से ब्यावर तक 4 लेन, ब्यावर से गोमती होते हुए राजसमन्द और नाथद्वारा होते हुए उदयपुर तक जो प्रपोज्ड है 4 लेन, उसमें भी आपके ब्यावर से लेकर गोमती तक 3 लेन का कर दिया। जवाब में यह आया था कि गोमती से लेकर ब्यावर तक ट्रैफिक कम है, ऐसा सर्वे आया था। मैं यह समझ नहीं पाई कि जो ट्रैफिक आएगा, वह गोमती तक क्या हवा से उड़कर जाएगा? कैसे जाएगा? यानी केवल यह पार्ट ब्यावर से लेकर गोमती तक 3 लेन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां ट्रैफिक नहीं है और गोमती से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उदयपुर तक वापस 4 लेन हो जाएगा। केवल एक छोटा सा टुकड़ा, उदयपुर से लेकर बोम्बे तक फिर 6 लेन है और सिर्फ, और सिर्फ, ब्यावर से लेकर गोमती तक का जो टुकड़ा है, वह 3 लेन रहेगा। यह बोटलनेक है, जो इन्होंने प्रपोज किया है नेशनल हाइवे, यह हमारी समझ से बाहर है। माननीय मंत्रीजी, मैं चाहूंगी कि सरकार इस तरह के प्रस्ताव बनाकर भेजे कि इसको भी 3 लेन से 4 लेन करें। सड़क जो ब्यावर से लेकर उदयपुर तक बननी है वह पूरी 4 लेन बननी चाहिए। बीच में यह 3 लेन का टुकड़ा, केवल यह कहना कि ट्रैफिक नहीं है उस एरिये में, यह किसी भी तरीके से तर्कसंगत बात नहीं लगती है। इसलिए इसको भी ठीक से उसमें करवाने का कष्ट करें।

यही कहते हुए, अंत में, मैं आपसे यही चाहूंगी कि जो सारी सड़कें पी डब्ल्यू डी बना रहा है, बहुत जागरूक हैं आप, इसमें कोई शंका नहीं है, आप अपने डिपार्टमेंट के अन्दर सारा चैक भी कर रहे हैं, कहीं पर भी हम लोग भी अगर आपसे कोई बात कहते हैं तो उस पर भी आप चैक करवाते हैं; नरेगा में जो काम हो रहे हैं पी डब्ल्यू डी के द्वारा, वे और जो सड़कें बन रही हैं, उसमें खास तौर से जो डब्ल्यू बी एम की सड़कें बनती हैं वे डब्ल्यू बी एम की सड़कें बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं बनती हैं। हम चाहते हैं कि पी डब्ल्यू डी से अगर कोई सड़क बने तो उसकी क्वालिटी ठीक हो, लेकिन नरेगा में पी डब्ल्यू डी जो काम कर रही है, वह संतोषप्रद नहीं होता है। जब बात करते हैं एक्स ईएन से, तो वे यही कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है, हमारे पास ए ईएन नहीं हैं जो जाकर चैक करें, हमारे पास जे ईएन नहीं हैं जो जाकर चैक करें। अगर आपके पास ए ईएन और जे ईएन नहीं हैं तो आप उनकी भर्ती कीजिये, चैक नहीं है तो कांट्रेक्ट बेसिस पर रखना है तो वह रखिये, लेकिन यह कोई रीजन नहीं हुआ जिसकी वजह से क्वालिटी को हम मेन्टेन नहीं कर पाये। कम से कम नरेगा में जो डब्ल्यू बी एम की सड़कें हैं उनकी क्वलिटी सही हो और नरेगा में उन डब्ल्यू बी एम सड़कों पर जो डामरीकरण कर रहे हैं, वह 20 एम एम का कर रहे हैं। 20 एम एम के डामरीकरण से क्या होने वाला है? कितने महीने, तीन-चार-पांच महीनों में वह सड़क उखड़ जाएगी या तो वह डामरीकरण करे ही नहीं, केवल डब्ल्यू बी एम ही करें और डब्ल्यू बी एम भी करें तो वह अच्छी क्वालिटी का डब्ल्यू बी एम हो, यह सुनिश्चित करें। जब पी डब्ल्यू डी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यह काम करवा रही है तो यह पी डब्ल्यू डी की जिम्मेदारी है कि नरेगा में काम की क्वालिटी को वह मेन्टेन करे, यह जो वर्क हैं वे सारे वर्क्स ठीक हों। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के बारे में सदन में चर्चा हो रही है। इस बार बजट में सड़कों के लिये जो राशि उपलब्ध करवाई गई है, प्रस्तावित की गई है, वह लगभग 6,165 करोड़ रुपये है। इसमें 800 करोड़ रुपये 250 से अधिक जनसंख्या वाली ढाणियों के लिये, 350 करोड़ रुपये राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिये, 3,590 करोड़ रुपये मेगा हाइवेज के लिये और 1,025 करोड़ रुपये मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने, पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिये, ड्रेनेज बनाने के लिए, कुल 6,165 करोड़ रुपयों का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

यही नहीं, इसके अलावा, इसके पहले जो 16 किलोमीटर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कें बनाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है और उसमें 8 किलोमीटर सड़क के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और 8 किलोमीटर के प्रस्ताव मांग लिये गये हैं। प्रतिपक्ष के सम्माननीय सदस्य हमेशा कहते रहते हैं कि भेदभाव बरत रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस तरह से सड़कें बनाने की घोषणा की है कि जितने भी विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें प्रत्येक में 16-16 किलोमीटर सड़कें बनाई जायेंगी और वह कार्य प्रगति पर है।

माननीय सभापति महोदय, धार्मिक स्थलों की सड़कों की चर्चा कर रही थीं सम्माननीय किरण माहेश्वरी जी, पिछले वर्ष जो बजट दिया गया था उनका कार्य चालू है और आगे भी मेरी यह सोच है कि जहां-जहां बड़े धार्मिक स्थल हैं, यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो इसमें भी बजट का प्रावधान किया जाए। इससे धार्मिक स्थल जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी रहती है, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनको आवागमन की बड़ी दिक्कत होती है। तो इसका प्रावधान रखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, 16 मेगा हाइवे का इस बजट में प्रावधान किया गया है जो 2,630 किलोमीटर लम्बे और 3,590 करोड़ रुपये की लागत

(श्री भगवान सहाय सैनी)

से बनाये जायेंगे। इसमें मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि चौमूं महला वाया जोबनेर का हाइवे, जिसकी लम्बाई 82 किलोमीटर होगी, 162 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। यह मेगा हाइवे बनने से जो बड़े वाहन हैं, उनको जाने में बड़ी राहत मिलेगी।

250 से 500 तक की आबादी की जो ढाणियां हैं, अब तक रेवेन्यू विलेज ही सड़कों से जोड़े जाते थे, यह अच्छी योजना, महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, 250 से 500 तक की ढाणियां भी डामर से जुड़ जाएंगी तो आने-जाने में जनता को काफी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, सही कहा है खाचरियावासजी ने कि रोड इज लाइफ, वास्तव में रोड ही लाइफ है। यदि सड़कें अच्छी हैं तो लाइफ लम्बी चलती है। कई जगह खड्डों से आये-दिन हादसे होते रहते हैं। जिस प्रदेश की सड़कें अच्छी होंगी, गांवों की सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से वह गांव भी अच्छा कहलायेगा और वह प्रदेश भी अच्छा कहलायेगा। हमारे सम्माननीय मंत्रीजी, भरतसिंहजी ने जब से यह प्रभार सम्भाला है, निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चौमूं बाइपास और 4 लेन का काम प्रगति पर है और चौमूं बाइपास लगभग 1 महीने में पूरा हो जाएगा, जो 430 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण योजना है। जब भी मैं सदन में 3 साल तक इस पर बोलने के लिये खड़ा होता तो माननीय दिगम्बर सिंह जी और ये कहते थे कि बाइपास सैंक्शन करवा लो; वह बाइपास सैंक्शन भी हो गया, बन भी गया है और 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आप भी उधर से गुजरते हैं, वह बाइपास लगभग चालू हो गया है। यह बहुत बड़ी योजना है, इसके लिये राजस्थान सरकार और भारत सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सामोद में वीर हनुमान जी मंदिर है, वहां सड़क मार्ग नहीं है। उसकी योजना बनाई है, लगभग 7 करोड़ रुपये की और यह सड़क बने। बारह महीनों में छह महीनों तक लगभग 50 हजार से अधिक लोग दर्शनों के लिये जाते हैं, उनको काफी परेशानी होती है। लगभग 900 पैड़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह सड़क बन जाए तो बड़ा आराम होगा। इसलिए

(श्री भगवान सहाय सैनी)

मेरा सड़क मंत्रीजी से निवेदन है कि इस ओर भी आप ध्यान दें और सामोद में वीर हनुमान मंदिर तक रोड बनाई जाए।

महामाया मंदिर तक जो मंदिर योजना में पर्यटन एवं देवस्थान योजना जो पिछले साल सैंक्शन थी, उसका वन विभाग द्वारा रोड़ा अटकाने से इस रोड का कार्य प्रगति पर नहीं है, कार्यवाही चल रही है। मेरा निवेदन है कि वन विभाग की जो रोक है, उसको हटाकर इस रोड को भी बनाया जाये।

तातेड़ा मोड़ से सिंगोद खुर्द तक टेण्डर दो साल पहले सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करने के लिये हुए थे, उसका काम भी आज तक चालू नहीं हुआ है, इसको भी आप चालू करवायें। नेशनल हाइवे 11 पर नांगल कला, गड़लिया रपट तक, हस्तेड़ा मण्डा, भिण्डा, डोला का बास तक सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराया जाये।

माननीय सभापति महोदय, स्टेट हाइवे उदयपुरिया से मुण्डरू, इसमें उदयपुरिया से नांगल मोड़ और खेजड़ोली से मुण्डरू, रह गया है। इस सड़क का चौड़ाकरण और सुदृढ़ीकरण हो चुका है, सी आर एफ से लेकिन नांगल मोड़ से खेजड़ोली सीमा, मुण्डरू तक इसको छोड़ दिया गया है। सिंगल रोड है, आगे डबल रोड बन चुकी है। इस रोड को भी सी आर एफ में स्वीकृत कराया जाये। इस रोड का पिछले वर्ष बिलकुल बोर्डर पर नम्बर था लेकिन अब तक इसकी कोई स्वीकृति नहीं आई है। इसको स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि स्टेट हाइवे पर सामोद सीमा पर टोल टैक्स नाका स्थित है। यह टोल टैक्स, अभी जयपुर से जाटावाली और महार से बड़े-बड़े वाहन जाते हैं। तो यह टोल टैक्स यहां होना जन हित में भी नहीं है और बड़े-बड़े साधन महार के आगे से निकलते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सामोद स्थित टोल टैक्स को महार कलां की सीमा से बाहर स्थापित किया जाएगा तो टोल टैक्स भी अधिक मिलेगा और जनता को भी सुविधा मिलेगी। सामोद और महार के लोग बड़े परेशान होते हैं, उनको टोल टैक्स भी देना पड़ता है, जबकि इस टोल टैक्स के दो किलोमीटर की सीमा में रहते हैं। यदि यह महार की सीमा से आगे हो जाएगा तो निश्चित तौर से टोल टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम भी ज्यादा होगी। दूसरा, एक टोल टैक्स जो प्रस्तावित है, नेशनल हाइवे-11 पर रामपुरा पावर हाउस के पास, यह जे डी ए और महानगर निगम की

(श्री भगवान सहाय सैनी)

सीमा में है। इसको भी ग्रामीण क्षेत्र चौमूं से कहीं बाहर स्थापित किया जाए जिससे चौमूं वालों को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारा चौमूं का एक्स.ईएन. कार्यालय पी डब्ल्यू डी का चौमूं में स्थापित किया जाए।

जाटावाली-चौमूं स्टेट हाइवे पर विजयसिंहपुरा बांदी के पास एक बहुत बड़ा कर्व है, मोड़ है, आये दिन वहां एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो यह मोड़ हटाकर के इस सड़क को सीधा करवाया जाए।

पांच सौ से अधिक आबादी वाले ग्राम गिदा का बास, लालपुरा, चेता का बास, खेतसिंह का बास, विकास नगर, साबू का बास व ढाई सौ से अधिक आबादी वाले तथा बग्गड़ से रीको, रींगस डामर की सड़क बनाई जाए।

सभापति महोदय, ढोढसर से खाटू श्यामजी एक सड़क बननी थी, जिसका टेण्डर लगभग सवा साल पहले जयपुर जिला एक्स.ईएन, पी डब्ल्यू डी ने भी कर दिया था और सीकर जिला एक्स.ईएन. ने भी कर दिया था, लेकिन वह टेण्डर करके उस सड़क को निरस्त कर दिया, बताया गया कि बजट नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ढोड़सर से खाटू श्याम जी सड़क बनने से जयपुर से खाटू श्याम जी जाने वाले यात्रियों के लिए सुलभ होगा, शार्ट होगा और एक्सीडेंट के बहुत कम चांस होंगे। इसलिए ढोढसर से खाटू श्याम जी तक जो प्रस्तावित रोड है, जिसका टेण्डर भी हो चुका था, उस रोड को स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

इसके अलावा, बग्गड़ से रीको, रींगस तक एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो चौमूं विधान सभा क्षेत्र को श्रीमाधोपुर, रींगस विधान सभा क्षेत्र को जोड़ती है। इस सड़क को भी बनवाया जाए।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जे के लोन हास्पिटल, जो पी डब्ल्यू डी वाला बनाया गया है, इसके फर्स्ट फ्लोर में मेडिकल वार्ड नम्बर पांच और बरामदे में छत से चूना गिर रहा है। छोटे-छोटे बच्चों की स्थिति यह है कि चूना गिरने के डर से बच्चों को कपड़े से उड़ाकर रखते हैं, मैं स्वयं वहां गया था तो पूरा प्लास्टर, चूना नीचे टपकता हुआ पड़ रहा है। क्या कारण है? उसको भी सही प्लान से करवाया जाए।

इसके अलावा, सभापति महोदय, पांच सौ की आबादी के जयपुर जिले में, चाहे चौमूं विधान सभा क्षेत्र हो, शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र हो, उसमें क्लस्टर

(श्री भगवान सहाय सैनी)

बनाये गये थे; क्लस्टर बनाकर सूची दिल्ली भिजवाई गई थी। कुछ जिलों में क्लस्टर की स्वीकृति आकर रोड का निर्माण चालू हो गया लेकिन जयपुर जिले में क्लस्टर चाहे चौमूं हो, शाहपुरा हो, आमेर हो, कहीं भी क्लस्टर की स्वीकृति नहीं आई। उनकी स्वीकृति भी मंगवा करके बनवाने की कृपा करें।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भी कोई डिमांड होती है, अनुदान की मांग होती है, बजट होता है तो सामने से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि यह तो सब हमने करवा दिया, लेकिन आज किसी भी माननीय सदस्य ने यह चर्चा नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन्होंने सड़कों पर कोई काम नहीं किया, केवल खड्डे ही खड्डे किये हैं। इन खड्डों को कांग्रेस सरकार ने भरने का काम किया है। यह बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा, आज की इस डिमांड में मैं भी अपने आप को सम्मिलित करते हुए सबसे पहले मैं पी डब्ल्यू डी मंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहूंगा। वाकई में, जहां सन् 1993 से लेकर आज तक, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आ रहा हूं, मेरे से पहले वहां अमराराम जी चुन कर आते थे, सैकड़ों गांवों में एक मात्र सड़क है। मैं न तो नेशनल हाइवे की बात कर रहा हूं, न और कोई बड़े-छोटों की बात कर रहा हूं, मगर सैकड़ों गांवों को जो सी आर एफ में बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, निश्चित तौर पर राजनीतिक भेदभाव होता रहा, सरकारें आती गईं, सरकारें जाती गईं लेकिन हमारे साथ जो राजनीतिक भेदभाव था, भरतसिंह जी के इस डिपार्टमेंट के मंत्री बनने के बाद उस राजनीतिक भेदभाव, राजनीतिक सीमाओं को तोड़कर के निश्चित तौर पर वह एक हरित राजस्थान की सड़क, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो हरित राजस्थान की घोषणा की, हमें पता था कि सी आर एफ की हमारी सड़क कहीं नहीं जाएगी, हमने उस सड़क को मंजूर करवाया। इलाके के मजदूरों में हम गये, 6 नम्बर फार्म भर करके सड़क के चौड़ाइकरण करने के लिए, जो सैकड़ों गांवों के काम में आने वाली सड़क, गांव के लोग आए, 5-5 सौ के मजदूरों को, 5 सौ से लेकर 7 सौ, 8 सौ मजदूर पर-डे सड़क पर काम किया, डब्ल्यू बी एम तक का जो काम किया, उसके बाद डामर के लिए स्टेट प्लान में लिया। इसलिए उसके

(श्री पेमाराम)

लिए मैं भरत सिंह जी का आभार करना चाहूंगा कि राजनीतिक भेदभाव की सीमाओं को तोड़कर के आपने सभी कांस्टिट्यूएंसीज को, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मेरी कांस्टिट्यूएंसी को देखा है, उसी प्रकार से आप पूरे राजस्थान को देखेंगे। उसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि वाकई में हमारे विकास की कड़ी, रीढ़ की हड्डी के रूप में कोई है तो प्रांत की सड़कें हैं। सरकार चाहे किसी की रहे, सड़कों पर निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। आज हमारे पूरे राजस्थान में जो सड़कों की हालत है, वह देखिए; मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पक्ष और विपक्ष जो भी बोल रहे हैं, सभी अपनी सड़कों के बारे में कहते हैं कि उनको ठीक करें। निश्चित तौर पर राजस्थान में सड़कें टूटी हुई हैं, उनके नवीनीकरण की आवश्यकता है। राजस्थान की सरकार को चाहिए कि किसी भी कीमत पर क्योंकि यदि 10 साल की जो उम्र है और सड़कें चाहे बरसात में टूट गईं, चाहे किसी दूसरे कारण से टूट गईं, वे सड़कें टूट गईं तो उसके लिए सरकार को, चाहे कहीं से भी पैसे का इंतजाम करना पड़े, उन सड़कों को बनवाने की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। आप और हम सब के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार कोई ऐसा प्लान बनाये जिससे पूरे राजस्थान की जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो एम डी आर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, चाहे स्टेट हाइवे हैं, चाहे नेशनल हाइवे हैं, तमाम सड़कों का नवीनीकरण जब तक नहीं हो पाएगा, वे सड़कें ठीक भी नहीं हो पाएंगी।

इसी के साथ में, मैं एक और कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, पी डब्ल्यू डी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन, भ्रष्टाचार संस्थागत है। निश्चित तौर पर आपके आने के बाद उस करप्शन के सवाल को लेकर के, मैं तो महसूस करता हूं, हमारे सीकर में हड़कम्प है अधिकारियों में और आपका दौरा होने के बाद और ज्यादा हड़कम्प है। निश्चित तौर पर, मैं समझता हूं, भय जरूर है, करप्शन पर लेकिन वह संस्थागत करप्शन है। उसके बारे में आप बैठकर के कोई ऐसा प्लान बनाएंगे, उपाय बनाएंगे जिसकी वजह से, क्योंकि सड़कों की जो गुणवत्ता है, ठेकेदार ओर अधिकारी मिलकर के और उसी का परिणाम है, अभी अमराराम जी एक उदाहरण दे रहे थे, एक सड़क, माननीय सभापति महोदय, करोड़ों रुपये राजस्थान की जनता के खून-पसीने के लगे हैं और 12 महीने में ही वह टूट गई, 12 महीने से पहले 7-8 महीने में वह सड़क

(श्री पेमाराम)

टूट गई। इसका मतलब, उसकी गुणवत्ता में कमी है। तो उसके लिए, माननीय मंत्री महोदय, मेरी राय तो यही है कि उस पर आप ध्यान देंगे, योजना बनाएंगे, आपके अधिकारियों के साथ बैठकर के और मैं समझता हूं कि आप जैसे मंत्री के लिए ज्यादा राय की आवश्यकता नहीं, आप प्लान बनाकर गुणवत्ता के साथ जो समझौता न हो, ऐसा कोई प्लान बनाएंगे।

एक मेरा निवेदन है कि पी डब्ल्यू डी में संसाधन, चाहे भवन का हो, चाहे सड़कों का हो, सारे हैं लेकिन पी डब्ल्यू डी में स्टाफ की कमी है। निश्चित तौर पर जैसा नीचे के स्तर का जो अधिकारी है, उसके पास इलाके में जाने के लिए, 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाना होता है तो उसके पास कोई संसाधन नहीं है। एक तरफ करप्शन है करोड़ों रुपयों का और एक तरफ आपके अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच नहीं सकते, जो डामर की सड़क चल रही है। तो उसके लिए आप कोई स्टाफ की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए कोई प्लान बनाकर, कोई योजना बनाकर स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे और जहां संसाधन कम हैं, वहां संसाधन भी, मैं समझता हूं, उपलब्ध कराने के लिए सरकार विचार करेगी जिससे शायद, मैं समझता हूं, हो सकता है कि सड़क निर्माण के समय कोई इंजीनियर वहां पर मौके पर हो तो उसकी गुणवत्ता में कोई समझौता न हो, घटिया माल न लगे जिससे सड़कों की उम्र ज्यादा हो सके, इसलिए उसके बारे में भी आप विचार करें।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे जिले में, जिस तरह से राजस्थान के बाकी हिस्सों में ढाणी और मजरों के सवाल को लेकर आये, हमारे जिले में भी ढाणी और मजरों के प्लान बने, लेकिन फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धोद और दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं गया और प्रधान मंत्री सड़क योजना से कोई पैसा नहीं आ पाया। 2001 से लेकर 2011 तक हर विधान सभा क्षेत्र में घोषित नये राजस्व गांव, मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ढाणी है, वह राजस्व गांव नहीं है, उसकी आबादी अभी 2011 में 1,650 से ऊपर चली गई, लेकिन उसके बाद भी उसमें अभी तक सड़क नहीं बनी, महलों की ढाणी में। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं, सरकार ऐसा कोई प्लान बनाकर 2011 की जो जनगणना आउट हुई है, उसके अनुसार योजना बनाकर पूरे राजस्थान में एक साथ ऐसा प्लान बनाये जिससे वहां की जनता को सड़कों की सुविधा मिल सके।

(श्री पेमाराम)

(16.41 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। हमारे जिले में इससे पहले जो पूर्व पी डब्ल्यू डी मंत्री थे, हमारे जिले में गये; माननीय लक्ष्मणगढ़ से चुनकर आये विधायक महोदय भी मौके पर मौजूद थे, उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में पाटोदा गांव में गये, लगभग साढ़े तीन-चार हजार लोग थे और एक डामर की सड़क के नवीनीकरण की घोषणा करके आये थे। उन्होंने घोषणा की थी कि इस सड़क का नवीनीकरण हो जाएगा। उस साइड में हमारी कांस्टिट्यूएंसी के लोग तो कम जाते हैं, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा हमें भी पूछते हैं कि उस सड़क का क्या हुआ? मैं समझता हूं, पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी ने वहां पर घोषणा की है, तो मैं आज आपसे भी निवेदन करूंगा कि उस घोषणा को पूरा करें, जिससे सरकार के कोई मंत्री द्वारा जनता के बीच में जाकर अपने मुंह से कहने के बाद वह काम नहीं हो, तो वह जनता में सरकार के प्रति भी और विभाग के प्रति भी गलत सवाल होता है। सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है, निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वह लेकर गया था, लोग हमारे पास पूछने के लिए आते हैं और हम यह कहें कि कांग्रेस पार्टी असत्य बोलती है तो वह भी बेहतर नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह घोषणा पूरी करें तो शायद बेहतर रहेगा।

इसके साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हर विधायक के इलाके में 5 किलोमीटर डामर सड़क माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी सदन में दी थी। हमारे जिले में 8 विधान सभा क्षेत्र हैं, 6 विधान सभा क्षेत्र में तो 5 किलोमीटर धार्मिक स्थल की सड़कें बन गईं और उसके बाद की 8 किलोमीटर की सड़कें बन गईं, हमारी कांस्टिट्यूएंसी में वह 5 किलोमीटर वाली सड़कें आज तक ठेकेदार नहीं बना पाया। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज से दो साल पहले जो काम कम्प्लीट होना चाहिए था, फरवरी, 2011 में जो काम कम्प्लीट होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट के कायदे-कानून के मुताबिक, आज फरवरी, 2012 बीतकर उससे ऊपर टाइम चला गया...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): फरियाद कहां सुनाएं?

श्री उपाध्यक्ष: नाराज हो तो विराज जाओ।

श्री पेमाराम (धोद): मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपको रोजाना मौका मिल रहा है। रोजाना मौका मिल रहा है आपको।

श्री पेमाराम (धोद): इन सड़कों के बारे में किसको कहें?

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): अधिकारियों के पास सब जगह जा आये, कोई नहीं सुनता। मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय, या तो राजनीतिक प्रभाव है या ऐसा कौनसा ठेकेदार है? जो पी डब्ल्यू डी के कानून-कायदों को तोड़कर काम नहीं करे, उसको ब्लैक-लिस्ट करो, उस पर पेनल्टी लगाओ, उसका ठेका निरस्त करके किसी दूसरे को ठेका दो ताकि वहां की जनता को भी यह फायदा मिले।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो नये राजस्व गांव बने हैं, उनमें हरित राजस्थान या नरेगा योजना से डिपार्टमेंट को प्लान बनाकर घोषणा तो हुई है, लेकिन उनका प्लान बनाकर उन सड़कों को बनाने के लिए ग्रेवल या डब्ल्यू बी एम स्तर पर बनवाने तक का प्लान बनाएं जिससे, वे राजस्व गांव घोषित हैं जहां आज भी कच्चा रास्ता है, वहां भी बस जाने के लिए, मोटरसाइकिल जाने के लिए सुविधा सुलभ हो सके। इसके लिए आप प्लान बनायेंगे।

आखिर में एक निवेदन और करना चाहूंगा, समय भी हो रहा है, आपने सीकर से धोद तक डामर की मंजूरी दे दी। मंत्री महोदय, मात्र 10 किलोमीटर का देना है, ग्रेवल को चौड़ा करने का काम, डब्ल्यू बी एम स्तर तक का काम कम्प्लीट है, स्टेट प्लान से आप 10 किलोमीटर डामर दे देंगे तो मैं समझता हूं, सैकड़ों गांवों के लोगों को फायदा मिलेगा।

इसी के साथ पुनः मैं इस उम्मीद के साथ कि जो भ्रष्टाचार संस्थागत है, उसको रोकने का उपाय करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पेमाराम जी, धन्यवाद। माननीय। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पाइंट आफ इंफार्मेशन की पर्ची थी।

श्री उपाध्यक्ष: आपका पाइंट आफ इंफार्मेशन का तो समय निकल गया। मैं आपको बताऊं, मेरा सुनिए, आपका यह था कि डा. जितेन्द्र सिंह जी का घेराव कर रखा है। डा. जितेन्द्र सिंह जी यहां बैठे थे। इसलिए यह जरूरी थोड़े ही है, हर पाइंट पर आप बोलें। इसलिए यह आज तो निरस्त है, कल आप भले ही दूसरे ढंग से आ जाएं।

माननीया श्रीमती अनिता भदेल। कल आप अपने ढंग से आ जाइए।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): मैं सच बता रहा हूं, वे तो आये ही यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष: केवल उप मुख्य सचेतक महोदय का अंकित होगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की राय हो तो सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाता है।

माननीया श्रीमती अनिता भदेल।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। केवल अनिता जी भदेल का अंकित होगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: छुट्टी लें, कोई हैडमास्टर थोड़े ही हैं। आप विराजिए। आप रूल्स देखकर कल आइए, पूरा टाइम मिलेगा। चिन्ता क्यों करते हो? थोड़ा क्यों दें? मैं तो पूरा टाइम देता हूं आपको। रामलालजी, आपसे लगाव है, सदन सब चाहता है आपको।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 19 और 21 पर अपने कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय को देना चाहूंगी।

आज विधान सभा के क्वेश्चन आवर में मेरा एक प्रश्न लगा था धार्मिक सड़कों की बाबत। ये धार्मिक सड़कें, सभी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपनी बात यहां कही है, उन्होंने धार्मिक सड़कों के बारे में कहा है; जिनके यहां बन चुकी हैं उन्होंने और मांगी हैं और जिनके यहां नहीं बनी हैं, उन्होंने पूर्ण कराने के लिए माननीय मंत्री महोदय को निवेदन किया है। ये धार्मिक सड़कें

(श्रीमती अनिता भदेल)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हुईं और पूरे अजमेर जिले में जितने भी विधान सभा क्षेत्र आते हैं, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, किशनगढ़, पुष्कर, मसूदा, नसीराबाद, ब्यावर और केकड़ी में आप देखेंगे, सिर्फ अजमेर उत्तर और पुष्कर तथा एक नसीराबाद की सड़क बनी है। बाकी सारे विधान सभा क्षेत्रों की सड़कें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं, उन पर आज तक भी काम नहीं हुआ। मेरा माननीय मंत्री महोदय को यह कहना है, यदि किसी ठेकेदार ने इसके ऊपर स्टे ले लिया है तो आप उसके स्टे को यथावत रहने दीजिए; मेरा सुझाव है कि आप इन विधान सभा क्षेत्रों के नये प्रस्ताव मांग लीजिए, नये प्रस्तावों के अनुसार उन सड़कों का कार्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 75 प्रतिशत तो शहरी क्षेत्र है और थोड़ा-बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा होने की वजह से हमें दूसरी योजनाओं में पैसा नहीं मिलता है। आये-दिन शहर में नयी कालोनियां बसती रहती हैं और उन नई कालोनियों में बसावट के कारण से आये-दिन सड़कों और नालियों की डिमाण्ड इतनी अधिक होती है कि विधायक कोष से हम पूरी सड़कें और नालियां नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति में यदि योजनाओं में पैसा आया हुआ होता है, यदि उन योजनाओं का काम पूरा नहीं हो तो लोग फिर कहां जाएं? इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि धार्मिक सड़कें शेष रह गई हैं, उनको आप शीघ्र पूरा कराने का प्रयास करें।

निश्चित रूप से आपकी कार्यक्षमता में कहीं कोई खोट नहीं है, आपकी नीयत में कहीं खोट नहीं है, आपकी बहुत अच्छी इमेज है और विभाग के अधिकारी आपके व्यवहार से थोड़ा भयभीत हैं। काम सही हों, लेकिन अगर काम ही नहीं हो तो लोग कहां जाएं? यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक इस वर्ष की घोषणा हुई है, 2,600 किलोमीटर लम्बाई की मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ किया जाय। इस बारे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जयपुर-अजमेर रोड जो कि चार लेन माननीय वसुन्धरा जी के समय में बन चुकी थी, लेकिन बनने के पश्चात से लेकर आज तक उसकी एक बार भी रि-कार्पेटिंग पूरी रोड की नहीं हुई है। कभी-कभी उसमें खड्डे हो जाते हैं तो पैचवर्क जरूर हो गया है लेकिन अब यह सड़क पूरी पैचवर्क के अनुसार ही दिखती है। सड़क नहीं दिखती, पैच जगह-जगह दिखते हैं और गाड़ी उछल-उछल कर उसके ऊपर से निकलती है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब आपने इस वर्ष यह स्वीकृति दी है तो अजमेर-जयपुर रोड जो फोर लेन है, उसकी पूरा रि-कार्पेटिंग कराएं जिससे वह

(श्रीमती अनिता भदेल)

सड़क, जो अजमेर शहर की मुख्य सड़क है, उसको हम नई सड़क बनाकर दे सकें।

इसके अतिरिक्त, बाइपास के बारे में बहुत चर्चा हुई है। पुष्कर में जब भी मेला आता है और मेले की बैठकें होती हैं, तब यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उस मेले के यातायात को कैसे नियंत्रित किया जाए, कहां से उस यातायात को डाइवर्ट किया जाए। पुष्कर जाने वाला जो अजमेर का मार्ग है वह घाटी से होकर निकलता है और सबसे ज्यादा यातायात उस घाटी से होकर ही गुजरता है। फिर थाने के सामने से होकर ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर तक यात्री पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में वहां इतना जबरदस्त जाम लग जाता है कि पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता। जब बैठक होती है तो पी डब्ल्यू डी को यह कहा जाता है कि आप कोई दूसरा विकल्प ढूंढें और फिर होकरावाला मार्ग उसमें विकल्प के रूप में काम में आता है। लेकिन उस समय इतना पैसा नहीं होता कि उस होकरावाला मार्ग पर हम ढंग से यातायात चला सकें। क्योंकि मेला तो हर वर्ष ही आता है, इसलिए इसके समाधान के लिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि लाखों श्रद्धालु वहां उस मेले में आते हैं, देश-विदेश से लोग आते हैं, इसलिए होकरावाला जो बाइपास है, उसको आप फोरलेन का बनाएं और यातायात की दृष्टि से इतना सुदृढ़ बनाएं कि वह एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में पुष्कर मेले में काम में आ सके।

एक बात और मैं माननीय मंत्री महोदय को अजमेर के सन्दर्भ में कहना चाहूंगी। अजमेर में मुख्य शहर में आगरा गेट चौराहे पर सी पी डब्ल्यू डी का गोदाम है, वह गोदाम आज की तारीख में किसी भी काम में नहीं आ रहा है। वह शहर में मुख्य चौराहे पर है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में वह गोदाम है। यदि उस गोदाम को जिला प्रशासन को दे दिया जाए तो वहां की जो प्राइम लोकेशन की भूमि है, वह किसी अन्य राजकीय कार्यालय के उपयोग में आ सकती है। इसलिए इस बेकार पड़े गोदाम को वहां से हटा दिया जाए क्योंकि उसमें ज्यादा सामान भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा सामान वहां पर रखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं पिन-पाइंटेड बोल रही हूं,

(श्रीमती अनिता भदेल)

रिपीट कुछ भी नहीं किया है। पहले तो माननीय सदस्यों ने एक-एक घंटे तक बोला है।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिए। मैं दोनों पक्षों के माननीय चीफ व्हिप से अनुरोध करूंगा कि आज मुखबंद का कार्यक्रम होना है, सब कुछ करना है। इसलिए वे जिन वक्ताओं को, आप चाहो, उनका नाम नीचे हो तो पहले बदल सकते हो, क्योंकि उसके बाद समय पर मुखबंद वाला प्रोसीजर ले लेंगे। छह बजे रिप्लाई चालू हो जाए, उस ढंग से चलेंगे। वह बात ठीक है। परिस्थिति जो है, वह है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आज अंतिम दिन है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, 26 तारीख है अंतिम दिन तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुनो तो सही। आज मांगों का अंतिम दिन है। अपन मुखबंद करेंगे तो आराम से मुखबंद में पारित कर लेंगे, घंटे-आधा घंटे और बैठ जाएंगे। तो 8 बजे मुखबंद रख लीजिए, 8 बजे तक सब सुलट जाएगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): समय निश्चित नहीं होगा तो मेम्बर्स उपस्थित नहीं होंगे और मेम्बर्स उपस्थित होने की, उनके पास इत्तला चली जाएगी कि इतने बजे तक मुखबंद होगा, तभी जाकर के लोग यहां पर आएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आठ बजे मुखबंद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमेशा की परिपाटी यही रही है कि पांच बजे, साढ़े चार बजे के लगभग मुखबंद हो जाता है। तो अभी पौने पांच बज रहे हैं और अगर मान लीजिए, 6 बजे तक भी आप तय करवा देते हैं तो अच्छा रहेगा कि एक घंटे का नोटिस सबको मिल जाएगा। छह बजे मुखबंद करवा लें। आखिर मंत्री महोदय का भी जवाब होगा और बाकी भी जो स्पीकर्स हैं, उनको कट-शार्ट करके बुलवा लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कह रहा हूं कि 8 बजे मुखबंद कर लेंगे, 7 बजे मंत्रीजी का जवाब शुरू हो जाएगा, फिर हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: पांच बजे के करीब, देख लो। छह बजे ठीक है। माननीय तिवाड़ी जी, छह बजे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह रही थी कि हमारे अजमेर शहर में पी डब्ल्यू डी का रेस्ट हाउस बना हुआ है लेकिन यह रेस्ट हाउस अपर्याप्त है। अजमेर शहर जिला मुख्यालय है, सम्भाग मुख्यालय है, इसका विस्तार होना चाहिए, इसमें जो सुविधाएं नहीं हैं वे सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, बहुत समय से सराधना का ओवरब्रिज लम्बित है, आधा निर्माण उसका हो चुका है और वहां से जाने वाले यातायात को डाइवर्ट कर रखा है। जो डाइवर्ट करने वाली सड़क है, वह सड़क भी सिंगल लेन बनी हुई है, उस पर 100-100 टन के ट्रोले और ट्रक चलते हैं जिसके कारण से वह सड़क आए दिन क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त राजगढ़ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, वे राजगढ़ जाने वाले श्रद्धालु भी हर रविवार को इसी मार्ग से निकलते हैं। हर रविवार को वहां एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, दो-तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो मेरा निवेदन है कि जब तक वो सराधना के ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं हो तब तक कम से कम इस रोड को टू-लेन या थ्री-लेन बना दिया जाए और ऐसी ठोस बनाई जाए ताकि वह क्षतिग्रस्त नहीं हो। भारी दबाव को सहने वाली वह सड़क हो ताकि वहां यात्री आराम से जा सकें।

मैं माननीय मंत्री महोदय को एक बात और कहना चाहूंगी कि किशनगढ़-ब्यावर फोर लेन और जो सिक्स लेन बन रहा है, इस रोड पर आने वाली अर्जुन लाल सेठी नगर, जो नगर सुधार न्यास द्वारा बसाई गई कालोनी है, इस अर्जुन लाल सेठी नगर का मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहां उस रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई-ओवर बन रहा है इस कारण से यू आई टी द्वारा बसाई गई कालोनी के नागरिकों के लिए आने-जाने का मार्ग बिलकुल बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में, वे लोग कहां से निकलें? तो मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर मार्ग के लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर की जाए और अधिकारियों को निर्देश दें कि यह कोई अवैध कालोनी नहीं है, नाजायज रूप से बसी हुई कालोनी नहीं है, यू आई टी द्वारा बसाई गई कालोनी है। इसलिए इस कालोनी के मार्ग की भी व्यवस्था की जाए।

पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जो सड़कें स्वीकृत की जाती हैं, उन सड़कों की चौड़ाई आप पूर्व में ही निर्धारित कर देते हैं कि ढाई मीटर बनेगी या तीन मीटर बनेगी। जबकि शहरों की स्थिति यह है कि शहर में जब आप धार्मिक

(श्रीमती अनिता भदेल)

सड़क के नाते से कोई सड़क देते हैं और उस सड़क के निर्माण की हम अनुशंसा करते हैं तो इंजीनियर यह बात कहते हैं कि इसकी चौड़ाई सिर्फ ढाई मीटर ही रहने वाली है। जब वह सड़क नई बनने जा ही रही है तो क्यों न हम उसकी चौड़ाई को बढ़ा दें? क्योंकि वाल-टू-वाल यदि कोई सड़क बनती है तो उस सड़क पर अतिक्रमण भी कम होते हैं और इसके अतिरिक्त, सफाई व्यवस्था को भी हम पुख्ता कर सकते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय को मेरा एक सुझाव है कि जब आप नई सड़कों की स्वीकृति दें तो सड़क की चौड़ाई वहां आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई और घटाई जा सके, ऐसी आप व्यवस्था इन प्रकार की योजनाओं में करें।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि अजमेर शहर में दो विधान सभा क्षेत्र हैं, एक अजमेर उत्तर और एक अजमेर दक्षिण। अजमेर दक्षिण जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी रेलवे क्रासिंग्स हैं, क्योंकि जितनी भी रेलवे की लाइनें गुजर रही हैं वे अजमेर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र से ही गुजर रही हैं। ऐसी स्थिति में अजमेर दक्षिण के लोगों को आने-जाने में बहुत असुविधा होती है। मैं आपको गिनाऊं तो कम से कम 15 रेलवे क्रासिंग्स इस विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। सी आर पी एफ के रेलवे क्रासिंग पर पहले ओवरब्रिज माननीय वसुंधराजी के टाइम में बना चुके थे। गुलाब बाड़ी नाके का रेलवे क्रासिंग, नाका मदार का रेलवे क्रासिंग, नारेली का रेलवे क्रासिंग, जोसगंज का रेलवे क्रॉसिंग, विज्ञान नगर का रेलवे क्रासिंग, सुभाष नगर का रेल्वे क्रासिंग, लाल फाटक का रेलवे क्रासिंग, इतने सारे रेलवे क्रासिंग इस विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। आपने नारेली वाले रेलवे क्रासिंग पर आर ओ बी की स्वीकृति दी है लेकिन वह कार्य अभी तक भी प्रारम्भ नहीं हो सका है। ये जितने भी रेलवे क्रांसिंग हैं वे मुख्य शहर के बीचों-बीच स्थित हैं। जोसगंज वाले रेलवे क्रासिंग पर तो एक साथ दो-दो रेलवे क्रासिंग हैं, एक रेलवे हास्पिटल की तरफ है और एक जोसगंज की तरफ है। सुभाष नगर वाला रेलवे क्रासिंग एक तरफ है, विज्ञान नगर वाला रेलवे क्रासिंग एक तरफ है। तो सुभाष नगर, विज्ञान नगर और जोसगंज में रहने वाली जो पब्लिक है, उस पब्लिक को तीनों मार्ग से यदि निकलना पड़े तो तीनों मार्गों पर एक-एक रेलवे क्रासिंग हैं।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्रीमती अनिता भदेल)

अपने विधान सभा क्षेत्र की ही बात कह रही हूं, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं पाइंट-टू-पाइंट ही बोल रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह ध्यान में है कि आप खूब बोल सकती हैं, लेकिन पांच मिनट हैं और आपको दस मिनट हो गए हैं। पांच-पांच मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। दो बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

मेरा निवेदन है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने जैस योजना के तहत जोसगंज के रेलवे क्रासिंग पर आर ओ बी की स्वीकृति दी थी, उस स्वीकृति का आज तक कोई अता-पता नहीं है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस स्वीकृति की फाइल आप ढुंढवाएं तो वहां से जो केन्द्र सरकार से पैसा आया है, उसके माध्यम से कम से कम हम एक आर ओ बी तो अजमेर शहर को दे सकें।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे मेरा एक निवेदन और है, आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, यह सब लोग जानते हैं, मैं अकेली इस बात को नहीं कह रही हूं पर जब मैं यह पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी चूक विभाग के अधिकारियों से कैसे हो गई? या विभाग के अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है क्या इसमें? जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के पोलीट्रोमा के नवीन बनाए जा रहे भवन के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी। यह भवन बनते-बनते गिर गया और जब गिरने के कारणों की जांच हुई तो पता चला कि आपको शटरिंग में स्टील की शटरिंग इस्तेमाल करनी थी।

(17.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। आप विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, मैं समाप्त कर रही हूं। यह पाइंट बताकर तो मैं समाप्त करूंगी। अपनी बात तो पूरी कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): लेकिन यह शटरिंग जो है, फंटे और बल्लियों से बनाई गई थी। आप देखिये, दोनों की शटरिंग में पैसों का भी बहुत फर्क है। लोहे की शटरिंग के लिए 45 लाख रुपये का प्रावधान है,

(श्रीमती अनिता भदेल)

जबकि बल्लियों से और फंटों से जो शटरिंग हुई है, उसमें 20 प्रतिशत कम राशि इस्तेमाल होती है। इसके बावजूद भी बल्लियों से और लकड़ी के फंटों से शटरिंग कराई गई। वह पूरा का पूरा पोर्च आकर नीचे गिर गया और पांच लोग घायल हो गये। उसके बावजूद भी अधिकारी इसमें लीपापोती करने की बात कर रहे हैं। पहले जब जांच होती है तो...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें तो मैं अपनी बात कह लूं। आप एक मिनट विराजिये। अब तो आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, समाप्त नहीं हुआ है समय, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 । श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 । श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री रतन देसाई उर्फ देवासी, सरकारी उप मुख्य सचेतक... (व्यवधान) आसन की व्यवस्था है।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप आसन को कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): काम करो कैसा ही, बीड़ी पिओ देसाई।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बिलकुल, उसमें उर्फ लगता है, देसाई उर्फ देवासी है। आसन की ओर से जो भी बोला जायेगा, उसको आपको मान लेना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कुछ भी कर दे? शिरोधार्य है, साहब, हमारे तो।

श्री उपाध्यक्ष: अब मैं आपकी बात का जवाब देने की स्थिति में इस समय नहीं हूं क्योंकि छह बजे का समय निश्चित कर लिया है आपने। मैं ही समय ले लूंगा तो फिर माननीय सदस्य नाराज होंगे। (व्यवधान)

कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (संख्या-25)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रतन देसाई उर्फ देवासी)

मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को मध्याह्न पूर्व 10.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 26 अप्रैल, 2012 को सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

गुरुवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2012	1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012; 2. राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012; व 3. राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 -पर विचार एवं पारण

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

श्री प्रेमचन्द जी नागर। माननीय श्री प्रेमचन्द जी नागर।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो बात।

श्री उपाध्यक्ष: दो बात का मतलब?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): दो बात का मतलब सिर्फ दो।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने पूर्व में जो बात कही है, उसके ऊपर एक बार आप ध्यान देंगे। तारागढ़ पर जो रोड जाती है, चूंकि तारागढ़ में बहुत सारे यात्री दरगाह शरीफ में आते हैं और जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

वहां पर तारागढ़ की दरगाह है, वहां पर भी जाते हैं, अब उस मार्ग की सेफ्टी वाल है, वह वाल जगह-जगह से टूटी हुई है। कई बार मोड़ पर इतनी खतरनाक स्थिति बन जाती है, मान लो, कोई ब्रेक फेल हो गये तो सीधे पहाड़ी से नीचे आकर गाड़ी गिरेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस सेफ्टी वाल को तो कम से कम, पी डब्ल्यू डी में इतना तो पैसा होता है कि वह सेफ्टी वाल की रिपेयर तो कर सके। यह मेरा निवेदन है।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाह रही थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मात्र दो सड़कें, ब्यावर रोड और नसीराबाद रोड, ये ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार की सड़कें हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अब आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा निवेदन है, मैं दूसरी बात को तो पूरी कर लूं, माननीय उपाध्यक्ष जी।

मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से, अजमेर विधान सभा क्षेत्र की नसीराबाद रोड पर स्थित एस.बी. फर्नीचर हाउस से मेयो लिंक रोड होते हुए धोलाभाटा, टेम्पो स्टैण्ड तक जाने वाली सड़क और इस गुलाबबाड़ी चौराहे से तेजाजी की देवली होते हुए कल्याणीपुरा को जाने वाली सड़क, ये दोनों सड़कें यदि आप सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में दे दें...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। श्री नवल किशोर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...तो इनकी मेंटीनेंस के लिए समय-समय पर पैसा आयेगा और ये क्षतिग्रस्त नहीं होंगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवल किशोर का ही अंकित होगा केवल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री नवल किशोर (बामनवास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क की मांग पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज कोई भी गांव, ढाणी, तहसील, जिला या कोई राज्य के अगर सड़क और राजमार्गों के कार्य सही हैं तो मैं यह मानता हूं कि वहां पर अन्य कोई भी आर्थिक और अन्य विकास की बात करना बेकार है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो चार साल के बजट में सड़क निर्माण के लिए प्रावधान रखे, उससे गांव और ढाणियों में बहुत खुशी का माहौल है। 250 से लेकर 500 तक

(श्री नवलकिशोर)

की आबादी के सारे गांवों में ग्रेवल सड़कों का कार्य चल रहा है। बहुत से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अभी इसी बजट में 2,900 ऐसे गांव ग्रेवल सड़क से जुड़ चुके हैं। 250 से 500 की आबादी तक के गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ा जायेगा और 2012-13 में नाबार्ड की सहायता से 800 करोड़ की लागत से 1,500 गांवों में डामरीकरण किया जायेगा, बाकी डामरीकरण विश्व बैंक की सहायता से किया जायेगा। मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि 250 से 500 तक की आबादी के गांव और ढाणियों को जोड़ने का जो प्रावधान है, उसमें 2001 की जनगणना के आधार पर तय किया गया है, उसको 2011 की जनगणना के आधार पर अगर माना जाये तो और भी कई गांव और ढाणियों को जोड़ा जा सकता है।

इसी तरीके से, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 16 मेगा हाइवे का प्रावधान इस बजट में रखा है। इसमें एक मेगा हाइवे जो मथुरा सीमा से भरतपुर होकर हाड़ौती तक आ रहा है, वह मेरे क्षेत्र में होकर आ रहा है, 421 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

गांवों में बहुत खुशी है। ऐसे गांव जो आज तक कभी भी सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे, सड़क से सड़क को जोड़ने के जो मिसिंग लिंक 16 किलोमीटर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हमको दिये, उससे गांवों में आज खुशी है। वहां पर रोड्स का काम चालू हो गया है। ऐसे धार्मिक स्थानों को जिनको सड़कों से जोड़ा है, वहां की महिलाओं ने, वहां के लोगों ने अपनी धर्म की भावनाओं को जाग्रत करते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी को हमारे द्वारा धन्यवाद भेजा है कि धर्म के लिए अगर किसी ने सड़क बनाने की सोच की, तो वह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सोची।

इसी तरीके से, अन्य कई योजनाओं के तहत कृषि उपज मण्डी के विपणन बोर्ड के द्वारा कई सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है। लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही के कारण कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका हमारे द्वारा भूमि पूजन करवा लिया गया लेकिन अभी तक उनका कार्य शुरू ही नहीं हुआ। पाटोदा से मोरपा का मेरा जो कार्य है, जो कृषि उपज मण्डी से होना था, वह अभी तक शुरू नहीं हुआ।

मैं मेरे क्षेत्र की मांग के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो सड़क ऐसी हैं, पीपल्दा से बोरदा और गंगवाड़ा से लेकर जौलन्दा; वैसे तो

(श्री नवलकिशोर)

निवाई से लेकर जौलन्दा तक का ही रोड, यह मानो, 'नौ दिन चले अढाई कोस' वाली कहावत सिद्ध हो रही है। हमारे मंत्रीजी ने बहुत ही संवेदनशीलता से दौरा भी किया है, हमारे अधिकारी सतर्क भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनका कार्य शुरू नहीं हुआ है; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का कार्य 22.10.2009 को स्वीकृत हो चुका था और 19.5.2010 को कार्य शुरू भी हो गया और इसको 31.12.2011 तक पूर्ण कर देना था, 496.61 लाख की लागत से यह सड़क का निर्माण होना था लेकिन ठेकेदार की लापरवाही या अधिकारियों की लापरवाही से 127 लाख की लागत लगाकर इन कार्यों को रोक दिया गया। मैं हमारे मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगा कि आप मेरी ये दोनों सड़कें जिनमें कि कम से कम दस-बारह ग्राम पंचायतें आती हैं, पीपल्दा, दतौली, घोतोल, घाटा नैनवाड़ा, उदगांव, मित्रपुरा, बोरदा और जो गंगवाड़ा से जो रोड आती है उसमें हिन्दुपुरा, पीपलवाड़ा, ये गांव ग्राम पंचायत आती हैं, इन दोनों रोड्स को आप दिखा कर इनका कार्य करवायें।

हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने ऐसे गांव जहां बरसात के कारण रास्ते का अवरोध हो जाता था, ऐसे गांवों के लिए भी जो नाले थे उनके लिए पुल निर्माण का प्रावधान रखा, मेरा एक गांव जीवद जिस पर बरसात के समय पूरे गांव का आना-जाना रुक जाता है, वहां पर आदान-प्रदान नहीं होता है, इसलिए वहां के उस नाले पर मैं पुलिया बनाने की मांग करता हूं।

मेरा पूरा क्षेत्र गांव, ग्रामीण और किसानों का है। हमारी कृषि उपज मंडी, या तो हमारे किसानों को लालसोट जाना पड़ता है या गंगापुर जाना पड़ता है। इसलिए कुछ गांवों के हमारे लिंक रोड हैं, नारोली से मंडावरी, सराय से गुड़ली, रघुनाथपुरा सिकटोली से टोड़ा ठेकड़ा, लालसोट, ये ऐसे रास्ते हैं जिनको, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इनको जरूर जुड़वायें। नाबार्ड और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बौंली से जटलाव, बौंली में जटलाव से बोपई और ठीकरिया-सांचौली से निबोद का जो रास्ता हमारे जिले को जोड़ता है, हमारी तहसील के द्वारा, इनका निर्माण किया जाय।

बड़े दुर्भाग्य की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, उपखण्ड है, तहसील हैडक्वार्टर है, लेकिन बामनवास के अन्दर एक्स ईएन आफिस नहीं है। गंगापुर सिटी में हमारा एक्स ईएन बैठता है। मैं यह चाहता हूं, मेरा एक्सईएन आफिस बामनवास में ही बने। हमारे बौंली का एक्स ईएन आफिस बौंली में जरूर है,

(श्री नवलकिशोर)

लेकिन उसका बैठने का कार्यालय अभी तक कहीं नहीं है। इसलिए उनका कार्यालय का भी आप बनवायें।

अंत में, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप, मंत्री महोदय, हमारे बामनवास में आपके मामूसा हैं, बड़ीला में आप गये हुए हैं; गांवों में रास्ते नहीं हैं, कई गांवों की तो ऐसी हालत है कि लड़के-लड़कियों की शादी-ब्याह होना ही मुश्किल है। इसलिए आप मेरे साथ वहां पधारें, और वहां की सड़क का, एक सड़क का निर्माण जरूर करवायें।

आपने समय दिया, उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। नमस्कार।

श्री उपाध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय नवल किशोर जी।

माननीय श्री सूरजभान जी धानका। थोड़ा, बहुत कम समय में।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): शार्ट में ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्षः हां, इसीलिए आपको पहले ही कह दिया, नवलजी के जितना सा समय। नवलजी ने बहुत समझदारी से, देख लो, पहले ही कर दिया।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): मैं ज्यादा लम्बा नहीं करूंगा लेकिन मेरी बात तो कहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 पर जो पी डब्ल्यू डी की चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से यह तो तय हो गया कि जिस विभाग का हैडमास्टर ठीक है तो निश्चित रूप से वह विभाग ठीक ही होगा। आज जिस भी माननीय सदस्य ने हमारे मंत्रीजी के बारे में जो विचार, उद्‌गार व्यक्त किये हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कर्मशील और ईमानदार मंत्रीजी हैं और हमें आशा है कि पीछे जो घपले हो गये थे, उनको अब ये ठीक कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे गुणवत्ता में सुधार होगा।

भवन निर्माण, मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं कहूंगा, मेरे रैणी में गर्ल्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल है, उसमें दस कमरे हैं, जिनमें छह कमरे तो जब बारिश होती है तो पानी टपकता है; दो कमरों में दो-दो अंगुल की दरार आई हुई है, वह पता नहीं, कब गिर जाय; दो कमरे सर्विसेबल हैं। तो उनमें जब गर्मियों में सौ-सौ बच्चियों को बैठा देखा है, बिजली की हालत तो जैसी है वैसी ही है, तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। तो उनकी रिपेयर करवायें और जो जर्जर स्थिति में हैं उनको डेस्ट्राय करवायें। अभी हमें कमरा देने के लिए बोला है तो वहां कमरा देने के लिए जगह भी नहीं है।

(श्री सूरजभान धानका)

हालत यह तो उनकी जो है, अभी हास्पिटल, राजगढ़ सी एच सी में वार्ड बनाया है तो वार्ड में चार्ज लेने से पहले ही दरारें आ गईं। बारिश में पानी गिर रहा है। तो उसकी गुणवत्ता की जांच करें।

सड़क व पुल; लक्ष्मणगढ़ कस्बे में कुछ तो अतिक्रमण इतना हो गया कि गाड़ियों को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, घंटे-घंटे जाम में फंस जाते हैं। तो मंत्रीजी से निवेदन है कि लक्ष्मणगढ़ के लिए बाइपास मंजूर करें। उसका एस्टिमेट भी दे दिया है।

दूसरा, सड़कों की, कुछ सड़कों की ऐसी हालत हो रही है कि उनको सड़क कहें या रस्ते कहें, बिनान से चिमरावली मोड़, लक्ष्मणगढ़ से गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ से कठूमर, रैणी से भजेड़ा, राजगढ़ से धमरेड़, रैणी में यज्ञशाला से गढ़ी सवाईराम, कफनवाड़ा से बूटोली, इन सड़कों की हालत खराब है। तो इनका नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण करवाया जाय। बाइपास, राजगढ़ बाइपास, टहला मार्ग पर सीधा क्रासिंग है जिससे लगभग पांच-सात दिन में एक्सीडेंट होते हैं। तो वहां कोई सर्किल बनाया जाये ताकि गाड़ियों को सामने से टक्कर होने से बचाया जा सके।

मालाखेड़ा से चिमरावली मोड़ तक हम एम एल ए बने, तब से ही वह काम चालू है लेकिन अभी तक वह आगे-आगे बनता जा रहा है, पीछे-पीछे टूटता जा रहा है, इतना टाइम हो गया है। तो कछुआ चाल मशहूर थी लेकिन वह तो कछुए से भी बहुत पीछे रह गया। तो उसको भी करवायें। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का है।

इसके साथ-साथ, मैं मूल निवासी बानसूर तहसील से हूं। मैं तीन साल से सी.एम. साहब से, मंत्री साहब से, पहले रहे उनसे भी निवेदन कर चुका हूं कि मेरे बानसूर तहसील में लेकड़ी ग्राम से पुरानी लेकड़ी, धनकड़ा घाट, साढ़े तीन किलोमीटर का टुकड़ा है, अगर यह हो जाता है तो तीन गांवों को फायदा होता है। पहले तो कुछ हो, लेकिन अब तो लोग-बाग़ कहने लग गए कि अब तो आप एम एल ए बन गए, कम से कम इसको तो करवाओ, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसी भी कोटे से पैसे लेकर इसको करवाने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष: धानका जी, समाप्त करें।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): दूसरा, रामपुर से लेकड़ी,

(श्री सूरजभान धानका)

बानसूर में पांच-छह किलोमीटर का टुकड़ा है और वहां से अगर सड़क से चक्कर काटकर आते हैं तो करीबन 28-30 किलोमीटर का फेरा लगता है। अगर यह पांच-छह किलोमीटर का टुकड़ा बना दिया जाता है तो उन 16 गांवों को फायदा हो सकता है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो धार्मिक सड़कें और मिसिंक लिंक दिये हैं तो उससे क्षेत्र में काफी फायदा हुआ है, छोटे-छोटे टुकड़ों से बड़े गांव जुड़ गए हैं। मंदिरों में धार्मिक स्थलों के लिए दिये हैं, वह भी एक बहुत ही धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो जनता में बहुत अच्छा संदेश है, जनता वहां की बहुत धन्यवाद दे रही है मुख्य मंत्रीजी के इस शुभ कर्म पर; हमारी सरकार को, हमारे मंत्रियों को धन्यवाद दे रही है।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। पांच मिनट में अपने आप समाप्त किया है।

माननीय बाबूसिंह जी राठौड़। आप भी थोड़ा सहयोग करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21 पर चर्चा हो रही है, मैं अपने आपको इसमें शामिल कर रहा हूं।

सड़कें विकास की राह आसान करती हैं, इसलिए हमारे पूर्व प्रधान मंत्रीजी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की दूरगामी और दूरदर्शी सोच से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत हुई। जब यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई तो उसकी गाइडलाइंस में हैबिटेशंस को जोड़ना था। अब वे हैबिटेंशंस कैसे जुड़ें? जनगणना 2001 और 2001 में जो राजस्व गांव थे, उन राजस्व गांवों को जोड़ने के लिए इकाई मानकर वे सड़कें बनाई गईं। जब सड़कें बनी थीं तो एक हजार से अधिक और पांच सौ से अधिक, वह मरुस्थल व जनजाति क्षेत्र में 250 तक की आबादी को जोड़ने को इकाई मानकर यह कार्य योजना बनाई गई। पिछले पांच-सात साल में यह नौ फेज के अन्दर ये सारी सड़कें बन गईं।

अब वह जो फेज पूरा हो गया, तो पुनः इसके बारे में चर्चा हुई और अभी तीन साल बाद, हैबिटेशंस को जोड़ने के लिए, बसावट को जोड़ने के लिए उसके क्लस्टर बनाकर के सड़कें बनाई जाएं। इसके लिए अभी हजार से अधिक

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

और पांच सौ से अधिक आपने 1,076 सड़कें, 3,602.76 और 885 करोड़ 82 लाख की सड़कें स्वीकृत की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इन सड़कों के प्रस्ताव लिए जा रहे थे, तब हमें अधिकारियों ने यह बताया कि राष्ट्रीय पेयजल सर्वे-2003, जो सर्वे हुआ है पेयजल का, उसमें पांच सौ की जनसंख्या है और वह एकल ढाणियां हैं, वे सड़कें बनाई जाएंगी और ढाई सौ तक की एकल जो ढाणियां हैं उनकी सड़कें बनाई जाएंगी। तो पहले तो वे प्रस्ताव लिए, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, बसावट के क्लस्टर बनाकर हम सड़कें बनाएंगे। तो उसके अन्दर भी उन्होंने अपने हिसाब से जो बजट था और बजट का बैलेंस था, जोधपुर के अन्दर हमको यह बताया कि एक 430 की ढाणी है, उसके अन्दर एक ढाणी और जोड़कर के हमने प्रस्ताव भिजवा दिए थे, इसका आप अनुमोदन करिये। हमने कहा कि जब आप क्लस्टर का अनुमोदन करते हैं तो हमारे यहां और भी पेयजल के ढाणियों के अन्दर क्लस्टर के हो सकते हैं, उसका भी अनुमोदन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, पहले जो हमने भेज दिए वे तो आप अनुमोदन कर दें, फिर आप प्रस्ताव देना। तो जो उन्होंने प्रस्ताव तैयार किए थे, विभाग ने, वे प्रस्ताव तो स्वीकार हो गए लेकिन हम लोगों ने, जिला परिषद् ने जो प्रस्ताव लिखे हैं वे स्वीकृत नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा, पुष्कर की पांच सड़कें हैं जिन पर आपने क्लस्टर बनाया है और वह पांच-पांच ढाणियों को लेकर के क्लस्टर बनाये हैं। जैसे पण्डा की ढाणी-100, जालदा की ढाणी-240, खिलेरी की ढाणी-110, सामली की ढाणी-210, टहाड़ियों की ढाणी-200, ये सामली की जुडेंगी। यह पांच ढाणियों का क्लस्टर है, बसावट है, उनको जोड़कर, उस बसावट को जोड़ने के लिए एक ही सड़क मार्ग है और उसमें यह सड़क बनेगी। यह जनसंख्या हो गई 860, साढ़े तीन किलोमीटर सड़क मार्ग है और 73.58 लाख रुपए इसमें मंजूर हैं। इसी प्रकार से, पुष्कर में नाइयों की ढाणी में छह ढाणियों का क्लस्टर आपने बनाया है और 748 जनसंख्या उसमें जोड़ी है। इसी प्रकार, मुण्डारिया की ढाणी 564, इसमें पांच ढाणियों को जोड़ा। रैबारियों की ढाणी, इसमें भी आपने पांच ढाणियों को जोड़ा, 513 । यह इस प्रकार के क्लस्टर आपने बनाकर के इनकी सबकी मंजूरियां आ गई और सड़कों के वर्क-आर्डर हो गए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे जोधपुर का कि जोधपुर में आपने सिर्फ जो क्लस्टर बनाये, वह एक ढाणी का 430, साथ में एक ढाणी जोड़ी, जिसमें कालू डागा की ढाणी, करनाओं की ढाणी, यह 500 हो गई। इसमें 430 थी और उसके साथ एक जनसंख्या

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

और जोड़कर के इनको किया। वैसे ही राजपूतों की ढाणी और पाबूजी का बेरा, यह 675; एक ही 430 थी, बाकी जनसंख्या जोड़कर के 675 की। तो सिर्फ 430 और एक साथ जोड़ी, वह अपने प्रस्ताव बनाये। हमने भी जिला परिषद के अन्दर जिस प्रकार से ये पांच-पांच ढाणियों के क्लस्टर थे, हमने यह कहा कि सुवालिया में मेघवालों व पालकियों की ढाणी-400, सेराणियों की ढाणी-200, इस प्रकार 600 जनसंख्या होती है। झाकड़ों की ढाणी-320, मेघवालों की ढाणी-240, 500 मीटर परिधि भी नहीं हैं और वह बसावट है, उसमें एक ही सड़क जाने का मार्ग है, ये पेयजल के लिए ढाणियां चयनित थीं, 560, यह जनसंख्या होती है; धोकलसर और जसोडों की ढाणी, 385 और 170 इस प्रकार 555 जनसंख्या होती है; चारणों की ढाणी, खुडियाला में, 420 और 120, 540 होती है; मदेटो की ढाणी-402, राजावतों की ढाणी-119, यह 521 होती है; पंडितों का बास 311, बहादुरसिंह की ढाणी-200, यह 511 होती है; इस प्रकार से ये दो-दो ढाणियों के हमने क्लस्टर बनाये लेकिन इन्होंने स्वीकृति के लिए नहीं भेजे।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह राजस्व गांव की इकाई बनाई गई, तो ऐसी कई ग्राम पंचायतें थीं जहां राजस्व गांव नहीं थे और राजस्व गांव नहीं होने की वजह से वे सारी पंचायतें सड़कों से वंचित रहीं। वे भी गांव जो नेशनल हाइवे पर थे, स्टेट मार्ग पर थे, एम डी आर पर थे, ओ डी आर पर थे और वे सड़क मार्ग पर 500 मीटर से अधिक दूरी पर थे, वे अगर सड़क से वहां जुड़ रहे थे तो उनको भी उन्होंने कहा कि यह राजस्व गांव की सीमा आपकी सड़क से जुड़ रही है, इसलिए हम इन सड़कों को नहीं लेंगे। जैसे मेरे यहां भाटलाई पुरोहितान में तुलेसर पुरोहितान था, 2001 में 885 उसकी जनसंख्या थी और नेशनल हाइवे से उस गांव की सीमा जुड़ रही थी, उसको उसमें लिया नहीं। अब राष्ट्रीय पेयजल योजना की जब स्कीम आई और उसमें 2003 में जो सर्वे हुआ, उसमें 556 उस गांव की जनसंख्या रह गई, 885 से घटकर। बाकी चार ढाणियां और चयनित हो गईं। तो वह 556 अब ले लिया।

तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे राजस्व गांव और ऐसी पंचायतें जहां उन्होंने पहले नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, एम डी आर, ओ डी आर को उनकी सीमाओं पर माना था, सीमा पर तो थे लेकिन उनकी बसावट, आबादी, जनसंख्या, 500 मीटर से अधिक, एक-दो किलोमीटर के बाद ढाणियां थीं, उनको जोड़ना था। तो यह इस प्रकार से लिया है। उस प्रकार से आपने

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कई ढाणियां ले लीं और वे स्वीकृत भी हो गईं, जो पहले तो सड़क मार्ग पर उन्होंने बताया था और अब उनकी हैबिटेशन थोड़ी दूर होने के कारण वे सारी सड़कें आपने स्वीकृत की हैं। यह सारी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें जनसंख्या 1,700, 3,000, 2,500 पहले तो उनको सड़क के पास माना और अब 500 मीटर से अधिक होने के बाद उन सब सड़कों को स्वीकृत किया है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी पंचायतें जो बिलकुल ही छूट गई हैं, जिनके राजस्व गांव भी नहीं थे और अब आप इनके सब के क्लस्टर बना रहे हैं, तो हमारे मरुस्थल और जनजाति क्षेत्र में, जो अपने पहले 500 के क्लस्टर बना दिये, अब वैसे जो 500 के क्लस्टर बने हैं, वही क्लस्टर हमारे 250 के बनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वही कर रहा हूं। हमने जिला परिषद में मांग उठाई वहां अन्याय हुआ तो यहां नहीं कहेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसी गाइडलाइंस की बात कर रहा हूं जिससे पूरे राजस्थान का भला होगा। यही मैं निवेदन कर रहा हूं कि कनोड़िया पुरोहितान जिसकी जनसंख्या 2001 में 3,862, राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में 1,801; अब अगर इनकी ढाणियां कुल 79 ढाणियां हैं और 79 ढाणियों की कार्य योजना बनायें और क्लस्टर बनायें तो कनोड़िया पुरोहितान के अन्दर ये सारे क्लस्टर जो हैं, ये 13 सड़कों के क्लस्टर बनते हैं।

इसी प्रकार से, हमारे 250 में जो क्लस्टर हो रहे हैं और बसावट को जोड़ने के लिए सड़कों के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं, उसके हमने 65 पंचायतों के प्रस्ताव तैयार किए हैं। यह पश्चिम राजस्थान में हैं, खासतौर से मरुस्थल में।

पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, राजस्व मंत्री जी भी इस बात को उठाते थे, कि हैबिटेशन के आधार पर सड़कें बनायी जानी चाहिए, क्योंकि कई पंचायतें, जहां राजस्व गांव नहीं थे, वे छूट गई थीं। ऐसे प्रस्ताव हैं।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये कनोड़िया पुरोहितान, देवातू, बसवा, और भी कई ऐसी पंचायतें हैं जिनमें एक भी सड़क नहीं बनी, तो वे सड़कें बनाने का मैं आपसे खास तौर से निवेदन करूंगा कि अभी जब ढाई सौ के क्लस्टर बनें तो कम से

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कम वे सारे क्लस्टर आप ढंग से बनायें जिससे केन्द्र से पैसा मिलेगा और गांवों में जो विषम परिस्थितियों में जीते हैं, धोरों में रहते हैं, जाने-आने के रास्ते सुगम नहीं हैं, उनके लिए सड़कें बनेंगी।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक-दो और निवेदन हैं, अब उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में क्या होता है? आप बताओ। डिमाण्ड दे दी, बहुत है वह भी। अब यह इतना बड़ा है...

श्री उपाध्यक्ष: अभी मुखबंद भी करना है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं कह रहा हूं कि ये क्लस्टर अगर बन गये तो शेरगढ़ में चार सौ सड़कें बनेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं तो आप पांच ढाणियों को मिलाकर कर रहे हैं, कहीं आठ ढाणियों को मिलाकर कर रहे हैं, कहीं दो ढाणियां भी आपने ली नहीं हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि सर्वे में जितनी ढाणियां आती हैं उनकी सबकी कार्ययोजना बनायें; क्लस्टर में पांच सौ की कितनी आएंगी, क्लस्टर में ढाई सौ की कितनी आएंगी, वह सारी कार्य योजना बनाकर के सड़कें बनायी जानी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगली बार जब ढाई सौ का क्लस्टर बने तो हमारे मरुस्थल और जनजाति क्षेत्र में आप कार्य योजना बनाकर उनकी सड़कों की स्वीकृतियां जारी करायें।

दूसरा, कई ऐसी ढाणियां हैं, मेघवालों की ढाणी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब वो है तो एक ही जगह लेकिन रास्ता एक इस तरफ और एक उस तरफ है; एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है। तो उनको अगर क्लस्टर करते हैं तो वह एक ही बसावट है, फिर भी उनकी सड़क बनती है लेकिन जनसंख्या उनकी तीन-चार टुकड़ों में अलग-अलग कर दी। तो ऐसी सड़कें भी आप बनायें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पांच वर्षों का रखरखाव था, अब उनका समय पूरा हो रहा है और आपने अर्नेस्ट मनी रोक रखी है। वहां खड्डे पड़ गये, पटरियां टूट गईं, खाइयां पड़ गईं तो वह वापस रोड तैयार होकर उसका फाइनल पेमेंट होना चाहिए। मेरे यहां भी हाफासर, डेढ़ा, उदयसर, हनुमत नगर, राजाबंद, ये बहुत घटिया रोड बनी हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, पूरी उखड़ गई हैं। अगर उसका पांच साल का समय पूरा हो गया है तो कम से कम उसको पूरा तैयार करके...। एक निवेदन मेरा यह है आपसे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक मिसिंग लिंक में, एक लास्ट, मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले बी जे पी राज में भी और कांग्रेस के राज में भी मिसिंग लिंक सोलह किलोमीटर ही मिलीं, इसके लिए तो धन्यवाद, धार्मिक रोड भी मिली इसके लिए भी आपका आभार लेकिन मिसिंग लिंक के अन्दर आपने यह राइडर लगाया था कि मिनिमम एक किलोमीटर और अधिकतम तीन किलोमीटर। अब जहां पांच सौ मीटर है, आठ सौ मीटर है या कहीं हमें पांच किलोमीटर बनानी है, तो यह राइडर आप हटा करके, मेरा निवेदन है कि इस बार मिसिंग लिंक बीस किलोमीटर और धार्मिक सड़क दस किलोमीटर दें जिससे ऐसे कई रास्ते हैं उनको हम करें।

अभी आपने पी डब्ल्यू डी के अन्दर जो घोषणा की है ये राजस्व गांव को जोड़ने की...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, आप विराजिये। माननीय हाजी श्री मकबूल जी मंडेलिया। केवल हाजी मकबूल जी मंडेलिया का अंकित होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हाजी मंडेलिया साहब, स्टार्ट करें।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): हां, कर रहे हैं, साहब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे समय दिया मांग संख्या-19 व 21 पर बोलने का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा इस बात का कि बजट के अन्दर काफी पी डब्ल्यू डी का ध्यान रखकर बजट दिया गया है, सड़कों के सुधार के लिए। ढाई सौ की आबादी को ढाणियों से जोड़ने का प्रस्ताव लिया गया है, वे धन्यवाद के पात्र हैं। बात यह कहूंगा कि हमारे पहले मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा जी थीं और हमारे कैबिनेट मंत्री राठौड़ साहब थे, उन्होंने काफी रोड्स हमारी तहसील और जिले के अन्दर बनाईं, पर बनाईं ऐसी कि वे दो साल, तीन साल भी नहीं निकाल पायीं। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आप सुनिये, राठौड़ साहब; सुनिये,

(श्री हाजी मकूबल मण्डेलिया)

उसका दंड हमें भुगतना पड़ रहा है। आप सुनिये। (व्यवधान) वे नहीं हैं, सरकार है न।

श्री उपाध्यक्ष: आप, प्लीज, डिस्टर्ब नहीं करें। इनका समय जाया हो रहा है। पांच मिनट का समय है।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): वह तो हमें भी मालूम है, वह नहीं है। उनको तो बैठा दिया न आपने वहां।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): बाहर भी निकलेंगे, पर आपने बैठा दिया न।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबूसिंह जी, प्लीज। पांच मिनट हैं उनके पास।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): तो सड़कें बनाई, सड़कें ऐसी बनाईं, कि जो उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए थी, वह नहीं है वह पांच साल रहनी चाहिए थीं, पांच साल न रहकर वे, हमें तीन साल हो गये, हमारे आने से पहले ही वे सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं। यहां चूरू जिले के बैठे हुए हैं माननीय सदस्य, उनसे भी पूछ लीजिये। माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि मेरी चूरू तहसील के अन्दर जिला हैडक्वार्टर है, उसकी सारी सड़कें खराब हैं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सड़कों को ठीक कराया जाए। सड़कें तो बनी हैं पर वह बदकिस्मती से बारिश भी ज्यादा हुई। चूरू के अन्दर तो बारिश भी कम होती है, ठंड भी ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, फिर भी हमारी बदकिस्मती है कि आज तक वह पिछड़ा हुआ जिला घोषित नहीं हुआ। इसलिए सड़कें तो खूब बनीं पर वह दो साल में चली गईं। तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उन सड़कों को ठीक कराया जाए। नयी सड़कें बना रहे हैं, वह तो ठीक है पर उनको भी ठीक कराया जाए। नगर परिषद की सड़कें थीं, खूब बड़ाई की उन्होंने लेकिन दो साल भी नहीं चलीं और जाते-जाते उन्होंने क्या किया कि नगर परिषद के हवाले करके चले गये। नगर परिषद के पास तो पैसे हैं नहीं। नगर परिषद की बनायेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, हम आपका धन्यवाद देंगे, आपका वेलकम करेंगे, पर वे नहीं बनायें तो पी डब्ल्यू डी से जितनी सड़कें हैं उनको तो ठीक करवा दीजिये आप। जिला हैडक्वार्टर है, हैडक्वार्टर को सबसे अच्छा होना चाहिए, पर हैडक्वार्टर की सड़कों के हमारे हालात ऐसे हैं कि आप स्वयं जाकर के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा।

(श्री हाजी मकूबल मण्डेलिया)

मेहरबानी तो पहले वाले मंत्री साहब की रही है, पर वे पांच साल चलतीं तो हमें भी तीन साल वाह-वाह मिलती, परन्तु पांच साल नहीं चलीं, वे तीन साल भी नहीं चलीं और सारी सड़कें उखड़ गई। कई-कई जगह ऐसा आया है कि पत्थर लगे हुए हैं और सड़कें बनी ही नहीं हैं। आप इंक्वायरी करा लेंगे तो पता लग जाएगा। राठौड़ साहब, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? आपको पता चल जाएगा सारी बातों का। मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं, पत्थर लगे हुए हैं लेकिन रोड का निशान भी नहीं है वहां। आज भी मैं आपको प्रूव करा सकता हूं। (व्यवधान) ठीक करेंगे न। तभी तो बोल रहे हैं, मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार है तो ठीक करायेंगे। हम करायेंगे, चिन्ता मत कीजिये आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप डिस्टर्ब नहीं करें, प्लीज। चौधरी जी, आप सज्जन पुरुष हो।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि जो एन एच-65 है हमारा, वह शहर के अन्दर से गुजरता है, एकदम बीचोंबीच, रेलवे स्टेशन से होते हुए हमारे प्रभारी मंत्री जो यहां बैठे हुए हैं स्वयं इनको भी सारी चीजों का मालूमात है। वह रोड बाइपास पास हो चुकी है उसको जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करें। वहां 4-5 किलोमीटर लाइन लग जाती है ट्रकों की और ट्रकों की भी, जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे, माइन्स के वहां ट्रक 40-40 टन, 50-50 टनों की गाड़ियां आती हैं, हमारे भी वहां 60-60, 70-70 टन की गाड़ियां आती हैं, सारी तीन-चार किलोमीटर की लाइन लग जाती है तो वह कराने की कृपा करें।

दूसरा, जो राजगढ़ रोड जाती है, वहां रेलवे फाटक है, अब बड़ी लाइन बन गई, बहुत गाड़ियों का आन-जान है। इसलिए वहां उस फाटक के ऊपर पुल बनना चाहिए। (व्यवधान) फाटक है न, फाटक की जगह पुल बनना चाहिए, यह कह रहा हूं। मंत्री महोदय, सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप केवल आसन की तरफ देखिये। आप आसन की तरफ देखिये उधर मत देखिये। ये आपके पक्ष में नहीं हैं, आप तो मेरी तरफ देखिये।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ...(व्यवधान) नहीं, करने दो, कोई

(श्री हाजी मकूबल मण्डेलिया)

बात नहीं। हां, करने दो, कोई चिन्ता की जरूरत नहीं। हाजी साहब के बहुत पापड़ बेले हुए हैं, चिन्ता की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: टाइम निकलता जा रहा है आपका।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): दूसरा सवाल, सड़कों का तो सारा कह दिया, कई माननीय सदस्यों ने तो एक-एक गांव का, ढाणियों का नाम बताया, मैंने तो जो सड़कें खराब हैं उनको ठीक करने का कहा है। नाम तो क्या बताऊं एक-एक का बताऊंगा तो फिर और टाइम जाया हो जाएगा। माननीय सदस्य एक-दो और बोल लेंगे ज्यादा; मैं कम बोलूंगा तो उनका नम्बर लग जाएगा।

जिले में खराब सड़कें हैं, उनको आप बाकायदा देखकर चिह्नित करके,... मंत्री महोदय, बात ऐसी है कि जो डाक्टर होता है वह सब मरीजों को देखता है उसका दायित्व बनता है; ये खाली मेरे क्षेत्र के नहीं हैं, पूरे राजस्थान के मंत्री हैं, इनको पूरा राजस्थान देखना है पर यह है कि डाक्टर होता है, न उसके पास बीमार आते हैं, सारे मरीजों की लाइन लग जाती है पर डाक्टर का फर्ज होता है कि सीरियस मरीज कौन है, उसको पहले देखने का। (व्यवधान) तो चूरू सीरियस मैटर है, इसलिए इनको पहले देखने के लिए कह रहा हूं आप चिन्ता मत कीजिये। (व्यवधान) कमला जी बैठी हुई हैं, सही बात पर हां भरेंगी। क्या बात है इसमें?

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): ×××

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): मंडेलिया का नाम ले देंगे ना, हमारे श्रवण कुमार जी बहुत हैं लेने वाले, बहुत ले लेंगे, चिंता मत करो; पहले मैं चूरू की बात करुंगा, मंडेलिया की बाद में बात करूंगा।

जैसा कि अभी हमारे कर्नल सोनाराम जी ने एक-दो राय रखी, मंत्री महोदय से मेरी भी उसमें राय है कि जालूपुरा में जो क्वार्टर हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इनकी राय भी कर्नल सोनाराम जी से मिल रही है।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): नहीं, कर्नल सोनाराम जी से सही बात होगी, वहां मिलेगी। मेरी तो आपसे भी मिलेगी। उन्होंने जो एक बात रखी, मैं भी उस चीज का जानकार हूं, मेरा पैसा है वह, इसलिए मैं बोल रहा हूं

(श्री हाजी मकूबल मण्डेलिया)

कि वहां जालूपुरा में 25 क्वार्टर हैं और वे सारे ही बड़े-बड़े हैं, वे सारे ही खण्डहर हैं। वहां हर साल पैसे लगते होंगे, सरकार के पैसे लगते हैं। करोड़ों रुपया खर्च होता है उन 25 के ऊपर और इतनी सी जगह है। उनको तोड़कर मल्टी-स्टोरी बनाये जायें तो सरकार को भी फायदा होगा और रहने वाले विधायकों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा, यह मेरी राय है। क्योंकि, मंत्री महोदय, हम महाराष्ट्र में रहे हैं, मुम्बई में रहे हैं, मुम्बई में भी जहां ऐसे बंगले थे वहां तोड़कर ऐसी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स बना दीं। इससे सरकार को भी फायदा है। आज वहां कोई जाने को तैयार नहीं है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी सीट से बोलें। वैसे आपका अंकित नहीं होगा।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): किशनपोल क्षेत्र में आते होंगे। मैं तो राय दे रहा हूं।आप ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आप वहां से विधायक हैं।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): उससे सरकार को भी फायदा होगा, सरकार के पैसे भी बचेंगे और विधायक भी राज़ी होकर वहां जायेंगे। आज कोई जाना नहीं चाहता है ना, मल्टी-स्टोरी फ्लैट बन जायेंगे, तो जैसे महाराष्ट्र में दौड़-दौड़ कर जाते हैं, वैसे ही यहां भी दौड़-दौड़ कर जायेंगे। मेरी तो राय है, करना तो सरकार को है। आज हम सभी सरकार में हैं। आप कह देते हो कि सरकार हमारी नहीं है, ऐसा कहने से नहीं चलता है; सरकार में आप भी हैं, हम भी हैं, सब विधान सभा में बैठे हैं। आप जनता में जाते हो तो कहते हो कि हमारी तो सरकार नहीं है; कितना ही बचाव कर लें लेकिन जनता नहीं मानती है, जनता जानती है। जितना हक आपको है उतना ही हक हमको है। जितना पैसा आपको मिलता है, उतना ही पैसा हमको मिलता है। वही एक करोड़ रुपये आपको मिलते हैं, वही एक करोड़ रुपये हमको मिलते हैं, पर आपके पास क्या है कि हमारी सरकार नहीं है। सरकार तो सभी 200 के 200 की है। कल वेतन बढेगा तो सभी 200 के 200 का बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, इधर वालों का ही बढ़ेगा आपका नहीं बढ़ेगा।

मैं एक राय और देना चाहूंगा। मेरे साथी ने कहा था, वन विभाग की जो जगह हैं, वहां सडकों की अड़चने आती हैं; मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने

(श्री हाजी मकूबल मण्डेलिया)

सिविल लाइंस की स्कीम पास करवाई, वहां भी यह अड़चन आई। वन विभाग वाले करने नहीं देते हैं। शहर हों या घाट के गांव हों, सिवाय वन विभाग के जमीनें बची ही नहीं हैं और उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि यह सारे राजस्थान का मसला है, कोई एक गांव का मसला नहीं है, इस पर विचार करके केन्द्र सरकार को लिखा जाये। शहरों का जो गंदा पानी निकालते हैं वह नहीं निकालने देते हैं; सड़कों की अड़चन आती है, वह बनाने नहीं देते हैं; जब गांव से उस रास्ते से हम आयेंगे तो हमारे गांव के लोग शहर में आ ही नहीं सकेंगे। वन विभाग अगर ऐसे अड़चनें करेगा तो बड़ी तकलीफ आयेगी। यह पूरे राजस्थान का मसला है, इस पर विचार किया जाये और विचार करके केन्द्र सरकार को लिखा जाये तो सामूहिक रूप से राजस्थान में हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा। (व्यवधान) आप संसदीय सचिव हो, आप बोलते हो, राजस्थान सुनता है; आप सोच कर बोला कीजिए।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 एवं 21 पर मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगी। मंत्रीजी हमारे इधर जो सरमथुरा स्टेट हाइवे 2 जो कि 1960 में बना था और जब से बना है उसके बाद से आज तक दुबारा नहीं बना है...

श्री उपाध्यक्ष: प्रोमिला जी, आपको पांच मिनट हैं, आप टू-द-पांइट बात करना।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): और इसकी जो चौड़ाई है वह सिर्फ तीन मीटर है, जबकि स्टेट हाइवे 2 की चौड़ाई 7 से 8 मीटर होनी चाहिये और इसकी चौड़ाई है सिर्फ तीन मीटर और कहीं-कहीं ढाई मीटर है। यह रोड दौसा से चाकसू और चाकसू से दूदू होते हुए जाता है। दौसा और चाकसू की लंबाई 60 किलोमीटर है और चाकसू से माधोराजपुरा है 45 किलोमीटर। आपसे निवेदन है कि तीन साल में अभी तक इसका कोई भी टेण्डर नहीं हुआ, कितनी ही बार इसके टेंडर बदले गये हैं और किस-किस के माध्यम से यह तैयार होनी थी, पर अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। वह इतनी क्षतिग्रस्त है, चाकसू से कोटकावदा को जाने वाला रोड तो इतना टूटा-फूटा है कि आये दिन एक्सीडेंट और मोटरसाइकिलें गिरती रहती हैं।

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगी कि...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): दूसरी खाजलपुरा से आकोड़िया वाया बस्सी होते हुए जाती है, जो चाकसू के जो धार्मिक स्थल हैं बाड़ा पदमपुरा और शीतला, उनको जोड़ती है। वहां से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि खाजलपुरा से आकोड़िया वाले रोड को भी आप जल्दी से जल्दी बनवायें। दूसरा, अचलपुरा से मूंडली, अचलपुरा हमारे चाकसू में आता है, मूंडली बस्सी में आता है वह रोड भी बिलकुल नहीं है और उस पर आने-जाने में गांव वालों को बहुत परेशानी होती है। इस रोड को भी आप बनवायें जिससे कि गांव वालों को सुविधा मिल सके।

जो चाकसू नगर की रोड है उसका तो हाल ही बेहाल है, वहां पर आये -दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। निमोड़िया मोड़ पर इतने एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि ट्रक और ट्रोले वहां से गुजरते रहते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि निमोड़िया मोड़ से बड़े बालाजी तक रोड के बीच में डिवाइडर बनाया जाये जिससे कि एक्सीडेंट में कमी आये।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो दतूली है, जो फागी की पंचायत है उसमें हमारा एक गांव है दतूली जो माधोराजपुरा को जोड़ता है, वह रोड इतनी क्षतिग्रस्त है। उसकी आपके पास भी गांव वालों की शिकायत आई हुई है। तो इसको जरूर बनवायें क्योंकि यह एक मात्र रोड है जिससे बालाजी मंदिर तक श्रद्धालु आते रहते हैं। जो ऐसे गांव हैं जो 500 से 1,000 की आबादी के हैं, उनका खुद का रोड होना चाहिये। झाड़ला से खजुरिया तक जाने के लिये रोड नहीं है। अगर खेत वाले उस रास्ते को बंद कर दें तो उनका आना-जाना बिलकुल बंद हो जाता है। इससे उनको बहुत परेशानी होगी। आप अपने माध्यम से अधिकारियों को बोलें कि वे उनके लिये परमानेंट डामरीकृत रोड बनायें।

दूसरा, हमारा जो चाकसू का डाक बंगला है, वह अपने आप को देख कर आंसू बहा रहा है। उसके आंसू को रोकें और उसकी दुर्दशा सुधारें। छोटी-छोटी दीवार है जिसको कोई छोटा बच्चा भी लांघ कर अन्दर जा सकता है और गाय-भैंस तो वहां घूमती ही रहती हैं।

इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि कोटखावदा का जो अस्पताल है,

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

उसमें मरीज आते हुए डरता है। मरीज अपना इलाज कराने के लिये आता है परन्तु उसकी छत को देखकर डरता है कि मैं कब यहां से निकलूं। यह उसके मन में पीड़ा रहती है। इसलिए आप उसकी छत को देखें। उसकी पट्टियां कब गिर जायें, पता नहीं। तो कोटखवदा का जो अस्पताल है उसको भी आप दिखवाएं।

दूसरा, हमारे चाकसू में एक बाइपास निकल रहा है जो चोखी ढाणी से शुरू होता है और यारलीपुरा के आगे तक है, वहां पर बालाजी कांट्रेक्टर ने कांट्रेक्ट लिया हुआ है।आई आर एम बी जो मेन कांट्रेक्टर है उससे उसको काम मिला हुआ है उसने जो मशीन लगा रखी है, हाट मिक्स प्लांट, वह राधा सरल बिहारी मंदिर के पास लगा रखी है और पास में ही पेट्रोल पंप है। आपको पता है कि हाट मिक्स प्लांट में कितनी गर्मी होती है, उसके बायलर ज्वलनशील होते हैं जिससे कभी भी वहां बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल पम्प नजदीक होने के कारण उसमें आग लग सकती है। उसके मिक्सर में जो धुआं उठता है, उससे मंदिर का स्वरूप बिगड़ सकता है, काले धुएं, मिट्टी से। तो उसको भी आप एक बार दिखवाएं।

उसके बाद यह कहना चाहूंगी कि वह जमीन जो ली है वह ऐसी जगह पर है जहां पर आस-पास खेती करते हैं। जो यह प्लांट लगाया है, खेती के दो-दो किलोमीटर तक सारी जमीन बंजर हो जाती है, फिर कोई खेती नहीं हो सकती। यह भी आप दिखाइये। आस- पास के गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। इसका दूसरा प्लांट लगा हुआ है हमारे शिवदासपुरा से आगे, वहां पर उसका प्लांट लगा है डब्ल्यू एम एम का। उस प्लांट के अन्दर 10, 20 और 30 एम एम की गिट्टियां मिक्स होती हैं। उससे क्या होता है कि उसका धूल और प्रदूषण जो बाहर फैलता है, तो गांव वालों को स्वास्थ्य सम्बन्धी दमा बीमारी हो सकती है, बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, उस प्लांट को ऐसी जगह स्थापित करायें जहां कोई रहता नहीं हो, आबादी से दूर हो। दूसरा, वह बालाजी कान्ट्रेक्टर है, उन्होंने मिट्टी, रोड बनाने के लिए बेड बनाते हैं, वह मिट्टी डालते हैं, वे ऐसी जगह से मिट्टी ले रहे हैं जिससे ग्रामीण उसका विरोध कर रहे हैं। उनके पास में कोई लाइसेंस नहीं है, वे अवैध रूप से मिट्टी ला रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। अतः आप इसकी जांच भी कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि चाकसू को हर बार नेग्लेक्ट किया जाता है। जैसा कि हर बार कहती हूं, आप अच्छे मंत्री हैं, बहुत सीधे, सरल और बहुत काम करने वाले हैं, तो चाकसू में जितनी भी रोड है उनको आप देख लें और उनको बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री संतोष कुमार जी सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या 19 और 21 पर आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हजारों करोड़ रुपये लगाकर हजारों किलोमीटर की सड़कों की जो सौगात राजस्थान को दी है मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मेगा हाइवे जो उन्होंने सादुलशहर पतली बोर्डर, पंजाब बोर्डर से टीबी तक का दिया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए पी डब्ल्यू डी मंत्री जी से मेरे क्षेत्र की सड़कों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र दो विधान सभा क्षेत्रों की दो तहसीलों को मिलाकर परिसीमन में बना, संगरिया विधान सभा क्षेत्र की सादुलशहर तहसील और केसरीसिंह विधान सभा क्षेत्र की गंगानगर तहसील। मैं भी कहता हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग जो गांवों में जाते हैं, वे भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों में चाहे वह किसी की भी सरकार रही हो, जो मिसिंग लिंक हैं 400 किलोमीटर की मेरे यहां, उनको देखकर ऐसा लगता है कि इन तहसीलों में सड़कों का कोई काम नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, मैंने पहले भी निवेदन किया और फिर निवेदन करता हूं कि राजस्थान से अलग प्रायोरिटी में लेकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें बनाने का प्रावधान रखा जाए बजट में।

मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां प्रतापपुरा मनीवाले से 37 पी डी पी और स्टेट हाइवे 36 से 34 एम एल डी ग्रेवल की सड़कें मंजूर हुई हैं, उसके लिए धन्यवाद लेकिन मेरा निवेदन है कि इसके बाद में इनका डामरीकरण करवाया जाए। सात दस मिर्जेवाला दौलतपुरा रोड से सवा चार किलोमीटर की सड़क है उसको ग्रेवल रोड बनवाया जाए; खेरूवाला से 16-17 पी डी पी, पांच किलोमीटर की ग्रेवल रोड़ बनवाई जाए। मेरा यह निवेदन है कि इन सड़कों को बनाकर, और जब ये बन जाएं तो बाद में इनका डामरीकरण भी करवाया जाए।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

यह वाइडनिंग के लिए निवेदन है मंत्रीजी से कि सादुलशहर से प्रतापपुरा बनने वाली, छापावाली होते हुए, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सड़क पर, करीब 32 किलोमीटर लम्बाई की यह सड़क है जिस पर भारी ट्रैफिक चलता है, यह तीन किलोमीटर से पौने चार किलोमीटर तक की सड़क है, इसको साढ़े पांच किलोमीटर की वाइडनिंग करके बनाया जाए। इस पर बहुत हैवी ट्रैफिक शुरू हो गया है।

एक बीकानेर रोड, एन एच 15 से लादुवाला, जोगीवाला, पन्नीवाला, जयमितसिंह वाला होते हुए मम्मड़, मम्मड़ गांव तक की यह सड़क जाती है। हनुमानगढ़, गंगानगर है उससे जाकर यह मिलती है और इसमें सुन्दरपुरा से मम्मड़ आपने एक धार्मिक स्थल के रूप में सड़क दी वह बनी है। बीकानेर रोड नेशनल हाइवे 15 है, यह सड़क बनने से सादुलशहर का रोड़ बहुत नजदीक हो जाएगा। तो मेरा इसमें निवेदन है कि आप इसको बनवाएं।

आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मैं मंत्रीजी से निवेदन भी कर चुका हूं कि मेरा स्टेट हाइवे 7 भी बन रहा है, एक पांच एल एन पी फाटक से हमारे राजस्थान में एक गांव आता है पांच एलएनपी उससे रेलवे क्रोसिंग आता है, उसके बाद आगे मोड़ आकर फिर रेलवे क्रोसिंग आता है, तो मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन करता हूं कि कालूवाला से जोड़ने के लिए 2.7 किलोमीटर की एक सड़क बन जाए और उस पर एल एन पी नहर और फीडर नहर पर दो पुल बनने हैं, जैसा मुझे बताया गया है कि दोनों पुल सिंचाई विभाग बनाएगा, तो यह रोड अगर बन जाती है तो हमारा स्टेट हाइवे बिल्कुल सीधा बन जाता है, इसमें जो मोड़ हैं वे नहीं रहेंगे। उस स्टेट हाइवे से कोई एस एस बी रोड बनाने के लिए, दो पुल बनाने के लिए प्रपोजल बन रहे हैं, वे बनाएं, उसका हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यह रोड़ स्टेट हाइवे है, सीधा बन जाए इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया आप इसको इस तरह से बनवायें। आखिर दो मिनट में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को एक निवेदन है कि हर विधान सभा क्षेत्र से जब विधायक चुना जाता है तो कई बार कुछ विधायकों के पास हैडक्वार्टर पर अपना मकान नहीं होता, तो मेरा एक सुझाव है कि हर विधान सभा क्षेत्र के हर हैडक्वार्टर पर जगह एक्वायर करके एक विधायक भवन बनवाया जाए, जिसमें जो भी विधायक चुने जाएं वे उसमें अपना आफिस रखें और वहां सुचारु रूप से पाँच साल तक, जब तक उसका टेन्योर रहे वे काम करें। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को सुझाव है।

आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती कमला कस्वां जी।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की सड़कों की स्थिति के बारे में दिलाना चाहती हूं। यह बात सही है कि सन 2000 में जब प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारम्भ हुआ, उससे ग्रामीण क्षेत्र में उन गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जा सका जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हमारे गांव सड़कों से जुड़ेगे, विशेषकर मेरे क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा टीबे हैं, बहुत बड़े-बड़े टीबे होने के कारण वे गांव शहरों से सम्पर्क नहीं रख पाते थे, वे सारे गांव इस योजना के तहत जुड़े। लेकिन आज उन सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, कई सड़कें टूट चुकी हैं, उनकी मरम्मत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

मेरे क्षेत्र से इन्टर-स्टेट सड़क सिद्धमुख से सिवानी निकलती है, आज वह सड़क बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। हरियाणा का सिवानी प्रान्त सिद्धमुख से लगता हुआ होने के कारण वहां काफी आवागमन रहता है और ट्रैफिक लोड भी बहुत ज्यादा है और टूटने की वजह से उसकी स्थिति बहुत खराब है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्य मंत्री महोदय ने इन्टर-स्टेट सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, तो उसमें मेरे क्षेत्र की सड़क को भी आप बनवायें और उसकी चौड़ाई पूरी रखें क्योंकि साढ़े तीन मीटर की सड़क आज के परिप्रेक्ष्य में बराबर नहीं है, अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना लोड है कि दो गाड़ियां बराबर में नहीं निकल सकतीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कमला जी, समय हो गया, इसलिए थोड़ा दो मिनट में।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): मैं जब बोलती हूं तब ही समय हो जाता है। बीस मिनट आपके अपने बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट बोल लें आप।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): नहीं, मुझे बोलने दें या फिर मुझे मना कर दें। एक लाइन नहीं बोलती हूं, तब ही आप मुझे कह देते हैं, समय हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: आप भी समस्या को समझती हैं।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आप थोड़ा बहुत तो बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, बोल लीजिए।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): उसको सात मीटर करायें। जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी दो सड़क बनाई राजगढ़ से बेल और बेरासर से मण्डेला, उनमें बीएम मंजूर नहीं किया और सीधा कार्य कर दिया। लोड की वजह से वे सड़के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप खुद देखकर आए कि क्या हालत है। रोज पेच लगते हैं, रोज टूट जाते हैं। सड़क जो खतम हो चुकी है। अब आप जो सिवानी सड़क मंजूर करें, इसमें 50 एम एम बी एम अवश्य मंजूर करें ताकि वह सड़क मजबूत बने और ट्रैफिक लोड को सहन कर सके।

(18.00 बजे)

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरी बहुत सी सड़कें, न्यांगल छोटी से ग्वालीसर, हरियाणा सीमा से न्यांगल बड़ी, बगेला से ढिगारला, बूंगी से नीलकी, चांद गोठी से सुलखविया और खुण्डियावास से भैंसली, ये सारी की सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इनकी आप टी.एफ.सी. के अन्दर इनकी मरम्मत करावें ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को आवागमन में कोई दुविधा न हो।

दूसरा, जो सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र की है, मेरे क्षेत्र में हनुमानगढ़ से सादुलपुर, हिसार से सादुलपुर और रेवाड़ी से सादुलपुर ब्राडगेज का काम होने के कारण इस क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों के खेतों में जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। आवागमन का कोई साधन नहीं है। रेलवे क्रासिंग करना, ऊंट-गाड़ा भी नहीं जा सकता है, साधन जाना बहुत मुश्किल है। लोग बड़े परेशान हैं। इस समस्या के समाधान के लिये हमने रेलवे को लिखा कि आप अण्डर-ब्रिज बनाएं, रेलवे ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी है लेकिन आपके विभाग ने अभी तक प्रस्ताव बनाकर एस्टिमेट नहीं भेजे। अगर एस्टिमेट तुरन्त मिल जाएं तो जिला कलक्टर जो कि नरेगा के परियोजना अधिकारी भी हैं, वह नरेगा में इन आर.यू.बी. की सैंक्शन निकाल सकते हैं और हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। वे गांव जो कि आर.यू.बी. से जुड़ने हैं, वे सिद्धमुख से धांगड़ा, चुबकिया ताल से ढिगारला, पहाड़सर से गुलपुरा, चैनपुरा छोटा से हांसियावास, चुबकियाताल से भीमसाना, चुबकिया ताल से भगेला, ख्याली से भगेला, लसेड़ी से मीठी रेडूवान, एन.एच.-65 से लुटाणा सदासुख, गुलपुरा से लुटाणा मंदिर लसेड़ी, गुलपुरा से लुदी, कालरी से बेवड़, भोजाण से बांगड़वा, किरताण से बेवड़, बेवड़ व बास भरींड, ये कुछ गांव हैं जिनमें आर.यू.बी. की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके प्रस्ताव आप तुरन्त भिजवाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कमलाजी, समाप्त करें।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): दो मिनट ही लूंगी, साहब, ज्यादा नहीं लूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: छह बजे का टाइम दिया था उन्हें।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आप मुझे नहीं बोलने देना चाह रहे हैं लेकिन मैं आपके दो मिनट लूंगी।

दूसरा, मेरे क्षेत्र के पांच सौ की आबादी वाले गांव हैं वे सब प्रधान मंत्री सड़क योजना से जुड़ चुके हैं लेकिन ढाई सौ से पांच सौ की आबादी वाली मेरी नौ ढाणियां और रेवेन्यू विलेज हैं, वे वंचित हैं। कृपया आप इस बजट में ही इनका प्रावधान करें और सड़कों से जुड़वायें।

अंतिम बात मैं जो कहना चाहती हूं, वह यह बात है कि मैं आज सुबह से देख रही हूं कि बार-बार हम ठेकेदारों का नाम लेते हैं कि ठेकेदार उस सड़क की गुणवत्ता के लिये जिम्मेदार हैं, वे अच्छा काम नहीं करते हैं और उनको उत्तरदायी बनाया जाता है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ ठेकेदार की ही जिम्मेदारी है कि वह बढिया सड़कें बनाये? विभाग के अधिकारियों की, कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वह ए.ईएन., वह एक्स.ईएन. जो सड़क को देखता है, वह उसका निरीक्षण करता है, वह शुरू में ही क्यों नहीं देखता है कि मानकों के हिसाब से सड़क बने। अगर आप जो प्रस्ताव स्थानीय, दो ही मिनट, बस यह लास्ट है, आप एक मिनट बोलने दें; जो प्रस्ताव स्थानीय विभाग के द्वारा राज्य सरकार को भेजे जाते हैं सड़क के बारे में, वे प्रस्ताव स्थानीय परिस्थितियों को देखकर बनाये जाते हैं। उसमें ट्रैफिक भार कितना है, वह सब देखकर के बनाते हैं। विभाग द्वारा उसमें कटौती करके उस प्रस्ताव को बदल दिया जाता है और फिर जब सड़क बनती है तो मानकों के अनुरूप नहीं बनती है। बी.एम. का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर 50 एम.एम., बी.एम. मेरी इन दोनों सड़कों पर होता तो ये दोनों सड़कें नहीं टूटतीं। इसलिये जहां आप ठेकेदारों को जिम्मेदार बनाते हैं, आप अधिकारियों को भी जिम्मेदार बनायें। यह उनकी जिम्मेदारी है कि सड़क गुणवत्ता के हिसाब से बने, प्रस्ताव के हिसाब से बने। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं कि आज बी.एस.आर. रेट कभी भी मार्केट रेट के बराबर नहीं होती, बी.एस.आर. रेट कम होती है। मार्केट में वह चीज बहुत ज्यादा पैसों में मिलती है। उसके भाव में बहुत अन्तर होता है। ठेकेदार को महंगे भाव के अन्दर

(श्रीमती कमला कस्वां)

सामान खरीदना पड़ता है और बी.एस.आर. रेट से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बी.एस.आर. रेट जब भी तय करें, मार्केट वेल्यू को देखकर तय करें...(व्यवधान) ताकि ठेकेदार को महंगे भाव पर सामान नहीं लेना पड़े और वह अपने काम में गुणवत्ता लाये।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। आप विराजिये, विराजिये। बहुत-बहुत धन्यवाद। विराजिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): ठीक है, साहब, थैंक।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भरतसिंह जी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21 और 19 पर कुल 275 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; मांग संख्या 21 पर 218 और मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 57, इस प्रकार 275 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और आज 20 माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस सदन में रखे हैं। मैं कटौती प्रस्तावों के लिये और अपने विचार रखने के लिये तथा उन सभी सदस्यों को जिन्होंने इस सत्र के दौरान विभिन्न प्रश्न किये, 131 के तहत, 295 के तहत ध्यान आकर्षित किया, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों से जो फीडबैक आता है, उसी के आधार पर हमें दिशा मिलती है और काम के अन्दर आपके सुझाव के अनुसार सुधार करने का एक मौका प्राप्त होता है। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

मैं बहुत ब्रीफ में अपनी बात को रखूंगा। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय राजस्थान की जो स्थिति थी और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग जब बाद में फोर्म हुआ, उसके बाद तो सड़कों की संख्या, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वह बहुत सीमित थी, 1949 के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 13,553 किलोमीटर सड़कें थीं और उनमें भी डामर सड़कें, 794 किलोमीटर की केवल डामर सड़कें थीं। मगर जिस शहर से मैं आता हूं, भाग्यशाली हूं कि उस शहर में उस समय कोटा शहर से जो स्टेशन की मेन रोड थी, वह सीमेंट सड़क थी। आज हम उसकी तुलना करते हैं 2012 में, तो हमें इस बात का संतोष है कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार रही, दूसरी सरकार बी.जे.पी. की रही, जनता दल भी इसके बाद उस टाइम आया, 1,89,402 किलोमीटर आज सड़कें हैं और इसमें इन सड़कों में 1,43,484 किलोमीटर डामर की सड़कें हैं।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

राजस्थान के अन्दर एक बड़ी उपलब्धि इस बात की है कि सड़कों की जब बात करते हैं तो प्रदेश में जिस बात को लेकर हम अपने आपको यह मानते हैं कि राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि यहां वर्षा कम होती है, सूखा पड़ता है, मगर सड़क के अन्दर यह वर्षा, कम जो है, सड़क की लाइफ की लोंगेविटी के लिये एक वरदान है और इसलिये हमारी सड़कें इस कसौटी पर वर्षा कम होने की वजह से अन्य राज्यों से बेहतर होनी चाहिए, राजस्थान को एडवांटेज होना चाहिए। अब है या नहीं, यह आप सबको, इस बात के आप सब साक्षी हैं कि हमारी सड़कें, अगर केरल के अन्दर सड़कें अच्छी हो सकती हैं तो राजस्थान में निश्चित रूप से उससे कहीं बहुत बेहतर सड़कें होनी चाहिए।

यह हमारी वस्तु स्थिति, 1949 की जब हम बात करें, क्योंकि आंकड़े 1949 के मैं कोट कर रहा हूं, वाहन की संख्या, मेरे पास फिगर्स नहीं हैं, मगर मैं मानता हूं कि जितनी किलोमीटर डामर सड़कें होंगी, शायद उतने ही वाहन उस समय होंगे। किसी राजा के पास होंगे। बैलगाड़ी का तो कोई आंकड़ा लेता भी नहीं है। क्योंकि उस समय बैलगाड़ियों के माध्यम से जाते थे और जिस प्रकार से सड़कों की मांग आज है, उस समय इमीडिएटली सड़कों की वह मांग उस रूप से उठी भी नहीं।

अब मैं फिर कोटा का उल्लेख करुंगा, जहां से मैं आता हूं, कि उस जमाने में जब आधे से अधिक जिलों में सड़कें नहीं थीं, हमारे कोटा के अन्दर उस समय कम से कम डेढ़ सौ आफ-रोड ब्रिजेज थे जहां बैलगाड़ियों के लिये, बरसात के बाद, क्योंकि वहां पूरे कोटा, हाड़ौती सम्भाग में 1500 किलोमीटर नदी-नाले हैं और वर्षा में पानी बहता था तो उस समय के शासकों ने वहां पर 1500 आफ-रोड ब्रिजेज इसलिये बनवाये कि वर्षा के बाद वे लोग-बाग निकल सकें। आज भी हम साढ़े छह दशक बाद बहुत जगह उन्हीं पुलियाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सौ साल पहले बनी होंगी या 70 साल पहले बनी होंगी।

मैं उसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जो साढ़े छह दशक की हमने तरक्की की है सड़कों की दृष्टि से, बहुत बातों में हम पिछड़ भी गये हैं। 13 हजार किलोमीटर सड़कें थीं, मगर केवल सड़कें नहीं थीं वे, सड़क के साथ छाया भी थी, वृक्ष थे, जहां भी कोई आदमी जाए, बैल-गाड़ी से जाए, छाया में बैठ सके। जो डाक-बंगले थे, क्योंकि अभी कटौती प्रस्ताव का मैंने उल्लेख किया है, मैं उसके ऊपर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो डाक-बंगले थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे, जहां पर बग़ीचे थे वे बहुत सुंदर थे। उससे प्रेरणा लेकर सभी

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

33 जिलों में आज बगीचे होने चाहिए थे हमारे विभाग के पास, मगर जो बगीचे हैं उनको हम नहीं सवार सके। आज एक माननीय सदस्य ने कहा, सम्पत्ति के बारे में सुझाव दिया, शायद जयपुर से आने वाले खाचरियावास जी ने कहा होगा कि हमारे पास जो पी.डब्ल्यू.डी. सम्पत्ति की देख-भाल करती है, उसको उसी का होश नहीं है कि हमारे पास कितनी सम्पत्ति कहां पर रखी है और बहुत लोगों का उस सम्पत्ति पर कब्जा है और हमें उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

ये हमारे वे सेक्टर्स हैं, जिन पर हम पिछड़ गये। इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि केवल हम जहां पर आगे बढ़े हैं, उसी का मैं जिक्र करूं, साथ-साथ जिस दिशा में हम नहीं जा पाये हैं उसका भी मुझे उल्लेख करना, मैं समझता हूं, आवश्यक है।

आज हमारी प्रदेश में, देश का पूरा जो भू-भाग है, उसका 10 प्रतिशत हिस्सा, जमीन जो है हमारे प्रदेश में है और राजस्थान आज सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। सड़कों की दृष्टि से अगर हम उससे कम्पेयर करेंगे तो 10 परसेंट जिओग्राफिकल एरिया के अगेंस्ट, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 41 लाख 9 हजार 592 किलोमीटर जो सड़कें हैं, हमारे प्रदेश में 1 लाख 89 हजार 402 किलोमीटर सड़कें हैं और अगर हम औसत निकालें तो कुल जो देश में सड़कें हैं, उसकी 4.61 परसेंट हमारे यहां पर सड़कें हैं। उस दृष्टि से हम, सड़कों की दृष्टि से हम पीछे हैं। हमें बहुत कुछ आगे जाने के लिए इसमें प्रयास करने होंगे।

मुझे संतोष इस बात का है कि यह जो किसी भी प्रदेश में जो अच्छी सड़कें होती हैं, यह मानकर चला जाता है कि जो नेशनल हाईवेज हैं और स्टेट हाईवेज हैं, उनकी क्वालिटी अन्य सड़कों से बेहतर होती है और राजस्थान में जो नेशनल हाइवेज का जो औसत है, वह राष्ट्रीय औसत से, राष्ट्र में जो कुल सड़के हैं, उसका 9.85 है। तो जिओग्राफिकल एरिये के हिसाब से हमारे पास लगभग जितना हमारा शेयर जो है, उतनी ही नेशनल हाइवे हमारे यहां पर है और निश्चित रूप से प्रदेश को मूवमैंट के अन्दर जो है इससे यातायात को लाभ मिलता है। इसी प्रकार, हमारे स्टेट हाइवे का जो परसेंटेज है, वह 7.37 परसेंट है और उस दृष्टि से मैं यह महसूस करता हूं कि हम स्टेट हाइवेज और नेशनल हाइवेज की दृष्टि से हम अपने आपको काफी संतोषजनक कह सकते हैं। और सड़कों के घनत्व की अगर हम बात करें तो 1949 में हमारे डामर की

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

जो सड़कें थीं, पूरे स्टेट के अन्दर, वे जनंसख्या के हिसाब से 3.96 किलोमीटर प्रति हंड्रेड वर्ग किलोमीटर थीं और आज हमारे प्रदेश में जो उसका औसत है, वह 2012 में 55.40 किलोमीटर है, पर-हंड्रेड स्क्वेयर किलोमीटर में और राष्ट्र का जो एवरेज है, उससे हम आधे हैं क्योंकि जो नेशनल एवरेज है, वह 125.02 किलोमीटर है और हम उसमें पीछे हैं, मगर जो जनसंख्या है, हमारे प्रदेश के अन्दर पर-स्क्वेयर किलोमीटर के अन्दर राष्ट्र से कम है, इसलिए यह डिस्टेंस आया है।

तो अभी रूरल कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें इस बात का संतोष है कि आज राजस्थान के अन्दर 81.20 परसेंट रूरल कनेक्टिविटी है और राष्ट्र की रूरल कनेक्टिविटी 70 परसेंट है और इस दृष्टि से हम संतोष कर सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, किसी भी प्रदेश का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह सड़कों की हंड्रेड परसेंट कनेक्टिविटी एचीव करे।

मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, जो एक माननीय सदस्य ने प्रेसिडेंट जान एफ. कैनेड़ी को कोट किया था, उन्होंने कहा था कि- "America is rich because we have good roads." निश्चित रूप से अगर किसी प्रदेश के अन्दर सड़कें अच्छी होंगी तो वह प्रदेश तरक्की करेगा और यह गलत नहीं होगा, अगर उसको यूं कहें कि roads are the thermometer to measure the health of the State.

किसी सदस्य ने कहा था कि अगर हम कहीं जाएं और राजस्थान में अगर सड़कों के बारे में बात करें तो अच्छा कोई कहता है तो हमें इस बात का संतोष, हर नागरिक को इस बात का संतोष होगा कि हमारी सड़कें राजस्थान की अच्छी हैं। मुझे खुशी है, मैं अभी दो दिन पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सोमवार को यहां सदन में नहीं था, मेरे निजी कार्य से मैं उत्तराखंड में था और वहां पर किसी से बात चल रही थी तो उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान में आपकी सड़कें अच्छी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। उनको यह भी नहीं पता था कि मैं किस पद पर कार्य कर रहा हूं। तो यह हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे लिए ही नहीं, हम सभी के लिए संतोष की बात है कि जब हमारे प्रदेश के बारे में कोई यह कहता है कि ये सड़कें अच्छी हैं और अगर वह यह कहे कि सड़कें खराब हैं तो उसका कष्ट मंत्री के रूप में मुझको तो होगा ही, सबको होगा। मैं हमारे विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं तो पांच महीने का ही हूं यहां पर, I am just five months old in this Department.

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इन्फेंट हो।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, हां, इन्फेंट। Yes, infant, in your Doctors' term, I am. It is accurately the same. मगर मैं हमारे अधिकारियों को, क्योंकि अभी पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहा हूं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वे एलीफेंट हैं। आप इन्फेंट हैं तो वे एलीफेंट हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं यह इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो मेरे विभाग के अधिकारी हैं, कभी-कभी मुझे विचार आता है कि जिस प्रकार से मैं काम करता हूं या जिस प्रकार से मैं सोचता हूं तो इनके भी मन में विचार आता होगा कि ये अभी थोड़े समय पहले आये हैं और ये हमें सुझाव दे रहे हैं या हमसे कुछ बात इस रूप से कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 30-30 साल तक जो है मेरे विभाग के अधिकारी, जो यहां पर सामने बैठे हैं, वे इस डिपार्टमेंट में रहे हैं, उन्होंने एक दर्जन से ज्यादा पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को आते हुए देखा होगा और जाते हुए देखा होगा। तो मैं भी उनमें से एक हूं।

मगर यहां पर यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं इस सदन में, मैं इस बात को कितना कर पाऊंगा, अथोरिटी के साथ तो मैं इस बात को नहीं कहता मगर सिंसियरिटी के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि यह मेरी कोशिश रहेगी कि जो यह मौका मुझे मिला है स्टेट के पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर के रूप में काम करने का, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो दिया है, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारी सड़कें राजस्थान की देश के सबसे अच्छे प्रदेश में हम राजस्थान की गिनती हो, ऐसा हमारा सोच होना चाहिए। मैं इस समय, क्योंकि वर्षों से जो सड़कों की पीड़ा है, खराब सड़कों की पीड़ा और जो तकलीफें हैं, उनको मैंने अनुभव किया है।

आज मंत्री की हैसियत से मैं बात कर रहा हूं मगर मुझे ध्यान है कि जब मैं मेरी ग्रेजुएशन करके मेरे गांव में आया था तो गुस्सा आता था और नाराजगी होती थी। किस बात को लेकर? बुनियादी सुविधा, जो सड़क नहीं थी उसको लेकर तकलीफ होती थी। जब नदी के किनारे हम इसलिए बैठे रहते थे बरसात के अन्दर क्योंकि जो पुल 100 साल पहले बना था, वहां पर नया पुल नहीं बना है और नाव दूसरे किनारे से नहीं आ रही है, कितनी महिलाओं को

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

तकलीफ होती थी। तो गुस्सा आता था कि हम आजादी के चालीस साल बाद भी हम क्यों नाव में जा रहे हैं? और आज भी अनेक लोगों का गुस्सा आता होगा कि हमारे गांव के अन्दर ये कमियां क्यों हैं? और उस नाराजगी को दूर कौन करेगा? यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मेरी तकलीफ इस बात को लेकर बढ़ती है कि एक मंत्री के रूप में क्यों लोग-बाग़ मेरे समक्ष इस बात को रखें कि मेरे इस गांव की सड़क को आप ठीक कर दीजिये या इस गांव की सड़क मुझे दे दीजिये? मैं क्यों देने वाला हूं? क्यों नहीं, हम इस नीति के साथ इस प्रकार का करें कि लोगों को अपने अधिकार के तहत चीजें मिलने लगें और मंत्री केवल नीतियों के ऊपर एक दिशा दे? इस प्रकार की व्यवस्था हम इसमें कायम करें।

मैं इस सदन में इस बात की प्रशंसा करूंगा कि जब मैं पहली बार इस सदन में 1994 में आया था तो माननीय स्व. भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, 1994 के अन्दर एक सड़क नीति वे लेकर आये। माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी साहब पी.डब्ल्यू.डी. के मिनिस्टर थे। मैं उस बात की सराहना करूंगा कि एक सड़क नीति के तहत एक दिशा दी कि हम किस प्रकार से गांवों को जोड़ेंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम, जिसको मैं बहुत आगे की सोच का कदम मानता हूं, मैं माननीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की भी प्रशंसा करूंगा कि दिसम्बर, 2000 के अन्दर क्रिसमस के दिन उन्होंने प्रधान मंत्री सड़क योजना का एक स्वरूप इस देश को दिया और राजस्थान को उसका बहुत अच्छा फायदा मिला और हमारे जो 50 प्रतिशत कनेक्टिविटी थी विलेजेज की, वह उस योजना की वजह से कुछ आपने उसको क्रियान्वित किया, कुछ हमने किया और हम आगे बढ़े।

मैं हमारे जो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे, दुर्भाग्य से आज वे सदन में नहीं हैं पूर्व मंत्री, नहीं तो वे मेरी अनेक कमियां और अपनी अनेक उपलब्धियां बताते; क्योंकि वे बताने की स्थिति में नहीं हैं तो मैं उनकी उपलब्धियां बता रहा हूं। उनके मंत्री रहते प्रधान मंत्री योजना के अन्दर, क्योंकि वे उस फेज में आये जिसका सबसे ज्यादा बूम था, उसका एडवांटेज उनको मिला और वे हमेशा उस बात के लिये याद रहेंगे। यह उनकी उपलब्धि है।

तीसरा जो महत्वपूर्ण कदम है, वह इस 2012 के साल के अन्दर, मैं

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

उसका श्रेय हमारे मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये दूंगा कि प्रधान मंत्री सड़क योजना जिस मुकाम पर आकर रुकी, उसका उनका सोच था और मेरा सौभाग्य था कि पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर के रूप में मैंने उनको वह पीड़ा व्यक्त की, जो मेरे हृदय में लेकर बैठा हुआ था कि उन जिले के लोगों ने क्या पाप किया, जो प्रधान मंत्री सड़क योजना से कवर नहीं होते। 250 और 500 के बीच की आबादी, जो हमारे डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स को इस योजना के तहत मिला है, ट्राइबल एरियाज को मिला है, क्यों नहीं इन लोगों को आप इस योजना का फायदा दें? क्यों नहीं हम इस प्रकार की पहल करें? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसकी बजट के अन्दर घोषणा की। यह तीसरा बहुत बड़ा माइलस्टोन इस प्रदेश के लिये होगा और यही नहीं, इस प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्दर, जहां हमारी ढाणियों, क्योंकि जो हैबिटेट्स हैं, उनको जोड़ने की बात थी, उस दिशा के अन्दर भी उन्होंने पहल की। उनके व्यक्तिगत प्रयास से सामान्य जो जिले थे, उसमें हजार के ऊपर और ट्राइबल में पांच सौ के ऊपर की उन ढाणियों को कवर करने के लिये योजना बनी। हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि हम रह गये, मगर वे रह तब गये जब लेने की बात आई; लिये, नहीं तो वे सब ही रह रहे थे। यह जो पहल की है, इसलिये 2012 का यह जो वर्ष है, यह भी एक माइलस्टोन है राजस्थान की कनेक्टिविटी के प्रोग्रेस में और निश्चित रूप से इस कार्य को बहुत लाभ मिलेगा।

मैं आपको एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। जब मैं अभी चुनाव के अन्दर एक गांव के अन्दर गया तो गांव के सब लोग-बाग़ इकट्ठे हो गये और उन्होंने कहा कि हम तो सारे मिलकर आपको वोट दे देंगे, आप तो हमसे एक वादा करिये; मैंने कहा, बोलो, क्या चाहते हो; उन्होंने कहा कि आप हमारे गांव को सड़क से जोड़ दो, एक भी छोटा-सा बच्चा नहीं रहेगा, सारे वोट आपको दिलायेंगे। मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का तो कमिटमेंट मैं आपसे नहीं कर सकता हूं, मगर आपकी पीड़ा मैं समझता हूं, मेरे से प्रयास होगा उतना करूंगा। जब वोट पड़े तो उन्होंने उस चुनाव का बहिष्कार किया, उन्होंने वोट नहीं दिये और मैंने उनसे किसी प्रकार का कमिटमेंट भी नहीं किया। मुझे एक सरपंच का ध्यान है, जो बड़ा गांव था, उसको अपने गांव से चलकर जयपुर तक, मुख्य मंत्री निवास तक आने के लिये अनेक पड़ाव डालते देखा, सिर्फ इस बात की मांग के लिये कि मेरे गांव के अन्दर, जो पंचायत मुख्यालय था, उसको सड़क से जोड़ो।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

इस प्रकार की पीड़ा लेकर राजस्थान के अनेक लोग-बाग़ अपने आपको पीड़ित महसूस करते थे और अभी भी जो हमने घोषणा की है कि सात हजार से अधिक गांव इस प्रकार के हैं जिनकी सड़क से कनेक्टिविटी नहीं है, आज हमारे ये जो शहर बढ़े हैं न, दिल्ली बढ़ा, जयपुर बढ़ा, दूसरे शहर बढ़े, क्यों बढ़े, क्योंकि हमने सड़क उनको नहीं दी, बुनियादी सुविधा उनको नहीं दी। इसलिये जब आप सड़क गांव तक नहीं ले जाओगे तो गांव सड़क पर आ जायेंगे, क्योंकि सड़क के साथ पूरा डवलपमेंट जुड़ा हुआ है। आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे वह हैल्थ में कर रहे हैं, एन आर एच एम के माध्यम से कर रहे हैं, कोई सोशली कर रहे हैं, किसी भी नाम से आप उसको बोलें, आप अध्यापकों की भर्ती कर देंगे, आप डाक्टर, ए एन एम लगा देंगे, मगर उनकी उपस्थिति गांवों के अन्दर होएगी, उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि बुनियादी सुविधा, जो रोड है, उसके बिना गांव का डवलपमेंट नहीं है। इसी प्रकार से, ब्रिजेज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो गांव तक आने के बाद एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिये जो दिक्कतें हैं, उनकी वजह से लोगों को परेशानी होगी।

मैं इस मौके पर हमारे माननीय सदस्यों ने जो हमारे कटौती प्रस्तावों के माध्यम से बात कही, उसकी ओर मैं आपका थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे कुल कटौती प्रस्ताव आये मांग संख्या 21 में, मैं उनका उल्लेख करूंगा कि किस प्रकार से लोगों के कटौती प्रस्ताव थे, 60 सदस्यों ने तो नई स्वीकृतियां, जिस प्रकार से अभी भी लोगों ने सदन में मांग की, नई सड़कें बनाने की बात की; 38 कटौती प्रस्ताव रिन्यूअल से सम्बन्धित हैं, सड़कें खराब थीं, उनको ठीक कराने की बात कही है; 26 रिपेयर के लिये हैं; फिर वापस 21 न्यू कनेक्टिविटी के लिये हैं; 16 कटौती प्रस्ताव सी.डी. वर्क्स के हैं; 15 एम आई सी एस के हैं; 9 बी ओ टी के थे; 9 इनकम्प्लीट वर्क, समय पर काम पूरा नहीं होने की वजह से थे, 9 आर ओ बी से सम्बन्धित थे; 6 नेशनल हाइवे; 4 क्वालिटी से सम्बन्धित हैं; 2 अतिक्रमण से और इस प्रकार एक डिले होने की वजह से। मांग संख्या 19 के 13 लोक निर्माण कार्य भवन से सम्बन्धित हैं; 13 कटौती प्रस्ताव कार्य में विलम्ब होने के कारण हैं; 9 डाक बंगलों से सम्बन्धित हैं; 9 मेन्टीनेंस से; 9 क्वालिटी से; 6 रिपेयर से और 4 इनम्प्लीट वर्क से हैं। जितने भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि एक हफ्ते के अन्दर आपको सारे उत्तर मिल

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

जायेंगे। मैं आपको यह भी आश्वस्त करता हूं कि आपको कहीं लगे, इन्हीं का नहीं, प्रश्नों के उत्तर भी जो मैं आपको देता हूं, क्योंकि 10 साल तक विपक्ष में रहकर मैंने भी उत्तर प्राप्त किये हैं और बहुत बार ऐसा लगता है कि उत्तर केवल उत्तर देने के लिये ही है, मैं आपको जो उत्तर भेजता हूं, उसको पूरी गम्भीरता के साथ पूरा अध्ययन भी करता हूं, मगर फिर भी जो इन्फोर्मेशन डिपार्टमेंट से आई है या मेरी समझ से कोई इन्फोर्मेशन अगर आपको लगे कि उत्तर सही नहीं दिया है, आप मुझसे सम्पर्क करें। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि विधान सभा चलती है जितनी चलती है, मगर आपकी इन्फोर्मेशन किसी भी रूप में या किसी आम नागरिक को भी मैं महत्व देता हूं तो आप तो विधायक हैं, किसी कार्य के बारे में आप इन्फोर्म करेंगे तो आपके सुझावों पर पूरी गम्भीरता के साथ उस पर मंथन करके आखिरी निष्कर्ष तक हमारे वित्तीय संसाधनों की सीमा के अन्दर उसकी कोशिश करूंगा कि मैं उनके बारे में आपको संतुष्ट करूं और उस दिशा में काम करूं।

अभी जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे, उनके सम्बन्ध में जो बात आयी मैंने हमारे विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की ताकि मैं अभी सदन में आपको बता सकूं।

श्रीमती अनिता भदेलजी ने, जो अजमेर दक्षिण से विधायक हैं, उन्होंने अजमेर में सराधना बाइपास पर ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं होने से तवीजी से तवीजी फार्म तक की खराब सड़क के कारण वाहनों के आवागमन में भारी असुविधा के सम्बन्ध में बात उठायी थी। उक्त 1.30 किलोमीटर सड़क के चौड़ाइकरण एवं सुदृढ़ीकरण की 48.98 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 12.04.2012 को जारी की जा चुकी है तथा निविदाएं दिनांक 25.04.2012 को प्राप्त की जाकर ख्वाजा साहब के उर्स मेले से पूर्व यानी दिनांक 30.05.2012 तक कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। यह आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

अन्य, माननीय किरण माहेश्वरीजी, आप हैं, आपने पाली-नाडोल-गोमती का चौराहा सड़क, स्वीकृत राशि 193.95 करोड़, लम्बाई 107 किलोमीटर; पाली-नाडोल सड़क, कुल लम्बाई 67 किलोमीटर है, उसमें बी.टी. का कार्य 59 किलोमीटर पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य जुलाई, 2012 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। फेज वन में। फेज टू में, नाडोल से चारभुजा, किलोमीटर 280, 290, 10 किलोमीटर फोरेस्ट में आने की वजह से कार्य नहीं चल रहा है, प्रस्ताव फोरेस्ट

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

डिपार्टमेंट में भिजवा दिया गया है। फेज टू की है। फेज थ्री, चारभुजा से गोमती चौराहा, इस सड़क पर संवेदक जैन इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर कुल 3.49 करोड़ को जब्त कर निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त कार्य मैसर्स रवि इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को आबंटित कर दिया गया है। अतः इस कार्य को अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अक्टूबर, 2012 तक यह पूर्ण हो जायेगा, यह आपने जो उठाया है।

आप ही ने स्कूल व अस्पताल के भवनों की मरम्मत हेतु बजट की आवश्यकता, राज्य में निर्मित होने वाले भवन कार्यों की सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट उसको करते हैं तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग इसमें केवल कार्यकारी एजेंसी का काम करती है तथा राजकीय स्कूल भवनों की मरम्मत वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। सम्बन्धित शिक्षा विभाग द्वारा जिन विद्यालयों में मरम्मत का कार्य करवाना होता है, उसकी स्वीकृति स्कूल-वाइज जारी की जाती है एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य कराया जाता है। विशेष मरम्मत के कार्य हेतु भी शिक्षा विभाग द्वारा अलग से स्वीकृति जारी की जाती है। 13वें वित्त आयोग में भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कोई प्रावधान नहीं है। राजकीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु राशि भवनों की स्थिति के अनुरूप काफी कम है। इससे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध बजट राशि में अति आवश्यक मरम्मत एवं रख-रखाव तथा डे-टू-डे मरम्मत कार्य करवाया जाना ही सम्भव हो पाता है।

अगर आप इसकी डिटेल चाहें तो आवासीय भवनों की मरम्मत कार्य हेतु 2012-13 में मांग राशि 158 करोड़ रुपये थी, उपलब्ध 13.75 करोड़ है और आवासीय भवनों की मांग 48 करोड़ थी और 14.27 करोड़ है। यहां मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा कि अगर मैं आपको पुराने आंकड़े भी बताऊं तो पिछली सरकार के कार्यकाल में इतनी ही राशि आबंटित होती थी। डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूं, वरना राशि करीब-करीब इतनी ही उपलब्ध करायी जाती है।

माननीय श्री टीकारामजी जूली ने सरिस्का और थानागाजी के वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख किया था। वर्तमान में वैकल्पिक मार्ग कुशालपुरा से नारायणपुर-थानागाजी सड़क का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण का कार्य स्टेट हाइवे

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

प्लान के अन्तर्गत 8 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत है। आम जन की मांग अनुसार तालवृक्ष-थानागाजी एवं थानागाजी बाइपास का 21.11 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के वित्त विभाग के पास कल ही दिनांक 18.04.2012 को भेजा गया है। इस मार्ग की आधी राशि भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने के बाद ही कार्य शुरू होगा। लेकिन मैं सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, तब तक नारायणपुर से होकर कुशलपुरा तक का मार्ग शीघ्र ठीक करवाया जायेगा और इस मार्ग का मैंने निरीक्षण किया है।

मैं यहां माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले पांच महीने में, जब से इस विभाग का दायित्व मुझे सौंपा गया, एक अंग्रेजी में कहावत है कि "One good look is better than 100 words spoken." और इस विभाग के लिए तो इससे खरी कोई बात होती ही नहीं है कि मैं मेरे विभाग के अधिकारियों से बहस करूं और उसके बारे में करूं। इसलिए इसका एक ही तरीका है कि हालात को जानने के लिए मौके पर जाकर हालात को समझूं। और मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि लगभग 45 दिन इन पांच महीनों में मैंने प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण किया है, शायद तीन जिले ऐसे हैं जिनमें मैं नहीं जा सका, वहां भी विधान सभा का यह सत्र जब खतम होगा, मैं जाऊंगा; लगभग-लगभग 17 हजार किलोमीटर से अधिक का मैंने डिस्टेंस कवर किया है। यह आपके जितने भी कटौती प्रस्ताव और प्रश्न हैं, ये मेरे लिए, इनको कम्पाइल करके मैं मेरे साथ रखता हूं और जब आपके क्षेत्र में जाऊंगा तो इनका व्यक्तिगत, सब स्थानों का निरीक्षण करने का मेरा प्रयास रहेगा ताकि उसकी गम्भीरता को समझ कर उसको हम अटेंड कर सकें।

विधायक नीमकाथाना, श्री रमेश खण्डेलवाल जी द्वारा माइनिंग सड़कों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था, पाटन से डाबला, ओ डी आर, किलोमीटर जीरो से 22 तक माइनिंग रोड, बी.ओ.टी. आधार पर निर्माण बाबत; पाटन डाबला सड़क, जीरो से 22 किलोमीटर तक का बी.ओ.टी. के आधार पर सुओमोटू तखमीना बनाया गया है, उक्त प्रोजेक्ट को सुओमोटू के आधार पर अनुमानित लागत 37.87 करोड़ रुपये आ रही है व इस पर टोल अवधि 12 वर्ष 1 माह 25 दिन होगी। इस परियोजना में 9.9 किलोमीटर में चौड़ाईकरण हेतु भूमि अवाप्ति की आवश्यकता होगी। बी.ओ.टी. आधार पर कार्य को लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

एक माननीय सदस्य ने इस बात की भी चिंता की थी कि एक दिन आयेगा पांच साल के बाद कि राजस्थान में सभी सड़कों पर आपको टोल देना पड़ेगा। इसी प्रकार से निश्चित रूप से अगर हमें अच्छी सड़कें चाहिए, तो यह आज की जो कार्य प्रणाली है उससे हटकर हम, मैं यहां कह दूं कि नहीं, हम ऐसा करेंगे कि आने वाले टाइम में विभाग ही इन सब सड़कों की देखरेख कर ले तो जिस तरह का विस्तार हो रहा है, वह सम्भव नहीं है। हमें इस लाइन के ऊपर, यह पूरे विश्व के अन्दर इसी प्रकार से सड़कों का निर्माण होने जाने वाला है और हो रहा है। तो उसके अन्दर मैं माननीय सदस्यों की बी.ओ.टी. पर... और सुओमोटू का मतलब है कि कोई व्यक्ति खुद आगे होकर यह बोलेगा कि साहब, मैं इस सड़क को बना दूं और विभाग के पास अपने प्रपोजल लाता है, विभाग उसके एडवर्टाइज करता है और लोग-बाग़ भी उसके अपने टेण्डर दे सकते हैं और कोई ने, जिसने पहली प्राथमिकता से उस सड़क के बारे में प्रपोजल लाया है उससे कम राशि में काम करने का टेण्डर देता है, तो प्रथम जो टेण्डर देता है उससे हम पूछते हैं कि भाई, इसने कम दिया है, तुम बनाओगे; अगर वह इसमें तैयार हो जाता है तो उसको देते हैं, नहीं तो जो बाद में आता है। तो इसलिए यह एक तरीका है, सुओमोटू और मुझे खुशी है कि इस प्रकार से आ रहे हैं। यह जो माइनिंग रोड की बात कर रहे हैं, वह इस कारण कि सड़कें खराब हो जाती हैं, अगर सुओमोटू कोई उनके अन्दर आगे होकर प्रस्ताव लेकर आएं कि ये माइनिंग रोड्स हैं, तो वहां निश्चित रूप से ट्रैफिक भी काफी होगा, कोई सामने आता है सदस्य, कोई कान्ट्रेक्टर, या अपने प्रपोजल रखता है तो सरकार इसके लिए उसका स्वागत करेगी और उस दिशा में पहल करेगी।

प्रताप सिंहजी खाचरियावास, माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की वर्ष 2011-12 की घोषणा के उपरान्त भी शहरी विधान सभा क्षेत्रों में दो वर्षों में सात करोड़ रुपये की राशि नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता और नाराजगी प्रकट की थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों में 2011-12, 2012-13 में 1,400 करोड़ रुपये की लागत से प्रति विधान सभा क्षेत्र में सोलह किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण एवं तीस से चालीस किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने की घोषणा पिछले वर्ष 2011-12 में की गयी थी। इस घोषणा के क्रियान्वयन में दो वर्षों में

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

प्रति विधान सभा क्षेत्र चार करोड़ रुपये की लागत से मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण एवं तीन करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य के 193 ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 13वें वित्त आयोग के अनुसार प्रति विधान सभा क्षेत्र में कम से कम पच्चीस किलोमीटर लम्बाई में कार्य स्वीकृत किये जाकर के प्रगति पर हैं। शेष सात शहरी विधान सभा क्षेत्र, जयपुर शहर के छह एवं भीलवाड़ा के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र डेढ़ करोड़ रुपये अनुसार नौ करोड़ रुपये जे डी ए को एवं डेढ़ करोड़ रुपये यू आई टी, भीलवाड़ा को वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

मिसिंग लिंक्स की घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही की गयी थी।

राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या जो हैं, ने यह भी कहा था, जो मार्बल का वेस्ट स्लरी है, उसके इस्तेमाल के लिए आपने यहां ध्यान दिलाया था। तो चीफ इंजीनियर पी डब्ल्यू डी ने इस सम्बन्ध में एक सर्कुलर मार्बल स्लरी को प्लास्टर के कार्य के लिए और कन्स्ट्रक्शन आफ नोन स्ट्रक्चरल, इसकी स्ट्रेन्थ उतनी नहीं है कि इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर, कम्पाउण्ड वाल, नान- लोड बेयरिंग वाल आइटम, इन्कोरपोरेट इन बी एस आर और उदयपुर के बारे में as far as use of marble slurry in road construction in concerned, Indian Road Congress, New Delhi has not issued any code. The matter is still under investigation with the Highway Research Board. मैं आपके इस सुझाव से पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। पहल विभाग को इसमें हमें लेनी होगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारा विभाग इसके अन्दर पहल करेगा और अगर हम इसका उपयोग ब्रिक्स के रूप में कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इससे स्टेट को फायदा होगा, इंडिविजुअल को नहीं, स्टेट के हित में इस प्रकार का होगा। तो मैं आपने जो एक महत्वपूर्ण समस्या जो है उसके ऊपर ध्यान दिलाया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

एक कर्नल सोनारामजी ने पी एम जी एस वाई में दोष निवारण अवधि एवं पांच वर्ष तक सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया था। पी एम जी एस वाई में संवेदक के द्वारा जमा करवाई गई कुल दस प्रतिशत राशि परफोरमेंस गारण्टी एवं सिक्योरिटी डिपाजिट में से ढाई प्रतिशत राशि सड़क बनाये जाने के बाद वापस कर दी जाती है, शेष साढ़े सात प्रतिशत

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

राशि पांच साल तक विभाग के पास रहती है। साथ ही प्रति वर्ष मरम्मत कार्य हेतु संविदा में दी हुई राशि के अनुसार संवेदक द्वारा मरम्मत करने पर मासिक भुगतान ठेकेदार को कर दिया जाता है। संवेदक द्वारा इन पांच वर्षों में दोष निवारण एवं मरम्मत के कार्य करने होते हैं, यदि वह यह कार्य नहीं करता है तो उसके हर्जे-खर्चे, रिस्क एंड कास्ट पर साढ़े सात प्रतिशत राशि में से भुगतान कर मरम्मत व दोष निवारण का कार्य विभाग द्वारा करवाया जाता है।

यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह सही है कि मैं जब पूरे प्रदेश में घूमा तो अनेक जगह...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज का बिजनेस पूरा होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय आज का बिजनेस पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची और बिजनेस पूरा होने तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं उल्लेख कर रहा था कि यह व्यवस्था तो है मगर हकीकत यह थी कि बहुत जगह इस पर अमल नहीं हो रहा था और उसकी वजह से यहां सदन में शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायतें सही हैं। हमने पिछले तीन-चार महीनों में इस बात की व्यवस्था की है, इस प्रकार के दिशा-निर्देश दिए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है कि इस पी डब्ल्यू मंत्रालय को सम्भालने के पहले मुझे तीन साल तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में काम करने का अवसर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदान किया था और वहां नरेगा की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो हमने पहल की, उसमें जो पारदर्शिता की बात है, क्योंकि जनता के सामने सारी बात अगर खुलकर सामने आ जाए, वहां पर वाल पेंटिग्स का काम किया गया था

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

क्योंकि बड़ी संख्या के अन्दर यह शिकायत आती थी कि मजदूर काम पर होते नहीं हैं, फर्जी हाज़िरी भर लेते हैं, यह उस अनुभव से जो मैंने सीखा, उसको पी डब्ल्यू डी के अन्दर हमने इस व्यवस्था को लागू करके अब जितने भी काम नये, यह नई पहल है, जितने भी काम विभाग करवाएगा, पी डब्ल्यू डी के काम आरम्भ करने के पहले साइट के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर काम हो रहा है, उसमें कार्य के सम्बन्ध में पूरी उसकी जानकारी, पूरी डिटेल, कान्ट्रेक्टर का नाम, उसका मोबाइल नम्बर, कितनी राशि से काम होने वाला है, किस अवधि में काम को खतम करना है, कितना सीमेण्ट लगेगा, कितनी उसके अन्दर गिट्टी लगेगी, यह सारा दीवारों के ऊपर अंकित करना पड़ेगा। वहां पर जो कान्ट्रेक्टर के साथ-साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसका मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर नहीं।

आप जब अपने क्षेत्र के अन्दर घूमेंगे, आपको मेरे हिसाब से यह काम दिखना चाहिए। इस बात की आप जगह-जगह निगाह रखें, सूचना बोर्ड और इस व्यवस्था को हमने मुख्य रूप से, क्योंकि जो डी एल पी है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, जिसको आम व्यक्ति समझता नहीं है कि डी एल पी का मतलब क्या है, माइलस्टोन के ऊपर कोई सड़क रि-कारपेट की है उसके ऊपर कोने पर लिखा रहता है डी एल पी, ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों के अलावा उसको प्रदेश के अन्दर 99 प्रतिशत लोग-बाग नहीं जानते कि यह क्या है।

कभी-कभी जब आप चलते हैं तो देखते हैं कि खराब सड़क के बाद चार किलोमीटर तक नई सड़क आ गयी और वापस फिर खराब, तो कोई पूछता है कि कैसी सड़क है? उसकी सम्पूर्ण जानकारी हमारे प्रदेश के वासियों को हो, हमारे सदस्यों को हो, इसकी व्यवस्था अभी हमने की है और मैं आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में जो आपकी पंचायत समितियां हैं और नगरपालिकाएं हैं, उनके वहां पर हमारे विभाग के सारे कार्यों की इन्फोर्मेशन, उस समय करेंटली कौन काम करे जायेंगे, उसकी सूचना लगाना अनिवार्य होगा कि इस पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर अमुक सड़कें बन रही हैं, ढाणियां कनेक्ट हो रही हैं, तो उसके बारे में उसकी जानकारी होगी। इसी प्रकार से, नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर भी विभाग को इस प्रकार के दिशा निर्देश ...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरी शायद आप बात भूल गये। पूरे गंगानगर शहर में सड़क नाम की चीज नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): रिप्लाई हो रहा है, माननीय। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रिप्लाई है, सवाल-जवाब थोड़े ही है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा निवेदन है, आप बिलकुल सही फरमा रहे हैं, मैं भी समझता हूं लेकिन मेरा कटौती प्रस्ताव दिया हुआ है, नम्बर नहीं आया। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वह जवाब दे देंगे ना।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं कम से कम यह तो कह दूं कि गंगानगर का नम्बर चलने का कब का है? पूरे गंगानगर में सड़क नाम की चीज नहीं है ...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य, मैंने आपसे पहले ही अनुरोध किया है कि विधान सभा तो सीमित समय तक ही चलती है, आप बाद में भी आपके रचनात्मक सुझाव देंगे तो मैं गम्भीरता से उनके बारे में विचार करूंगा और अपना प्रयास करूंगा।

बायतू से आने वाले माननीय सदस्य, कर्नल सोनारामजी ने एक सुझाव दिया था जालूपुरा स्थित राजकीय आवासों को तोड़कर बहुमंजिले क्वाटर्स बनाने का। मेरे पास कोटा से आये एक माननीय सदस्य ने भी जालूपुरा का पहली बार नाम लिया तो मुझे तो ध्यान नहीं था, जालूपुरा किसको कहते हैं; उन्होंने कहा कि हम जहां रहते हैं वह जालूपुरा है, वहां के भवनों को आप...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एम एल ए क्वार्टर हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मंत्री महोदय, यह तो बहुत गम्भीर बात है। हम लोग जहां रहते हैं वह तो जालूपुरा ही है। सही कहा उन्होंने, कर्नल साहब ने।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोटा साउथ से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे करीब महीने, डेढ़ महीने पहले इसके बारे में कहा था। मैंने उसी समय इसको मूव कराया है, प्रस्ताव बनवाए हैं, 82.61 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं और अभी बहुत जल्दी है, फाइनल इसके बारे में कहना, पर आप जो सुझाव देते हैं, मुझे खुशी है कि इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव सजेशंस लोगों के आये हैं। मैंने पहले ही कहा कि पूरे प्रदेश में हमारी जो सम्पत्ति बिखरी हुई है, उसकी पूरी जानकारी नहीं है। सब जगह उस ओर सोचने का हम फोकस ही नहीं कर पाये हैं। यह रचनात्मक सुझाव है, हमने फाइल आगे मूव की है, देखते हैं, हम उसमें कितना आगे...

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यदि जमीन बेचकर के उसके बाद में मकान बनाते हैं, यह मेरा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बोलते हैं। फौजी आज भी अनुशासन नहीं तोड़ते हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी तो यह प्लानिंग स्टेज के ऊपर है, हमने उसको आगे करा है। चूंकि आपने उल्लेख किया था तो...(व्यवधान) मेरे पास यह था कि मैं चुपचाप बैठा रहता और इसका जिक्र नहीं करता। यह आया तो मैंने उसका जिक्र किया है। इससे ज्यादा मेरा इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। मगर मैं चाहूंगा कि हमारी जो सम्पत्तियां इस प्रकार बिखरी हुई हैं और जहां रह रहे हैं उनको आज के समय से, निजी मकान भी हम देखते हैं क्षेत्र में, पुराना मकान जो किसी ने 30-40 साल पहले बहुत चाव से बनाया था, उसको तोड़कर बना रहा है। तो हम हमारी सरकारी जमीन के ऊपर जो वेल्यूबल है, उस प्रकार क्यों नहीं इस प्रकार की पहल करें? आपका मैं स्वागत करता हूं और इसी बाबत सदस्यों के सुझाव मैं आमंत्रित करता हूं।

वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही महात्मा गांधी नरेगा कार्य के लिये जिले में एक अधिशासी अभियन्ता का पद स्वीकृत किया हुआ है, साथ ही कुछ सहायक अभियन्ताओं के पद भी इस कार्य हेतु सृजित हैं, लेकिन इन कार्यों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि एक अधिशासी अभियन्ता जो जिला मुख्यालय पर पदस्थापित है, वह पूरे जिले में चल रही नरेगा की सड़कों के कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है। अतः विभाग का विचार है कि जिले में पदस्थापित समस्त अधिशासी अभियन्ता अपने-अपने क्षेत्र अधिकार में चल रहे नरेगा के कार्यों का संचालन भी करें। यह मैं इसलिये उल्लेख कर रहा हूं, मैं आप सदस्य लोगों से सुझाव चाहूंगा कि जिस सम्बन्ध में अभी एक-दो सदस्यों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आफिस के लिये बात की, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पहले इस प्रकार के सुझाव दिये थे, हमने उसको एग्जामिन किया और पाया कि वास्तव में उनकी बात में वज़न था और मैंने विभाग के अधिकारियों को, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहीं जिला मुख्यालय पर बैठे हुए थे उनको क्षेत्र के अन्दर भेजा। तो इस प्रकार से जो आपके सुझाव हैं, उनसे मुझे जरूर अवगत कराएं।

राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने सी आर एफ के पैसे

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

का उल्लेख किया कि सी आर एफ का जो आबंटन है कुल 422.12 करोड़ का, उसमें से बड़ा हिस्सा 210.11 करोड़ भीलवाड़ा जिले को दे दिया गया है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, भीलवाड़ा के पश्चात् सबसे अधिक आबंटन यदि किसी को किया गया है तो वह 36.99 करोड़ राजसमन्द जिले में ही किया गया है। तो अगर कोई और सदस्य...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पूरा बजट ही समर्पित कर दिया, पूरा भाषण भी समर्पित कर दिया है आपको।

श्री उपाध्यक्ष: आप धन्यवाद दे रही हैं या इंटरवीन कर रही हैं ?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं धन्यवाद देती हूं, लेकिन भीलवाड़ा के बाद है, यह मैं कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: इंटरवीन मत करिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप धन्यवाद दे ही नहीं सकतीं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अपनी बात को बहुत लम्बी नहीं करना चाहता, मगर जो घोषणाओं की, माननीय सदस्य चाहेंगे, तो क्या मैं घोषणाएं करूं? मेरे पास घोषणा करने को बहुत ही लिमिटेड स्कोप बचा है।

मैंने नीतिगत बात की है। एक तो जैसा मैंने उल्लेख किया है कि हमारी सड़क नीति 1994 में आयी थी, 1994 के अन्दर पहली बार यहां पर सड़क नीति बनी और उसको 18 साल हो गये। मेनली सड़क नीति थी, मैं उस सड़क नीति को पूरे डिपार्टमेंट का जो वर्किंग है उससे जोड़कर, उसके अन्दर अनेक दूसरे पहलू भी आयेंगे और मैं समझता हूं कि यह समय है कि इसको हम वापस एक नीतिगत दिशा दें। दिशा इसलिये दें कि हमारे पास जो विभिन्न हैड्स में पैसा आता है, चाहे वह सी आर एफ का है, स्टेट फण्ड है, सैस का पैसा है, टी एफ सी का है, इस पैसे से आपकी सड़कों की जो गाइडलाइंस हैं कि कितने समय में सड़कों का हम रिन्यूअल करेंगे, वह सब देने के बाद भी लोगों की शिकायत यह रहती है कि हमारी सड़क को नहीं लिया, यह छूट गयी। मैंने शुरू में कहा कि क्यों लोग-बाग़ मंत्री के पास आएं और मंत्री को इस बात के लिये कहें? क्यों मंत्री अपने पास देने का, डिस्पोजल अपने पास केन्द्रित रखे?

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

किया था, उसका उल्लेख मैं इसलिये कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने पंचायती राज की जब बात की थी तो उन्होंने कहा था, हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे; डि -सेण्ट्रलाइजेशन आफ पावर और विभागों को हस्तांतरित करने की बात की थी, उस दिशा के अन्दर पहल की गयी है। 5 विभाग पंचायती राज के अधीन किये गये हैं। उसमें पी डब्ल्यू डी नहीं है, मगर मैं इस मौके पर आपको इस बात के लिये आश्वस्त करता हूं और जब मैं इलाके में जाता हूं, यह देखता हूं कि जो सड़क वास्तव में बहुत खराब है, जिसकी मरम्मत को प्राथमिकता से लिया जाना चाहिये था, उसका 10 साल तक, 12 साल तक नम्बर नहीं आया, अब उसके पास अपनी बात कहने का स्थान क्या बचा? वह मंत्री ही बचा। मैंने यह भी देखा कि कोई मिलने वाला है तो उसने अपने गांव की सड़क पर डामरीकरण करवा लिया और दूसरे रह गये। तो इस अव्यवस्था से बचने के लिये एक ही तरीका है कि जो सारे प्रस्ताव तैयार हुए हैं, वे प्रस्ताव हमारी जो इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव बाडी है, जिस प्रकार से पी एम जी एस वाई के प्रस्ताव आते हैं, उन सारे प्रस्तावों का पंचायत समिति अथवा जिला परिषदों से अनुमोदन, एम एल ए, एम पी का इन्पुट और उसको एनेलाइज करने के बाद इस प्रकार से कार्य को स्वीकृति देंगे, तो जो इस प्रकार की कमियां रह जाती हैं, मैं समझता हूं, उनके ऊपर काफी हद तक नियंत्रण आयेगा मैं आपके आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में जो भी हम प्रस्ताव लेंगे, उसका मंत्री के पास अधिकार केन्द्रित नहीं रहेगा, पूरा डिसेण्ट्रलाइज रहेगा। पंचायत समितियों के माध्यम से सबका समय से पहले आप उसका ब्ल्यू-प्रिंट तैयार करवा लें, उसके माध्यम से होगा।

(19.00 बजे)

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, बहुत बड़ी घोषणा वे पहले ही कर चुके हैं। जिस पंचायत में मैं गया था और गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के मुझसे जो बात कही थी कि हमारे गांव में आप सड़क बना दें, हम सब आपको वोट देंगे; माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा से उस गांव में ही नहीं, प्रदेश के लगभग 3 हजार गांवों के अन्दर सड़कें बनाने की स्थिति में हम आ गये हैं। इस पूरे कार्यक्रम के अन्दर अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो उन गांव वालों का ही जिनको हम डामर सड़क दे रहे हैं। जब से महात्मा गांधी नरेगा योजना आरम्भ हुई, हमने उस नरेगा योजना के अन्दर गांव वालों से कहा था कि आप इसको ग्रेवल की स्टेज तक ले आयें और डामर करने की जिम्मेदारी सरकार

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

की है। जिन गांवों ने इसके डामरीकरण का कार्य पूरा कर लिया है; मैं खतम ही कर रहा हूं, मैं इसको समाप्त ही कर रहा हूं, मैं इस योजना का नाम, यह जो सड़कों पर काम होंगे डामरीकरण के, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बोर्ड सब जगह लगते हैं, इस योजना को, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम से यह नरेगा योजना चालू हुई है, तो यह महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना के रूप में इस योजना को मैं महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर उनको समर्पित करता हूं और इसके बोर्ड लगेंगे।

माननीय सदस्यों को, समयाभाव है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मांगें पारित की जायें।

मांग संख्या 19 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: मांग संख्या 19-लोक निर्माण।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,59,22,16,000/- (आठ अरब उनसठ करोड़ बाइस लाख सोलह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि, भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21 का पारण

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,84,92,31,000/- (छब्बीस अरब चौरासी करोड़ बानवे लाख इकत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबंद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुखबंद का प्रयोग करता हूं, यह कहें।

श्री उपाध्यक्ष: मुखबंद का प्रयोग करता हूं। आसन को कभी शिक्षा नहीं दी जाती है, आसन से अनुरोध किया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन से अनुरोध किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। मैं मुखबंद का प्रयोग करता हूं।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1-राज्य विधान मंडल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1-राज्य विधान मंडल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,20,52,000/- (सैंतीस करोड़ बीस लाख बावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,31,99,000/- (नौ करोड़ इकत्तीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 3-सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,21,51,59,000/- (तीन अरब इक्कीस करोड़ इक्यावन लाख उनसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 4-जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,35,85,48,000/- (तीन अरब पैंतीस करोड़ पिच्यासी लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 98,78,57,000/- (अठानवे करोड़ अठहत्तर लाख सत्तावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,16,66,09,000/- (चार अरब सोलह करोड़ छियासठ लाख नौ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 7-निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री उपाध्यक्ष)

2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,11,73,000/- (चौंतीस करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 8-राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,89,74,41,000/- (पांच अरब नवासी करोड़ चौहत्तर लाख इकतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 9-वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,63,53,28,000/- (सात अरब तिरेसठ करोड़ तिरेपन लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,16,07,91,000/- (एक अरब सोलह करोड़ सात लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,45,11,000/- (सत्तर करोड़ पैंतालीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,77,37,59,000/- (दो अरब सतहत्तर करोड़ सैंतीस लाख उनसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,43,74,34,000/- (दो अरब तियालीस करोड़ चौहत्तर लाख चौंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री उपाध्यक्ष)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,21,30,14,000/- (सड़सठ अरब इक्कीस करोड़ तीस लाख चौदह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,72,86,000/- (पैंतीस करोड़ बहत्तर लाख छियासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20-आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,88,73,000/- (छप्पन करोड़ अठ्ठासी लाख तिहेत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,82,70,08,000/- (दो अरब बयासी करोड़ सत्तर लाख आठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,41,72,22,000/- (दो अरब इकतालीस करोड़ बहत्तर लाख बाइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,30,95,78,000/- (एक अरब तीस करोड़ पचानवे लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29 –नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,00,15,01,000/- (उनतीस अरब पन्द्रह लाख एक हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30 –जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,73,23,44,000/- (अड़तीस अरब तिहत्तर करोड़ तेइस लाख चवालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,08,89,18,000/- (चार अरब आठ करोड़ नवासी लाख अठारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,72,86,64,000/- (चौबीस अरब बहत्तर करोड़ छियासी लाख चौंसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34 –प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,36,24,44,000/- (तेरह अरब छत्तीस करोड़ चौबीस लाख चवालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक

(श्री उपाध्यक्ष)

सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,52,53,66,000/- (एक अरब बावन करोड़ तिरपन लाख छियासठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,47,82,37,000/- (दो अरब सैंतालीस करोड़ बयासी लाख सैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38–लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,29,82,000/- (एक अरब उनतीस लाख बयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,26,52,000/- (एक करोड़ छब्बीस लाख बावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44– लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,10,42,000/- (तीस करोड़ दस लाख बयालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45– राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47– पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,23,08,000/- (उनचास करोड़ तेइस लाख आठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48– विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को रुपये 62,30,43,44,000/- (बासठ अरब तीस करोड़ तियालीस लाख चवालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49–स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,99,31,26,000/- (दो अरब निन्यानवे करोड़ इकतीस लाख छब्बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51–अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,42,35,19,000/- (छत्तीस अरब बयालीस करोड़ पैंतीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.19 बजे शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर ग्रामीण में मानसी वाकल परियोजना से पेयजल आपूर्ति

460. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मानसी वाकल परियोजना द्वारा उदयपुर तक पानी का वितरण किया जाता है? क्या उक्त पानी की लाइन उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सीसारमा के गांव रामपुरा, हेलाघाटी, चन्द्रशेखर कालोनी के पास से निकल रही है? यदि हां, तो क्या पानी के कम दबाव के कारण उक्त क्षेत्र में पानी का वितरण नहीं होने से उक्त क्षेत्र की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को पानी का कम दबाव क्षेत्र मानते हुए उक्त पाइप लाइन से उक्त क्षेत्र को पीने का पानी वितरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । मानसी वाकल परियोजना अन्तर्गत उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु बिछाई गई पाइप लाइन उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की वर्णित ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम सीसारमा के फले रामपुरा एवं इसकी बस्तियां हेलाघाटी, चन्द्रशेखर कालोनी के पास से गुजर रही है ।

उक्त परियोजना उदयपुर शहर के लिए अभिकल्पित की गई थी तथा इस योजना में वर्णित ग्राम/बस्तियों को योजना की पाइप लाइन से जल उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं लिया गया । तदनुसार इन ग्राम/बस्तियों में पेयजल वितरण प्रणाली तंत्र (नेटवर्क) नहीं होने के कारण इनमें परियोजना से पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है ।

विभागीय नीति अनुरूप हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित रामपुरा एवं इसकी बस्तियों हेला घाटी, चन्द्रशेखर कालोनी, रामपुरा चौराहा आदि में (वर्ष 2001 की कुल जनसंख्या-529) 6 क्रियाशील हैण्डपम्पों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है ।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार ।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

झाडोल में वन भूमि पर कब्जेधारियों को खातेदारी अधिकार

463. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वन भूमि पर रहने वाले कब्जेधारियों को खातेदारी अधिकार दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र झाडोल में कितने लोगों के खातेदारी अधिकार के लिये आवेदन प्राप्त हुये व कितनों को खातेदारी अधिकार कब-कब दिये गये?

(2) क्या सरकार शेष रहे कब्जेधारियों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा वन भूमि में रहने वाले कब्जेधारियों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। अलबत्ता अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार दिये जा रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र झाडोल में कुल 3693 वन अधिकार हेतु आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1721 आवेदकों को वन अधिकार जारी किये गये। वन अधिकार वितरण की तिथि परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) 75 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, जिनका प्रक्रिया पूर्ण होते ही निस्तारण कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-क

झाडोल विधान सभा क्षेत्र में जारी वन अधिकार पत्रों की दिनांकवार स्थिति

क्र.सं.	दिनांक	अधिकार पत्रों की संख्या	क्र. सं.	दिनांक	अधिकार पत्रों की संख्या
1.	12.09.08	59	9.	15.02.10	102
2.	18.09.08	128	10.	17.02.10	23
3.	01.10.08	96	11.	18.02.10	477
4.	09.02.09	110	12.	4.08.11	107
5.	15.07.09	84	13.	17.10.11	42
6.	11.08.09	52	14.	4.11.11	63
7.	25.08.09	134	15.	15.12.11	51
8.	27.09.09	193		योग	1721

आसींद एवं गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) में सरकारी महाविद्यालय की स्थापना

464. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसींद) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसींद एवं गुलाबपुरा में सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। आसींद में निजी क्षेत्र में दो महाविद्यालय सहशिक्षा में संचालित हैं, जिसमें एक सहभागिता आधारित है। गुलाबपुरा में दो महिला महाविद्यालय तथा एक सहशिक्षा महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। सीमित संसाधनों के कारण आसींद एवं गुलाबपुरा में सरकारी महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

बिलाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

465. **श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में मानसून के बाद क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ने इस वर्ष क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये राशि आबंटित की है? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की एवं उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय हुई? जिला/मदवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिला जोधपुर के विधान सभा क्षेत्रवार कितनी-कितनी राशि किन-किन सड़कों के लिये आबंटित की गई एवं उन पर कितना-कितना व्यय हुआ?

(4) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की पंचायत समिति मण्डोर, लूणी एवं बिलाड़ा में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में किन-किन सड़कों पर कितनी-कितनी मात्रा में डब्ल्यू.बी.एम. एवं बीटी के पेचवर्क किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अर्जुन लाल)

(5) क्या विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में हाल ही में जो पेच कार्य किया गया वो विशिष्ठियों के अनुरूप किया गया? यदि हां, तो इसके बाद हुये मावठ से किये गये पेच क्यों क्षतिग्रस्त हो गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में मानसून की बरसात के बाद अधिकांश सड़कों पर मरम्मत कार्य करा लिया गया है।

(2) जी हां। वर्ष 2011-12 में राज्य की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु साधारण मरम्मत मद में से 132.00 करोड़, 13वें वित्त आयोग में रुपये 103.03 करोड़ तथा आपदा मोचन निधि में रुपये 43.08 करोड़ आबंटित किये गये तथा क्रमश: रुपये 132.14 करोड़, रुपये 103.03 करोड़ एवं रुपये 14.98 करोड़ व्यय किये गये।

(3) जिला जोधपुर की सड़कों की मरम्मत हेतु आबंटित तथा व्यय राशि का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा पंचायत समिति मण्डोर, पंचायत समिति लूणी, पंचायत समिति बिलाड़ा में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में सड़कों पर किये गये डब्ल्यू.बी.एम. एवं बी.टी. के पेच कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(5) जी हां। सड़कों पर पेच उत्पन्न होना सामान्य प्रक्रिया है तथा यह मावठ के दौरान भी हो सकते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा

466. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पाला/ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है? क्या सरकार क्षेत्र में सर्वे कराकर नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों को कृषि ऋण माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में फसल जीरा में 18, रायडा में 10, ईसबगोल में 8 व सौंफ में 10 प्रतिशत खराबा हुआ है। पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2012 को राहत पैकेज जारी किया गया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है एवं ओलावृष्टि से नुकसान हेतु पात्र कृषकों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों के अनुरूप राहत देय है।

(2) उक्त क्षेत्र में कृषि ऋण माफ करने सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ 1(2)आप्र एवं सहा/पाला/2010/3986-4042

जयपुर, दिनांक 25-3-2012

समस्त जिला कलक्टर

राजस्थान।

विषय : शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

राज्य में रबी फसल, संवत 2068 (सन 2012) में शीतलहर एवं पाले से हुई क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है :-

(अ) रबी गिरदावरी के आधार पर जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक नुकसान हुआ है उनमें सीमांत काश्तकारों को अधिकतम एक हैक्टेयर तक तथा लघु काश्तकारों को अधिकतम दो हैक्टेयर तक एवं सीमांत एवं लघु से अन्य 5 हैक्टेयर की जोत सीमा तक के वृहत काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 को जारी एनडीआरएफ/एसडीआरएफ मापदंड अनुसार दिनांक 16 जनवरी, 2012 को जारी एनडीआरएफ/एसडीआरएफ मापदंड अनुसार कृषि आदान अनुदान भूमि धारिता के आनुपातिक तौर पर देय होगा जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

असिंचित फसल पर – 3000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

सिंचित फसल पर- डीजल इंजन से सिंचित 8000/- रुपये प्रति हैक्टयर

बिजली के कुओं व नहर से सिंचित – 6000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

(ब) बोई गई फसल में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।

(स) जिन गांवों में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक का नुकसान है उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू-राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा उपरोक्तानुसार प्रभावित काश्तकारों के अल्पकालीन सहकारी ऋणों को, काश्तकारों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर उसे मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(द) 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले प्रभावित काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

(य) किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु, सीमांत कृषक के अनुसार कृषि आदान-अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

(र) राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है पर जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

(ल) जिला कलक्टर द्वारा कृषि आदान-अनुदान से सम्बन्धित सहायता राशि जिलों में स्थित सहकारिता विभाग के सेन्ट्रल-को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों में तथा जिन काश्तकारों का खाता नहीं हो उनका खाता खुलवाकर उसी में हस्तान्तरित की जायेगी।

सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार कृषकों को नियमानुसार राहत प्रदान करें एवं इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

शासन सचिव,
आ.प्र. एवं सहायता

ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षित प्रसव हेतु उपलब्ध सुविधाएं

467. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षित प्रसव कराने की आधुनिक सुविधा उपलब्ध है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विगत तीन वर्षों में कितने संस्थागत प्रसव हुए हैं तथा कितने घरेलू प्रसव हुए? जिलेवार व वर्षवार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हुए प्रसवों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त प्रसवों में कितनी माताओं और बच्चों की मृत्यु चिकित्सा संस्थानों में हुई व कितनी घरों में हुई? जिलेवार वर्षवार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5978 (पांच हजार नौ सौ अठ्हत्तर) सरकारी चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव कराये जा रहे हैं। जिनमें 376 (तीन सौ छिहत्तर) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1517 (एक हजार पांच सौ सत्रह) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 4085 (चार हजार पिच्यासी) उप स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) राज्य में वर्ष 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-2011 में कुल 3393229 (तैतीस लाख तिरानवे हजार दो सो उन्नतीस) संस्थागत प्रसव एवं 591160 (पांच लाख इकरानवे हजार एक सौ साठ) घरेलु प्रसव हुए। संस्थागत प्रसव एवं घरेलु प्रसवों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त प्रसवों में वर्ष 2008-2009 में 881 (आठ सौ इक्यासी)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

मातृ मृत्यु व 14269 (चौदह हजार दो सौ उनहतर) शिशु मृत्यु, वर्ष 2009-2010 में 936 (नौ सौ छतीस) मातृ मृत्यु व 9768 (नौ हजार सात सौ अड़सठ) शिशु मृत्यु एवं वर्ष 2010-2011 में 982 (नौ सौ बियासी) मातृ मृत्यु व 12205 (बारह हजार दौ सौ पांच) शिशु मृत्यु हुई है। जिलेवार व वर्षवार सूची परिशिष्ट-स व द पर प्रस्तुत है।

मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु के आंकडों का ग्रामीण एवं शहरी विभाजन, राज्य व जिला स्तर पर संधारित नहीं किये जाते हैं।

(सूचना, विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर में आफटेक सागरपाड़ा योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति

468. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पेयजल की समस्या है? यदि हां, तो राज्य के कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्रों व जिलों में पानी का अति संकट है?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में भी पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने की योजना है? क्या उक्त के अन्तर्गत लगभग 62 गांवों को आफटेक सागरपाड़ा धौलपुर से लाभान्वित किया जाना है?

(3) क्या यह सही है कि अनेकों गांवों में इससे सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है? क्या अभी तक उक्त योजना को क्रियान्वित करके गांवों में पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों को आफटेक सागरपाड़ा योजनान्तर्गत शीघ्र लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के 32150 ग्राम व ढाणियों में पानी की गुणवत्ता की समस्या बनी हुई है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण के प्रथम भाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, धौलपुर के 62 ग्रामों को सागरपाड़ा आफटेक से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) जी हां। उक्त योजना से धौलपुर क्षेत्र के लाभान्वित किये जाने वाले सभी 62 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत संरचना कार्य (विलेज ट्रांसफर चैम्बर तक) विकसित कर, जनसहभागिता (ग्रामवासियों का श्रमदान) के आधार पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

50 ग्रामों में वितरण पाइप लाइन बिछाने का कार्य लगभग पूर्ण किया जाकर 12 ग्रामों में सार्वजनिक नलों/सी.डब्ल्यू.टी. के माध्यम से परीक्षण के तौर पर आंशिक पेयजल आपूर्ति चालू कर दी गई है।

उक्तानुसार 62 ग्रामों में से 52 ग्रामों को माह जून, 2012 तक तथा फिरोजपुर कलस्टर के 10 ग्रामों को आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-3 की चौड़ाई बढ़ाने के कार्यों के साथ-साथ पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाकर माह जुलाई, 2012 तक पूर्ण रूप से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार ।

परिशिष्ट 'अ'

राज्य में पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्राम एवं ढाणियों की जिलेवार सूचना

(दिनांक 1 अप्रैल, 2011 की स्थिति)

क्रम संख्या	जिले का नाम	पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/ ढाणियों की संख्या
1	अजमेर	462
2	अलवर	53
3	बांसवाड़ा	461
4	बारां	45
5	बाड़मेर	10767
6	भरतपुर	1000
7	भीलवाड़ा	570
8	बीकानेर	151
9	बूंदी	177
10	चित्तौड़गढ़	468
11	चूरू	374

क्रम संख्या	जिले का नाम	पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/ ढाणियों की संख्या
12	दौसा	352
13	धौलपुर	18
14	डूंगरपुर	424
15	गंगानगर	153
16	हनुमानगढ़	37
17	जयपुर	571
18	जैसलमेर	1577
19	जालौर	1318
20	झालावाड़	57
21	झुन्झुनूं	225
22	जोधपुर	7195
23	करौली	281
24	कोटा	53
25	नागौर	2406
26	पाली	165
27	राजसमंद	460
28	सवाई माधोपुर	320
29	सीकर	423
30	सिरोही	0
31	टौंक	751
32	उदयपुर	836
	कुल योग	**32150**

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

469. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र राजगढ़, लक्ष्मणगढ (अलवर) में इस

(श्री सूरजभान धानका)

वित्तीय वर्ष में नये पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नवीन पशु चिकित्सालय खोलने हेतुः-

अ. ग्रामीण क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय/संस्था से 6 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशुधन की संख्या लगभग 5000 हो।
3. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता।
4. 3-4 कमरों का पक्का भवन एवं 200 वर्गगज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता।

ब. शहरी क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र एवं संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशुधन की संख्या लगभग 3000 हो।
3. 150 वर्गगज जमीन तथा 4 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता।

नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने हेतुः-

अ. ग्रामीण क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र एवं संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशुधन की संख्या लगभग 3000 हो।
3. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता।
4. 3-4 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन एवं 200 वर्गगज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे ।

(पशुपालन मंत्री)

ब. शहरी क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र एवं संस्था से 3 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशुधन की संख्या लगभग 2000 हो।
3. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता।
4. 2 कमरों का पक्का नि:शुल्क भवन एवं 100 वर्गगज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(2) पशु चिकित्सा संस्थाऐं आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

रोहट (पाली) पंचायत समिति क्षेत्र के आबादी भूमि हेतु लम्बित प्रकरण

470. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रोहट के किस-किस गांव में किस-किस जाति के कौन से परिवार कितने-कितने समय से गोचर भूमि में मकान बनाकर निवास कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों ने ऐसी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने का कब-कब प्रस्ताव लेकर तहसील कार्यालय में भिजवाया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले के कौन-कौन से प्रस्ताव कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रस्तावों में से कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु तहसीलदार कार्यालय से जिला कलक्टर कार्यालय एवं जिला कलक्टर कार्यालय से राज्य सरकार को कब-कब भिजवाये गये?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार लम्बित उक्त प्रकरणों का निस्तारण कर काबिज व्यक्तियों को उनके रहवासीय मकानों का पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली की पंचायत समिति, रोहट के तहसील क्षेत्र रोहट में गोचर भूमि पर मकान बनाकर कुल 200 परिवार निवास कर रहे हैं। जिसका विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त जिले की तहसील क्षेत्र रोहट में कुल 10 ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसी भूमि को आबादी में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किये गये, जिसकी सूचना प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) तहसील क्षेत्र रोहट में कुल 10 प्रकरण तहसील कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय में लम्बित होने के कारणों का विवरण प्रपत्र "स" में संलग्न है।

(4) उक्त प्रस्तावों को तहसील कार्यालय से जिला कार्यालय में भिजवाने की सूचना प्रपत्र सी संलग्न है। गोचर भूमि होने के कारण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को सूची के क्र.सं. 2 एवं 7 के प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे, जहां से पुनः कमी-पूर्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग से रिपोर्ट हेतु विचाराधीन है।

(5) समस्त कमी-पूर्ति होने के पश्चात आबादी हेतु भूमि आबंटन की जाएगी एवं तत्पश्चात सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा मकानों के पट्टे देने बाबत कार्यवाही की जाएगी।

प्रपत्र-अ

गौचर भूमि पर बने मकानों की सूचना

क्र.सं.	नाम ग्राम	जाति	परिवार संख्या	अवधि (कब से निवास कर रहे हैं)	वि. वि.
01	ढाबर	भाट	2	10 वर्ष से	
02	ढाबर	घांची	1	10 वर्ष से	
03	कानावास	स्वामी	1	9 वर्ष से	
04	मुकनपुरा	गुर्जर	9	30 वर्ष से	
05	अरटिया	बावरी	1	5 वर्ष से	
06	अरटिया	भाट	7	7 वर्ष से	
07	वायद	बावरी	4	6 वर्ष से	

क्र. सं.	नाम ग्राम	जाति	परिवार संख्या	अवधि (कब से निवास कर रहे हैं)	वि. वि.
08	वायद	ठोली	3	6 वर्ष से	
09	वायद	सरगरा	1	6 वर्ष से	
10	वायद	मेघवाल	1	6 वर्ष से	
11	वायद	हरिजन	1	6 वर्ष से	
12	वायद	भील	4	6 वर्ष से	
13	वायद	मीणा	1	6 वर्ष से	
14	सिराणा	जोगी	2	4 वर्ष से	
15	पाती	भील	5	5 वर्ष से	
16	भीण्डर	जोगी	9	4 वर्ष से	
17	भीण्डर	कुम्हार	1	4 वर्ष से	
18	कुलथाना	मीणा	1	7 वर्ष से	
19	कुलथाना	रा. राजपुत	1	10 वर्ष से	
20	दिंवान्दी	भाट	12	25 वर्ष से	
21	डूंगरपुर	राजपूत	2	25 वर्ष से	
22	डूंगरपुर	पटेल	9	25 वर्ष से	
23	डूंगरपुर	स्वामी	6	25 वर्ष से	
24	डूंगरपुर	सरगरा	1	25 वर्ष से	
25	डूंगरपुर	मेगवाल	7	25 वर्ष से	
26	कलाजी	राईका	1	20 वर्ष से	
27	कलाजी	लुहार	1	20 वर्ष से	
28	कलाजी	गरूडा	1	20 वर्ष से	
29	कलाजी	बावरी	21	20 वर्ष से	
30	कलाजी	मुसलमान	1	20 वर्ष से	
31	कलाजी	साटिया	6	20 वर्ष से	
32	चाटेलाव	बावरी	29	20 वर्ष से	
33	चाटेलाव	गुर्जर	3	20 वर्ष से	
34	खांडी	मेगवाल	3	22 वर्ष से	
35	खांडी	पटेल	5	22 वर्ष से	
36	खांडी	ढोली	3	22 वर्ष से	
37	खांडी	राईका	2	22 वर्ष से	
38	खांडी	सरगरा	1	22 वर्ष से	

क्र.सं.	नाम ग्राम	जाति	परिवार संख्या	अवधि (कब से निवास कर रहे हैं)	वि. वि.
39	खांडी	नाई	2	22 वर्ष से	
40	खांडी	जोगी	1	22 वर्ष से	
41	खांडी	पुरोहित	2	22 वर्ष से	
42	आंटण	बावरी	15	30 वर्ष से	
43	निम्बली ब्राह्मण	सरगरा	3	20 वर्ष से	
44	निम्बली ब्राह्मण	बावरी	2	20 वर्ष से	
45	निम्बली ब्राह्मण	जोगी	1	20 वर्ष से	
46	निम्बली ब्राह्मण	मेगवाल	3	20 वर्ष से	
47	लालकी	जाट	1	12 वर्ष से	
48	लालकी	राईका	1	12 वर्ष से	
		योग	**200**	-	

प्रपत्र–ब

उक्त गौचर भूमियों पर आबादी हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा लिये गये प्रस्ताव की सूचना

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	प्रस्ताव दिनांक	ग्राम का नाम (प्रस्तावित ग्राम)	वि.वि.
01	बिठू	9/1/2008 व 31/12/10	बिठू	
02	खाण्डी	20/1/2009	डूंगरपुर	
03	गढवाडा	29/10/2010	गढवाडा	
04	ढाबर	13/11/2010	ढाबर	
05	खाण्डी	15/12/2010	खाण्डी	
06	दिवान्दी	9/12/2010	दिवान्दी	
07	बिठू	20/12/2010	चाटेलाव	
08	रोहट	29/12/10	निम्बली ब्राह्मण	
09	सोनाईलाखा	21/1/2011	सोनाईलाखा	
10	चोटिला	17/02/11	मुकनपुरा	

प्रपत्र-स

गौचर भूमि के प्रस्ताव जिला कार्यालय में भिजवाने की सूचना

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	प्रस्ताव दिनांक	ग्राम का नाम (प्रस्तावित ग्राम)	भूमि की किस्म	जिलचा कार्यालय में भिजवाया गया	वि. वि.
01	बिठू	9/1/2008 व 31/12/10	बिठू	गै. मु. गौचर	31/12/11	आबादी भूमि आबंटित होकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर लिया गया है।
02	खाण्डी	20/1/2009	डूंगरपुर	गै. मु. गौचर	2/9/09	डूब क्षेत्र में होने पर जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
03	गढवाडा	29/10/2010	गढवाडा	गै. मु. गौचर	16/11/10	आबादी भूमि आबंटित होकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर लिया गया है।
04	ढाबर	13/11/2010	ढाबर	गै. मु. गौचर	-	जनसंख्या के अनुपात में आबादी भूमि अधिक होने से पुनः पंचायत को प्रस्ताव लौटाया गया।
05	खाण्डी	15/12/2010	खाण्डी	गै. मु. गौचर	21/2/11	जनसंख्या के अनुपात में आबादी भूमि अधिक होने से पुनः पंचायत को प्रस्ताव लौटाया गया।
06	दिवान्दी	9/12/2010	दिवान्दी	गै. मु. गौचर	9/12/10	गोचर भूमि कम होने पर वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुनः ग्राम पंचायत को प्रस्ताव लौटाया।

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	प्रस्ताव दिनांक	ग्राम का नाम (प्रस्तावित ग्राम)	भूमि की किस्म	जिलचा कार्यालय में भिजवाया गया।	वि. वि.
07	बिठू	20/12/2010	चाटेलाव	गै. मु. गौचर	31/12/10	राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु पुनः 27.3.2012 को प्रेषित किया गया। जो प्रक्रियाधीन है।
08	रोहट	29/12/10	निम्बली ब्राह्मण	गै. मु. गौचर	20/1/11	प्रस्तावित भूमि रीको क्षेत्र के पास होने से रिको से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए कार्यवाही में है।
09	सोनाईलाखा	21/1/2011	सोनाईलाखा	गै. मु. गौचर	14/11/11	गोचर भूमि होने से उपखण्ड स्तर पर जांच एवं समीक्षा में विचाराधीन है।
10	चोटिला	17/02/11	मुकनपुरा	गै. मु. गौचर	17/2/11	गोचर भूमि कम होने पर वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुनः ग्राम पंचायत को प्रस्ताव लौटाया।

जिला कलक्टर, पाली

मेवात विकास बोर्ड का संशोधित विधान

471. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड नामक योजना कार्यरत है? यदि हां, तो उक्त योजना कब व किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के गठन के समय योजना के क्रियान्वयन हेतु विधान की रचना की गई? क्या उक्त विधान में संशोधन किये गये? विधान की प्रति आदिनांक तक किये गये संशोधनों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत विकास कार्य किये जाने हेतु क्षेत्र में जातीय प्रतिशत की बाध्यता है? यदि हां, तो क्या व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसे विधान सभा क्षेत्र जहां मेव समाज की आबादी 10 प्रतिशत से कम है, में मेवात विकास बोर्ड की राशि का विनियोजन/विकास हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता? यदि नहीं, तो किस विशेष क्षेत्र/परिस्थिति हेतु उपरोक्त बाध्यता लागू नहीं होती? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में मेवात विकास बोर्ड नाम योजना नहीं अपितु मेवात क्षेत्रीय विकास योजना चलाई गई है जो दिनांक 20 फरवरी, 1987 से मेवात क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु योजना लागू की गई है । जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त योजना के संचालन के समय विभाग द्वारा आदेश दिनांक 20 फरवरी, 1987 को जारी किया गया। उक्त आदेशों में समय-समय पर जो संशोधन किये गये उनकी प्रतियां संलग्न परि.2 पर उपलब्ध हैं।

(3) उक्त योजनान्तग्रत विकास कार्य किये जाने हेतु चयनित ग्रामों में 10 प्रतिशत मेव परिवार होने की शर्त निर्धारित की गई हैं।

(4) जी हां। अलवर जिला मुख्यालय पर कुछ ऐसे कार्य करवाये गये हैं जो पूर्ण मेवात क्षेत्र के परिवारो को लाभ पहुचाने की दृष्टि से करवाये गये हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी (कोटकासिम) में विज्ञान संकाय की स्वीकृति

472. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी तहसील कोटकासिम में विद्यार्थियों को कौन-कौन से विषयों का अध्ययन कराया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं है? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को विज्ञान संकाय की पढ़ाई हेतु उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त महाविद्यालय को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा कोई राशि सहायतार्थ दी गई है? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी राशि किस कार्य के लिये?क्या उक्त कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सहायता नहीं देने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त महाविद्यालय में खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल मैदान नहीं है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में खेल हेतु स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी तहसील कोटकासिम (अलवर) में कला संकाय में निम्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है :-

स्नातक स्तर	
कला संकाय	**वाणिज्य संकाय**
अर्थशास्त्र	ए.बी.एस.टी.
भूगोल	व्यवसाय प्रशासन
हिन्दी साहित्य	ई.ए.एफ.एम.
इतिहास	
राजनीति शास्त्र	
संस्कृत	
स्नातकोत्तर स्तर	
भूगोल	

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) जी हां। महाविद्यालय विकास समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्ववित्त पोषी योजनान्तर्गत विज्ञान संकाय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी में विज्ञान संकाय राजकीय मद में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं। सम्बन्धित महाविद्यालय से राशि प्राप्ति हेतु मांग नहीं की गई। महाविद्यालय से मांग प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते राशि आबंटन बाबत विचार किया जा सकेगा।

(4) जी नहीं। महाविद्यालय को खेल मैदान हेतु भूमि आबंटित है, जिसे विकसित किया जाना है। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाऐं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत सम्भाग, जिला एवं तहसील स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण स्टन्ड्राइज्ड टाइप डिजाइन्स (Standardized Type Designs) के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है।

तालेड़ा-सुवांसा (बूंदी) का अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

473. **श्री अशोक डोगरा** (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बूंदी में तालेड़ा से सुवांसा रोड किस योजना में कब स्वीकृत हुआ तथा उक्त कार्य कितनी राशि का होना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लगभग 4 वर्ष पश्चात् भी उक्त रोड का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है तथा जगह-जगह गड्ढे होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है?

(3) तालेडा से सुवांसा रोड स्वीकृति के समय निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा कितनी थी तथा सरकार द्वारा अब इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बून्दी में तालेडा से सुवांसा रोड ओ.डी.आर.-1 है। जिसका निर्माण वर्ष 1978 में हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत उक्त सड़क के उन्नयन हेतु वर्ष 2007 में राशि रुपये 288.97 लाख एवं 13 कि.मी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

लम्बाई के लिये स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस स्वीकृति के अन्तर्गत माह मार्च, 2012 तक राशि रुपये 281.81 लाख व्यय कर 11.00 कि.मी. लम्बाई में उन्नयन कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

(2) उक्त सड़क की कुल 13.00 कि.मी. लम्बाई में से 11.00 कि.मी. लम्बाई में सड़क उन्नयन कार्य पूर्ण हो चुका है आबादी क्षेत्र के विस्तार के कारण स्वीकृत एस्टिमेट में डामर सड़क के स्थान पर 0.74 कि.मी. लम्बाई में स्टोन पेवमेन्ट का अतिरिक्त कार्य करवाया गया, जिसकी लागत अधिक होने से कार्य लगभग वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तक पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में आबादी क्षेत्र के 2.00 कि.मी. लम्बाई में कार्य शेष बचा है, जिसमें आबादी क्षेत्र का पानी सड़क पर आने से गड्ढे हो जाते हैं जिन्हें मरम्मत करके आवागमन हेतु सुचारू रखा जा रहा है। वर्तमान में निर्मित सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

(3) तालेडा से सुवांसा रोड के उन्नयन कार्य की अनुबन्धानुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 18.04.2008 एवं कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि 17.11.2008 थी। उक्त सड़क के शेष बचे स्टोन पेवमेन्ट कार्य के लिये कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 28.05.2011 थी एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 27.08.2011 थी, परन्तु ग्रामवासियों द्वारा स्टोन पेवमेन्ट कार्य का विरोध करने के कारण शेष स्टोन पेवमेन्ट का कार्य नहीं करवाया जा सका। सड़क के उन्नयन हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति में से लगभग पूर्ण व्यय हो जाने के कारण, शेष 2.00 कि.मी. लम्बाई में से 1.4 कि.मी. लम्बाई का कार्य इण्टरलोकिंग ब्लाक द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत राशि रुपये 87.85 लाख की अनुमानित लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है।

नागौर के रामदेव पिती, राजकीय चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सकों के रिक्त पद

474. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत अभी तक सरकारी अस्पतालों में पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं?

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

(2) क्या उक्त कारण आमजन को इस योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि नागौर मुख्यालय के रामदेव पिती, राजकीय चिकित्सालय के वरिष्ठ सर्जन गायक्नोलोजिस्ट, नाक, कान, गला, रोग विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ फिजीशियन के रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है? क्या उक्त कारण से रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत लगभग 400 दवाइयां नि:शुल्क वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। तकनीकी कमेटी द्वारा और दवाइयां सम्मिलित कर सूची को बढ़ाकर 477 की कर दी गई है। सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

वर्तमान में जिला नागौर में नवीनतम 286 दवाइयां एवं 37 सर्जिकल आइटम कुल 323 प्रकार के आइटम नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

साथ ही 79 और दवाइयों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं जो शीघ्र ही वितरण हेतु उपलब्ध हो जाएंगी सूची परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

शेष दवाइयों को क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया जारी है।

(2) आमजन को इस योजना का समुचित लाभ मिल रहा है एवं सर्वाधिक उपयोग में आने वाली अधिकतम दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जो दवाइयां कम मात्रा में हैं उनके स्थानीय क्रय हेतु जिलों को बजट दिया गया है।

(3) जिला चिकित्सालय नागौर में वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी एवं सर्जरी) का 1-1 पद रिक्त है तथा वरिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी) का पद स्वीकृत नहीं है। वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद पर वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) पदस्थापित है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के पद पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) पदस्थापित है। सर्जरी एवं ईएनटी के पीजी चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। जिसके फलस्वरूप राजकीय चिकित्सालय नागौर में आने वाले मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी एवं सर्जरी) के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/ आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नगर के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्राम

475. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत टयूबवैल व सिंगल फेस पम्पसेट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगर में कौन-कौन से गांव लाभांवित हुए हैं? लाभान्वित ग्राम, स्थान और लागत राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगर में वंचित ग्रामों को उक्त योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 की कार्य योजना में राजस्थान प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की क्रमशः 1678 एवं 1186 बस्तियां पेयजल सुविधा से लाभान्वित की जा चुकी हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु की गई बजट घोषणा में राज्य के 7500 अनुसूचित जाति एवं 300 अनुसूचित जनजाति बस्तियों में प्राथमिकता पर पेयजल उपलब्ध करवाये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, नगर में विगत तीन वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जाति बाहुल्य के 4 ग्रामों की 7 बस्तियों एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य के एक ग्राम की 2 बस्तियों में सिंगल फेस नलकूप मय पी.वी.सी. टैंक स्थापित कर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नगर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के कुल 18 ग्रामों में से 15 ग्रामों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जा चुका है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के क्रमशः 2 एवं एक, कुल 3 ग्रामों को इसी वित्तीय वर्ष में पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	स्वीकृत स्थान	लाभान्वित वर्ष	लागत राशि (रु. लाख में)	लाभान्वयन सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जाति बाहुल्य						
1	डीग	रामबाग	1. पोखर के पास 2. स्कूल के पास	2010-11 2010-11	2.04 2.07	एक-एक सिंगल फेस नलकूप स्थापित कर चालू कर दिया गया है।
2	नगर	फतेहपुर खुर्द	पोखर के पास	2010-11	2.05	एक सिंगल फेस नलकूप स्थापित कर चालू कर दिया गया है।
3	नगर	सेमला खुर्द	1. जाटव बस्ती 2. अलवर रोड	2010-11 2010-11	2.04 2.05	एक-एक सिंगल फेस नलकूप स्थापित कर चालू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
4	नगर	सहनका	1. जाटव बस्ती 2. अलवर रोड	2010-11 2010-11	2.06 2.08	एक-एक सिंगल फेस नलकूप स्थापित कर चालू कर दिया गया है।
अनुसूचित जनजाति बाहुल्य						
1	डीग	श्योपुरा	1. पोखर के पास 2. बरई रास्ता	2010-11 2010-11	2.02 2.06	एक-एक सिंगल फेस नलकूप स्थापित कर चालू कर दिया गया है।

मारवाड़ जंक्शन के कृषकों को खाद/बीज वितरण में अनियमितताएं

476. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति भगोडा, जाडन एवं जोजावर में राजफैड के माध्यम से नि:शुल्क बीज, खाद व अन्य सामग्री का वितरण किया गया? यदि हां, तो गत वर्ष किस-किस कृषक को कितना-कितना? मात्रा एवं सम्बन्धित कृषक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नि:शुल्क खाद-बीज वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नि:शुल्क खाद-बीज वितरण में शिकायतों की जांच की गई? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति मय गवाहों के बयान, कृषकों के बिल एवं सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों, अध्यक्षों, पंचायत समिति सदस्यों के बयान एवं सम्बन्धित रिकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जांच प्रतिवेदन के दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। पोषण सुरक्षा के लिए सघन कदन्न संवर्धन कार्यक्रम के तहत ज्वार व बाजरा फसलों में प्रदर्शनों के आयोजन हेतु कृषकों को राजफैड के माध्यम से नि:शुल्क खाद, बीज व अन्य सामग्री का वितरण ग्राम सेवा सहकारी समिति जाडन एवं जोजावर द्वारा किया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति भगोडा के माध्यम से कोई खाद, बीज का वितरण कृषकों को नहीं करवाया गया। भगोडा ग्राम सेवा सहकारी समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांवों के कृषकों को खाद, बीज व अन्य सामग्री की उपलब्धता ग्राम सेवा सहकारी समिति जोजावर के माध्यम से करवायी गयी। कृषकों को दिये गये आदान की मात्रा एवं सम्बन्धित कृषक का फसलवार विवरण ज्वार परिशिष्ट-अ व बाजरा परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नि:शुल्क खाद, बीज वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(3) जी हां। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री केसाराम चौधरी, विधान सभा सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्ति के उपरान्त आयुक्तालय स्तर से संयुक्त निदेशक, कृषि (रसायन) से प्रकरण की सम्पूर्ण जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन की प्रति मय गवाहों के बयान एवं सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों अध्यक्षों, पंचायत समिति सदस्यों के बयान एवं सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट-स पर संलग्न है। कृषकों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा जारी किये गये बिलों एवं कृषकों के बयानों की प्रतियां अलग से प्रेषित की जा रही हैं।

(4) जी नहीं। जांच उपरान्त किसानों के बयानों, बिलों की प्रतियां, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों, अध्यक्षों व ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं पंचायत समिति सदस्य के बयानों एवं सम्बन्धित रिकार्ड के आधार पर विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत जाडन, भगोडा एवं जोजावर में नि:शुल्क बीज वितरण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत पोषण सुरक्षा के लिए सघन कदन्न संवर्धन योजना (इनसिम्प) ज्वार एवं

(कृषि मंत्री)

बाजरा योजना के तहत किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी तथा कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर के जल संसाधन भवनों/गोदामों पर अतिक्रमण

477. **श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में इन्दिरा गांधी नहर एवं लिफ्ट नहरों के निर्माण पर कहां-कहां, कितनी-कितनी भूमि राजस्व विभाग से कालोनी बनाने हेतु ली गई थी तथा उक्त पर क्या-क्या निर्माण करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि पर निर्मित कार्यालय, आवासों, गोदामों का वर्तमान में कोई उपयोग हो रहा है? क्या विभिन्न परियोजनायें पूरी हो जाने के बाद उक्त भवन रिक्त पड़े हैं? ऐसे भवनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कालोनियों में भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये हुए हैं? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ शाखा व सूरतगढ़ ब्रांच प्रणाली के अन्तर्गत कालोनी निर्माण हेतु जहां-जहां, जितनी-जितनी भूमि राजस्व एवं अन्य विभाग से अधिग्रहण की गई व इस भूमि पर करवाये गये निर्माण कार्यों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। लेकिन विभागीय आवश्यकता कम होने से कुछ भवनों को अन्य सरकारी विभागों को स्थानान्तरित कर दिया है जिसका विवरण प्रपत्र-'अ' में अंकित है।

(3) भूमाफियाओं द्वारा उक्त कॉलोनियों में अतिक्रमण नहीं किया गया है अपितु श्रीविजयनगर कालोनी में अवैध रूप से 54 आवासों में परिवार रह रहे हैं। इन्हें बेदखल करवाने के लिए अधिशासी अभियन्ता एवं सम्पदा

(जल संसाधन मंत्री)

अधिकारी, जल संसाधन अनूपगढ शाखा, खण्ड प्रथम, श्रीविजयनगर के द्वारा दिनांक 16.03.2011 व 26.04.2011 को आवास रिक्त करने हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं। अधिशासी अभियन्ता एवं सम्पदा अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2630 दिनांक 09.06.2011 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को एवं पत्रांक 10888 दिनांक 08.02.2012 के द्वारा जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को मजिस्ट्रेट नियुक्ति हेतु निवेदन किया गया है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के पश्चात शीघ्र ही अवैध रूप से निवास कर रहे परिवारों को बेदखल किया जावेगा।

प्रपत्र 'अ'

रायसिंहपुरा विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ शाखा व सूरतगढ़ ब्रांच प्रणाली के अन्तर्गत अधिग्रहण भूमि व इस अधिग्रहण भूमि पर करवाये गये निर्माण कार्यों का विवरण

स्थान	भूमि का क्षेत्रफल	विभाग जिससे भूमि अधिग्रहण की गई	निर्मित भवनों का		उपयोग हो रहे भवनों की संख्या	रिक्त पड़े भवनों की संख्या	विशेष विवरण
			विवरण	संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8
अनूपगढ़ शाखा खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर							
श्रीविजय नगर	21 हैक्टेयर	नगर पालिका से	आवासीय भवन	301	296	05	पांच भवन चिकित्सा विभाग को स्थानान्तरण कर दिये गये हैं
			आवासीय बैरेक्स	16	16	00	-
			विश्राम गृह प्रथम श्रेणी	01	01	00	-
			विश्राम गृह अधीनस्थ	01	01	00	-
			कार्यालय भवन	04	04	00	उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के उपयोग में हो रहा है
			दुकान	04	00	04	अनुपयोगी है
			स्टोर	04	00	04	अनुपयोगी एवं अधिशेष है
			क्लब भवन	01	01	00	रा.प्रा.वि. के उपयोग में लिया जा रहा है
			उपचिकित्सालय	01	01	00	चिकित्सा विभाग को हस्तानान्तरण कर दिया गया
			तारघर	01	01	00	आवासीय उपयोग हो रहा है
			वाटर वर्क्स डिग्गी	02	02	00	-
56 जी बी	0.06 हैक्टेयर	राजस्व विभाग से	आवासीय भवन स्टोर	12	01	11	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्ण-शीर्ण है
				02	00	02	अनुपयोगी एवं अधिशेष है

1	2	3	4	5	6	7	8
सूरतगढ़ ब्रांच खण्ड श्रीविजयनगर							
आर.डी. 306 सूरतगढ़ ब्रांच	3.795 हैक्टेयर	राजस्व विभाग से	आवासीय भवन	26	06	20	अनुपयोगी एवं अधिशेष है
			विश्राम गृह प्रथम श्रेणी	01	01	00	-
			तारघर	01	00	01	अनुपयोगी एवं अधिशेष है
			स्टोर	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
आर.डी. 14 बिलोचिया वितरिका	1.048 5 हैक्टेयर	राजस्व विभाग से	आवासीय भवन	06	01	05	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
			स्टोर	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
आर.डी. 337.500 सू. ब्रांच	5.173 हैक्टेयर	राजस्व विभाग से	आवासीय भवन	23	07	16	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
			विश्राम गृह अधीनस्थ	01	01	00	--
			तारघर	01	01	00	--
			स्टोर	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
			उपचिकित्सालय	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
बांडा कालोनी	3.691 हैक्टेयर	राजस्व विभाग से	आवासीय भवन	12	00	12	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
			विश्राम गृह अधीनस्थ	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
			उपविश्राम गृह	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
			तारघर	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
			स्टोर	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
समेजा कोठी	5465 हैक्टेयर	राजस्व विभाग से	आवासीय भवन	12	05	07	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
			विश्राम गृह अधीनस्थ	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है
			स्टोर	01	00	01	अनुपयोगी, अधिशेष एवं जीर्णशीर्ण है

पंचायत राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों को विकास कार्यों हेतु राशि आबंटन

478. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पंचायत राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों को नगरीय विकास संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों के बराबर मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पंचायत राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों को विधायक एवं सांसद विकास कोष की तरह राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियो को नगरीय विकास संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों के बराबर मानदेय देने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं । पंचायत राज जन-प्रतिनिधियों को विधायक एवं सांसद विकास कोष की तरह राशि आबंटन करने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

महाविद्यालय शिक्षकों के न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

479. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) महाविद्यालय शिक्षकों के कौन-कौन से प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में शिक्षकों के किन-किन प्रकरणों में सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है तथा कौन-कौन से प्रकरण उच्च न्यायालय की डबल बेंच में विचाराधीन हैं?

(3) सर्वोच्च न्यायालय में सरकार अपीलें खारिज होने के उपरान्त भी शिक्षकों के न्यायोचित प्रकरणों का निपटारा अब तक क्यों नहीं किया?

(4) सरकार द्वारा महाविद्यालय के शिक्षकों के (पूर्व अन्यत्र सेवा का लाभ में पी.एच.डी. के चयनित वेतनमान लाभ) प्रकरणों का समाधान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) महाविद्यालय शिक्षकों के वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में शिक्षकों के राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की सूची परिशिष्ट-"ब" (सूची क्रमांक 7) पर संलग्न है। उच्च न्यायालय की डबल बैंच में विशेष अपील दायर किये जाने की सूची परिशिष्ट-"ब" (सूची क्रमांक 8) पर संलग्न है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की अपीलें खारिज होने के उपरान्त विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना की जा चुकी है।

(4) राज्य सरकार के नियमानुसार पी.एच.डी. का लाभ चयनित वेतनमान हेतु नहीं दिया जाता है वरन् पी.एच.डी. का लाभ केवल वरिष्ठ वेतनमान में ही दिया जाता है।

विभाग में ऐसा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर जिले के धार्मिक व पर्यटक स्थलों हेतु प्रस्तावित सड़क मार्ग

480. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा धार्मिक व पर्यटक स्थलों को सड़क से जोड़ने हेतु बजट में घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब व प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों से कितनी किलोमीटर सड़कों के प्रस्ताव मांगे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला अजमेर के विधान सभा क्षेत्रों के धार्मिक व पर्यटक स्थलों को सड़क से नहीं जोड़ने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? अब सरकार कब तक वंचित रहे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को सड़क से जोडने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा धार्मिक व पर्यटक स्थलों को सड़क से जोड़ने हेतु बजट घोषणा वर्ष 2011-12 में, रु. 280.00 करोड़ की लागत से 610 धार्मिक स्थलों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु की गई थी।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 कि.मी. सड़क लम्बाई के प्रस्ताव, जिनकी लागत रु. 125.00 लाख से अधिक न हो, मांगे गये थे।

(2) अजमेर जिले के विधान सभा क्षेत्रों के धार्मिक व पर्यटक स्थलों को सड़क से नहीं जोड़ने के लिये कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अजमेर जिले में स्वीकृत 32 धार्मिक व पर्यटन स्थलों में से तीन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 8 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च 2012 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। शेष 21 सड़क कार्यों के कार्यादेश माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे विवाद के कारण नहीं दिये जा सके हैं। इन 21 धार्मिक स्थलों को जोड़ने का कार्य माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार किया जा सकेगा। विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

अजमेर जिले में स्वीकृत धार्मिक सड़कों का विवरण

जिला :- अजमेर

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी.)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	अजमेर उत्तर	फायसागर रोड से चामुण्डा माता जी मन्दिर कि.मी. 0/0 से 2/0	2.00	50.73	कार्य पूर्ण
2	अजमेर उत्तर	खरखेडी से अजयपाल मन्दिर कि.मी. 0/0 से 2/500	2.50	62.97	कार्य पूर्ण
3	अजमेर दक्षिण	धोलाभाटा टेम्पो स्टैण्ड से रामदेव मन्दिर कि.मी. 0/0 से 2/00	2.00	65.00	कार्य की निविदायें प्राप्त कर ली गयी हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के स्थगन आदेश के कारण कार्यादेश नहीं दिया जा सका।
4	अजमेर दक्षिण	नारी शाला जंक्शन से हनुमान मन्दिर कि.मी. 0/0 से 1/500	1.50	30.00	
5	अजमेर दक्षिण	आदर्श नगर मेन गेट से प्रेम प्रकाश सिन्धी मंदिर किमी. 0/0 से 1/500	1.50	30.0	

1	2	3	4	5	6
6	अजमेर दक्षिण	कन्सट्रक्शन आफ 2 लेन पेरिफेरियल रोड नारेली तीर्थ अजमेर	1.20	122.00	
7	किशनगढ़	ग्राम काकलवाड़ा से अलक जी का मन्दिर कि.मी. 0/0 से 2/0	2.00	50.16	कार्य प्रगति पर
8	किशनगढ़	गोठियाना से बालाजी मन्दिर भुवाड़ा किमी. 0/0 से 3/0	3.00	75.00	कार्य प्रगति पर
9	पुष्कर	लिंक रोड से सराधना से गोरी कुड कि.मी. 0/0 से 3/0	3.00	75.28	कार्य प्रगति पर
10	पुष्कर	हट्टूंडी रोड से गफूर अली बाबा दरगाह	1.00	24.85	कार्य प्रगति पर
11	पुष्कर	गुलाब होटल पुष्कर रोड चामुण्डा माता मन्दिर	1.00	24.85	कार्य प्रगति पर
12	नसीराबाद	बनेवडा से देवजी का मन्दिर कि.मी. 0/0 से 2/0	2.00	53.84	कार्य की निविदायें प्राप्त कर ली गयी हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के स्थगन आदेश के कारण कार्यादेश नहीं दिया जा सका।
13	नसीराबाद	रामपुरा डाबला रोड से विनायक मन्दिर कि.मी. 0/0 से 2/0	2.00	50.56	
14	नसीराबाद	देवाड़ी से देवजी का मन्दिर व ईदगाह कि.मी. 0/0 से 1/0	1.00	20.97	
15	नसीराबाद	भवानी खेड़ा से जैन मन्दिर कि.मी. 0/0 से 1/00	1.00	36.17	
16	ब्यावर	एन.एच.-08 से बलाड़ जैन मन्दिर वाया लोधों का बड़िया कि.मी. 0/0 से 2/0	2.00	44.50	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
17	ब्यावर	बनार खेड़ा से बिहार माताजी कि.मी. 0/0 से 1/0	1.00	18.00	कार्य प्रगति पर
18	ब्यावर	शाहपुरा (राजीयावास) से पिपलाज माता जी किमी. 0/0 से 1/0	1.00	18.00	कार्य पूर्ण
19	ब्यावर	भैरू खेड़ा मोदी मागरी से दवे नारायण मन्दिर कि.मी. 0/0 से 2/0	2.00	44.50	कार्य प्रगति पर
20	मसूदा	धोलादाता से देवमाली रोड से देबरिया माताजी कि.मी. 0/0 से 1/0	1.00	13.00	कार्य की निविदायें प्राप्त कर ली गयी हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के स्थगन आदेश के कारण कार्यादेश नहीं दिया जा सका।
21	मसूदा	एकल सिघा गोपाल पुरा रोड से हनुमानजी मन्दिर कि.मी. 0/0 से 1/0	1.00	12.00	
22	मसूदा	जालिया ।। से गरवर माताजी कि.मी. 0/0 से 3/800	3.80	55.78	
23	मसूदा	ए/आर नया गांव से देव जी का मन्दिर कि.मी. 0/0 से 3/0	3.0	44.04	
24	मसूदा	संजय नगर से चन्द्रप्रभु मन्दिर (विजयनगर) कि.मी. 0/0 से 0/400	0.40	6.54	
25	मसूदा	विजयनगर ब्यावर रोड से बड़ी माताजी का मन्दिर किमी. 0/0 से 0/900	0.90	14.72	
26	मसूदा	बाबा रामदेव मन्दिर से शिव मन्दिर (विजयनगर कि.मी. 0/00 से 1/00	0.90	9.81	
27	मसूदा	एन.एच.-79 से बराल बालाजी मन्दिर कि.मी. 0/0 से 1/0	1.00	16.35	

1	2	3	4	5	6
28	केकड़ी	कोटलाव बालाजी से सावर घटियाली रोड	1.00	25.20	कार्य की निविदायें प्राप्त कर ली गयी हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के स्थगन आदेश के कारण कार्यादेश नहीं दिया जा सका।
29	केकड़ी	केकदाधीश बालाजी से केकडी-ब्यावर मेन रोड	1.00	25.20	
30	केकड़ी	बालाजी मेवदा रोड से केकड़ी-बघेरा मेन रोड	1.00	25.20	
31	केकड़ी	दरगाह शरीफ से सरवाड़ भगवानपुरा रोड	1.00	25.20	
32	केकड़ी	बनि की माताजी से कल्याणपुरा	1.00	25.20	
		योग	**49.70**	**1195.62**	

कोटा सम्भाग में कुपोषण की रोकथाम हेतु व्यय राशि

481. श्री अनिल जैन (खानपुर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बच्चों (0-6 वर्ष) में कुपोषण की रोकथाम के लिए कोटा सम्भाग के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में कुपोषण उपचार केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो शहरी व ग्रामीण उपचार केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कुपोषण उपचार केन्द्रों में इसके प्रारम्भ से अब तक कितने कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया? उपचार किये गये कुपोषित बच्चों का केन्द्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपचार केन्द्रों पर आने वाले कुपोषित बच्चे एवं उनके माता-पिता को किस प्रकार की सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त उपचार केन्द्रों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अब तक कितनी राशि का आबंटन किया गया तथा आबंटित राशि के विरुद्ध कितनी राशि अब तक व्यय की गई? जिलेवार-केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए कोटा सम्भाग के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों में कुपोषण उपचार केन्द्र खोले गये हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कुपोषण उपचार केन्द्रों में इसके प्रारम्भ से फरवरी 2012 तक 3807 कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया है। उपचार किये गये कुपोषित बच्चों का केन्द्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त उपचार केन्द्रों पर आने वाले कुपोषित बच्चे एवं उनके माता-पिता को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान कराये जाने का प्रावधान है:-

- कुपोषित बच्चों के विशेष पोषण आहार (थैरापेटिक आहार) प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- चिकित्सकीय जटिलताओं का उपचार का प्रावधान है।
- कुपोषण उपचार केन्द्रों में भर्ती बच्चे की माता/अटेन्डेन्ट को 30 रु. प्रतिदिन का वेज कम्पेसेशन देने का प्रावधान है।

पीआईपी 2012-13 में कुपोषण उपचार केन्द्रों में भर्ती बच्चे की माता/ अटेन्डेन्ट को रु. 135 प्रतिदिन का वेज कम्पेसेशन देने का प्रस्ताव भिजवाया गया है।

(4) उक्त उपचार केन्द्रों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अब तक राशि रुपये 1 करोड़ 24 लाख 99 हजार 748 का आबंटन किया गया तथा आबंटित राशि के विरुद्ध फरवरी 2012 तक राशि रुपये 76 लाख 94 हजार 521 व्यय की गई।

जिलेवार केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट 'अ'

कोटा सम्भाग के कुपोषण उपचार केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र) में उपचारित बच्चों की संख्या, बजट आबंटन तथा फरवरी, 2012 तक व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है

जिला	क्र.सं.	कुपोषण उपचार केन्द्र का नाम (ग्रामीण क्षेत्र)	कुपोषण उपचार केन्द्र का नाम (शहरी क्षेत्र)	बजट आबंटन	बजट आबंटन के विरुद्ध व्यय राशि	केन्द्र वार उपचारित बच्चों की संख्या	टिप्पणी
बारां	1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छीपाबड़ौद		185000	63166	82	
	2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहबाद		2226036	2334667	1355	Excess fund given from award fund of Family planning programme
	3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा		185000	43750	21	
	4		राजकीय अस्पताल बारां	2157142	2057938	1109	
	5		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छबड़ा	185000	38587	13	
बून्दी	6		राजकीय अस्पताल बून्दी	2219285	1196153	292	
	7		कापरेन	185000	91168	2	

जिला	क्र.सं.	कुपोषण उपचार केन्द्र का नाम (ग्रामीण क्षेत्र)	कुपोषण उपचार केन्द्र का नाम (शहरी क्षे)	बजट आबंटन	बजट आबंटन के विरुद्ध व्यय राशि	केन्द्र वार उपचारित बच्चों की संख्या	टिप्पणी
बून्दी	8		नैनवां	185000	89690	0	
झालावाड़	9	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डग		185000	134000	18	
	10		राजकीय अस्पताल झालावाड़	2191000	1264000	906	
	11		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवानीमंडी	185000	66000	1	
	12		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलेरा	185000	32000	8	
कोटा	13	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद		185000	0	0	
	14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटावा		185000	0	0	
	15		जे.के. लोन अस्पताल कोटा	1671285	283402	0	
	16		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगंजमण्डी	185000	0	0	
			योग	12499748	7694521	3807	

बाड़मेर जिले में संचालित जनता जल योजना

482. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने "जनता जल योजना" के तहत गांवों की पेयजल स्कीमों को ग्राम पंचायतों को सम्भला दी है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों के पास जनता जल योजना में एक भी न तो मजदूर है एवं न तकनीकी कर्मचारी हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायतों में तकनीकी कर्मचारियों एवं मजदूरों के अभाव में ग्रामीण इलाकों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं का कार्य बंद है?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 6 जनवरी, 2012 को जिला परिषद्, बाड़मेर की साधारण बैठक में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को लिख दिया गया है कि कोई पंचायत "जनता जल" व हैण्डपम्प मरम्मत के कार्यों को करने को तैयार नहीं है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

(5) क्या सरकार जनहित में उक्त योजना को वापिस जलदाय विभाग को सौंपने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में जनता जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण वर्ष 1994 से ही ग्राम पंचायतों के पास है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) वर्णित बैठक में माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र, बाड़मेर एवं अन्य सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि 'जनता जल योजनाओं व हैण्डपम्पों का रख-रखाव पूर्व की भांति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से ही करवाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जावे'। बैठक की कार्यवाही का विवरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को पृष्ठांकित किया गया है।

73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप व राज्य जल नीति अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही जनता जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण कराया जा रहा है।

(5) जी नहीं ।

कृषि यंत्रों पर देय अनुदान की निर्धारित प्रक्रिया

483. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फव्वारा सैट, पाइप लाइन, टैक्टर चलित एवं बैल चलित कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर आदि की खरीद पर कृषकों को देय अनुदान की प्रक्रिया बदल दी गई है? यदि हां, तो क्यों? गत पांच वर्षों में उक्त में क्या परिवर्तन किये गये? इस बाबत जारी आदेश, सर्कुलर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में अनुदानित कृषि यंत्र पाइप लाइन, फव्वारे सैट, ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान पाने के लिए कृषक को सम्बन्धित आइटम की सम्पूर्ण कीमत चुकानी पड़ रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में अनुदान पर फव्वारा सैट, पाइप लाइन, कृषि यंत्रादि खरीदना किसान को आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है? क्या उसे इस खरीद हेतु कर्ज लेना पड़ रहा है तथा अनुदान की वित्तीय स्वीकृति आने में वर्षों की अवधि लग रही है?

(4) क्या सरकार कृषक को पूर्ववत अनुदान देकर कृषि यंत्र विक्रेता को सम्बन्धित खरीद के समय ही अनुदान राशि मुहैया कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फव्वारा सैट, ट्रैक्टर, पाइप लाइन खरीद पर कृषकों को देय अनुदान की प्रकिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ट्रैक्टर चलित एवं बैल चलित कृषि यंत्रों आदि की खरीद पर कृषकों को देय अनुदान की प्रकिया वर्ष 2011-12 में बदली गई है, जिसके अन्तर्गत पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से पूरी कीमत चुका कर कृषक यंत्र क्रय कर सकते हैं। कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान उसके आदाता खाते नामित चैक/ड्राफ्ट से देय होगा। क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से यंत्र क्रय करने पर कृषक कुल कीमत में से अनुदान राशि घटा कर यंत्र क्रय कर सकते हैं। वर्ष 2011-12 में कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम हेतु जारी दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में अनुदानित कृषि यंत्र, पाइप लाइन एवं फव्वारा सैट की खरीद पर अनुदान पाने के लिए सम्बन्धित आइटम की सम्पूर्ण कीमत

(कृषि मंत्री)

चुकानी पड़ती है। विभाग द्वारा पात्र कृषकों को नियमानुसार देय अनुदान से लाभान्वित किया जाता है।

(3) जी नहीं। फव्वारा सैट की खरीद से कृषक आर्थिक रूप से परेशान नहीं होता क्योंकि फव्वारा सैट की लागत अधिक नहीं होने के कारण अधिकांश प्रकरणों में कृषकों द्वारा कर्ज नहीं लिया जाता है।

कृषकों को पाइप लाइन पर अनुदान नगद या बैंक से ऋण लेकर क्रय करने पर देय है। इसी प्रकार कृषि यंत्रों के लिए कृषक किसी भी पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से मोल भाव कर यंत्र क्रय करने के लिए स्वतंत्र है।

अनुदान स्वीकृति बजट उपलब्धता के आधार पर उसी वित्तीय वर्ष में जारी की जाती है।

(4) जी नहीं। अनुदान की प्रक्रिया सरलीकृत तथा कृषक हितैषी है। कृषकों को सीधे ही अनुदान से लाभान्वित किया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

लाडनूं (नागौर) तहसील परिसर की राजगामी/ लावारिस भूमि पर अतिक्रमण

484. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व खातेदारी मौजा लाडनूं तहसील परिसर लाडनूं के सामने के खेत खसरा नं. 1009/2035 एवं 1009/2037 को लावारिस/राजगामी घोषित करने तथा खसरा नं. 1009/2035 पर भूमाफियाओं द्वारा फर्जी पट्टे, फर्जी रजिस्ट्री के मार्फत इस पर किये जा रहे कब्जे, अतिक्रमण को हटाने व फर्जी रजिस्ट्रियों व पट्टों को निरस्त कराने बाबत सरकार को जनवरी, 2011 से फरवरी, 2012 तक विभिन्न स्तरों से नामजद शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायती पत्र की प्रति एवं उन पर आज तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन नागौर, पंजीयन कार्यालय प्रशासन उपखण्ड एवं तहसील प्रशासन लाडनूं ने उक्त भूमाफियाओं से मिली भगत करके उक्त भूमि को लावारिस/राजगामी घोषित नहीं करने तथा उक्त भूमि के खरीद बेचान की फर्जी रजिस्ट्रियों व पट्टों को निरस्त नहीं करने व

(श्री रूपाराम डूडी)

भूमाफियाओं का कब्जा, अतिक्रमण नहीं हटाने की मंशा से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है? यदि हां तो क्यों? उक्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने के लिए अब तक किन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि से भूमाफियाओं को बेदखल करने, उनके अतिक्रमण हटाने, फर्जी रजिस्ट्रियां व पटटे निरस्त करने तथा उक्त दोनों ही खसरा रकबा भूमियों को लावारिस/राजगामी घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सरहद लाडनूं तहसील लाडनूं में खेत खसरा नं. 1009/2035 एवं 1009/2037 स्थित है जो वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार रामप्रताप चेला चतुरदास कौम साद के नाम से दर्ज है। इस भूमि को लावारिस/राजगामी घोषित करने बाबत कार्यालय हाजा में निम्न परिवाद प्राप्त हुए हैं :--

क्र.सं.	नाम परिवाद	परिवाद प्राप्त होने की दिनांक
1.	श्री शिवकरण गोरा नि. लाडनूं	परिवादी द्वारा स्वयं पेश किया 4.05.2011
2.	श्री शिवकरण गोरा नि. लाडनूं	श्रीमान जिला कलक्टर, नागौर के पत्रांक जसप्र/पी.जी.नं. 17034 दिनांक 29.3.2012

3. श्री शिवकरण गोरा नि. लाडनूं श्रीमान जिला कलक्टर, नागौर द्वारा आयोजित जनसुनवाई शिविर में 3 परिवाद प्रस्तुत हुए बिन्दु संख्या 1 से 3 तक वर्णित मूल परिवाद तहसीलदार लाडनूं को कार्यवाही हेतु भिजवाया गया तथा परिवादी श्री शिवकरण गोरा निवासी लाडनूं द्वारा उक्त तीन परिवाद दिनांक 15.3.2011, 4.5.2011 तथा 27.1.2012 को तहसीलदार लाडनूं को भी पेश किये गये है। उक्त प्रार्थना पत्रों में कस्बा लाडनूं के ख.नं. 1009/2035 व 1009/2037 की खातेदारी भूमि को खातेदार से भिन्न व्यक्ति, कथित फर्जी पट्टे से बेचान करने की सम्भावना व्यक्त करते हुए प्रस्तुत किये गये। परिवाद की जांच में राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि खातेदार रामप्रताप चेला चतुरदास कौम साद के नाम से दर्ज है। ख.नं. 1009/2035 के पूर्वी भाग पर

(राजस्व मंत्री)

7.3.1972 की पुरानी चारदीवारी बनाने हेतु नगरपालिका लाडनूं द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। खसरा नं. 1009/2035 में से कुछ हिस्सा पीछे अवस्थित वीर तेजा छात्रावास की सड़क निर्मित है उसके पश्चिम दिशा में कुछ भाग पर किसी अन्य पटटेदार व्यक्ति का मकान व दुकान निर्मित है। पटटों को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। नगरपालिका द्वारा दिनांक 7.3.1972 को चारदीवारी निर्माण स्वीकृति जारी की गई । राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार रामप्रसाद चेला चतुरदास की मृत्यु होने का कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये तथा न ही कोई वारिस होने का कोई सबूत पेश किया। इस दरम्यान सम्वत 2001 के जारी पटटे के मालिक सुमेरमल सोनी के वारिसान ने उक्त भूमि को श्यामसुन्दर पुत्र श्री दानाराम निवासी लैडी तथा रामनिवास पुत्र श्री मदनलाल निवासी लाडनूं को रजिस्ट्री विक्रय पत्र दिनांक 16.3.2011 को उप पंजीयक लाडनूं को पेश किया जिस पर उप पंजीयक लाडनूं द्वारा अस्वीकार किया गया। इसकी अपील संख्या 19/2011 एवं 20/2011 जिला पंजीयक नागौर के यंहा पेश हुई जिस पर निर्णय दिनांक 6.9.2011 द्वारा उप पंजीयक को पुन: जांच कर निर्णय पारित करने का निर्देश दिया गया। जिला पंजियक नागौर के आदेश के विरुद्ध शिकायतकर्ता शिवकरण जाट निवासी लाडनूं ने महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के यहां पर अपील संख्या 7(1034)/विधि पेश की जिसमें निर्णय दिनांक 16.12.2011 द्वारा जिला पंजीयक का निर्णय यथावत रखा गया। उक्त निर्णयों की पालना में दोनों पक्षकारों को मुताबिक निर्णय सुनवाई की जाकर उप पंजीयक लाडनूं द्वारा मूल दस्तावेजों पर पंजीयन अधिनियम के नियम 39 के तहत नोट अंकित कर दस्तावेज पंजीयन कर लौटाया गया। विक्रय पत्र का तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड में आदिनांक तक अमल दरामद नहीं किया गया है। तदोपरान्त उक्त भूमि को लावारिस घोषित करने की शिकायत पत्र के साथ खातेदार रामप्रताप चेला चतुरदास की मृत्यु होने बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नि:सन्तान होने बाबत कोई साक्ष्य संलग्न नहीं होने पर भी तहसीलदार लाडनूं द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 2.2.2012 को समाचार पत्रों में इस्तिहार जारी कर राजगामी घोषित करने के लिए उजर/आपत्तियां चाही गई। उजर/आपत्तियों के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार लाडनूं द्वारा नियमानुसार राजगामी घोषित करने की अग्रिम कार्यवाही हेतु मूल पत्रावली सक्षम अधिकारी (जिला कलक्टर, नागौर) को प्रेषित की गई है। प्रकरण में जिला कार्यालय में विधिक परीक्षण

(राजस्व मंत्री)

की कार्यवाही जैरकार है। (प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की सूची संलग्न है)

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जिला कार्यालय/उपखण्ड कार्यालय द्वारा परिवादों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त भूमि को लावारिस घोषित करने की शिकायत पत्र के साथ खातेदार रामप्रताप चेला चतुरदास की मृत्यु होने बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नि:संतान होने बाबत कोई साक्ष्य संलग्न नहीं होने के तदोपरान्त भी तहसीलदार, लाडनूं द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 2.2.2012 को समाचार पत्रों में इस्तिहार जारी कर राजगामी घोषित करने के लिए उजर/आपत्तियां चाही गई। उजर/आपत्तियों के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार लाडनूं द्वारा नियमानुसार राजगामी घोषित करने की अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22.3.12 को मूल पत्रावली जिला कलक्टर, नागौर को प्रेषित की गई। प्रकरण में जिला कार्यालय में विधिक परीक्षण की कार्यवाही जैरकार है। प्रश्नगत भूमि से कब्जा व अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि किसी व्यक्ति की निजी खातेदार की भूमि से अन्य व्यक्ति का कब्जा व अतिक्रमण हटाने का अधिकार सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने तथा न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद ही हटाया जा सकता है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि अभी भी निजी खातेदारी में दर्ज है तथा परिवादी का भी कोई विधिक अस्तित्व नही है ऐसी स्थिती में भूमि पर अतिक्रमण या अन्य कोई कब्जा सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने पर ही हटाया जाना विधि सम्मत है। भूमि अभी राजगामी घोषित नहीं हुई है।

यदि सरकार/सक्षम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि को राजगामी घोषित कर दी जाती है तो आदेश की पालना विधिवत की जावेगी।

(3) न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सीकर जिला कलक्टर को पूर्व सैनिकों के शोषण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

814. श्री पेमाराम (धोद) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में सीकर में सीकर एक्स सर्विसमैन वैलफेयर को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का गठन किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1998 से 2010 तक उक्त सोसायटी के गौरव प्राप्त सैनानियों को विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती थी? यदि हां, तो क्या वर्तमान में निजी सोसायटियों के माध्यम से सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जा रही हैं?

(3) क्या सरकार उक्त निजी सोसायटियों (जिनमें गौरव प्राप्त सैनानियों का शोषण होता है) पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त निजी सोसायटियों के विरुद्ध जिला कलक्टर, सीकर को दिनांक 3 फरवरी 2012 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सैनिक कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2011 को उक्त सोसायटी की निरन्तरता के लिये कोई नियम जारी किया गया है? यदि हां, तो उसकी पालना क्यों नहीं हो रही व इसके लिये कौन दोषी है?

उत्तर

(1) जी हां। सीकर में सीकर एक्स सर्विसमैन वैलफेयर को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का वर्ष 1998 द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत दिनांक 15.12.1998 को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया।

(2) जी नहीं। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 4(18) सै.क./95 दिनांक 8.5.2003 की अनुपालना में भूतपूर्व सैनिकों के नियोजन हेतु राज्य के सभी जिलों में भूतपूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समिति खोलने के निर्देश दिये गये। विभागीय पत्र क्रमांक प. 4(14)सै.क./04 दिनांक

(सैनिक कल्याण राज्य मंत्री)

10.1.2005 के द्वारा उक्त समिति को मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया। जो सभी सोसायटियां टेण्डर प्रक्रिया से मुक्त होती है।

(3) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग से शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित सोसायटी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां। उक्त ज्ञापन को जिला स्तरीय अधिकारियों को भिजवाकर लिखा जा चुका है कि संविदा कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो सोसायटी के माध्यम से लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(5) जी नहीं। दिनांक 18.2.2011 को कोई नियम जारी नहीं किये गये बल्कि पत्र क्रमांक प. 4(14)सै.क./04 दिनांक 28.2.2011 द्वारा इस समिति की मान्यता अवधि का दिनांक 31.3.2013 तक नवीनीकरण किया गया था।

फलौदी के नाकारा हैण्डपम्प

815. **श्री ओम जोशी** (फलौदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सरकार द्वारा हैण्डपम्प लगाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर उपयोगी एवं किन-किन स्थानों पर नाकारा हैण्डपम्प लगे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नाकारा हैण्डपम्पों की एवज में अन्यत्र नवीन हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत हैण्डपम्प जनता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, फलौदी में वर्ष 1995-96 से पूर्व स्थापित हैण्डपम्पों में से एक हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील है तथा 43 हैण्डपम्प

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

नाकारा (परित्यक्त) हैं । तत्पश्चात् उक्त क्षेत्र में भू-जल स्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण हैण्डपम्प निर्माण करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक (फिजिबल) नहीं होने के कारण हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। वांछित सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार। उक्त विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प निर्माण करना फिजिबल नहीं होने के कारण अन्य जल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

परिशिष्ट 'अ'

फलौदी विधान सभा क्षेत्र, में वर्ष 1995-96 से पूर्व स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण

क्र. सं.	हैण्ड पम्प का स्थान	हैण्डपम्प की वर्तमान स्थिति
1	सुजान सिंह की ढाणी स्कूल के पास, ढढू	क्रियाशील
2	मोहरों की ढाणी जोड	नाकारा
3	मांगलियों की ढाणी	नाकारा
4	प्राथमिक विद्यालय भूरे बाबा के मन्दिर के पास खीचन	नाकारा
5	प्रा.वि. मोखेरी	नाकारा
6	पिलायत मोखेरी	नाकारा
7	प्रा.वि. एकाभाटिया	नाकारा
8	एकाभाटीया (श्री माणक मेघवाल के खेत के पास)	नाकारा
9	बन्दे के अन्दर मुसलमान की ढाणी	नाकारा
10	प्रा.वि. कुण्डल	नाकारा
11	रतनलाल भीलों की ढाणी कुण्डल	नाकारा
12	योम की ढाणी कुण्डल	नाकारा
13	प्रा.वि. जागरीया	नाकारा
14	प्रा.वि. सदावता	नाकारा
15	प्रा.वि. गोपा	नाकारा
16	मालियों व लाधरों की ढाणी बग्गा	नाकारा

क्र. सं.	हैण्ड पम्प का स्थान	हैण्डपम्प की वर्तमान स्थिति
17	मुसलमान, सुथार, ब्राह्मण की ढाणी बग्गा	नाकारा
18	प्रा.वि. सालूराम की ढाणी होपारडी	नाकारा
19	बावरियों की ढाणी बिठडी	नाकारा
20	प्रा.वि. हरलाई नाडी	नाकारा
21	प्रा.वि. नलकूप नं. 2 कलरा	नाकारा
22	प्रा.वि. नाथ का मगरा	नाकारा
23	धुकडी नाडी के पास (बामणू)	नाकारा
24	जुगतसिंह की ढाणी (बामणू)	नाकारा
25	सांखला राजपूत मेघवाल की ढाणी, बैगटी कलां	नाकारा
26	तेजों की मस्जिद बैगटी कलां	नाकारा
27	मंगलियों मुसलमानों की ढाणी	नाकारा
28	बाबुखां की ढाणी बैगटी कला	नाकारा
29	कोरिया मुसलमाने/पठान की ढाणी	नाकारा
30	राजपूत मंगलिया, नाई भील सुथार बैगटी कला	नाकारा
31	उमजी की ढाणी, टेकरा	नाकारा
32	बगतावरसिंह की ढाणी टेकरा	नाकारा
33	गोगादेव की ढाणी सिहडा	नाकारा
34	रा.प्रा.वि. टेपू	नाकारा
35	भैरूसिंह की ढाणी दुर्गाणी	नाकारा
36	अर्जुनपुरा बारू	नाकारा
37	आकली बारू	नाकारा
38	जैतेरी की ढाणी	नाकारा
39	मुसलमानों की ढाणी, उग्रास	नाकारा
40	ब्राह्मणों की ढाणी मयाकोरिया	नाकारा
41	मुसलमानों की ढाणी मयाकोरिया	नाकारा
42	विश्नोईयों की ढाणी मयाकोरिया	नाकारा
43	मशाला	नाकारा
44	सेठार की ढाणी रायडा	नाकारा

सेवर (भरतपुर) पंचायत समिति के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

816. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा'** (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई की पंचायत समिति सेवर के गांव श्यौराना, पार, छापरकला, छापरखुर्द और झारौली में खारे पानी की समस्या है? क्या सरकार उक्त गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिये कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र, नदबई (भरतपुर) की पंचायत समिति, सेवर के वर्णित ग्रामों में वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था निम्नानुसार है:-

(अ) ग्राम श्योराना : विभागीय नीति अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम श्योराना (जनसंख्या वर्ष 2001-647) में स्थापित एवं क्रियाशील 3 हैण्डपम्पों से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में समस्या नहीं है।

(ब) ग्राम पार: विभागीय नीति अनुसार पम्प एवं टैंक योजना से लाभान्वित ग्राम पार में उक्त योजना अन्तर्गत निर्मित एक नलकूप से सार्वजनिक नलों के माध्यम से निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम में 15 क्रियाशील हैण्डपम्पों से भी पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(स) ग्राम छापरकला एवं छापरखुर्द (अन्य हैबिटेशन): विभागीय नीति अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम छापरकला (जनसंख्या वर्ष 2001-128) में स्थापित कुल 3 हैण्डपम्पों से 1 हैण्डपम्प इस ग्राम की ढाणी छापरखुर्द में स्थापित है।

वर्तमान में उक्तानुसार स्थापित 3 हैण्डपम्पों से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में ग्राम छापरकला एवं इसकी ढाणी छापरखुर्द में समस्या नहीं है।

(द) ग्राम झारौली: क्षेत्रीय जल योजना झारौली-नगला भाट में पूर्व में

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

सम्मिलित ग्राम झारौली में वर्तमान में वर्तमान में ग्राम में निर्मित डग कम बोर से निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति होने के कारण वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम में 2 क्रियाशील हैण्डपम्पों से भी पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

राजसमन्द के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु योजना

817. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के कौन-कौन से गांवों एवं शहरों में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या है तथा उक्त फ्लोराइड व टीडीएस की कितनी-कितनी मात्रा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के फ्लोराइडयुक्त गांवों में किस योजना में, किस प्रकार एवं कब तक सरकार शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, राजसमन्द के 26 ग्राम/मजरों के स्थानीय भू-जल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा पेयजल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानकों से अधिक है। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राजसमन्द शहर में सतही जल स्रोत राजसमन्द झील से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने के कारण फ्लोराइड की कोई समस्या नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, राजसमन्द के उक्तानुसार फ्लोराइड प्रभावित कुल 26 ग्राम/मजरों में से 16 ग्राम/मजरों में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 19 हैण्डपम्प अटैच्ड डि-फ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित कर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है। वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

शेष 10 ग्राम/मजरों हेतु स्वीकृत 14 हैण्डपम्प अटैच्ड डि-फ्लोरिडेशन यूनिट तथा 3 पम्प एवं टैंक योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा इन्हें इसी वित्तीय वर्ष में स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। वांछित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में क्षतिग्रस्त पाइप लाइनें

818. **श्री ओम बिरला** (कोटा-दक्षिण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा शहर में प्रतिदिन कितना लीटर शुद्ध जल उपलब्ध है तथा सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को कितना पानी दिया जा रहा है, जिनकी बिलिंग हो रही है तथा उससे कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है एवं शेष पानी छीजत होने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा शहर में पानी छीजत का प्रमुख कारण पाइप लाइनों में रिसाव है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में? क्या उसको सही करने अथवा बदलने की आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कोटा शहर के कुछ क्षेत्रों में पी वी सी की पाइप लाइनें डाली गई है, जो बार-बार क्षतिग्रस्त हो रही है? क्या उक्त पाइप लाइनें निर्धारित मानदण्डों के अनुसार डाली गई है? यदि हां, तो फिर उनके क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण है तथा उनको दुरूस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कोटा शहर में कई कालोनियों की सीवरेज लाइनें पेयजल लाइनों के समानान्तर बिछी हुई है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में दूषित पानी की आपूर्ति की सम्भावना रहती है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में समानान्तर पाइप लाइनें बिछी हुई है? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सीवरेज लाइनों के साथ-साथ बिछी पेयजल आपूर्ति की लाइनों व खराब पाइप लाइनों को दुरूस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में व कब तक तथा इस हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में प्रतिदिन जल उत्पादन, वितरण, बिलिंग, राजस्व प्राप्ति एवं छीजत सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जल छीजत के कारणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है ।

(3) जी हां। कोटा शहर के कुछ क्षेत्रों में मापदण्ड अनुसार डाली गई पी.वी.सी. पाइप लाइनों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा वर्तमान में पेयजल समस्या नहीं है ।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(4) जी नहीं ।

(5) उपरोक्तानुसार ।

परिशिष्ट 'अ'

कोटा शहर में शुद्ध पेयजल का उत्पादन, वितरण, राजस्व, आंकलन एवं छीजत का विवरण

1. कुल जल उत्पादन प्रतिदिन : 267 एम.एल.डी.
2. उपभोक्ताओं को वितरित जल प्रतिदिन : 267 एम.एल.डी.
3. (वितरित किये जा रहे जल को मुख्यत: तीन भागों में बांटा जा सकता है)

(i) एम.आई.एस. के अनुसार जारी किये जा रहे बिलों के आधार पर (संलग्नक-1) : 198.0 एम.एल.डी.

(ii) पानी की वह मात्रा जिसका उपयोग किया जा रहा है लेकिन बिलिंग नहीं की जा रही है। नये जल सम्बन्ध जिनके पानी के बिल जारी किये जाने है 2500 उपभोक्ता/1200 लीटर प्रति उपभोक्ता प्रतिदिन : 3 एम.एल.डी.

(iii) 439 अवैध स्थापित सार्वजनिक नल/5000 लीटर प्रति पी.एस.पी. प्रतिदिन : 3.51 एम.एल.डी.

4. पेयजल की वह मात्रा जो बन्द मीटरों पर एवरेज के कारण कम निर्धारण की गई है।

(i) 795 पीएसपी 1000 लीटर प्रति पीएसपी प्रतिदिन : 0.80 एम.एल.डी.

(ii) उपभोक्ताओं के बंद मीटर जिन पर 58450 बंद मीटर प्रति कनेक्शन 250 लीटर प्रतिदिन कम आंकलन : 14.61 एम.एल.डी.

5. पेयजल की वह मात्रा जो कि चोरी एवं कटे हुये जलसम्बन्ध एवं मीटर के पहले लगी टी के माध्यम से उपयोग में ली जा रही है।

: 1.00 एम.एल.डी.

(उपयोग में आ रहे पानी की कुल मात्रा भाग 3 से 5)

कुल योग 20.92 एमएलडी

पानी की कुल छीजत : 267.0-220.92=46.08 एमएलडी

6. राजस्व प्रतिदिन (14.34/365) : 3.93 लाख रुपये

7. छीजत के कारण :

1. अकेलगढ़ से आ रही मुख्य वितरण पाइप लाइनों के रिसाव से।
2. मध्यम एवं छोटी वितरण लाइनों से अदृश्य रिसाव से।
3. अन्य कारणों से यथा एयर वाल्व, लाइन बर्स्ट/लीकेज होने, उपभोक्ताओं की पुरानी सर्विव लाइन से लीकेज होने एवं स्ट्रेक्चरल लीकेज आदि से।
4. सार्वजनिक नलों पर टोंटीयां नहीं रहने से जब पी.एस.पी. का उपयोग नहीं हो रहा होता है तब पानी व्यर्थ बहने से।

अधिशासी अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
नगर खण्ड प्रथम, कोटा	नगर खण्ड द्वितीय, कोटा	वृत्त कोटा

जोधपुर शहर की पुरातन/पारम्परिक जल संग्रहण प्रणाली का संरक्षण

819. **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट केनाल से पहले कायलाना सहित अन्य जलस्रोतों में जल आवक के लिये समीपवर्ती पहाडियों में समृद्ध नहरों का तंत्र था? यदि हां, तो जोधपुर में केनाल आने से पहले पारम्परिक नहरों का क्या अस्तित्व था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि माइनिंग के कारण उक्त नहरों व कैचमेंट क्षेत्र को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है? यदि हां, तो अब तक नहरों को कितना नुकसान पहुंचा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस हैरिटेज जल संग्रह प्रणाली के संरक्षण के लिये कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर की पेयजल मांग की आपूर्ति वर्ष 1935 से

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जवाई बांध व हेमावास बांध पर निर्भर थी। पूर्व प्रणाली अनुसार जवाई से 8 पम्पिंग स्टेशनों से पानी को लिफ्ट कर खुली नहर/पाइप के द्वारा तखतसागर, जोधपुर तक पहुंचाया जाता था। जोधपुर शहर की पेयजल की मांग के दीर्घकालीन स्रोत के रूप में निर्मित राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से मांग अनुरूप पेयजल प्राप्त होना प्रारम्भ होने व जवाई बांध में कम वर्षा के कारण पानी की आवक कम रहने के कारण वर्ष 1998 से जोधपुर शहर हेतु जवाई नहर से जलापूर्ति किया जाना बन्द है। कायलाना एवं अन्य स्रोतों में समीप की पहाड़ियों से वर्षा ऋतु में ही पानी की आवक यदा-कदा होती थी।

(2) जी नहीं। तथापि विभिन्न फीडर क्रमश: केरूमेन, छोटा आबू, गोलासनी, कालीबेरी, बेरीनाडा इत्यादि नहरें वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु माह अगस्त, 2009 में राशि रुपये 549.55 करोड़ की स्वीकृत पुनर्गठित पेयजल योजना के क्रियान्वयन के लिये 'इन्डो-फ्रांस' विकास सहयोग के तहत फ्रांस की वित्तीय संस्था ए.एफ.डी. से आवश्यक ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

योजना हेतु आवश्यक ऋण प्रप्त होने पर उक्त योजना के तृतीय चरण में नहरों, केचमेंट क्षेत्रों तथा हैरिटेज जल संग्रह प्रणाली के संरक्षण कार्य किये जायेंगे।

बीसलपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय फेज की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

820. **श्री कमल बैरवा** (निवाई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई (टोंक) की ग्रामीण जनता के लिए बीसलपुर बान्ध से पेयजल व्यवस्था हेतु बीसलपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय फेज में निवाई के 191 गांवों में पेयजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(श्री कमल बैरवा)

(2) क्या उक्त परियोजना की द्वितीय फेज के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो इसके तहत अब तक कितने गांवों में पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया और कितने गांव शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील निवाई के 191 ग्राम बीसलपुर-दूदू वृहद् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण के द्वितीय भाग में चिन्हित हैं । उक्त ग्रामों की वर्ष 2021 तक की अभिकल्पित पेयजल मांग को सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण के प्रथम भाग की स्वीकृति अन्तर्गत मुख्य ट्रांसमिशन प्रणाली का कार्य पूर्ण कर निवाई विधान सभा क्षेत्र की पीपलू तहसील के 114 ग्राम उक्त योजना से लाभान्वित किये जा चुके हैं।

तहसील निवाई के उक्त 191 गांवों की योजनाएं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर स्वीकृत की जाकर यथा समय लागू की जायेंगी।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

बगरू की अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक बस्तियों हेतु पेयजल स्रोत

821. **श्रीमती गंगा देवी** (बगरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2010-11 व 2011-12 में जिला जयपुर की अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की बस्तियों में स्वतंत्र पेयजल स्रोत स्थापित किये जाने हेतु प्रावधान किये गये हैं? यदि हां, तो किस मद से व कितनी राशि के? विधान सभा क्षेत्रवार किये गये प्रावधान एवं लाभान्वित बस्तियों की वर्गवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू की उक्त बस्तियों में उक्त अवधि के दौरान स्वतंत्र पेयजल स्रोत स्थापित नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(3)क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल से ग्रसित उक्त बस्तियां एवं पुरानी ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सर्वे करवाकर वहां स्वतंत्र पेयजल स्रोत स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? बस्तीवार

(श्रीमती गंगा देवी)

आबादी, पुरानी ग्रामीण आबादी व वहां के लिये आवश्यक स्वतंत्र पेयजल स्रोतों की मय फीजिबिलिटी रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यक बस्तियों में विभिन्न मदों के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) सभी समस्याग्रस्त बस्तियों को विभागीय नीति, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार प्राथमिकता पर चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जा रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर जिले में वर्ष 2010-2011 में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों की स्वीकृत व लाभान्वित अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अल्पसंख्यक बस्तियों हेतु स्वीकृत राशि का मदवार विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	राज्यमद शहरी		राज्यमद ग्रामीण		एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी.		स्वीकृत (राशि रु. लाखों में)
		स्वीकृत बस्तियां	लाभान्वित बस्तियां	स्वीकृत बस्तियां	लाभान्वित बस्तियां	स्वीकृत बस्तियां	लाभान्वित बस्तियां	
1	सांगानेर	7	7	0	0	0	0	18.20
2	बगरू	0	0	0	0	126	97	319.14
3	चाकसू	0	0	0	0	102	97	129.94
4	दूदू	0	0	0	0	110	101	259.63
5	फुलेरा	0	0	0	0	13	13	32.93
6	झोटवाड़ा	0	0	0	0	81	81	214.19
7	बस्सी	0	0	0	0	50	43	133.41
8	आमेर	0	0	0	0	90	88	263.82
9	शाहपुरा	0	0	0	0	62	47	177.41
10	कोटपूतली	0	0	0	0	66	60	167.92
11	विराटनगर	0	0	0	0	56	47	162.85
12	चौमूं	0	0	0	0	67	64	209.13
13	ज. रामगढ़	0	0	0	0	97	87	279.13
14	आदर्शनगर	0	0	0	0	6	6	17.20
	योग	**7**	**7**	**0**	**0**	**926**	**831**	**2384.84**

परिशिष्ट 'ब'

जयपुर जिले में वर्ष 2011-2012 में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों की स्वीकृत व लाभान्वित अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अल्पसंख्यक बस्तियों हेतु स्वीकृत राशि का मदवार विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	राज्यमद शहरी		राज्यमद ग्रामीण		एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.		स्वीकृत (राशि रु. लाखों में)
		स्वीकृत बस्तियां	लाभान्वित बस्तियां	स्वीकृत बस्तियां	लाभान्वित बस्तियां	स्वीकृत बस्तियां	लाभान्वित बस्तियां	
1	सांगानेर	10	5	0	0	0	0	25.60
2	बगरू	15	8	0	0	86	25	286.70
3	चाकसू	28	15	16	15	126	61	378.01
4	दूदू	0	0	149	68	18	18	535.93
5	फुलेरा	3	3	58	47	30	30	179.36
6	झोटवाडा	0	0	14	6	37	37	76.25
7	बस्सी	0	0	28	8	29	14	103.64
8	आमेर	0	0	23	7	19	13	93.26
9	शाहपुरा	0	0	23	12	5	5	74.10
10	कोटपूतली	7	7	38	19	0	0	45.00
11	चौमूं	9	6	33	17	8	6	98.82
12	ज. रामगढ़	0	0	0	0	3	2	11.10
13	विद्याधर नगर	4	0	0	0	1	1	55.76
14	हवामहल	8	8	1	1	0	0	35.00
15	मालवीय नगर	2	2	0	0	0	0	46.27
16	सिविल लाइन	15	8	0	0	0	0	494.50
17	आदर्श नगर	12	11	0	0	0	0	93.25
18	किशनपोल	5	5	0	0	0	0	20.47
	योग	**118**	**78**	**383**	**200**	**362**	**212**	**2653.02**

रामगढ़ में गोचर भूमि पर अतिक्रमण

822. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजस्व अधिकारियों एवं पटवारियों के कितने-कितने और कहां-कहां कौन-कौन से पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार अलवर जिले के गोविन्दगढ़ को तहसील एवं पंचायत समिति का दर्जा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या गोचर भूमि का सवाई चक, कस्टोडियन, निजी, वाणिज्यिक भूमि में परिवर्तन किया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरपंच या अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा गोचर भूमि के उपयोग एवं भू-परिवर्तन हेतु या किसी संस्थान, समिति इत्यादि को उपयोग हेतु भूमि अवाप्ति या अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है?

(5) क्या गोचर भूमि को किसी व्यापारिक/शैक्षणिक या निजी संस्थान को उपयोग हेतु प्रदान/विक्रय किया जा सकता है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेंज पर रखें। यदि नहीं, तो विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गोचर भूमि पर किये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्व अपील अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारियों के 25, तहसीलदार के 26, नायब तहसीलदार के 108 एंव पटवारियों के 2462 पद रिक्त हैं।

राजस्व अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्मिक विभाग एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को लेख किया गया है। पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। सफल आशार्थियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिये जाने के उपरान्त उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य में रिक्त पटवारियों के पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

(राजस्व मंत्री)

(2) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा नवीन तहसील सृजित करने के लिये निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुरूप पटवार मण्डलों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण अलवर जिले के गोविन्दगढ़ को तहसील का दर्जा दिये जाने योग्य नहीं माना है।

राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम, 1994 की धारा-101 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत गोविन्दगढ़ को वर्तमान में पंचायत समिति बनाया जाना व्यवहारिक नहीं है।

(3) गोचर/चारागाह भूमि का लोकोपयोगी कार्यों हेतु आबंटन/परिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/1/2011 अनुसार लोकोपयोगी कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग हेतु परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(4) गोचर भूमि का नियंत्रण ग्राम पंचायत के अधीन है। ग्राम पंचायत की नियमित बैठक में ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त ग्राम पंचायत की कार्यवाही के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

(5) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गोचर भूमि पर किये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध जिला कलक्टर से जांच करवाये जाने के बाद कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर (भरतपुर) तहसील क्षेत्र में पाक विस्थापितों को आबंटित सिवाय चक भूमि

823. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाक विस्थापितों को ग्राम तेस्की तहसील नगर जिला भरतपुर में भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत व कब? आवंटी का नाम व भूमि का रकबा सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवेदकों को ग्राम ठेकरी तहसील नगर जिला भरतपुर में भी भूमि का आबंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(3) क्या यह सही है कि पाक विस्थापितों को केवल कस्टोडियन भूमि ही आबंटित की जा सकती है? यदि हां, तो क्या उक्त आबंटियों को सिवायचक भूमि भी आबंटित की गई है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम तेस्की एवं ठेकरी में पाक विस्थापितों को आबंटित जमीन की मौके पर तरमीम नहीं करवायी गई है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक तरमीम करवा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम तेस्की तहसील नगर जिला भरतपुर में पाक विस्थापितों को भूमि आबंटित की गई है। तहसील नगर में उपलब्ध निष्क्रान्त कस्टोडियन कृषि भूमि की आबंटन पंजिकाओं के मुताबिक ग्राम तेस्की में 57 व्यक्तियों को 1287 बीघा 3 बिस्वा कस्टोडियन भूमि वर्ष 1962 से 1969 की अवधि में आवंटित हुई है। आबंटीवार मय खसरा नं. एवं रकबा सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जिला कलेक्टर एवं पुनर्वास आयुक्त महोदय, भरतपुर के आबंटन आदेश क्रमांक/पुनर्वास/सामान्य/1335-38 दिनांक 26.06.1969 को श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री चिम्मन सिंह जाति सिक्ख निवासी तेस्की दावेदार विस्थापित को भी 19 बीघा 10 बिस्वा निष्क्रान्त कृषि भूमि का आबंटन किया गया था। उक्त आबंटी द्वारा तत्समय सम्पूर्ण भूमि कीमत जमा नहीं कराने के कारण राजस्व रिकॉर्ड मे अमल नहीं हुआ था। अब आबंटी के वारिसान द्वारा भूमि कीमत इत्यादि जमा कराने पर जिला कलक्टर महोदय भरतपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/12/2( )2011/5504 दिनांक 27.05.2011 के तहत ग्राम तेस्की के खसरा नं. 24 से 3.12 हेक्टे. (19 बीघा 10 बिस्वा) कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया।

(2) जी हां। आबंटियों की सूची में अंकित श्री तोतासिंह पुत्र शेरसिंह, भूरासिंह पुत्र गुलाब सिंह, सुन्दर सिंह पुत्र गुलाब सिंह एवं गुलाब सिंह पुत्र चिम्मन सिंह जाति सिक्ख निवासी तेस्की को श्रीमान जिलाधीश एवं पुनर्वास आयुक्त, भरतपुर के आदेश क्रमांक/पुनर्वास/सामान्य/एफ.4(73)92-97 दिनांक 20.01.1973 के द्वारा ग्राम ठेकरी के साबिक खसरा नं0 26, 27, 28, 29 एवं 3 मिन में 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि का किमतन आबंटन किया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उक्त आबंटियों को कस्टोडियन भूमि ही नियमानुसार कीमतन आबंटित की गई है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है। ग्राम तेस्की एवं ठेकरी में पाक विस्थापितों को आबंटित भूमि की तरमीम राजस्व रिकार्ड में की जा चुकी है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पीपल्दा में पटवारियों के रिक्त पद

824. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में अभी कितने पटवार मण्डल हैं व उनमें कितने पटवारी कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पटवार मण्डलों में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की तहसील पीपल्दा में 42 पटवार मण्डल हैं व उनमें 26 पटवारी कार्यरत व 16 पद रिक्त हैं। तहसील दीगोद में 21 पटवार मण्डल हैं व उनमें 14 पटवारी कार्यरत व 7 पद रिक्त हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कुल 63 पटवार मण्डल हैं, जिनमें 40 पटवारी कार्यरत हैं तथा 23 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। कोटा जिले में पटवारियों के 49 पदों की सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर लिया गया है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 9 माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण आशार्थियों को रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

रूदावल (भरतपुर) में उप-तहसील की स्थापना

825. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रूदावल कस्बे से तहसील मुख्यालय रूपवास 26 किलोमीटर दूर हैं?

(श्री ग्यारसा राम कोली)

(2) क्या यह भी सही है कि रूदावल के कृषकों को रूपवास आवागमन में भारी परेशानी आती हैं?

(3) क्या सरकार रूदावल में उप तहसील खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या उक्त सम्बन्धित प्रस्ताव राजस्व मंडल में विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उप तहसील की घोषणा कब तक कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। रूदावल कस्बा से तहसील मुख्यालय की दूरी 23 किलोमीटर है।

(2) जी नहीं। रूदावल कस्बा बयाना से रूपवास मुख्य रोड़ पर स्थित है। भरतपुर, रूपवास एवं बयाना से आवागमन हेतु परिवहन साधन उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। बजट सत्र 2012-13 में रूदावल उप तहसील बनाने का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।

(4) ग्राम रूदावल को उप तहसील घोषित किये जाने के क्रम में याचिका संख्या 73/2011 से जिला कलक्टर भरतपुर से सूचना चाही गई थी, जो राजस्व मण्डल में उनके पत्रांक 476-77 दिनांक 1.08.2011 से प्राप्त हुई। जिला कलक्टर भरतपुर से प्राप्त सूचनानुसार ग्राम रूदावल तहसील रूपवास का भाग है। राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पटवार मण्डल कम होने के कारण रूदावल को उप-तहसील बनाने पर विचार नहीं किया गया है।

कुचामन सिटी उप-तहसील में 90-बी कार्यवाही हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण

826. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप-तहसील कुचामनसिटी में जनवरी, 2010 से फरवरी, 2012 तक 90बी के नामांतरण खोलने हेतु किन-किन के आवेदन कब-कब प्राप्त हुए? तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों में से किन-किन प्रकरणों का निस्तारण कब-कब किया गया? तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) वर्तमान में उक्त अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों में से कौन-कौन से प्रकरणों का किस कारण से नामांतरण नहीं खोला गया है? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप तहसील कुचामनसिटी में जनवरी, 2010 से फरवरी, 2012 तक प्राधिकृत अधिकारी सहायक कलक्टर कुचामनसिटी से 90-बी के नामान्तरण खोलने हेतु 63 प्रकरण प्राप्त हुए। तिथिवार विवरण परिशिष्ट- 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों मे से निस्तारित प्रकरणों की तिथिवार सूची परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में उक्त अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों में से 11 प्रकरणों के भूमि पुनर्ग्रहित किये जाने के आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण नामांतरण नहीं खोले गये हैं। प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट- 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

जनवरी, 2010 से फरवरी, 2012 तक के स्वीकृत नामान्तरकरणों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आदेश संख्या व दिनांक	नामान्तरकरण संख्या व निस्तारण की दिनांक
1	खारिया	37/04.08.2011	310/21.04.2011
2	खसराना	20/28.02.2011	367/01.03.2011
3	टोरडा	04/25.01.2011	293/01.03.2011
4	टोरडा	06/01.02.2011	292/01.03.2011
5	टोरडा	07/01.02.2011	294/01.03.2011
6	पनवाड़ी	02/12.01.2011	482/15.09.2011
7	पनवाड़ी	10/02.02.2011	454/07.02.2011
8	पनवाड़ी	11/02.02.2011	455/07.02.2011
9	पनवाड़ी	20/02.02.2011	454/07.02.2011
10	पनवाड़ी	23/02.02.2011	467/19.04.2011
11	पनवाड़ी	25/24.02.2011	465/01.03.2011
12	पनवाड़ी	38/04.03.2011	468/19.04.2011
13	पनवाड़ी	40/04.03.2011	467/19.04.2011

क्र. सं.	नाम ग्राम	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आदेश संख्या व दिनांक	नामान्तकरण संख्या व निस्तारण की दिनांक
14	पनवाड़ी	05/19.03.2010	389/04.05.2010
15	पनवाड़ी	13/19.05.2010	401/21.05.2010
16	पनवाड़ी	19/13.07.2010	411.24.09.2010
17	पनवाड़ी	20/13.07.2010	411/24.09.2010
18	पनवाड़ी	21/13.07.2010	411/24.09.2010
19	त्रिसिंग्ना	02/19.03.2010	208/19.04.2011
20	त्रिसिंग्ना	03/19.3.2010	208/19.04.2011
21	त्रिसिंग्ना	06/19.03.2010	209/19.04.2011
22	त्रिसिंग्ना	07/19.03.2010	209/19.04.2011
23	त्रिसिंग्ना	08/19.03.2010	210/19.04.2011
24	त्रिसिंग्ना	11/19.05.2010	212/01.06.2010
25	त्रिसिंग्ना	09/02.02.2011	244/23.02.2011
26	त्रिसिंग्ना	22/02.02.2011	244/23.02.2011
27	सरगोठ	04/19.03.2010	600/19.04.2011
28	सरगोठ	39/04.03.2011	664/14.10.2011
29	कुचामन सिटी	09/26.03.2010	3734/09.04.2010
30	कुचामन सिटी	10/06.04.2010	3690/08.04.2010
31	कुचामन सिटी	16/27.05.2010	3796/03.06.2010
32	कुचामन सिटी	17/31.05.2010	3796/03.08.2010
33	कुचामन सिटी	18/22.06.2010	3821/23.06.2010
34	कुचामन सिटी	22/04.08.2010	3888/08.09.2010
35	कुचामन सिटी	23/11.08.2010	3877/01.09.2010
36	कुचामन सिटी	24/28.09.2010	4150/19.12.2011
37	कुचामन सिटी	01/10.01.2011	4037/25.02.2011
38	कुचामन सिटी	05/01.02.2011	4018/09.02.2011
39	कुचामन सिटी	08/02.02.2011	4020/09.02.2011
40	कुचामन सिटी	12/02.02.2011	4028/15.02.2011
41	कुचामन सिटी	13/02.02.2011	4025/15.02.2011

क्र. सं.	नाम ग्राम	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आदेश संख्या व दिनांक	नामान्तकरण संख्या व निस्तारण की दिनांक
42	कुचामन सिटी	14/02.02.2011	4026/15.02.2011
43	कुचामन सिटी	15/02.02.2011	4026/15.02.2011
44	कुचामन सिटी	16/02.02.2011	4027/15.02.2011
45	कुचामन सिटी	17/02.02.2011	4029/15.02.2011
46	कुचामन सिटी	18/02.02.2011	4029/15.02.2011
47	कुचामन सिटी	19/02.02.2011	4025/15.02.2011
48	कुचामन सिटी	21/02.02.2011	4039/25.02.2011
49	कुचामन सिटी	24/02.02.2011	4039/25.02.2012
50	कुचामन सिटी	33/04.03.2011	4150/28.03.2010
51	कुचामन सिटी	34/04.03.2011	4150/28.03.2011
52	दीपपुरा	12/19.05.2010	309/15.07.2010

नोट :- विहित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले 90बी के प्रकरणों के आदेशों की एक प्रति सम्बन्धित पटवारी हल्का को विहित प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय से प्रेषित की जाती है। उक्त आदेश की प्रति पटवारी हल्का को प्राप्त होने पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जाता है तदनुसार उक्त प्रकरणों में आदेशों की पालना में नामान्तरकरण दर्ज किये गये है। पृथक् से सम्बन्धित पक्षकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

जिला कलक्टर (भू.अ.)
नागौर

परिशिष्ट-'ब'

जनवरी, 2010 से फरवरी, 2012 तक दर्ज होने से शेष रहे प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम	आदेशों का विवरण	दर्ज होने से शेष रहने का कारण
1	त्रिसिंज्ञा	35/04.03.2011 हरकी देवी पत्नी नन्दकिशोर जाट निवासी तारपुरा तहसील डीडवाना, भंवरलाल पुत्र श्री कुडाराम निवासी राजपुरा तहसील नावां	विहित प्राधिकृत अधिकारी से सम्बन्धित पटवारी हल्का/तहसीलदार को 90बी के तहत भूमि पुनर्ग्रहित किये जाने के आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये गये।
2	कुचामन सिटी	27/28.02.2011 शब्बीर अहमद पुत्र श्री सुबराती खां निवासी कुचामन सिटी	
3	कुचामन सिटी	29/28.02.2011 भंवरलाल पुत्र श्री गोरधन लाल ब्राह्मण निवासी कुचामन सिटी	
4	कुचामन सिटी	30/28.02.2011 प्रवीण कुमार पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी कुचान सिटी	
5	कुचामन सिटी	31/28.02.2011 अलाबंदी पत्नी सुबराती खां निवासी कुचामन सिटी	
6	कुचामन सिटी	32/04.03.2011 महावीर प्रसाद पुत्र श्री गौरीशंकर, भगवती देवी पत्नी महावीर प्रसाद, अशोक कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल निवासी कुचामन सिटी	

क्र.सं.	नाम ग्राम	आदेशों का विवरण	दर्ज होने से शेष रहने का कारण
7	पनवाड़ी	03/12.01.2011 कैलाशचन्द सोनी पुत्र श्री राजाराम सोनी निवासी महाराणा प्रताप नगर, जयपुर	विहित प्राधिकृत अधिकारी से सम्बन्धित पटवारी हल्का/तहसीलदार को 90बी के तहत भूमि पुनर्ग्रहित किये जाने के आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये गये।
8	पनवाड़ी	26/24.02.2011 मन्जू कंवर पत्नी तेजसिंह चारण निवासी कचोलिया तहसील मालपुरा प्रेमकंवर पत्नी सांवलदास चारण निवासी डेगाना	
9	पनवाड़ी	14/27.05.2010 कानाराम पुत्र श्री गणेशराम जाट निवासी कुचामन सिटी	
10	पनवाड़ी	15/27.05.2010 प्रभुराम पुत्र श्री गणेशराम जाट निवासी कुचामन सिटी	
11	खारिया	36/04.03.2011 हरकी देवी पत्नी नंदकिशोर, जाति जाट निवासी तारपुरा तहसील डीडवाना, भंवरलाल पुत्र लिछमणराम जाट निवासी सबलपुरा तहसील नावां, भंवरलाल पुत्र श्री बुद्धाराम जाट निवासी राजपुरा, मुरली मनोहर पुत्र श्री हनुवंत सिंह तंवर जाति रावणा राजपूत निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर, सुनिता देवी पत्नी नारायण अग्रवाल निवासी कुचामन सिटी	

जिला कलक्टर (भू.अ.)
नागौर

सिवाना पंचायत समिति के कृषि पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति

827. **श्री कान सिंह कोटड़ी** (सिवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में पंचायत समिति क्षेत्र सिवाना के कृषि विभाग के कई कृषि पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्ति पर अन्य पंचायत समितियों में पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कितने कृषि पर्यवेक्षक कहां-कहां पर कब से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कृषि पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल पदस्थापन स्थान पर पुन: भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर की अभिशंसा पर पंचायत समिति क्षेत्र सिवाना से 1 कृषि पर्यवेक्षक को कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद् बाडमेर ने अपने कार्यालय में लगाया था, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बाड़मेर के आदेश क्रमांक 7917-24 दि. 01.03.2012 के द्वारा अपने मूल पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त कर दिया है।

नसीराबाद (अजमेर) में सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय की स्थापना

828. **श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद स्थित सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय वर्तमान में ग्राम नान्दला में संचालित है?

(2) क्या सरकार उक्त कार्यालय भवन नसीराबाद में ही बनाने एवं उक्त कार्यालय नसीराबाद में ही संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पूर्व में सहायक कृषि अधिकारी, नसीराबाद का कार्यालय नान्दला में संचालित था जिसको दिनांक 04.04.2012 से नसीराबाद में स्थानान्तरित किया जा चुका है।

(2) नसीराबाद में राजकीय भवन उपलब्ध नहीं है। अत : किराये पर भवन लेकर दिनांक 04.04.2012 को सहायक कृषि अधिकारी का कार्यालय नांदला से नसीराबाद में उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद-अजमेर के द्वारा स्थानान्तरित किया जा चुका है।

कृषि क्षेत्र के विकास एवं विस्तार हेतु कार्य योजना

829. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हैं कि प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का विस्तार बढ़ा है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में हुए कृषि क्षेत्र विस्तार का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए कदम उठाये हैं? यदि हां, तो क्या? सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए अन्य राज्यों की भांति नई योजनाओं को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जिनमें राज्य योजना, कार्य योजना, आईसोपाम, गहन कपास कार्यक्रम, वर्ष 2005-06 से आत्मा योजना, वर्ष 2007-08 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन, वर्ष 2010-11 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 4 नई उप योजनाएं यथा चारा विकास कार्यक्रम, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास

(कृषि मंत्री)

योजना, पोषण सुरक्षा हेतु कन्दन संवर्धन योजना व 60 हजार दलहनी गांव विकास योजनाए क्रियान्वित की जा रही हैं।

(3) जी हां। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2010-11 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 4 नई उप योजनाएं यथा चारा विकास कार्यक्रम, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना, पोषण सुरक्षा हेतु कन्दन संवर्धन योजना व 60 हजार दलहनी गांव विकास योजनाए क्रियान्वित की जा रही है। राज्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायत स्तरीय महिला प्रशिक्षण आयोजना का कार्यक्रम लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य में कृषि विभाग की योजनाओं के संचालन में कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में पहली बार राज्य सरकार द्वारा 496 कृषकों को प्रति वर्ष 10,000 से लेकर 50,000 रुपये का कृषक पुरस्कार दिया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

विभिन्न फसलों के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्षेत्रफल लाख हैक्टेयर उत्पादन लाख टन एवं उत्पादकता किलो प्रति हैक्टेयर

नाम फसल	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			2010-11		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
अनाज															
खरीफ															
चावल	1.08	1.70	1574	1.28	2.60	2031	1.33	2.41	1812	1.51	2.28	1513	1.31	2.66	2031
ज्वार	6.62	3.68	556	6.26	3.95	631	5.77	3.33	577	7.19	1.04	145	7.27	5.09	700
बाजरा	49.10	34.40	701	51.08	42.41	830	52.06	42.95	825	52.24	20.53	393	54.89	60.91	1110
मक्का	10.32	11.18	1083	10.55	19.52	1860	10.54	18.31	1737	11.00	11.49	1045	11.73	20.53	1796
छोटे अनाज	0.16	0.04	250	0.16	0.09	563	0.16	0.03	163	0.18	0.02	84	0.16	0.08	500
योग खरीफ	**67.28**	**51.00**	**758**	**69.33**	**68.67**	**990**	**69.86**	**67.03**	**959**	**72.12**	**35.36**	**490**	**75.06**	**89.27**	**1189**
रबी															
गेहूं	25.65	77.56	3024	25.92	71.25	2749	22.95	72.87	3175	23.94	75.01	3133	30.36	104.24	3434
जौ	2.32	5.92	2552	2.49	5.39	2165	2.87	8.78	3059	2.23	6.20	2780	3.28	9.55	2911
योग रबी	**27.97**	**83.48**	**2985**	**28.41**	**76.64**	**2698**	**25.82**	**81.65**	**3162**	**26.17**	**81.21**	**3103**	**33.64**	**113.79**	**3383**
योग खरीफ+रबी	**95.25**	**134.48**	**1412**	**97.74**	**145.31**	**1487**	**95.68**	**148.68**	**1554**	**98.29**	**116.57**	**1186**	**108.70**	**203.06**	**1868**

नाम फसल	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			2010-11		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
दलहन															
खरीफ															
खरीफ दलहन	21.32	5.42	254	25.86	9.35	362	23.64	8.02	339	24.65	1.26	51	28.95	15.87	548
अरहर	0.19	0.09	474	0.18	0.15	833	0.19	0.15	789	0.18	0.07	380	0.21	0.16	762
योग खरीफ	**21.51**	**5.51**	**256**	**26.04**	**9.50**	**365**	**23.83**	**8.17**	**343**	**24.83**	**1.33**	**54**	**29.16**	**16.03**	**550**
रबी															
चना	10.11	8.73	864	12.51	5.74	459	12.59	9.81	779	8.84	5.35	605	17.83	16.01	898
रबी दलहन	0.45	0.56	1244	0.14	0.29	2071	0.29	0.28	966	0.36	0.34	944	0.56	0.50	893
योग रबी	**10.56**	**9.29**	**880**	**12.65**	**6.03**	**477**	**12.88**	**10.09**	**783**	**9.20**	**5.69**	**618**	**18.39**	**16.51**	**898**
योग दलहन	**32.07**	**14.80**	**461**	**38.65**	**15.53**	**401**	**36.71**	**18.26**	**497**	**34.03**	**7.02**	**206**	**47.55**	**32.54**	**684**
खाद्यान्न															
खरीफ	88.79	56.51	636	95.37	78.17	820	93.69	75.20	803	96.95	36.69	378	104.22	105.30	1010
रबी	38.53	92.77	2408	41.06	82.67	2013	38.70	91.74	2371	35.37	86.90	2457	52.03	130.30	2504
योग खाद्यान्न	**127.32**	**149.28**	**1172**	**136.43**	**160.84**	**1179**	**132.39**	**166.94**	**1261**	**132.32**	**123.59**	**934**	**156.25**	**235.60**	**1508**

नाम फसल	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			2010-11		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
तिलहन															
खरीफ															
तिल	2.73	0.89	326	3.15	1.26	400	5.21	1.52	292	5.98	0.97	162	5.47	2.23	408
मूंगफली	3.06	4.00	1307	2.79	4.81	1724	3.24	5.40	1667	3.36	3.71	1104	3.47	6.81	1963
सोयाबीन	6.41	7.71	1203	7.98	10.71	1342	8.29	8.08	975	7.78	9.12	1172	7.65	11.18	1461
अरंडी	0.92	1.01	1098	1.26	1.87	1484	1.47	1.94	1320	1.31	10.01	771	1.49	2.11	1416
योग खरीफ	**13.12**	**13.61**	**1037**	**15.18**	**18.65**	**1229**	**18.21**	**16.94**	**930**	**18.43**	**14.81**	**804**	**18.08**	**22.33**	**1235**
रबी															
सरसों	31.00	37.67	1215	24.58	23.52	957	27.38	34.66	1266	22.12	29.12	1316	24.90	38.83	1560
तारामीरा	1.12	0.39	348	0.38	0.10	263	1.00	0.37	370	0.98	0.36	367	11.89	4.86	409
अलसी	0.01	0.01	1000	0.01	0.01	1000	0.03	0.04	1333	0.03	0.07	1982	0.02	0.01	576
योग रबी	32.13	38.07	1185	24.97	23.63	946	28.41	35.07	1234	23.13	29.55	1277	36.80	43.71	1188
कुल योग **तिलहन खरीफ+रबी**	**45.25**	**51.68**	**1142**	**40.15**	**42.28**	**1053**	**46.62**	**52.01**	**1116**	**41.56**	**44.36**	**1067**	**54.88**	**66.04**	**1203**

नाम	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			2010-11		
फसल	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
अन्य															
खरीफ															
गन्ना	0.11	6.29	57182	0.10	5.94	59400	0.07	3.88	55429	0.06	3.43	57167	0.05	3.61	66263
कपास	3.50	7.47	363	3.69	8.62	397	3.00	7.26	411	4.44	9.03	345	3.36	8.57	434
ग्वार	28.08	6.58	234	29.10	12.44	427	33.18	12.61	380	25.81	2.01	78	30.00	15.46	515
अन्य	0.91			0.85			0.79			4.03			1.71		
रबी															
अन्य	6.54			8.17			8.37			11.23			11.06		
महायोग खरीफ	134.51			144.29			148.94			149.72			157.42		
महायोग रबी	77.20			74.20			75.48			69.73			99.89		
महायोग खरीफ+रबी	**211.71**			**218.49**			**224.42**			**219.46**			**257.32**		

सहाड़ा के कृषि कार्यालयों में रिक्त पद

830. श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा के कृषि कार्यालयों में कहां-कहां कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कृषि विभाग के संवर्ग नियंत्रणाधीन कृषि व उद्यान विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के 7 एवं कृषि पर्यवेक्षक के 45 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सहायक कृषि अधिकारी के पदोन्नति के पद, पदोन्नति पर विभिन्न माननीय न्यायालयों में वाद दायर होने के कारण रिक्त हैं। सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कृषि विभाग के सवंर्ग नियंत्रणाधीन कृषि एवं उदयान विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	गुरला	सहा. कृषि. अधि.	1	0	1
2	हमीरगढ़	सहा. कृषि. अधि.	1	0	1
3	सहाड़ा	सहा. कृषि. अधि.	1	1	0
4	पोटला	सहा. कृषि. अधि.	1	0	1
5	कोशिथला	सहा. कृषि. अधि.	1	0	1
6	रायपुर-1	सहा. कृषि. अधि.	1	0	1
7	रायपुर-11	सहा. कृषि. अधि.	1	0	1

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
8	गुरला	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
9	कारोई	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
10	भोपालगढ़ (गाडरमाला)	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
11	खैराबाद	कृषि पर्यवेक्षक	1	0	1
12	सांगवा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
13	कोचरिया	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
14	हमीरगढ़	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
15	तखतपुरा (ओजियाडा)	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
16	बरडोद	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
17	सहाडा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
18	डेलाणा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
19	भूणास	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
20	लाखोला	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
21	गणेशपुरा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
22	सोनियाना	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
23	कांगणी	कृषि पर्यवेक्षक	1	0	1
24	पोटला	कृषि पर्यवेक्षक	1	0	1
25	सातलियास	कृषि पर्यवेक्षक	1	0	1
26	सुरावास	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
27	नेगडिया का खेड़ा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
28	मांझावास	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
29	खाखला	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
30	सरगांव	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
31	कोशीथल	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
32	उम्मेदपुरा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
33	उल्लाई	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
34	नांदशा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
35	शिवरती	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
36	महेन्द्रगढ़	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
37	आमली	कृषि पर्यवेक्षक	1	0	1
38	रायपुर	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
39	नांदशा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
40	थला	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
41	आशाहोली	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
42	बोरियापुरा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
43	नाहरी	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
44	नाथडियास	कृषि पर्यवेक्षक	1	0	1
45	बोराणा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
46	देवरिया	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
47	झडोल	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
48	मौखुंदा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
49	पालरा	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
50	कोट	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0
51	भीटा	कृषि पर्यवेक्षक	1	0	1
52	गंगापुर	कृषि पर्यवेक्षक	1	1	0

राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित नवीन वेयर हाउस

831. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में केन्द्रीय वेयर हाउसिंग एवं स्टेट वेयर हाउसिंग के अधीन कितने-कितने वेयर हाउस किस-किस क्षमता के कहां-कहां संचालित हैं? तहसील व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग के तहत कितने-कितने वेयर हाउस किस-किस जिले में बनाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(3) क्या सरकार द्वारा स्टेट वेयर हाउसिंग और अन्य फर्म के मध्य जोइंट वेन्चर हुई है? यदि हां, तो उसके एमओयू की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त एमओयू के बाद राज्य में स्टेट वेयर हाउसिंग के किस-किस गोदाम में कितनी-कितनी धनराशि से कितने-कितने गोदाम नये बनाए तथा कितनों के रख रखाव में कितना-कितना हुआ?

(5) जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2011 तक राज्य स्टेट वेयर हाउसिंग को कितना मुनाफा हुआ है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार राज्य में स्टेट वेयर हाउसिंग के अधीन नये गोदाम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्षेत्रीय वेयर हाउस में कृषि जिन्स भण्डारण करते समय गुणवत्ता जांचने के क्या-क्या नियम एवं मानक निर्धारित किए गए हैं? उक्त व्यवस्था की मानिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है? नियमों व मानक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सरकार द्वारा वेयर हाउस किराये पर भी लिये जाते हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस वेयर हाउस को किस-किस दर पर तथा कितना-कितना भुगतान किया गया? वेयर हाउस के संचालकों के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा अन्य फर्म से जोइंट वेन्चर नहीं किया गया है। निगम द्वारा दिनांक 05.03.2010 को निगम को विभिन्न सेवायें प्रदान करने के लिए एक एम.ओ.यू. (मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैण्डिंग) किया गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) विवरण परिशिष्ट 4 एवं 4 अ पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(5) विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	वर्ष	मुनाफा/लाभ (राशि लाख रुपये में)
1	2006 - 2007	2232.57
2	2007 - 2008	652.47
3	2008 - 2009	99.85
4	2009- 2010	675.25
5	2010-2011	1002.26
6	2011- 2012 (दिसम्बर 11 तक अनुमानित)	1135.81

(6) जी। हां। बूंदी, जोधपुर, नागौर, टोंक, प्रतापगढ़, दौसा, उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों मे वित्तीय वर्ष 2012-13 मे गोदाम निर्माण प्रस्तावित है।

(7) भण्डारगृह में जमा जिन्सों की गुणवत्ता निर्धारण सम्बन्धी नियम एवं मानक आदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। इसी आधार पर इस निगम द्वारा जिन्सों की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु राज्य भण्डारगृह पर भण्डार प्रबन्धक द्वारा सम्पूर्ण स्टाक का माह में दो बार निरीक्षण किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उपचारित (यथा शीत ऋतु में कोल्ड ऐयरेशन पेस्टीसाइडस से स्प्रे/फ्यूमिगेशन आदि) किया जाता है। इसके अतिरिक्त माह में एक बार पर्यवेक्षक द्वारा केन्द्र का निरीक्षण व स्टाक की जांच की जाती है साथ ही राज्य भण्डारगृह का वर्ष में एक बार शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण किया जाता है इसके अतिरिक्त निगम प्रधान कार्यालय द्वारा जिन्सों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु राज्य भण्डारगृह का औचक निरीक्षण भी किया जाता है।

(8) जी। हां। विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानों की जांच हेतु नियुक्त निरीक्षक

832. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(1) क्या यह सही है राज्य में आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानों की जांच हेतु अलग से औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिये? यदि हां, तो औषधि निरीक्षक की शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में एलोपैथिक दवाओं हेतु नियुक्त औषधि निरीक्षक ही आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानों की जांच करते हैं? यदि हां, तो राज्य में गत तीन वर्षों में कितनी आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानों की जांच की गई? जांच की गई दवाओं की दुकानों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच के दौरान कितनी दुकानों पर अनियमितताएं पाई गई व अनियमितताएं पाये जाने पर क्या कार्यवाही अमल में लाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेदिक औषधियों के विक्रय हेतु लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है। अतः अलग से औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

(2) जी। नहीं।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 के अनुसार एलोपैथिक दवाओं हेतु नियुक्त औषधि निरीक्षकों द्वारा आयुर्वेदिक दुकानों की जांच नहीं की गई।

हनुमानगढ़ जिले में मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष योजनान्तर्गत व्यय राशि

833. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्य मंत्री जीवन रक्षाकोष के तहत वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक कितने मरीजों को लाभान्वित किया गया?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले में उक्त अवधि में कितने मरीजों को लाभान्वित किया गया? विधान सभा क्षेत्र वार लाभान्वित मरीजों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मरीजों को किन-किन बीमारियों के इलाज के लिए कितनी-

(डा. [श्रीमती] परम नवदीप सिंह)

कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा इलाज कहां-कहां पर करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष योजना राज्य में 31 दिसम्बर, 2008 तक चालू रहीं। अतः 1 जनवरी, 2009 से अब तक मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के तहत किसी मरीज को लाभान्वित नहीं किया गया ।

उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2009 से राज्य में मुख्य मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना को लागू किया गया । योजना के अन्तर्गत समस्त राजकीय चिकित्सालयों पर बी.पी.एल. परिवार, स्टेट बी.पी.एल. परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, एचआईवी/एड्स मरीज, वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेन्शनधारी व अन्य आर्थिक व सामाजिक रूप से अति पिछडे वर्गों के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा (जांचें, दवाइयां, इम्प्लांटस, सर्जरी व रैफरल मामलों में परिवहन) सुविधा प्रदान की जा रही हैं जिसमें 1 जनवरी, 2009 से 29 फरवरी, 2012 तक 111.38 लाख मरीजों (ओपीडी 101.18 लाख, आईपीडी 10.20 लाख) को लाभान्वित किया गया, जिनके इलाज पर कुल 120.34 करोड़ रुपये (ओपीडी 55.86 करोड, आईपीडी 64.48) करोड़ की राशि व्यय की गई।

(2) मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले में 1 जनवरी, 2009 से 29 फरवरी, 2012 तक 3.92 लाख मरीजों (ओपीडी 3.69 लाख एवं 0.23 लाख आईपीडी) का निःशुल्क इलाज किया गया। विधान सभा क्षेत्रवार लाभान्वित मरीजों की सूचना निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	लाभान्वितों की संख्या (लाखों में)		
		ओपीडी	आईपीडी	कुल
1	हनुमानगढ	1.52	0.18	1.70
2	संगरिया	0.24	0.01	0.25
3	पीलीबंगा	0.71	0.02	0.73
4	भादरा	0.61	0.01	0.62
5	नोहर	0.61	0.01	0.62
	योग	**3.69**	**0.23**	**3.92**

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) 1 जनवरी, 2009 से मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत समस्त प्रकार की बिमारियों (ओपीडी, आईपीडी) का प्रत्येक राजकीय अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज किया जाता है। उक्त मरीजों के इलाज पर 154.79 लाख (ओपीडी 109.99 लाख, आईपीडी 44.80 लाख) रुपये की राशि व्यय की गई । प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के मरीज दूसरी विधान सभा क्षेत्र के पास वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ जिला अस्पताल एवं अन्य जिलों के मेडिकल कालेज अस्पतालों में भी इलाज करवाते हैं । जिसका विवरण चिकित्सा संस्थावार निम्न प्रकार है :-

(व्यय राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	चिकित्सालय संस्था का नाम	ओपीडी मरीजों पर	आईपीडी मरीजों पर	कुल
1	जिला अस्पताल	50.10	38.28	88.38
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	45.27	5.80	51.07
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	14.62	0.72	15.34
	योग	**109.99**	**44.80**	**154.79**

रतनगढ़ के चिकित्सालयों में वरिष्ठ चिकित्सकों के रिक्त पद

834. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो योजना के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में कितने प्रसव करवाये गये और उक्त से कितने शल्य क्रिया द्वारा व कितने सामान्य प्रसव हुए? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, रतनगढ़ में चिकित्सकों, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सो के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो रिक्त पदों की अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रिणवां)

(4) क्या यह भी सही है कि राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में गायनिक निश्चेतन एवं सोनोग्राफी के चिकित्सक उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय में प्रसव होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है? यदि हां, तो वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक रतनगढ़ चिकित्सालय से कितनी महिलाओं को उक्त सहायता उपलब्ध कराई गई और सहायता प्राप्त महिलाओं में से कितने प्रसव राजकीय चिकित्सालय में हुए तथा कितने निजी चिकित्सालयों में? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि गायनिक के पद पर शल्य चिकित्सक नहीं है? क्या डा. एच.एल. नेहरा नोन आपरेटिंग चिकित्सक होने के कारण गरीबों को रतनगढ़ से बाहर 10 से 15 हजार रुपये डिलीवरी के लिए व्यय करने पड़ रहे हैं? क्या सरकार संविदा अथवा नियमित नियुक्ति द्वारा उक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि चिकित्सकों के रिक्त पदों के कारण चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने में कठिनाई आ रही है? यदि हां, तो कौन-कौनसी बीमारी के इलाज में?

(8) क्या सरकार इसके समाधान के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना माह सितम्बर, 2005 से लागू की गई है। जननी सुरक्षा योजना के दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अगस्त, 2006 से फरवरी 2012, तक कुल 14232 प्रसव कराये गये उनमें से सामान्य प्रसव 13642 एवं शल्य क्रिया द्वारा 590 प्रसव हुए का संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष	कुल प्रसव	सामान्य प्रसव की संख्या	शल्य द्वारा किये प्रसव की संख्या
8/2006 से 12/2006 तक	912	841	71
2007	2613	2458	155
2008	2750	2588	162
2009	2903	2742	161
2010	2774	2733	41
2011	1988	1988	0
फरवरी, 2012 तक	292	292	0
योग	**14232**	**13642**	**590**

(3) राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में चिकित्सकों के 17 एवं नर्सिंग स्टाफ के 15 पद रिक्त हैं। रिक्ती दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है। उक्त चिकित्सालय में वरिष्ठतम विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पदनाम से जाना जाता है।

(4) राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में गायनिक एवं रेडियोलोजी के कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन) के पद पर डा. प्रमोद कुमार अग्रवाल कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन) कार्यरत है।

(5) जी हां। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर संस्थागत प्रसव कराये जाने पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400/- एवं शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को 1000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ से 8661 लाभार्थियों को उक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई गई प्रोत्साहन राशि प्राप्त लाभार्थियों में से 7957 प्रसव राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में हुये तथा 704 प्रसव निजी चिकित्सालय में हुये का संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष	कुल प्रसव	रा. चि. रतनगढ़ में	निजी चिकित्सालयों में
2009	3116	2903	213
2010	2997	2774	223
2011	2234	1988	246
2012 (फरवरी तक)	314	292	22
योग	**8661**	**7957**	**704**

(6) राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनिक) का पद रिक्त है। परन्तु डा. एच.एल.मेहरा चिकित्सा अधिकारी (पीजी गायनिक) पदस्थापित है एवं उक्त चिकित्सक नोन आपरेटिंग है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनिक) का रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरा जायेगा। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/ आवश्यकता के आधार पर पद भरने के प्रयास किये जायेगे।

फर्स्ट रेफरल यूनिट में संविदा पर गायनिक चिकित्सक लगाने का प्रावधान है, परन्तु उक्त चिकित्सालय में पी.जी. गायनिक चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित होने के कारण संविदा पर गायनिक चिकित्सक लगाया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(7) जी हां। राजकीय चिकित्सालय, रतनगढ़ में गायनिक, रेडियोलोजी, ईएनटी एवं पैथोलोजी से सम्बन्धित रोगो की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(8) जी, हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर पद भरने के प्रयास किये जायेगें।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अर्थना भेजी जा चुकी है, चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर यथासम्भव रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेगें।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर यथासम्भव प्राथमिकता/ आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर के चिकित्सालयों में वरिष्ठ चिकित्सकों के रिक्त पद

835. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के कई पद रिक्त हैं? क्या उक्त कारण से आमजन को चिकित्सा सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार द्वारा उक्त पदों पर किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सकों के कार्यों की पूर्ति कैसे की जा रही है?

(2) वर्तमान में जिला जैसलमेर में मुफ्त जेनेरिक दवाई कौन-कौन से राजकीय चिकित्सालयों/ स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है? उक्त चिकित्सालयों में कितने प्रकार की दवाइयां उपलब्ध/ अनउपलब्ध है? अनउपलब्ध दवाइयों में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय करने का किस प्रकार का प्रावधान रखा गया है? उक्त दवाइयां जिले के किन स्थानों पर (स्वास्थ्य केन्द्रों/ चिकित्सालयों/ मेडिकल दुकानों) किस आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) उक्त जिले में चिकित्सकों की विगत हड़ताल के समय कौन-कौन से प्राइवेट हास्पिटलों में सरकार की ओर से मुफ्त दवाई व मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई तथा प्रत्येक हास्पिटल में कितने मरीजों का इलाज हुआ और कितना व्यय किया गया? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के राजकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के 52 पद रिक्त हैं सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

जिस स्थान पर चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं उसके पास की चिकित्सा संस्थान पर जहां 2 चिकित्सा अधिकारी हैं वहां से 1 चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा सुविधा देने हेतु लगाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में गम्भीर रोगी का प्रारंभिक उपचार कर जिला मुख्यालय एवं संभाग स्तर पर इलाज हेतु रेफर किया जाता है।

(2) जिला जैसलमेर के राजकीय चिकित्सालयों/ स्वास्थ्य केन्द्रों में 301 दवाइयां व 45 सर्जिकल आइटम कुल 346 प्रकार के आइटम नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे है। स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सालयों में स्तर के अनुसार अनुमत दवाइयों व सर्जिकल आइटम की अधिकतम संख्या निम्न है :-

उप स्वास्थ्य केन्द्र - 28

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 169

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - 307

उपरोक्त दवाओं में से चिकित्सालय में आने वाले रोगियों की संख्या, चिकित्सालयों में कार्यरत विशेषज्ञों की उपलब्धता एवं स्थान विशेष के रोगियों की आवश्यकता के आधार पर चिकित्सा संस्थानों के द्वारा दवाइयां इत्यादि जिला औषधि भण्डार से प्राप्त की जाती है।

अनुपलब्ध दवाइयों की खरीद के लिए सरकार द्वारा जैसलमेर जिले में स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु राशि रुपये 16.28 लाख का बजट आबंटन किया गया।

उक्त दवाइयां जिले के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों को उपलब्ध करवाई गई।

(3) उक्त जिले में चिकित्सकों की विगत हड़ताल के समय प्राइवेट हास्टपीटलों में मुफ्त दवाई व मुफ्त ईलाज की व्यवस्था निम्नांकित हास्पिटलों में की गई थी।

1. माहेश्वरी हास्पिटल जैसलमेर 1221 रोगियों का इलाज किया गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

2. न्यू राजस्थान हास्पिटल जैसलमेर 459 रोगियों का इलाज किया गया।

माहेश्वरी हास्पिटल जैसलमेर द्वारा भुगतान हेतु बिल राशि रुपये 143270 का प्रस्तुत किया गया लेकिन बिल में कुछ कमियां होने के कारण बिल का भुगतान नहीं किया गया है एवं न्यू राजस्थान हास्पिटल जैसलमेर द्वारा भुगतान हेतु कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूची

S.No.	PLACE	INSTT	HOSPOS	SPL	SAN	DOCTOR	DATE
1	JAISALMER	D.HOSP	SS	MED	1	VACANT	11.02.10
2	JAISALMER	D.HOSP	SS	PAED	1	VACANT	05.03.09
3	JAISALMER	D.HOSP	SS	ORTHO	1	VACANT	31.08.10
4	JAISALMER	D.HOSP	JS	MED	1	VACANT	13.03.12
5	JAISALMER	D.HOSP	JS	ORTHO	1	VACANT	13.03.12
6	JAISALMER	D.HOSP	JS	ENT	1	VACANT	13.03.12
7	JAISALMER	D.HOSP	JS	SKIN	1	VACANT	31.05.10
8	JAISALMER	D.HOSP	JS	PSY	1	VACANT	01.08.01
9	JAISALMER	D.HOSP	JS	OPTH	1	VACANT	13.03.12
10	JAISALMER	D.HOSP	JS	DENTH	1	VACANT	
11	JAISALMER	D.HOSP	JS	FM	1	VACANT	15.12.09
12	JAISALMER	D.HOSP	SMO			VACANT	29.10.10
13	JAISALMER	D.HOSP	MO			VACANT	14.03.11
14	JAISALMER	D.HOSP	MO			VACANT	14.08.06
15	JAISALMER	D.HOSP	MO	DENT-DENT	1	VACANT	11.05.07
16	JAISALMER	D.HOSP	MO		2	VACANT	27.06.08
17	JAISALMER	D.HOSP	MO			VACANT	20.07.05
18	JAISALMER	D.HOSP	JS	ANAE	1	VACANT	26.06.95
19	JAISALMER	D.HOSP	MO	MED	2	VACANT	12.02.09
20	JAISALMER	D.HOSP	MO	MED		VACANT	12.02.09
21	JAISALMER	D.HOSP	JS	SUR	1	VACANT	13.03.12
22	JAISALMER	D.HOSP	MO	SUR	2	VACANT	12.02.09
23	JAISALMER	D.HOSP	MO	SUR		VACANT	12.02.09
24	JAISALMER	D.HOSP	MO	ORTHO	3	VACANT	12.02.09
25	JAISALMER	D.HOSP	MO	ORTHO		VACANT	12.02.09
26	JAISALMER	D.HOSP	MO	ORTHO		VACANT	12.02.09
27	JAISALMER	D.HOSP	JS	SUR	1	VACANT	26.06.95
28	JAISALMER	D.HOSP	MO	SUR	1	VACANT	12.02.09
29	GANDH COLONY	CDISP	MO		1	VACANT	19.04.11

S.No.	PLACE	INSTT	HOSPOS	SPL	SAN	DOCTOR	DATE
30	JAISALMER	CMHO	MO	LR	1	VACANT	04.10.11
31	JAISALMER	CMHO	MO	LR	1	VACANT	04.10.11
32	JAISALMER	MOBILE	JS	OPTH	1	VACANT	30.11.05
33	JAISALMER	G.DISP	MO	F	1	VACANT	31.01.07
34	JAISALMER	IGNP	MO		1	VACANT	21.05.10
35	JAISALMER	MOBILE	MO		1	VACANT	25.10.05
36	SAM	CHC	JS	MED	1	VACANT	13.03.12
37	SAM	CHC	JS	SUR	1	VACANT	11.02.11
38	SAM	CHC	JS	GYNAE	1	VACANT	25.05.11
39	SAM	CHC	SMO		1	VACANT	04.01.12
40	SAM	CHC	MO		1	VACANT	08.01.11
41	MOHAN-GARH	CHC	JS	MED	1	VACANT	13.03.12
42	MOHAN-GARH	CHC	JS	SUR	1	VACANT	26.05.11
43	MOHAN-GARH	CHC	JS	GYNAE	1	VACANT	25.05.11
44	MOHAN-GARH	CHC	JS	PAED	1	VACANT	25.05.11
45	MOHAN-GARH	CHC	JS	ANAE	1	VACANT	25.05.11
46	RAMGARH	CHC	MO	LR	1	VACANT	13.05.11
47	RAMGARH	CHC	JS	MED	1	VACANT	1303.12
48	RAMGARH	CHC	JS	SUR	1	VACANT	11.02.11
49	RAMGARH	CHC	JS	GYNAE	1	VACANT	25.05.11
50	RAMGARH	CHC	JS	PAED	1	VACANT	25.05.11
51	RAMGARH	CHC	MO	ANANE	1	VACANT	03.08.11
52	DEVIKOT	PHC	MO		1	VACANT	05.04.12

कठूमर के चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पद

836. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) के विभिन्न श्रेणी के चिकित्सालयों/उपकेन्द्रों में कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों पर कितने डाक्टर व कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कहां-कहां पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्रों में स्टाफ के कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में स्थापित ब्लड बैंक में उपलब्ध सुविधाएं

837. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा के ब्लड बैंक में प्लेट लेट की सुविधा नहीं है? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय के ब्लड बैंक में प्लेट लेट की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा सम्भाग के कितने निजी/सरकारी ब्लड बैंकों में प्लेट लेट की सुविधा उपलब्ध है और कितनों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निजी ब्लड बैंकों में बी.पी.एल. रोगियों को प्लेट लेट नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है? यदि नहीं, तो कितने शुल्क पर उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्लेट लेट के अभाव में डेंगू के रोगी की मौत हो सकती है? कोटा सम्भाग और श्रीगंगापुर में वर्ष 2011 में डेंगू के कितने रोगी पाये गये व कितने उपचार के बाद बचा लिये गये और कितने रोगियों की मौत हो गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा के ब्लड बैंक में प्लेटिलेट्स की सुविधा उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) कोटा सम्भाग में राजकीय/निजी ब्लड बैंकों में प्लेटिलेट्स की सुविधा उपलब्ध है उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. राजकीय महाराव भीमसिंह चिकित्सालय ब्लड बैंक कोटा -राजकीय

2. कोटा ब्लड बैंक सोसायटी, कोटा-निजी

3. कृष्णा रोटेरी ब्लड बैंक, कोटा- निजी

कोटा सम्भाग में राजकीय/निजी ब्लड बैंको में प्लेटिलेट्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. राजकीय चिकित्सालय ब्लड बैंक बूंदी- राजकीय

2. राजकीय चिकित्सालय ब्लड बैंक बारां- राजकीय

3. राजकीय चिकित्सालय ब्लड बैंक झालावाड- राजकीय

(3) राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल जयपुर के परिपत्र क्रमांकः एड्स/आरएसबीटीसी (27)/2011/2152 दिनांक 31.3.2011 के द्वारा सभी ब्लड बैंको को निर्देश प्रदान किये गये हैं कि हिमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, एचआईवी संक्रमित एवं बी.पी.एल. मरीजों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया जावे। प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

उल्लेखनीय है कि प्लेटिलेट्स रक्त का अवयव है।

(4) प्लेटिलेट्स के अभाव में उपचार न होने से मृत्यु सम्भावित है।

कोटा सम्भाग में एवं गंगापुर में वर्ष 2011 में डेंगू के पाये गये रोगियों एवं उनमें से मृत्यु का संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

जिले का नाम	डेंगू के पाये गये रोगियों की संख्या	मृत्यु की संख्या
कोटा	6	0
बारां	2	0
बूंदी	3	0
झालावाड	0	0
गंगापुर (सवाईमाधोपुर)	2	0

सभी रोगी उपचार के बाद बचा लिये गये। किसी की भी मृत्यु डेंगू से नहीं हुई।

परिशिष्ट अ

राजस्थान स्टेट ब्लडट्रांस फ्यूजन कौंसिल

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

क्रमांक : एड्स/आर.एस.बी.टी.सी.(27)2011/2152 दिनांक 3-3-11

<u>परिपत्र</u>

समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि हिमोफिलिया, थैलेसिमिया, सिकल सैल, एचआईवी संक्रमित एवं बी.पी.एल. मरीजों को सभी ब्लड बैंकों द्वारा निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक

राज्य के सड़क रहित ग्राम

838. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 2011 तक कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 250 तक की आबादी वाले गांव-ढाणियों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो अब तक कितने गांव-ढ़ाणियों को सड़कों से जोड़ा गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कितने गांव व ढ़ाणियां सड़कों से जुड़ना शेष है तथा उक्त गांव व ढाणियों को कब तक सड़कों से जोड़ दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2009 से 2011 तक 1689 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत, योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मरुस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में जनगणना 2001 पर आधारित 250 व इससे अधिक आबादी के एवं सामान्य क्षेत्रों में 500 व इससे अधिक आबादी की पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है एवं महानरेगा योजनान्तर्गत सामान्य क्षेत्र के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

250 से 499 आबादी के गांव एवं मरुस्थलीय व जनजातीय क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के सभी गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जोड़े गये गांव, ढाणियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) राज्य में 89103 गांव/ढ़ाणियां सड़कों से जुड़ना शेष हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। ऐसे गांव व ढ़ाणियों को सड़क से जोड़ा जाना, भारत सरकार की नीति व राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा में निर्मित सड़कें

839. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में विगत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी सड़क, कहां से कहां तक, कितनी-कितनी लम्बाई की और कितनी-कितनी राशि व्यय कर निर्मित की गई या निर्माणाधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में गत तीन वर्षों (वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12) के दौरान निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों की लम्बाई, व्यय राशि आदि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नैनवां-खटकड़ राजमार्ग संख्या 34 का अपूर्ण निर्माण कार्य

840. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला बूंदी के राजमार्ग संख्या 34 नैनवां से खटकड़ मार्ग पर नरेगा में हरित राजस्थान के नाम अथवा अन्य योजना में सड़कों का सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ाई बढाने का कार्य स्वीकृत हुआ है? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति मय प्रगति रिपोर्ट के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का कार्य 2 वर्षों से अपूर्ण है व दोनों तरफ मिट्टी खुदाई कर गढ्ढे कर दिये गये, जिसे ठेकेदारों द्वारा कार्य न

(श्री प्रभुलाल सैनी)

कराने से कार्य अपूर्ण चल रहा है? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदारों द्वारा कार्य क्यों नहीं कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त कार्य की पूर्ण करने की तिथी कब तक थी तथा अब कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य राजमार्ग संख्या 34 नैनवां से खटकड़ मार्ग पर नरेगा में हरित सड़क योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत कार्यों का विवरण मय स्वीकृति की प्रति एवं प्रगति रिपोर्ट परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा श्रमिकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता न होने एवं वन भूमि होने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है।

(3) उक्त कार्यों के अनुबन्ध अनुसार पूर्ण करने की तिथि परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। नरेगा श्रमिकों की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता एवं वन भूमि के निराकरण उपरान्त कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू की क्षतिग्रस्त सड़कें

841. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी और सरकार द्वारा इनकी कब तक मरम्मत करा दी जाएगी?

उत्तर

जी हां। चाकसू विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनानुसार शीघ्र ही मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा चाकसू में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	वर्गीकरण	कुल लम्बाई (कि.मी.)	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि.मी.) मय चैनेज के	क्षतिग्रस्त लम्बाई यदि किसी योजना में स्वीकृत हो तो उसका विवरण			क्षतिग्रस्त सड़क यदि गारन्टी अवधि में है तो उसका विवरण			क्षतिग्रस्त सड़क की वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
					लम्बाई मय चैनेज के	स्वीकृत राशि (रु. करोड़)	योजना का नाम	गारंटी अवधि की नियत दिनांक	संवेदक का नाम	सुधार कार्य नहीं करने पर संवेदक के खिलाफ की गयी कार्यवाही विवरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	दौसा से कुचामन वाया लवान तूंगा फागी दूदू सांगानेर किमी 29/0 से 90/0	राज्यमार्ग-2	61.00	43.00 किमी, किमी. 29/0 से 54/0 व 67/0 से 85/0	-	-	-	-	-	-	अनपैचेबल	यातायात को सुगम बनाने हेतु विभाग द्वारा बार-बार पैच मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। यह सडक पी.पी.पी. योजना में प्रस्तावित की गयी थी, परन्तु पी.पी.पी. योजना में किसी भी संवेदक द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											अनपैचेबल	सड़क मरम्मत, चौड़ाईकरण एवं उन्नयनीकरण का कार्य नहीं करवाया जा सका। उसके उपरान्त इस सडक को रिमोट योजना में प्रस्तावित किया गया था तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	सांगानेर से काकरोली वाया डिगी मालपुरा केकड़ी शाहपुरा माडल भीलवाड़ा किमी 14/0 से 26/0	राज्यमार्ग-12	12.00	9.00 किमी, किमी 17/0 से 26/0	12.00 किमी, किमी 14/0 से 26/0	220.0	पी.पी.पी.	-	-	-	अनपैचेबल	यह सड़क पी.पी.पी. योजना में मैसर्स जयपुर भीलवाड़ा टोलवेज प्रा.लि. को हस्तान्तरित हो चुकी है। इसमें इस सडक का भाग सम्मिलित है।
3	खाजलपुरा से आकोडिया	वीआर-3288	2.80	2.80	-	-	-	13.9.11	-	गारन्टी अवधि समाप्ति तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सम्बन्धित संवेदक से सड़क मरम्मत नहीं करायी गयी है।	पैचेबल	कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गारन्टी अवधि में संवेदक से मरम्मत नहीं कराये जाने पर रु. 3.00 लाख की मांग की गयी है।

बारां जिले में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

842. श्री प्रमोद जैन (भाया) (अन्ता बारां) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक नई लघु मध्यम व वृहद सिंचाई परियोजना के कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस मद एवं योजना में स्वीकृत हुई? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि किस-किस दिनांक को स्वीकृत हुई? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों पर अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत कार्य किस-किस स्तर पर चल रहा है? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त परियोजनाओं से किस-किस गांव के कितने-कितने कृषकों को लाभ प्राप्त होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक नई लघु, मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं पर स्वीकृत राशि, मद एवं योजना सहित कार्यवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति दिनांक एवं राशि का विवरण मय आदेशों की प्रति सहित परिशिष्ट-'ब' में अंकित है।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों पर अब तक परियोजनावार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' के कालम 16 में अंकित है।

(4) स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-'अ' के कालम 17 में अंकित है।

(5) उक्त स्वीकृत परियेाजनाओं से जिन ग्रामों एवं जितने कृषकों को लाभ होगा, का परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी में प्रस्तावित बांध/एनिकट

843. श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रकाश चन्द चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की तहसील डूंगला के बाना खेड़ी, देवली शनिमहाराज, मोखन मंगेडाव व जिला प्रतापगढ़ की तहसील भदेसर में भालोट, सोडावास, झांतला (खोरीया) आमामाजर, मेरीया खेडी, हडप, कुंडिया (नारायणखेडा) आदि में वर्षा जल की पर्याप्त आवक है? यदि हां, तो किन नदी, नालों, पर्वतमाला श्रृंखला से यहां प्रतिवर्ष कितने वर्षाजल की आवक हो रही है? गत पांच वर्षो का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समस्त गांवों को सिंचाई, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ाने हेतु उक्त प्रत्येक गांव में बांध का नव निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन योजनान्तर्गत एवं कब तक?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता के आंकलन हेतु इजराइल की फर्म मै; ताहल कन्सलटिंग इंजीनियर्स लिमिटेड को कार्य आदेश दिया गया है जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 2013 में प्राप्त होनी है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही आधिक्य जल की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। प्रश्न में वर्णित निर्माण क्षेत्र तहसील भदेसर, डूंगला एवं प्रतापगढ़ तहसील में है जिनके गत पांच वर्ष के वर्षा के आकंड़े प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(2) मै. ताहल कन्सलटिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशेष जल की उपलब्धता, फीजिबिलिटी, लाभ लागत अनुपात व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्रस्तावित योजनाओं के निर्माण हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। वर्तमान में विभाग का भानाखेड़ी एनिकट का कार्य प्रगति पर है।

प्रपत्र 'अ'

गत पांच वर्षो के आंकडें

(वर्षा मि.मी. में)

क्र.सं.	वर्ष	भदेसर	डूंगला	प्रतापगढ़
1	2007	597	532	946
2	2008	774	927	799
3	2009	998	503	981
4	2010	945	626	938
5	2011	931	760	1381
वार्षिक औसत वर्षा :-		715	681	898

बामनवास में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

844. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन लगाया जाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो उक्त ग्रिड सब स्टेशन कब तक लगाया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में 33/11 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत नहीं हैं? क्या सरकार नवीन ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव/ढाणियां विद्युतीकरण से वंचित हैं? क्या सरकार उक्त गांवों/ढ़ाणियों में विद्युतीकरण करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बामनवास बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तकनीकी-आर्थिक परीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी-आर्थिक परीक्षण में साध्य पाये जाने पर तथा योजना की प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन-जिन ग्राम पंचायतों में 33/11 केवी सब-स्टेशन स्वीकृत नहीं हैं एवं जिन-जिन ग्राम पंचायतों में सब-स्टेशन स्थापित हैं एवं जिन-जिन ग्राम पंचायतों में नवीन सब-स्टेशन स्वीकृत है का वर्णन प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के तहत 33/11 केवी का सब-स्टेशन 3 से 4 ग्राम पंचायतों के मध्य बनाना प्रस्तावित है तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये निकटतम 33 केवी सब-स्टेशन से एक पृथक 11 केवी फीडर से विद्युत आपूर्ति करना प्रस्तावित है। अतः अत्यधिक मांग और लोड सेन्टर के मद्देनजर नये 33/11 केवी सब-स्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य पाये जाने पर स्वीकृत किया जाता है। इसके पश्चात् संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कोई भी गांव विद्युतीकरण से वंचित नहीं है एवं पांच ढ़ाणियां विद्युतीकरण से वंचित हैं, जिनके नाम 1. कुआ गांव की भंवरी की ढाणी, 2. बिचपुरी की औंधक्या की ढ़ाणी, 3. रेवाली की राठौडन की ढ़ाणी, 4. बामनवास पट्टीकलां का ढाब का पुरा एवं 5. भांवरा की बड़ीयाला की ढ़ाणी है।

इन ढाणियों का विद्युतीकरण माह जून, 2012 तक किया जाना प्रस्तावित है।

स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित होने से वंचित रह गयी 100 से अधिक आबादी वाली 239 अविद्युतीकृत ढ़ाणियों के विद्युतीकरण हेतु सवाईमाधोपुर जिले की पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को स्वीकृति हेतु भिजवाई हुई है। योजना की स्वीकृति उपरान्त इसमें सम्मिलित ढाणियों का विद्युतीकरण नियमानुसार किया जा सकेगा।

100 से कम आबादी वाली ढ़ाणियों के विद्युतीकरण के लिए योजना विचाराधीन है।

प्रपत्र 'अ'

उन ग्राम पंचायतों का नाम जिनमें 33/11 केवी सब-स्टेशन स्वीकृत नहीं है :-

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में ग्राम पंचायत 1. बोरदा, 2. उदगांव, 3. मोरन, 4. कुशलपुरा, 5, बपुई, 6. दतूली, 7. मामनोली, 8. कोडयाई, 9. बडागांव सरवर, 10. झनूंन, 11. लाखनपुर, 12. बागडोली, 13. निमोद, 14. पीपूखेडा, 15. हिन्दपुरा, 16. पीपलदा, 17. जसटाना, 18. गालदकलां,

उन ग्राम पंचायतों का नाम जिनमें 33/11 केवी सब-स्टेशन स्वीकृत/ चालू हैं :

1. बौंली, 2. पीपलवाडा, 3. मित्रपुरा, 4. रिवाली, 5. बामनवास, 6. पिपलाई, 7. बाटोड, 8. नागरहेडा, 9. रामसिंहपुरा

उन ग्राम पंचायतों का नाम जिनमें 33/11 केवी सब-स्टेशन स्वीकृत/ कार्य प्रगति पर है :-

1. कोलाडा, 2. गोतोड, 3. बोरखेडा, 4. कोयला, 5. चान्दन होली, 6. नारोली चोड, 7. सराय चौराया, 8. बन्दा बानोर, 9. अमावरा-भांवरा

अलवर ग्रामीण के अविद्युतीकृत गांव

845. श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के सैकड़ों ग्राम/ढ़ाणी आज भी अविद्युतीकृत है? यदि हां, तो पंचायतवार अविद्युतीकृत गांव/ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त अविद्युतीकृत गांव/ढाणियों में से 100 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं 100 से कम आबादी वाले गांव/ढ़ाणियों में मुख्य मंत्री सबके लिये योजना में विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब कब तक सभी गांव/ढ़ाणियों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उमरैण पंचायत समिति के 155 गांव आते हैं, जिनमें से 147 गांव विद्युतीकृत हैं, शेष 8 गांव सरिस्का सघन वन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, उनमें से 4 गांव गैर आबाद है। शेष 4 गांवों के लिए वन विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया था कि चूंकि ये ग्राम वन क्षेत्र में आने के कारण दूसरे स्थान पर स्थापित होने हैं, अतः इनको गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत से विद्युतीकृत न किया जावें। इन ग्रामों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में पंचायतवार अविद्युतीकृत ढाणियों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित होने से वंचित रह गयी 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतीकृत ढ़ाणियों के विद्युतीकरण हेतु 32 जिलों की पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाऐं बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को स्वीकृति हेतु भिजवाई हुई है जिनमें अलवर जिले की योजना भी सम्मिलित है। इन योजनाओं की स्वीकृति अभी प्रतिक्षित है। योजना स्वीकृति उपरान्त इनमें सम्मिलित ढ़ाणियों का विद्युतीकरण नियमानुसार किया जा सकेगा।

100 से कम आबादी वाली ढ़ाणियों के विद्युतीकरण हेतु योजना प्रस्तावित है। तथापि मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना (जिसमें दिनांक 31.03.2010 तक ही आवेदन स्वीकार किये गये हैं) में पंजीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण किया गया।

प्रपत्र 'अ'

List of unelectrified Villages of Alwar Gramin Constituency

S. No.	Name of P.S.	Village Code 2001	Name of Village	Tot pop	No HH
1	Umrain	00852800	Rudha Bhakhera	566	79
2	Umrain	00859400	Rudha Kushalgar	1	1
3	Umrain	00859600	Kraska	487	83
4	Umrain	00859900	Dabli	156	27

प्रपत्र 'ब'

अविद्युतीकृत ढाणियों की सूची

क्र.सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम	ढाणी का नाम
1	अकबरपुर	धर्मपुरा	देवी की डूंगरी
2	भण्डवाडा	नौरंगाबाद	जुहरूखिल्लू का बास
3	भूगोर	भूगोर	आसीन का बास
4	चांदोली	चांदोली	फकीरों का बास
5	चांदोली	चांदोली	लारू का बास
6	दादर	दादर	नत्थू का बास
7	दादर	दादर	सरदार बास
8	ढाकपुरी	चौमूं	अहीर बास
9	ढाकपुरी	नांगल टोडियार	बस्सी की ढाणी
10	ढाकपुरी	चौमूं	गिर्राज का बास
11	ढाकपुरी	खरखडा	मीणा बास
12	ढाकपुरी	खरखडा	रामसिंह ढाणी
13	देहलावास	देहलावास	बेडा की ढाणी
14	देहलावास	रामनगर	धनीराम की ढाणी
15	देहलावास	सिरावास	कन्हैया पहलवान ढाणी
16	देहलावास	देहलावास	खैरावाली ढाणी

क्र.सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम	ढाणी का नाम
17	घाटला	झाडोली	छोटेलालजाटव बास
18	घाटला	घाटला	मंगली का बास
19	हल्दीना	कैरवाडा	चैनपुरा का बास
20	जटियाणा	जटियाणा	करीमखां का बास
21	जटियाणा	उलाहेडी	खैरातीजोगी का बास
22	जटियाणा	जटियाणा	मेवबास नजदीकी आर.टी.ओ.
23	जटियाणा	उलाहेडी	सक्का कुम्हार बास
24	कैरवावाल	कैरवाडी	मिजापुर का बास
25	कैरवावाल	कैरवावाल	सूवाका बास
26	कस्बा डेहरा	ढढीकर	बक्शी का बास
27	कस्बा डेहरा	ढढीकर	किशनलाल की ढाणी
28	कस्बा डेहरा	रूंधहाजीपुर	रूंध हरिपुरा
29	कस्बा डेहरा	हाजीपुर	तिगारिया का बास
30	केशरपुर	बल्लाना	छोटेलाल का बास
31	केशरपुर	बल्लाना	हुरमत का बास
32	केशरपुर	बल्लाना	ईबराका बास
33	केशरपुर	बल्लाना	कीरो का बांस
34	केशरपुर	बल्लाना	सल्लामल्लाह का बास
35	माधोगढ़	कृषका	कृषका
36	महूवा खुर्द	सोहनपुर	हरिया का बास
37	महूवा खुर्द	सोहनपुर	जुम्माका बास
38	महूवा खुर्द	सोहनपुर	नवलखां का बास
39	महूवा खुर्द	महुवा खुर्द	सरपंच का बास
40	मालाखेडा	मालाखेडा	गुर्जर बास
41	मोहब्बतपुर	मोहब्बतपुर	हरिजन बस्ती
42	मोहब्बतपुर	जाटोली	जुम्मा का बास
43	नैथला	निठारी	मोहन की ढाणी

क्र.सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम	ढाणी का नाम
44	नैथला	नैथला	नयाबास
45	नैथला	निठारी	पिनानीया का बास
46	नैथला	निठारी	रामबास
47	नैथला	निठारी	सुगनसिंहका बास
48	पलखडी	साहोरी	जीत्या की ढाणी
49	पलखडी	नांगलरटावट	पत्तू का बास
50	पलखडी	माचडी	रागल अहीर
51	पलखडी	अलापुर	रहमान का बास
52	सालपुर	नंगला जोगी	बगीची
53	शाहपुर	खालाडेहरा	देवसिनयों बास
54	शाहपुर	नंगलासेड़	हुसैना जोगी का बास
55	शाहपुर	रूंध शाहपुर	मन्नाराम की ढाणी
56	शाहपुर	रूंध मदार	रूंध मदार
57	शाहपुर	नांदनहेडी	जोहरा का बास
58	तूलेडा	तूलेडा	भोपत का बास

हीरापुरा (जयपुर) पावर हाउस की आबादी क्षेत्र की विद्युत लाइनें

846. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के हीरापुरा पावर हाउस से 220 के.वी. की विद्युत लाइन जगदम्बा नगर आदि आवासीय कालोनियों से होकर डाली जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या इस प्रकार आवासीय कालोनी में लाइन डालने से इन कालोनी में रह रहे लोगों को विद्युत लाइनों से होने वाले नुकसान का खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस लाइन को अन्यत्र स्थान से डालने का विचार रखती है?

(3) क्या हीरापुरा पावर हाऊस के पीछे स्थित जगदम्बा नगर आदि कॉलोनियों से गुजर रही हाइटेंशन लाइनों को जनहित में राज्य सरकार के खर्चे पर अन्यत्र स्थानान्तरित करने अथवा अन्डरग्राउन्ड करने की योजना हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर के हीरापुरा पावर हाउस से 220 के.वी. की भूमिगत विद्युत केबल 220 के.वी. नला पावर हाउस तक डाली जा रही है। यह भूमिगत विद्युत केबल जयपुर के बढ़ते हुए विद्युत भार के मद्देनजर नला पावर हाउस जो अभी 132 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन है, को 220 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन में क्रमोन्नत करने हेतु डाली जा रही है।

(2) जी नहीं। उक्त विद्युत केबल भूमिगत डाली जा रही है। अतः इससे कालोनियों में रह रहे लोगों को नुकसान होने का कोई खतरा नहीं है।

(3) हीरापुरा पावर हाऊस के पीछे स्थित जगदम्बा नगर आदि से गुजर रही अन्य अतिरिक्त हाइटेंशन लाइनें इन कालोनियों के बनने के पूर्व में डाली गई है एवं इन लाइनों का निर्माण भारतीय विद्युत अधिनियम के मापदण्डों के अनुरूप किया गया है। ये सभी कालोनियां इन लाइनों के डालने के पश्चात् बनी है। अतः राज्य सरकार के खर्चे पर इनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने अथवा अण्डरग्राउण्ड करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जयपुर नगर वृत के अन्तर्गत 33 के.वी. एवं 11 केवी हाइटेंशन लाइनों को राज्य सरकार के खर्चे पर अन्यत्र स्थानान्तरित करने अथवा अण्डर ग्राउण्ड करने की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

अनूपगढ़ के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

847. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार स्वीकृत की जाती है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध निकालने की मशीनें क्रय हेतु अनुदान

848. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में दुग्ध उत्पादकों द्वारा दूध निकालने की मशीनें क्रय करने पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने हेतु दूध निकालने की मशीनों पर वैट समाप्त करने एवं अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गुजरात एवं पंजाब दो राज्यों में दुग्ध उत्पादकों को दूध निकालने की मशीन क्रय करने पर राज्य की दुग्ध फैडरेशन द्वारा अनुदान दिया जाता है। हरियाणा में अनुदान देय नहीं है।

दूध निकालने की मशीन क्रय करने पर देय अनुदान का विवरण

राज्य का नाम	देय अनुदान राशि	विवरण
गुजरात	दूध निकालने की मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत या 20,000/- रुपये जो भी कम हो	कम से कम 10 दुधारू पशु या 50 लीटर दूध होना आवश्यक है।
पंजाब	दूध निकालने की मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत।	--

(2) जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश में दूध निकालने की मशीन का प्रचलन एवं मांग नहीं है।

उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

849. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती सज्जन कटारा)

(2) क्या सरकार पंचायत पुनर्गठन के तहत उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के गांव खजूरी, कालीवास, बारां, उमरडा, गोज्या को ग्राम पंचायत बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी भी पंचायती राज संस्था का पुनर्गठन करने के बाद पुनर्गठित पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है तथा पुनर्गठित एवं नवसृजित पंचायती राज संस्था के चुनाव 6 माह में करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में ही सम्पन्न करवाये गये है। पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरे राज्य के लिये समान है। अतः अभी पंचायतों का पुनर्गठन करना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है।

(2) जी नहीं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी भी पंचायती राज संस्था का पुनर्गठन करने के बाद पुनर्गठित पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है तथा पुनर्गठित एवं नवसृजित पंचायती राज संस्था के चुनाव 6 माह में करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में ही सम्पन्न करवाये गये हैं। पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरे राज्य के लिये समान है। अतः अभी इन ग्रामों को पंचायत बनाना व्यवहारिक रूप से उचित नही हैं।

बस्सी (जयपुर) पंचायत समिति के विकास अधिकारी आवास का उपयोग

850. **श्रीमती अन्जू खन्गवाल** (बस्सी) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बस्सी (जयपुर) में विकास अधिकारी के लिये आवास आरक्षित है? क्या किसी अधिकारी द्वारा उक्त आवास को उपयोग में लिया गया? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विकास अधिकारी श्री सन्तोष कुमार

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

गुप्ता ने पंचायत समिति लाडपुरा से बस्सी में हुये स्थानान्तरण के समय स्थानापन वेतन उठाया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निम्न विकास अधिकारियों द्वारा आवास उपयोग में लिया गया:-

1. श्री गंगाराम मीणा दिनांक 22.1.06 तक

2. श्री राजेन्द्र कुमार जोशी दिनांक 22.7.06 से 6.6.08

3.श्री जी.एल.वैष्णव दिनांक 19.7.07 सें 6.6.08

4. श्री गंगाराम मीणा दिनांक 7.8.08 से 22.1.09

5. श्री रघुवीर सिंह दिनांक 25.1.09 से 9.6.09

निम्न विकास अधिकारियों द्वारा आवास को उपयोग में नहीं लिया गया :-

क्र.स.	नाम विकास अधिकारी	कारण
1.	श्री राजेन्द्र कुमार, दिनांक 10.6.10 से 12/2012 तक	परिवार पूर्व पदस्थापित स्थान पर रहने के कारण
2.	श्री संतोष कुमार गुप्ता दिनांक 1/11 से 12/11 तक	परिवार पूर्व पदस्थापित स्थान पर रहने के कारण
3.	श्री विष्णुचंद बंसल 1/12 से निरन्तर	पूर्व में पदस्थापित स्थान की दर से मकान किराया भत्ता उठाने के कारण

(2) जी हां। श्री संतोष कुमार गुप्ता, विकास अधिकारी पंचायत समिति बस्सी ने पंचायत समिति लाडपुरा (कोटा) से बस्सी में हुये स्थानान्तरण माह 1/2011 से 6/2011 तक 6 माह का पंचायत समिति लाडपुरा में स्थानापन वेतन उठाया है। मकान किराया भत्ता नियम के नियम 4 (4) एवं नियम 6 के तहत कार्यभार सम्भालने की दिनांक से 6 माह तक पुराने स्थान का स्थानापन वेतन उठाया जा सकता है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी नहीं। मकान किराया भत्ता नियम के नियम 4(4) एवं नियम 6 के तहत कार्यभार सम्भालने की दिनांक से 6 माह तक पुराने स्थान का स्थानापन वेतन उठाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र के अग्नि काण्ड प्रभावितों को देय सहायता राशि में वृद्धि

851. **श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में किसी ग्राम/ढाणी में किसी व्यक्ति का घर एवं खेत खलियान का सामान जलने पर कितनी सहायता राशि किस मद से दिये जाने का प्रावधान है? सम्बन्धित आदेशों/परिपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त देय सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में किसी ग्राम/ढाणी में किसी व्यक्ति का घर एवं खेत में खड़ी फसल प्राकृतिक अग्निकाण्ड में जलने पर पीड़ितों को एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ से तात्कालिक सहायता दी जाती है। उक्त सहायता खलियान में आग लगने से हुई क्षति पर देय नहीं है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 16.01.2012 को जारी आदेशों में राशि बढ़ा दी गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही जिले में टाडा एवं माडा योजना में लाभान्वित ग्राम

852. **श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला सिरोही को टाडा एवं माडा क्षेत्र के लिए कौन-कौनसी योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है?

(श्री ओटाराम देवासी)

(3) उक्त जिले में कौनसा क्षेत्र टाडा व माडा का है तथा इनमें सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने लोग हैं?

(4) क्या विधान सभा क्षेत्र सिरोही का कोई क्षेत्र टाडा या माडा में सम्मिलित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिरोही में भी टाडा एवं माडा योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) जिला सिरोही, जालोर व पाली का कितना व कौन-कौनसा क्षेत्र टाडा एवं माडा योजना में शामिल नहीं है? सरकार द्वारा उक्त जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास हेतु क्या योजनाएं संचालित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति कल्याण निधि विशेष केन्द्रीय सहायता एवं भारतीय संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में चलायी जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जिला सिरोही के अनुसूचित क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध हैं।

माडा क्षेत्र में तीन आवासीय आश्रम छात्रावासों में आवासीय छात्र/ छात्राओं को आवासीय शिक्षा एवं उनकी दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री दी जाती है। जैसे- भोजन, स्कुल युनिफार्म, कोचिंग सुविधा, कम्प्यूटर शिक्षा, शैक्षणिक भ्रमण आदि। जनजाति के छात्रों को प्रतिभावान आर्थिक सहायता, जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता एवं कक्षा 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को आर्थिक सहायता आदि। माडा क्षेत्र के किसानों को समुह आधारित पशुपालन विकास, कृषि कार्यो हेतु नि:शुल्क बीज, खाद व उपकरण, डीजल पम्पसेट पर अनुदान, फव्वारों सेट पर अनुदान आदि। माडा क्षेत्र में एनिकट निर्माण, नहरों एवं तालाबों के मरम्मत कार्य, सम्पर्क सड़क निर्माण आदि।

(3) उक्त जिले में टाडा व माडा क्षेत्र की सूची परिशिष्ट (स) एवं (द) पर उपलब्ध है जिसके साथ कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का विवरण भी दर्शाया गया है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में टाडा योजना लागू नहीं है। माडा योजना में विधान सभा क्षेत्र सिरोही के तेलपीखेडा एवं दरबारीखेडा गांव घोषित है।

(5) विधान सभा क्षेत्र सिरोही की तहसील के दो ग्राम माडा योजना में सम्मिलित है। विधान सभा सिरोही क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनगणना 2001 के अनुसार शेष ग्राम भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले मानदण्ड की पूर्ति नहीं करने से अनु. क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। जनगणना 2011 के ग्रामवार समंक प्राप्त होने पर मानदण्ड अनुसार योग्य ग्रामों को अनु. क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकेगा।

(6) जिला सिरोही की सम्पूर्ण शिवगंज तहसील, रेवदर के 125 ग्राम (परिशिष्ट-य), सिरोही तहसील के 83 ग्राम व शहरी क्षेत्र (परिशिष्ट-र), पिण्डवाडा के 48 ग्राम व शहरी क्षेत्र (परिशिष्ट-ल), आबूरोड तहसील का आबूरोड नगर पालिका (शांतपुर बाहरी क्षेत्र सहित), माउण्ट आबू नगरपालिका, सम्पूर्ण जालोर जिला व पाली जिले की जैतारण, रायपुर, सोजत, रोहट, पाली, मारवाड जंक्शन, देसूरी, सुमेरपुर तहसीलें एवं बाली तहसील के 70 ग्राम व फालना व बाली नगरपालिका (परिशिष्ट-व) अनुसूचित क्षेत्र अथवा माडा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कुशलगढ़ के चयनित जनजाति कृषकों को कृषि कनेक्शन हेतु अनुदान

853. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जनजाति क्षेत्रों में चयनित परिवार के किसानों को कृषि कनेक्शन में जनजाति उप योजना मद से अनुदान दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में जनजाति चयनित परिवारों को अनुदान की राशि जनजाति मद से दी जाती रही है?

(3) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों से कृषि कनेक्शन हेतु दिये जाने वाली अनुदान राशि बंद कर दी है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री फतेह सिंह)

(4) क्या सरकार जनजाति उप योजना के तहत दी जाने वाली राशि चयनित परिवारों को पुनः देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) जिला बांसवाड़ा में चयनित परिवार के काश्तकारों की कितनी फाइलें जमा हैं, जिनकी डिमाण्ड निकाल कर अधिक रकम जमा हो चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र की जनजाति तीस चयनित कृषकों की रकम जनजाति मद से जमा होना है? क्या सरकार चयनित कृषकों की अनुदान की राशि विभाग को देकर काश्तकारों को राहत देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति चयनित कृषकों को कृषि कनेक्शन पेटे सहायता राशि वर्ष 2009-10 तक स्वीकृत की गयी। तत्पश्चात् राशि स्वीकृत नहीं हुई।

(2) जी हां। वर्ष 2009-10 तक जनजाति परिवारों को कृषि कनेक्शन हेतु अधिकतम रुपये 10000 की सहायता दी जाती रही है।

(3) वर्ष 2009-10 में जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राशि रुपये 50.00 लाख माडा क्षेत्र में राशि 1.00 लाख एवं माडा कलस्टर क्षेत्र में राशि 0.60 लाख स्वीकृत किए गए थे। जनजाति कृषकों को वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

पूर्व वर्षों में राज्य सरकार द्वारा जनजाति के किसानों को जनजाति मद से कृषि कनेक्शन के लिये डिमाण्ड नोट की 50 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम रुपये 10000 जो भी कम हो दिया जाता था। कृषि कूप विधुतीकरण नाम से वर्ष 2010-11 में कोई योजना वार्षिक प्लान में नहीं रखी। वित्तीय वर्ष 2011-12 में जनजाति बीपीएल परिवारों को आर्थिक दृष्टि से पूर्ण रूपेण सक्षम बनाने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद के अंतर्गत पम्प सेट क्रय मय नि:शुल्क विधुत कनेक्शन फव्वारा सिंचाई/बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली की समेकित योजना तैयार कर रुपये 35000/- प्रति कृषक सहायता राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन द्वारा अनुमोदित किया गया।

(4) जी हां। कृषि कूप योजनान्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विशेष मांग को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में रुपये 50.00 लाख का प्रावधान किया गया व आगे भी निरन्तर किया जायेगा।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(5) जिला बांसवाडा में चयनित 162 कृषकों को विधुत वितरण निगम द्वारा जारी मांग के पेटे मार्च, 2012 तक पूर्ण राशि लाभांवित द्वारा जमा करा दी गयी है। सूची संलग्न है।

(6) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनजाति कल्याण निधि में राशि 50 लाख का प्रावधान बीएफसी में अनुमत है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर एवं जनजाति लाभांवित द्वारा डिमाण्ड नोट की प्रति एवं राशि जमा कराने की रसीद उपलब्ध कराने पर नियमानुसार राशि विधुत वितरण निगम में लाभांवित कृषक के नाम से जमा करवाई जावेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में टाडा-माडा योजनान्तर्गत लम्बित प्रस्ताव

854. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टाडा-माडा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ 'अलवर' में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कहां-कहां कराये जा रहे हैं? कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में टाडा-माडा योजनान्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिए सरकार को क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र प्रारम्भ कराने की स्वीकृति जारी करने तथा पहले से स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) टाडा अलवर जिले में लागू नही है।

माडा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में कराये गये कार्यो की सूची मय विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) गत 3 वर्षों में माडा योजनान्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिए विभाग को प्राप्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

प्राप्त प्रस्तावों में से उपलब्ध राशि अनुसार राशि रुपये 125.30 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये जिनकी सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

नवीन एनिकट निर्माण कार्य के प्रस्ताव के साथ जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने से स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की गई।

(3) लम्बित प्रस्तावों से तकनीकी रूप से उपयुक्त प्रस्ताव राशि की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति हेतु शासन को भिजवाये जा सकेंगें।

जी हां। स्वीकृत कार्यों में से 2 कार्य अपूर्ण हैं जो वर्तमान में प्रगतिरत है तथा 3 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अन्त्योदय परिवार को मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना का लाभ

855. श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वित्तिय वर्ष 2011-12 में मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के तहत मकान/छप्पर विहीन जिन परिवारों के शून्य अथवा 1 या 2 नम्बर है, को इस योजना के तहत आवास निर्माण हेतु 50,000/- रुपये देने का प्रावधान किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1997 में अत्यंत निर्धन परिवारों को सरकार द्वारा अन्त्योदय योजना के तहत सूचीबद्ध किया था और जो सबसे निर्धनतम परिवारों की परिभाषा में आता है?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के तहत केवल बी.पी.एल. परिवार के लोगों को चयनित किया गया था, जबकि उनसे भी निर्धनतम आवास विहीन अन्त्योदय परिवारों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इन अन्त्योदय परिवार को मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की बी.पी.एल. सेन्सस- 2002 के आधार पर इन्दिरा आवास योजना की तैयार की गई स्थाई प्रतीक्षा सूची के

(ग्रामीण विकास मंत्री)

आवासहीन ('0' कोड) एवं कच्चे आवास ('1' कोड) के पात्र परिवारों को वरीयता क्रम में आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता दी जा रही है। इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर "मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना" में भी राज्य के अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों एवं शेष राज्य के सभी अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को रु. 50,000/- तथा अन्य पात्र परिवारों को रू 45,000/- अनुदान सहायता आवास निर्माण हेतु दी जाती है।

(2) जी हां।

(3) राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों को बी.पी.एल. सेन्सस-2002 में सम्मिलित किया गया है, इस प्रकार ग्रामीण अन्त्योदय परिवार भी उक्त बी.पी.एल. सेन्सस-2002 में शामिल है।

(4) यदि कोई आवासविहीन अन्त्योदय परिवार "मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना" की वर्तमान में पात्रता रखता है तो आवासीय योजना में उसे वरीयता क्रम में लाभान्वित किया जा सकता है।

खाजूवाला में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमान्तर्गत विद्युतीकरण

856. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में बी.ए.डी.पी. में वित्तीय वर्ष 2008-09, से 2010-11 में विद्युतीकरण के कितने कार्य पंचायतवार कहां-कहां स्वीकृत हुये? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में उक्त में विद्युतीकरण के कितने कार्य पंचायतवार पूर्ण कर दिये गये हैं व कितने कार्य लम्बित हैं? कार्यवार व पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्युतीकरण के कार्य लंबित रहने के क्या कारण हैं व कार्य लंबित होने के कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में बीएडीपी में वित्तीय वर्ष 2008-09 में विद्युतीकरण का कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया, वर्ष 2009-10 में 12

(ग्रामीण विकास मंत्री)

कार्य तथा 2010-11 में 24 कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृत कार्यो का वर्षवार व पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में वित्तीय वर्ष 2008-09,2009-10 तथा 2010-11 में विद्युतीकरण के पूर्ण एवं लम्बित कार्यो का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध हैं ।

(3) जिला परिषद, बीकानेर से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत वितरण निगम के भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य लम्बित रहे हैं।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बीकानेर

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य की स्थिति	लम्बित रहने का कारण/ वि.वि.
	2008-09	कोई विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत नहीं।	-	-	
1	2009-10	विद्युतीकरण कार्य 20 बीडी से 17,22 और 23 बीडी ढ़ाणीयों तक 13 किमी	14 बीडी	पूर्ण	
2	2009-10	विद्युतीकरण कार्य 28 बीडी आबादी से 26,27और 28 बीडी ढ़ाणीयों तक 7 किमी	2 केडब्ल्यूएम	पूर्ण	
3	2009-10	विद्युतीकरण कार्य अल्लदीन से 1 एलएम ढ़ाणीयो तक 3 किमी	गुल्लूवाली	पूर्ण	
4	2009-10	विद्युतीकरण कार्य भागू से 6 बीजीएम ढ़ाणीयो तक 8 किमी	गुल्लूवाली	पूर्ण	
5	2009-10	विद्युतीकरण कार्य भागू से 4 बीजीएम ढ़ाणीयों तक 4 किमी	गुल्लूवाली	पूर्ण	
6	2009-10	विद्युतीकरण कार्य 22,23 और 24 केजेडी ढाणीयो तक 8 किमी	गुल्लूवाली	पूर्ण	

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य की स्थिति	लम्बित रहने का कारण/ वि.वि.
7	2009-10	विद्युतीकरण कार्य 17 केवाईडी से 16 ओर 14 केवाईडी ढ़ाणीयो तक 10 किमी	17 केवाईडी	पूर्ण	
8	2009-10	विद्युतीकरण कार्य 2 केएलडी आबादी से 5 डीडब्ल्यूडी 8 किमी.	2 केएलडी	पूर्ण	
9	2009-10	विद्युतीकरण कार्य 3 केवाईडी आबादी से ढ़ाणीयो तक 3 किमी.	8 केवाईडी	पूर्ण	
10	2009-10	विद्युतीकरण कार्य 21 केजेडी -ए और ढ़ाणीयो तक 4 किमी.	सियासर चोगान	पूर्ण	
11	2009-10	विद्युतीकरण कार्य 2 केएलडी आबादी से 4 केएलडी 6 किमी.	2 केएलडी	पूर्ण	स्थानीय लोगों के द्वारा लाइन नहीं खींचने दिये जाने के कारण।
12	2009-10	विद्युतीकरण कार्य 29 केवाईडी से 1 और 2 केवाईडी ढ़ाणीयो तक 8 किमी.	3 पीडब्ल्यूएम	अपूर्ण	स्थानीय लोगों के द्वारा लाइन नहीं खींचने दिये जाने के कारण।

परिशिष्ट-ब

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बीकानेर

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य की स्थिति	लम्बित रहने का कारण
1	2010-11	आबादी/ढ़ाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 37 केवाईडी	34 केवाईडी	पूर्ण	
2	2010-11	24 बीडी ए से 24 बीडी (बी) की ढ़ाणीयों का विद्युतीकरण	2 केडब्लूएम	पूर्ण	

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य की स्थिति	लम्बित रहने का कारण
3	2010-11	24 केवाईडी ए की ढ़ाणीयों का विद्युतीकरण	2 केडब्लूएम	पूर्ण	
4	2010-11	1 व 2 केवाईएम की ढ़ाणियों में विद्युतीकरण कार्य	2 केडब्लूएम	पूर्ण	
5	2010-11	विद्युतीकरण कार्य 6 केवाइडी से 2 एएम आबादी 3 किमी	8 केवाईडी	पूर्ण	
6	2010-11	विद्युतीकरण कार्य 8 केवाईडी ढाणीया	8 केवाईडी	पूर्ण	
7	2010-11	विद्युतीकरण का कार्य 34 केवाईडी आबादी से 40 केवाईडी आबादी ओर ढ़ाणी 11 केवी लाइन 15 किमी	34 केर्वाडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
8	2010-11	आबादी/ढ़ाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य सिसाडा प्रथम	34 केवाईडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
9	2010-11	आबादी/ढाणीयो क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य सिसाडा द्वितीय	34 केवाईडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
10	2010-11	विद्युतीकरण का कार्य 34 केवाईडी आबादी से 30 ओर 32 केवाईडी आबादी ओर ढ़ाणीयों तक 11 केवी लाइन 5 किमी	34 केवाईडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
11	2010-11	आबादी/ढ़ाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 36 केवाईडी	34 केवाईडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
12	2010-11	आबादी/ढाणीयो क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 3 पीडब्ल्यूएम	3 पीडब्ल्यूएम	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य की स्थिति	लम्बित रहने का कारण
13	2010-11	आबादी/ढाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 1 पीडब्ल्यूएम आबादी	3 पीडब्ल्यूएम	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
14	2010-11	आबादी/ढाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 2 पीडब्ल्यूएम	3 पीडब्ल्यूएम	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
15	2010-11	आबादी/ढाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 4 पीडब्ल्यूएम	3 पीडब्ल्यूएम	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
16	2010-11	विद्युतीकरण कार्य 3 केवाईडी से 2 केवाईडी तक 3 किमी	8 केवाईडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
17	2010-11	विद्युतीकरण कार्य 6 बीडी से 9 बीडी ढाणी	8 केवाईडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
18	2010-11	आबादी/ढाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 4 पीएचएम	22 केवाईडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
19	2010-11	आबादी/ढाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 2 पीएचएम व आबादी	22 केवाईडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
20	2010-11	आबादी/ढाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 7 पीएचमएम व आबादी	22 केवाईडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य की स्थिति	लम्बित रहने का कारण
21	2010-11	विद्युतीकरण कार्य जीरो आरडी से 5 डीडब्ल्यूडी आबादी से 13 डीडब्ल्यूडी वाया 3 एमडब्लूएम 16 किमी	2 केएलडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
22	2010-11	विद्युतीकरण कार्य 33, केजेडी से 34 केजेडी, 35 केजेडी ए-बी, 36 केजेडी, 37 केजेडी, 38 केजेडी, 42 केजेडी व 43 केजेडी	2 केएलडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
23	2010-11	आबादी/ढ़ाणीयों क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य 1 एटीएम	2 केएलडी	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण
24	2010-11	1 केडब्लूएम (ए) से 4 केडब्लूएम तक की ढ़ाणीयों का विद्युतीकरण	2 केडब्ल्यूएम	लम्बित	विभागीय भण्डार से सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण

भीलवाड़ा जिले के चयनित बी.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड सुविधा

857. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में "प्रशासन गांवों के संग" अभियान 2011 के दौरान शिविरों में की गई ग्रामसभा में 940 आवेदकों को बी.पी.एल. होने का अनुमोदन किया गया था? यदि हां, तो इन्हें बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी कर कब से लाभान्वित किया गया है? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्तानुसार ग्रामसभा में बी.पी.एल. होने का अनुमोदन के एक वर्ष पश्चात् भी कई बी.पी.एल. में चयनित व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी कर लाभान्वित किया जाना शेष है? यदि हां, तो इसके

(श्री शिवजीराम मीणा)

विलम्ब के लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बी.पी.एल. राशन कार्ड से वंचित उक्त बी.पी.एल. चयनित व्यक्तियों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2011 में नहीं चलाया गया।

(2) प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2011 में राज्य सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में नहीं चलाया गया।

(3) प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2011 में राज्य सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में नहीं चलाया गया।

प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय की स्थापना

858. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला प्रतापगढ़ के गठन के पश्चात् वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कितने निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति सरकार ने दी है तथा कितने आवेदन अब तक विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है?

(2) प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर पृथक महिला महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा का अब तक क्रियान्वयन नहीं होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा अब कब तक पृथक महिला महाविद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ जिले के गठन के पश्चात् वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक जिला प्रतापगढ़ में कोई भी निजी विश्वविद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

जिला प्रतापगढ़ में वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित निजी महाविद्यालय खोले गये :-

1. एल.बी.एस. कालेज, प्रतापगढ़

2. समन्तभद्र कन्या महाविद्यालय, हिमवन, धरियावाद

3. हरीश अंजना महाविद्यालय, छोटी सादड़ी

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण राजकीय क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर पीपीपी योजनान्तर्गत महिला महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

उक्त प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त चयनित संस्था को महिला महाविद्यालय संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

राजकीय महाविद्यालय हनुमानगढ़ में रिक्त पद

859. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय हनुमानगढ में नियमित व स्वयंपाठी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

(2) उक्त राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य, व्याख्याता (सभी विषय) पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाला सहायक के कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद किस-किस स्तर के कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त पद को पुनः सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के रिक्त पद शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ में नियमित विद्यार्थियों की संख्या 2752 है। इस महाविद्यालय में स्वयंपाठी 6046 विद्यार्थी हैं।

(2) उक्त राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य, व्याख्याता (सभी विषय) पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाला सहायक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ में पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद स्वीकृत है, जो वर्तमान में रिक्त है।

(4) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। अशैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पद नियमित नियुक्ति से भरे जा सकेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ में शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विवरण

विषय/पद	स्वीकृत पद	कार्यरत व्याख्याता	रिक्त पद	कब से पद रिक्त है
प्राचार्य	1	1	-	-
उपाचार्य	2	-	2	26.10.2010
कला संकाय				
अर्थशास्त्र	3	2	1	26.10.2010
अंग्रेजी साहित्य	2	-	2	26.10.2010
हिन्दी साहित्य	3	1	2	26.10.2010
इतिहास	3	1	2	26.10.2010
गृह विज्ञान	1	1	-	-
राजनीति विज्ञान	3	3	-	-
समाज शास्त्र	1	1	-	-
विज्ञान संकाय				
वनस्पति शास्त्र	2	1	1	26.10.2010
रसायन शास्त्र	3	1	2	26.10.2010

विषय/पद	स्वीकृत पद	कार्यरत व्याख्याता	रिक्त पद	कब से पद रिक्त है
गणित	2	-	2	26.10.2010
भौतिक शास्त्र	3	-	3	26.10.2010
प्राणी शास्त्र	2	-	2	26.10.2010
वाणिज्य संकाय				
ए.बी.एस.टी.	3	2	1	26.10.2010
व्या. प्रशासन	2	1	1	26.10.2010
ई.ए.एफ.एम.	2	2	-	-
योग	**38**	**17**	**21**	

राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ में अशैक्षणिक स्टाफ के पदों का विवरण

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत व्याख्याता	रिक्त पद	कब से पद रिक्त है
पी.टी.आई.	1	1	-	-
पुस्तकालयाध्यक्ष	1	-	1	26.10.2010
लेखाकार	1	-	1	26.10.2010
कार्यालय सहायक	1	-	1	26.10.2010
वरिष्ठ लिपिक	2	1	1	26.10.2010
कनिष्ठ लिपिक	3	3	-	-
प्रयोगशाला सहायक	4	3	1	26.10.2010
सहायक कर्मचारी	18	10	8	26.10.2010
योग	**31**	**18**	**13**	**26.10.2010**

कुम्भलगढ़ मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

860. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के मुख्यालय पर वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न संख्या-861

(श्री हनुमान बेनीवाल, माननीय सदस्य के निलम्बन अवधि में होने के कारण असूचीबद्ध)

जनसंख्या अनुपात में होम्योपैथिक चिकित्साल्यों की स्थापना

862. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड क्या हैं एवं राज्य में मानदण्ड के अनुरूप कितने चिकित्सालय खोलने वांछित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रदेश में कितने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं? श्रेणीवार स्थानों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार मानदण्ड के अनुरूप राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सालय की कमी को दृष्टिगत रखते हुए इस वित्तीय वर्ष में नये चिकित्सालय खोलने एवं श्रेणीवार मानदण्ड के अनुरूप क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की जनसंख्या घनत्व के मानदण्ड अनुसार होम्योपैथिक चिकित्सालय काफी कम हैं व जो चिकित्सालय हैं, उनमें पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सालय व स्टाफ की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि जयपुर में जनसंख्या घनत्व के अनुसार ए श्रेणी होम्योपैथिक चिकित्सालय 100 बैड की मांग के अनुरूप आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के औषधालय/चिकित्सालय खोलने के

(आयुर्वेद मंत्री)

मापदण्ड परिशिष्ट क पर संलग्न हैं। मानदण्ड अनुसार वांछित चिकित्सालय को खोले जाने की संख्या का निर्धारण केवल जनसंख्या पर आधारित नहीं है बल्कि भवन व्यवस्था का उपलब्ध होना, अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना तथा बजट प्रावधान उपलब्ध होना पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार का आंकलन नहीं किया गया है।

(2) प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय कुल 189 संचालित है। सूची परिशिष्ट ख में संलग्न है।

(3) जी नहीं। आवश्यकता एवं बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर नवीन चिकित्सालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने की कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष में नये चिकित्सालय खोलने/क्रमोन्न्त का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में औषधालय/चिकित्सालय खोलने सम्बन्धी कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। जयपुर जिले में होम्योपैथिक के 24 औषधालय हैं जिनमें 24 चिकित्सक, 25 नर्स/कम्पाउण्डर एवं 17 परिचारक कार्यरत हैं।

(5) जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में औषधालय/चिकित्सालय खोलने सम्बन्धी कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। वर्तमान में चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

भरतपुर में प्रस्तावित मेडिकल कालेज की स्थापना

863. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भरतपुर में मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार भरतपुर में मेडिकल कालेज प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भरतपुर में पीपीपी मोड के आधार पर वर्ष 2008-09 के बजट में भरतपुर में मेडिकल कालेज स्थापित करने की घोषणा की गयी थी।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(2) हां। भरतपुर में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। संस्था के निवेदन पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में संस्था को भूमि आबंटन के निर्णय पश्चात् भूमि अवाप्ति की कारवाई पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल अपील सं. 13/2011 अजय शुक्ला व अन्य में दिनांक 02.02.2011 को स्थगन आदेश पारित कर यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं।

टौंक जिले में मनरेगा में आबंटित राशि का उपयोग

864. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला टौंक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट वर्ष 2010-11 में लेप्स हुआ था? यदि हां, तो सरकार द्वारा योजना में कितना बजट स्वीकृत किया गया और कितनी राशि वर्ष 2010-11 में व्यय की गई तथा कितनी राशि लेप्स हुई? उक्त बजट राशि किन कारणों से लेप्स हुई तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है?

(2) क्या सरकार ने उक्त जिले में वर्ष 2010-11 का बजट लेप्स करने वाले दोषी अधिकारियों पर आज तक कोई कार्यवाही प्रस्तावित की है? यदि हां, तो किन-किन पर और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत केवल श्रम बजट की मांग की जाती है। जिले में श्रमिकों को मांग के आधार पर रोजगार दिया गया था। योजना में बजट आबंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2010-11 में जिले में योजनान्तर्गत राशि रुपये 5895.69 लाख व्यय की गई है। योजनान्तर्गत श्रमिकों द्वारा कम रोजगार मांग पर कम व्यय होता है एवं अधिक रोजगार मांग पर अधिक व्यय होता है।

(2) वर्ष 2010-11 योजनान्तर्गत रोजगार मांगने वाले सभी श्रमिकों को रोजगार दिया गया था। मांग आधारित योजना के कारण मांग किये जाने पर

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी) मंत्री)

रोजगार उपलब्ध कराने का कानूनी प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में बजट लैप्स जैसी स्थिति उत्पन्न नही होने से किसी अधिकारी को दोषी ठहराना न्यायोचित नही है।

(3) कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं होने के कारण उनके विरूद्व कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

सिरोही जिले में मनरेगा में प्रशासनिक मद से व्यय राशि

865. **श्री पानाचन्द** (बारां-अटरू) : क्या ग्रामीण विकास (नरेगा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मनरेगा योजना के शुरू होने से अब तक प्रत्येक जिले में प्रशासनिक मद में जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर पृथक-पृथक नियमानुसार कितनी राशि वित्तीय वर्ष अनुसार व्यय की जा सकती थी और उसके विरुद्ध कितनी राशि पृथक-पृथक स्तर पर व्यय की गई? व्यय का मदवार, ब्लाकवार, जिलावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सिरोही में मनरेगा में प्रशासनिक मद से जिस राशि का व्यय स्टेशनरी, दवाइयां, फर्नीचर, कार्यस्थल सुविधाओं पर किया गया, क्या उसकी आवश्यकता का आंकलन ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त करके ही व्यय की गई है? यदि हां, तो ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त सुविधाओं हेतु प्रस्तुत मांग का वित्तीय वर्ष अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि मनरेगा में उक्त जिला स्तर से प्रशासनिक मद में बिना आवश्यकताओं के आंकलन किये हुए ही फर्नीचर, स्टेशनरी, दरी पटियां, झूले, त्रिपाल आदि क्रय करके ग्राम पंचायतों पर सामग्री थोप दी गई है? योजना में वित्तीय वर्षवार मद के विवरण सहित सामग्री की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त वर्णित सामग्री क्रय करने के उपरान्त भी वर्षो से जिला स्तर/पंचायत समिति स्तर/ग्राम पंचायतों के स्टोर में अनुपयोगी सामान के रूप में अभी भी पड़ी हुई है? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(5) उक्त जिले में मनरेगा योजना के प्रारम्भ से ही वित्तीय वर्ष अनुसार अब तक जिन जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला समन्वयकों के कार्यकाल में प्रशासनिक मद से अधिक व्यय हुआ है की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द)

(6) क्या उक्त वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक मद की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया गया था यदि नहीं, तो क्यों और इसमें कौन अधिकारी दोषी है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(7) क्या सामग्री क्रय करने से पूर्व सरकार से स्वीकृति ली गई थी? यदि नहीं, तो क्यों? वित्तीय वर्ष अनुसार क्रय करने से सम्बन्धित मनरेगा योजना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2006-07 में श्रम एवं सामग्री मद पर होने वाले कुल व्यय का 2 प्रतिशत राशि तक का वहन प्रशासनिक मद में किया जा सकता था। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में यह व्यय 4 प्रतिशत की सीमा तक एवं तत्पश्चात 6 प्रतिशत की सीमा तक किया जा सकता है। इस व्यय की सीमा पंचायत समिति स्तर एवं जिला स्तर के लिए अलग-अलग निर्धारित नहीं है। सम्पूर्ण जिले में यह व्यय निर्धारित सीमा तक किया जाना वांछनीय है। योजना के शुरू होने से वर्ष 2011-12 तक किये गये व्यय का वर्षवार, मदवार एवं जिलावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 27 एवं 28 के अनुरूप कार्यस्थल सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रशासनिक व्यय के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही वहन किया जा सकता है। जिले में प्रशासनिक मद के तहत जो भी व्यय किया गया है उसकी आवश्कता का आंकलन कार्यक्रम अधिकारियों की मासिक बैठक/इस सम्बन्ध में बुलाई जाने वाली बैठक में चर्चा उपरान्त ही किया गया है।

(3) जी नहीं। बिना आवश्यकता के आंकलन के कोई सामान क्रय नहीं किया गया है एवं ना ही ग्राम पंचायतों पर सामग्री थोपी गई है। जिला सिरोही में क्रय किये गये सामान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) सामग्री का क्रय आवश्यकता का आंकलन करने के पश्चात् ही किया गया है एवं कार्यों के दौरान इसका उपयोग किया गया है। चूंकि यह

(ग्रामीण विकास (नरेगा) मंत्री)

योजना मांग आधारित योजना है एवं इसमें रोजगार की मांग में एक ही वर्ष में अलग-अलग समय में एवं अलग-अलग वर्ष में अलग-अलग होने के कारण अतिरिक्त सामग्री स्टोर में जमा रहती है जिसे अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता है।

(5) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्रशासनिक मद में व्यय अनुमत व्यय से अधिक हुआ है। इस दौरान जिले में जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर पदस्थापित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(6) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में अनुमत व्यय से अधिक व्यय हुआ है परन्तु इसके लिए किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान व्यापक वर्षा होने के कारण रोजगार की मांग में कमी होने के कारण योजनान्तर्गत कम व्यय हुआ एवं कम व्यय होने के कारण प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि भी कम रही परन्तु योजनान्तर्गत नियोजित कार्मिकों के मानदेय का भुगतान तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों यथा कार्यस्थल सुविधाएं उपलबध कराना, एमआईएस के कार्य हेतु स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराना आदि पर व्यय किया जाना आवश्यक था। राज्य सरकार इसमें किसी को दोषी नहीं मानती है एवं किसी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का विचार नहीं है।

(7) सामग्री क्रय करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के कारण नहीं ली गई है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। अतः कार्यस्थल सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एवं सामग्री की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री क्रय की गई है। राज्य सरकार द्वारा क्रय के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण, सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-455 की प्रति)

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

आज दिनांक 03.03.2012 को पंचायत समिति भीम के थानेटा ग्राम पंचायत के परतों का चौडा रास्ते पर पुलिया निर्माण का निरीक्षण किया यह कार्य दिनांक 01.01.2005 को पूर्ण हुआ वर्तमान में पुलिया निर्धारित स्थान पर बनी हुई है। पुलिया पर मनरेगा अन्तर्गत दोनों तरफ सूखे पत्थरों की चुनाई कराकर एवं बीच में मिट्टी भरकर लगभग 1 मीटर ऊंचा उठाया गया है। जिससे सड़क का ढलान कम किया गया है, पुलिया के पाइप के अन्दर काफी मिट्टी भर गई है जिसको निकाला जाना आवश्यक है। वर्तमान में भी उक्त कार्य उपयोगी है। उक्त कार्य की रु. 1.00 लाख की स्वीकृत राशि के विरुद्ध रु.-83463.00 व्यय किए गए है।

यह भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह.	ह.	ह.
(अनिल आचार्य)	(एहसान शेख)	(एल.आर. वाघेला)
सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता	अधिशासी अभियंता
मनरेगा जिला परिषद	(भू-संसाधन) जिला परिषद	सा.नि.वि. खण्ड भीम
राजसमन्द	राजसमन्द	राजसमन्द

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-अ

(तारांकित प्रश्न संख्या-456 की सूची व विवरण)

राज्य में सरकारी व गैर सरकारी विधि महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	सरकारी विधि महा.
1	अजमेर
2	अलवर
3	भरतपुर
4	भीलवाड़ा
5	बीकानेर
6	बूंदी
7	चूरू
8	धौलपुर
9	झालावाड़
10	कोटा
11	नागौर
12	पाली
13	सीकर
14	सिरोही
15	श्रीगंगानगर
क्र.सं.	**गैर सरकारी विधि महाविद्यालय**
1	श्री कृष्ण एकेडमी आफ लीगल एज्यूकेशन, अलवर
2	सेठ राजनारायण गुप्ता महिला विधि महा., बाबा खेतानाथ (अलवर)
3	लक्ष्मी देवी इन्स्टी, आफ ला महा. चिरखाना (अलवर)
4	राजीव गांधी विधि महा., टोंक
5	डा. अम्बेडकर विधि महा. टोंक
6	आशापूर्णा विधि महा., जालौर
7	विद्यास्थली ला कालेज, दुर्गापुरा, जयपुर
8	महर्षि दयानन्द ला कालेज, जवाहर नगर, जयपुर
9	महावीर विधि महा. मानसरोवर, जयपुर
10	आकाशदीप महिला विधि महा., मानसरोवर जयपुर
11	भगवान महावीर विधि महा., एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर

क्र.सं.	गैर सरकारी विधि महाविद्यालय
12	शहीद भगत सिंह विधि महा. झोटवाडा, जयपुर
13	राजधानी ला कालेज, बनीपार्क, जयपुर
14	सेन्ट विलफ्रेण्ड कालेज आमरला, जयपुर
15	टैगोर पब्लिक विधि कालेज, कोटपूतली
16	श्री भवानी निकेतन विधि महा., जयपुर
17	भारत ला कालेज, विद्याधर नगर, जयपुर
18	श्री कृष्ण ला कालेज, कोटपूतली
19	एस.एस. जैन सुबोध विधि महा., जयपुर
20	महर्षि दधिची विधि महाविद्यालय, जयपुर
21	हंस लॉ कालेज, कोटपूतली
22	आइडियल ला कालेज, राजगढ़, चूरू
23	आदर्श विधि महा., तारानगर, चूरू
24	दौसा विधि महा., दौसा
25	भूपाल नोबल्स विधि महा. उदयपुर
26	डा. अनुष्का विधि महा. उदयपुर
27	वर्धमान विधि महा., उदयपुर
28	रणथम्भोर विधि महा. सवाई माधोपुर
29	शहीद कैप्टन रिपुदमन विधि महा. सवाई माधोपुर
30	शहीद भगत सिंह विधि महा., सीकर
31	अरावली ला कालेज, नीमकाथाना
32	श्री गुरूनानक खालसा विधि महा. श्रीगंगानगर
33	महिर्ष दयानन्द विधि महा., श्रीगंगानगर
34	सेठ गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म विधि महा., श्रीगंगानगर
35	नेहरू मेमोरियल ला कालेज, हनुमानगढ़
36	रविन्द्र नाथ टैगोर विधि महा. चित्तौड़गढ़
37	एक्सीलेन्ट ला कालेज, कोटा
38	वीणा मैमोरियल ला कालेज, करौली
39	डा. नगेन्द्र सिंह ला कालेज, बांसवाड़ा
40	ज्ञान विधि महा., बीकानेर
41	सेठ बी.जे.एस.आर. जैन विधि महा., बीकानेर
42	सेठ मोती लाल विधि महा. झुन्झुनूं
43	राजस्थान लॉ कालेज, चिड़ावा
44	महिला विधि महा., जोधपुर

परिशिष्ट 'ब'

क्र.सं.	महाविद्यालय	प्राचार्य		व्याख्याता		वरिष्ठ लिपिक		कनिष्ठ लिपिक		चतुर्थ श्रेणी कर्म.		कनिष्ठ लेखाकार	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
1	अजमेर	1	-	10	7	1	0	1	1	1	1	1	1
2	अलवर	1	-	11	7	1	0	-	1	1	-	-	1
3	भरतपुर	1	-	8	8	1	0	1	1	1	1	1	1
4	भीलवाड़ा	1	-	5	2	1	0	1	1	1	1	1	1
5	बीकानेर	1	-	9	4	1	0	1	1	1	1	1	1
6	कोटा	1	-	8	4	1	0	1	1	1	1	1	1
7	श्रीगंगानगर	1	-	4	3	1	0	1	1	1	1	1	1
8	सीकर	1	-	5	5	1	0	1	1	1	1	1	1
9	बूंदी	1	-	4	0	-	-	1	1	1	1	-	-
10	चूरू	1	-	5	1	-	-	1	1	1	1	-	-
11	धौलपुर	1	-	5	2	-	-	1	1	1	1	-	-
12	झालावाड़	1	-	4	1	-	-	1	1	1	1	-	-

क्र.सं.	महाविद्यालय	प्राचार्य		व्याख्याता		वरिष्ठ लिपिक		कनिष्ठ लिपिक		चतुर्थ श्रेणी कम		कनिष्ठ लेखाकार	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
13	नागौर	1	-	5	2	-	-	1	1	1	1	-	-
14	पाली	1	-	5	3	-	-	1	1	1	1	-	-
15	सिरोही	1	-	4	0	-	-	1	1	1	1	-	-

नोट : 1. सभी विधि महाविद्यालयों में प्राचार्य का एक-एक पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में इन महाविद्यालयों में कार्यरत वरिष्ठतम व्याख्याता को कार्यवाही प्राचार्य लगाया हुआ है।

2. क्र.सं. 01 से 08 तक के विधि महाविद्यालयों में वरिष्ठ लिपिक का एक-एक पद स्वीकृत है, विभागीय पदोन्नति समिति पर से प्रतिबन्ध हटने पर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

3. विधि व्याख्याताओं के 15 रिक्त पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी हुई है।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

1. विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत खखेडीया से समेलिया पर पुलिया निर्माण एवं ब्यावर-बदनोर, भीम-आसींद, देवगढ़-आमेंट, भीम-करेड़ा, देवगढ़-भीलवाड़ा वाया करेड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

2. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम निमोर में नारनोल तक की अधुरी मुख्य सड़क को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांवों की सड़कों का मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम भाढण मुख्य सड़क से महतावास की सड़कों का मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नारनोल से अलवर की सड़क एवं ग्राम बिजोरावास के पास पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ से हरियाणा बोर्डर तानीज से कन्हाखास ग्राम भाढण की जर्जर सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):

7. शेरगढ़ तहसील में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत 250 तक की जनसंख्या के समूह (कलस्टर) बनाकर हेबीटेशन को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. शेरगढ़ तहसील से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114 पंचायत समिति बालेसर मुख्यालय के पास खारीबेरी से कुई ईन्दा तक चार लाइन सड़क, पुलिया, डिवाइडर व रपट निर्माण कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी):

9. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में खेमरी से सैपऊ रोड़ वाया सहरोली व एकटा से यू.पी. बोर्डर तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में झिरी रोड़ से गिरोनिया सरमथुरा बसेड़ी धौलपुर सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में बसेड़ी – बाड़ी मार्ग पर वामनी नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में बसेड़ी-बयाना मार्ग पर अतरसूमा/भराना की घटिया पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में बसेड़ी-सरमथुरा मार्ग से करौली रोड़ वाया खिन्नोर-पवैनी-खैरारा-महारपुर तक सड़क बनाऐ जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाडमेर):

14. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 20 किलोमीटर नई सडकें स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की सड़के कवास से भूरटिया, दांता गुडीसर, बाडमेर महाबार गरल राणीगांव धनाऊ सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र बाढ़मेर के चवा-सिणधरी-जालौर स्टेट हाइवे के चौड़ाई एवं सुदृढीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम मेघवाल (चौहटन):

17. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के नये राजस्व ग्राम जो सड़कों से वंचित है, को सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर):

18 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पूर्व में बनी रोड़ का नवीनीकरण एवं ग्रेवल रोड़ का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. जैसलमेर जिले की अधूरी सड़कों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. जैसलमेर में पुल निर्माण एवं सम रोड़ के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. जैसलमेर के नहरी क्षेत्र के आबादी चकों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. जैसलमेर क्षेत्र के कई गांव व ढ़ाणियों, जो डी.एन.पी. (डेजर्ट नेशनल पार्क) में आई हुई उन्हें सड़कों से जोडने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर):

23. विधान सभा क्षेत्र कठूमर काटवाड़ी से खेड़ा निचला रोनीजाथान से कोट, हुल्याना से मैथना, कालवाड़ी से नकिज, ड्योढाना से बहतूकला एवं पचकुई से मोहन वास वाया बादसू साजनपाड़ा में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के जिला अलवर में खेड़ली बाई पास रोड़ 60 फीट सड़क मार्ग पर से अतिक्रमण हटाने एवं अंहिसा सर्किल से हिन्डौन रेलवे फाटक खेड़ली तक की सड़क 60 फीट चौड़ी कर निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. निर्वाचन क्षेत्र कठूमर की सड़कों का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. स्टेट-हाइवे मरम्मत योजना में नगर से खेड़ली मोड़ सड़क मार्ग में अंहिसा सर्किल से रेलवे फाटक की ओर ढेड किलोमीटर सी.सी. सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. कठूमर से लक्ष्मणगढ़ एवं गढ़ हिम्मत सिंह सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

28. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में घाणा से रामसिंहपुरा, भिलूवाड़ा से रूलयाणी, शेखीवास से बारडणनाऊ आदि नई सड़कें स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नरोदडण से वऊ, पालड़ी से पनलावा, भीर्जवास से केलारा, बऊ से यालसर, लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर रोड से रिण,

बैरास से बासणी, जायोद से बाटडण नाऊ, आदि सड़कें जीर्ण-क्षीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

30. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में पंचायत समिति रेल मगरा स्थित ग्राम पंचायत कुरज की पुलिया के निर्माण का कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने की जांच करवा कर दोषियों को सजा नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):

31. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में एन.एच. 8 से आतेला होकर रामपुरा खुर्द नीमली ओडा फैक्ट्री जाने वाले रास्ते पर पुलिया खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद):

32. मूण्डवाड़ा से माण्डोली वाया धोद सड़क का नवीनीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मेघवाल (जालोर):

33. विधान सभा क्षेत्र जालोर में निर्माणाधीन बयोटी सड़क पर हाइवेड लगाकर राहत देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़):

34. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के चक 74 जी.बी. में रेलवे लाइन के अन्डर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला):

35. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की पूगल फाटा से नूरसर फाटा सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़):

36. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में आसोप से रातड़ी चौराहा, गच्छापुरा, रड़ोद, लवारी भोपालगढ़ से खेड़ापा, भोपालगढ़ से पालड़ी, साथीन, रतबूडिया आदि सडकों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में हीरादेसर से भिराणी, तोड़ीयाना से रातड़ी, गंगाजी से बोड़वी एवं अन्य सड़कें स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह (परबतसर):

38. परबतसर से हरसौर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना):

39. डीडवाना से लाडनूं क्षेत्र को जोड़नें वाली कोलिया से डुदौली पालोट सड़क नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. डीडवाना से मकराना सीमा को जोड़ने वाली भदलिया से भरनाई सड़क को नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. मेगा हाइवे किशनगढ़ से हनुमानगढ़ डीडवाना बाइपास लाडनूं रोड़ रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. नागौर रोड़ से मेगा हाइवे डीडवाना बाइपास नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. रहमान गेट से बस स्टेण्ड डीडवाना स्टेट हाइवे 7 डी को डिवाइडर सहित फोर लेने नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

44. बाली क्षेत्र की सेवाड़ी से पीपला क्षतिग्रस्त सड़क पर पुनः डामरीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. बाली क्षेत्र के 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. बाली क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें जो सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हो चुकी है, के पुनः निर्माण / डामरीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. बाली से पिण्डवाड़ा स्टेट हाइवे की चौड़ाई 3 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

48. सोजत क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा):

49. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम टीपरी से गणेश गंज (स्टेट हाईवे-70) की स्वीकृति (निर्माण) के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

50. राज्य एवं जिले की सड़कों के रख-रखाव एवं सुदृढ़ीकरण के लिये पी.पी.मोड पर काम कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. जिन सड़कों एवं पुलों का कार्य बी.ओ.टी. आधार पर पूर्ण कराया उनका टोल से पूर्ण राशि प्राप्त हो जाने के बाद भी टोल नाकों को बन्द नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. उदयपुर से झाड़ोल, फसासिया होते हुये गुजरात को जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. प्रदेश में बी.एस.आर. रेट का निर्धारण प्रतिवर्ष कर बी.एस.आर. से कम दर पर किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर):

54. चूरू-सरदार शहर सड़क को चौड़ा व सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

55. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के चार मन्दिरों की डामर सड़कें एवं 27 वर्ष पुरानी सड़कों की मरम्मत सहित 11 नयी डामर सड़कें स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा):

56. धौलपुर में जेल रोड़ पर ओवर ब्रिज बनाने एवं अधूरे ओवर ब्रिज को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

57. विधान सभा क्षेत्र सोजत के जादन से जुलेलाव ग्राम तक एवं क्षेत्र से लगते सभी गांवों को सड़क योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर):

58. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

59. मेगा हाईवे निर्माण में राजसमन्द जिले की उपेक्षा करने और गोमती ब्यावर राजमार्ग खण्ड को चार लेन का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण एवं ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. कांकरोली भीलवाड़ा सड़क मार्ग की अति क्षतिग्रस्त सड़कों का समय पर सुदृड़ीकरण एवं नवीनीकरण नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. देवगढ़-आमेट, कांकरोली, रेलमगरा, कपासन निम्बाहेड़ सड़क मार्ग को राज्य मार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास):

63. विधान सभा क्षेत्र बामनवास से निवाई से बोली, बोरदा से पीपल्दा क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली):

64. करौली जिला मुख्यालय पर रियासतकाल में बने पुलों का जीर्णोद्धार एवं चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र करौली में जिला मुख्यालय पर स्थित रणगमा ताल क्षेत्र में सड़क पर डिवाइडर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र करौली में जिला मुख्यालय नेशनल हाइवे 11 बी पर हाथघटा क्षेत्र में सड़क के बीच डिवाइडर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर):

67. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्राम पंचायत जाटोली रथवाना से बाधई तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्राम पंचायत महरोलीकला से राजग ग्राम नमला थाना तक की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

70. विधान सभा क्षेत्र साहाड़ा में गाडरमाला जवासीया के बीच टूटे पुल को ठीक करने एवं बरडोद तक पूरी क्षतिग्रस्त सड़क का सुदृड़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. भीलवाड़ा कोटडी, बागोर, नाहरी, रायपुर, कोट, आमेर, केलवा सड़क को स्टेट हाइवे घोषित कर फोर लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना):

72. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की पीरोचड़ व माइनिंग जोन की सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़):

73. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ क्षेत्र के गांवों में मुख्य सड़कें, जहां पर सड़कें ज्यादा टूटती है वहां पर सी.सी. ब्लॉक निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल.प्रेमी (केशोरायपाटन):

74. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के धार्मिक स्थलों पर सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना):

75. विधान सभा क्षेत्र सिवाना स्टेट हाइवे 38, 66, 68 के स्वीकृत कार्य को शीघ्र सम्पादित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. समदड़ी कस्बे में स्वीकृत स्टेट हाईवे नं. 66 में स्वीकृत 3 किलोमीटर सड़क को 3.66 मीटर के स्थान पर 8 मीटर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में छिपाली- खण्डप, सावरडा- रारथी बुर्क-रम्मोका वाडा, अजीत मगल सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र सिवाणा के जिला सीमा सड़कों को जोड़ने एवं शेष महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल को सड़क से जोडने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू):

79. विधान सभा क्षेत्र बायतू में भाडरवा, कागेड, पाटोडी रोड पर 53-54 कि.मी. कानोड के पास रेत आने के कारण रास्ता अवरूद्ध होने से उत्पन्न पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पचपदरा, पाटोडी, परेरू, भाडरवा की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र बायतू में परेरू, लापुन्दड़ा, रूपजी रागखेडी से साजियाली सिंधियों की ढाणी की सड़क के नवीनीकरण में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र बायतू में डण्डाली, नौखर, बायूत क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र बायतू में चवा, बायतू, फलसूण्ड स्टेट हाइवे के नवीनीकरण एवं पटरियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

84. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम की सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल):

85. विधान सभा क्षेत्र झाडोल में कवेल से माल झाडोल की सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

86. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सभी खनन क्षेत्र की सड़कों को सी.सी. रोड़ में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

87. कोटा में रामगंजमण्डी राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 12 की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. नेशनल हाइवे 12 कोटा से झालावाड़ तक के पूलों को दो लेन बनाने एवं नये पुल पीपल्दा ईश्वरपुरा एवं तैलियाखेड़ी में स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्वीकृत रोड़ बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल):

90. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की मुख्य सड़क से सरवण झाडोल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में सुरा कोटड़ा से मणासी खाचण कोटड़ा सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में तोरण कोटडा से दाडमीया ओगणा झाडोल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़):

93. राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में सड़कें एवं पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

94. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के तालेड़ा समिति की ग्राम पंचायत दुधपुरा को पक्की सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में पंचायत समिति तालेडा के ग्राम पंचायत मुख्यालय ठीकरिया चारणान को नमाना रोड़-अन्थडा रोड़ से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र बूंदी की पंचायत समिति बूंदी की ग्राम पंचायत गुमानपुर के अलकोदिया ग्राम में क्षतिग्रस्त पुलिया का नवीनीकरण करने कर आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर):

97. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में निर्माणाधीन पुलों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं):

98. चन्दवाजी-चौमूं स्टेट हाइवे मार्ग पर विजयसिंहपुरा ग्राम स्थित मोड़ को सीधा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम नांगल कला- भूतेड़ा मार्ग पर नदी के पार पर सी.सी. रपट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, फुलेरा को चौमूं में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम गीदाकाबास, लालपुरा, चेताकाबास, कीर्तसिंह का बास, विकास नगर, हानूकाबास को डामर सड़क से जोड़ने कर आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत नांगलकलां, गुजलिया, किशनपुरा व हस्तेड़ा, मन्डा भिन्डा, रेनवाल रोड का नवीकीरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़):

103. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के जादमपुरा गांव में गुजरान पुल के पास 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कसारवाड़ी से सातसेरा (सीमा) व डुगरा से पडी बड़ली, कुशलगढ़ से पछाड़ भेरी मध्य प्रदेश सीमा की सड़कें दुबारा बनाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत 500 से 250 तक की आबादी के गांवों की आबादी के गांवों की सड़कों का निर्माण कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

106. बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में विभाग द्वारा बनाई गई पुरानी सड़कों का दुबारा डामरीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर):

107. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़-तारानगर, सरदार शहर हरियाणा सीमा से न्यागलबडी न्यागल छोटी, ग्वालीसर, सिधमुख सिवानी सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़ बहल गोठ्या बड़ी चुरू (नेशनल हाइवे-65), चांद गोठो, सुलखनिया, रामपुरा से हरियाणा सीमा, राजगढ़-भादरा- पिलानी नूहन्द बूंगी, लीलको की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने व नई सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई):

109. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव खानुवा से चन्दनपुरा तक की क्षतिग्रस्त ग्रेवल सड़क पर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव बसैया अभय से भई तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव ऐंचेरा से कदम खण्डी तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव केसरा से नगला माली (बड़ का पेड़) तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव बीकरू से बागधारी तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजयसिंह (डेगाना):

114. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पालियास, नथावडा रोड़ पर नथावडा ग्राम से पहले बनी रपट पर एवं विखरनिया कला, ईटावड़ा भोजा रोड़ पर ईटावड़ा भोजा ग्राम से पहले बनी रपट पर छोटे पुलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में बिखरनिया कला से पालडीकला, जालसूकला से आतरोली कलां, खानपुरा से मेवडा, पालिस से पालड़ी कलां, मोगास से करतासर सड़कों के डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंह नगर):

116. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत 12 एन.आर.डी. से रायसिंहनगर के लिए डाबला हैड़ क्षेत्र पर पूल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 13 जी.बी., 90 जी.बी., 87 जी.बी., 91 जी.बी. ग्रामों का सम्पर्क सड़कों से जोड़ने के पूल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम 62 एन.पी. से श्यामगढ़, 79 एन.पी. से समेजा, 6 ए.पी.डी. से भातिवाला 46 जी.बी. से रामसिंहपुर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना):

119. तहसील बयाना के डुमरिया रेलवे फाटक एवं समोगर के बीच सड़क की नीची रपट को ऊंचाकर पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र बयाना में सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. बयाना की विडियारी रोड से नगला झामरा तक रोड़ बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. बयाना तहसील की शाहपुर रोड़ से (घुनैनी मोड़) करौली सीमा तक रोड़ बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. राजकीय महाविद्यालय बयाना से नगला महलौनी तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर):

124. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर बाइपास नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में रठौडा, संगमेश्वर पुल नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण):

126. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के नए राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 116-ए के शक्करगढ़ से जहाजपुर तक सड़क को प्राथमिकता से सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर):

128. बजट घोषणा 2012-13 में घोषित मेगा हाइवे नसीराबाद-केकड़ी-देवली-जहाजपुर-माण्डलगढ़ परियोजना में मोरला चौराहे से देवली तक हाईवे निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजस्व ग्राम नवरतनपुरा एवं लक्ष्मीपुरा द्वितीय को सड़क से जोड़ने की योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. बजट घोषणा 2012-13 में जयपुर-फागी-मालपुरा-केकड़ी-शाहपुरा-माण्डल मेगा हाईवे परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):

131. राज्य में सावर्जनिक निर्माण विभाग में जे.ई.एन. (कनिष्ठ अभियन्ता) के पदों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. एम.डी.आर. बांय से दांता, जीणमाता से उदयपुरा मोड़ रोड़ को 7 मीटर चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ की निर्माणाधीन डामर सड़कों को समय सीमा में पूर्ण नहीं करने एवं घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ की रिनोवेशन की स्वीकृति की सडकें समयावधि में पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों एवं जिम्मेदार अधिकारीयों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाडी (सांगानेर):

135. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. राज्य में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

137. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं क्षतिग्रस्त सी.डी. वर्क्स कार्यों को प्राथमिकता से मरम्मत नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):

138. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने तथा सड़कों की गारन्टी अवधि में समय पर मरम्मत न करने वाले दोषी अभियन्ताओं के विरूद्ध समय पर कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सड़क के किनारे एवं पुलों के समीप योजनाबद्ध तरीके से अवैध तरीके से गुपचुप विस्तार एवं निर्माण से

हो रही असुविधाओं पर प्रभावी कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सड़क सीमा में मनमानी स्थिति परिवर्तन जैसे मिट्टी डालकर ऊंचा कर पानी सड़क तक भेजने तथा मनमाने अतिक्रमण से बचाने के लिए दण्ड स्वरूप कानूनी प्रावधान 'सड़क अव्यवस्था अधिनियम' न लाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

141. उदयपुर शहर में सुकेत से प्रतापनगर, प्रतापनगर से मादडी औद्योगिक क्षेत्र एवं वलीचा तक बाईपास जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित हैं, उसें यू.आई.टी. अपने खर्चे से चार लेन बनाने को तैयार होने पर भी स्वीकृति जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):

142. शेरगढ़ तहसील के धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी):

143. तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास ग्राम की जीर्ण-शीर्ण सड़क को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम पंचायत गढ़ के ग्राम दुबली में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

145. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तावित 3 एम.डी.आर. सड़क स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास):

146. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण करने के सम्बन्ध के नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

147. अलवर शहर व जिला में सड़कों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

148. चवा सिणधरी स्टेट हाइवे की चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 30 किलोमीटर तक स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

149. विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत वंचित 250 से नीचे की आबादी वाले ग्रामों बाड़िया एवं ढ़ाणियों को सड़कों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़):

150. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अधूरी पड़ी सड़कों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम):

152. ग्राम मिलकसराय, तहसील नादौती, जिला करौली से पातलकी पिलोदा सीमा तक अपूर्ण सड़क के कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. ग्राम पंचायत केरीरी के दरवाजे से बौंल भैरू बाबा के मंदिर की सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. ग्राम ढहरिया, पंचायत समिति नादौती, जिला करौली से ग्राम जीरना की सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. पंचायत समिति नादौती के ग्रामों की 17 सड़कों के कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के 10 महीने पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. स्टेट हाइवे 255 नादौती के पास से बुर्जा वाला बालाजी तक सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा):

157. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2010-11 में शाहपुरा (जयपुर) विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित नवीन सड़कों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में प्रस्तावित देवीपुरा से कालीमाता सड़क प्रत्यावरण (Diversion) के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में बिशनगढ़ से गोविन्दपुरा बासडी वाया राडावास के प्रत्यावरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. मनोहपुर (शाहपुरा) जयपुर इन्दिरा नगर कालोनी (अनुसूचित जाति) में निर्मित सड़क के संधारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगनगर (श्रीगंगानगर):

161. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में मिर्जेवाला रोड़ से बाइपास श्रीगंगानगर तक सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की शेष रही सड़कों को पक्का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. श्रीगंगानगर में नेशनल हाइवे 15 का निर्माण कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

164. बीकानेर-गंगानगर स्टेट हाइवे का निर्माण अतिशीघ्र पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में 8 एल.एल. से ततारसर श्रीगंगानगर तक सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला):

166. खण्डेला उदयपुरवाटी रोड़ से रामपुर (ख) की सड़क का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. खण्डेला कांवट रोड़ से भादवाड़ी स्टेट से कन्टानपुर जाने वाली रोड़ का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में रींगस बाइपास से जैतुसर रोड़ व ठीकरिया से मलिकपुर रोड़ का नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला रींगस जे.पी. मिल (एन. एच.11) से लम्बाजी जोड़ी होती हुई पटवारी का बास तक नई सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

170. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पूर्व निर्मित डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में 10 से 12 वर्ष पूर्व निर्मित डामर सड़कों पर पुन: डामरीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर):

172. विधा सभा क्षेत्र सादुलशहर की नहरों पर से गुजरने वाली सड़कों के पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में मिसिंग लिंक्स सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में सड़कों की चौड़ाई बढाने एवं सुद्दढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में ग्रेवल सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़):

176. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में देईदासपुरा से सांवलसर ग्रामीण सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ओ.डी.आर. 22 जी.बी. से राजियासर सड़क को ऊंचा उठाकर मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ठठार से 2 टी.टी.डी. सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास):

179. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम कोटकासिम से कान्हड़का तक मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण व कोटकासिम से कान्हडका, आनाका, सिलपटा, मकड़ावा-मतलवास, जादूवास होते हुये आकोली तक सड़क का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में खैरथल से हरसौली से बीबीरानी तक की सड़क को 7 मीटर चौड़ा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम श्यायाका से बालन बसई तक मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण व किशनगढ़बांस से इस्माईलपुर तक सड़क नवीनीकरण करने क सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में मेगा हाइवे अलवर-भिवाड़ी को

नेशनल हाइवे-8 कोटपूतली से जोड़ते हुये चौड़ा करने तथा किशनगढ़बास व खैरथल में बाइपास निर्माण करने के सम्बन्ध मे लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम पुर से नीमलाका, कंलगांव हिमवाहेड़ा व तिजारा, बीबीरानी से बघेरी कलां एवं हरसौली से रामनगर मीरका, बासकपाल नगर व किशनगढ़बास तक मिसिंग लिंक रोड़ का निर्माण खैरथल तक सड़क का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

184. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा नगर पालिका क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचैंज के पास रेल्वे ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा से बन्धे के बालाजी रोड़ पर ग्राम काचरोड़ा में रेलवे क्रोसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के लालासर से बावड़ी गोपीनाथ तक नई डामर की सड़क बनाने एवं रामजीपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम सालगरामपुरा को डामर की सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की समस्त ग्राम पंचायतों एवं कस्बों को फुलेरा अधिशासी अभियंता के अधीन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां):

189. राज्य एवं नावां क्षेत्र में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. नावां क्षेत्र में घोषित राजस्व गांवों का डामर की सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. राज्य में नरेगा में बनी ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

192. नावां रेल्वे ब्रिज का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नगराज (धरियावद):

193. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. धरियावद-वान्सी सड़क मार्ग, धरियावद-झल्लारा, धरियावद-पारसोला वाया माण्डवी, धारियावद-लसाड़िया मार्ग, धरियावद-सलूम्बर वाया बेडावल मार्ग सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

195. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में नसीराबाद रोड़ पर स्थिति एच.बी. फर्नीचर हाउस से मेयो लिंक रोड़ होते हुए घोलाभाटा टैम्पू स्टैण्ड तक सड़क को विभाग के क्षेत्राधिकार में लेने आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में तोपदड़ा के रेलवे क्रोसिंग सं. 48 बी पर रेलवे पुल बनाये जाने की विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में जौन्सगंज रेलवे क्रासिंग पर रेलवे पुल बनाये जाने की विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. अजमेर के लाल फाटक रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने तथा फाटक से अलवर गेट चौराहे से मेयो कालेज होते हुये राजा साइकिल चौराहे तक सड़क को चौड़ा कर फोरलेन बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण की गुलाबबाड़ी चौराहा से तेजाजी की देवली होते हुए कल्याणीपुरा गांव की सड़कों को विभाग के क्षेत्राधिकार में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):

200. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में होडा चोराया फोरलेन से निकुम, बड़ी सादड़ी, धटियावद, बिछीवाडी (डूंगरपुर) को स्टेट हाइवे बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के निकुम चौराया से गरदाना की पुलिया ऊंचाई बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में मंगलवाड से छोटी सादड़ी वाया डूंगला, बड़ी सादड़ी सड़क निर्माण को चौडा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के महुडी खेडा के नये राजस्व गांव सड़क मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़, धटियावद की एम.डी.आर. पिपलोदा, दलोर अरनोद प्रतापगढ़, धरियावद वाया चिकलाड, जलारा, डूंगरपुर, बिछिवाडा को नेशनल हाइवे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

205. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के कस्बा पचपदरा व जसोल में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुडी से रैवाड़ा, कुडी से नेवाई, ऊमरलाई से पिण्डारण, जास्ती से बलाऊ तक सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में गांरटी अवधि में टूटी सड़कों में टूटी सड़कों को रिपेयर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण):

208. विधान सभा क्षेत्र में सालपुर से इन्द्रगढ़ सड़क पर पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

209. जयपुर से फलौदी मेगा हाइवे का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. जयपुर से डिग्गी जाने वाली सड़क के कई साल से टूटी होने, जगह-जगह गड्डे होने के बावजूद नई सड़क न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

211. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों की घटिया स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों में प्रयोग में ली जा रही सामग्री की गुणवत्ता जांचने की कोई व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. जयपुर जिले के ग्राम कालीघाटी (मुण्डोता रोड़) संस्कृत विद्यालय से बोहरों की ढाणी (ब्लाक झोटवाड़ा) तक वी.टी. रोड़ बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना):

214. मकराना के रेलवे ओवर ब्रिज सी-36 के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. मकराना के जसूरी ग्राम से कुचामन तक जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्मित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र मकराना एवं जिले की सड़कों का (ओ.डी.आर.) का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. मकराना क्षेत्र में स्थित स्टेट हाइवे सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. मकराना क्षेत्र की शेष रही कृषि मण्डी की सड़कों एवं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाढ़ण बहरोड़ हास्पिटल भवन निर्माण की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सरकारी भवनों की जर्जर हालत की तुरन्त मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

3. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के चौहटन मुख्यालय एवं उपखण्ड पर स्थित विश्राम भवन के विस्तार किये जाने एवं उसमें अनुपलब्ध सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर लिये चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

4. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में सरकारी आवास जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की तहसील भवन का निर्माण अधूरा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में डांक बंगला नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर):

7. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में सरकारी भवनों की समय पर मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में सरकारी भवनों का निर्माण समय पर पूर्ण न होने से बढ़ती लागत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
9. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के निर्माण समय पर होने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जारी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
10. सरकारी भवनों के घटिया निर्माण की बढ़ती प्रवृति पर अंकुश लगाने

एवं व्यक्तिगत जवाबदेही तय न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. विभाग द्वारा समय-समय पर भवनों के घटिया निर्माण के बावजूद कोई कठोर सज़ा का प्रावधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद):

12. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर):

13. खेड़ली मण्डी क्षेत्र (अलवर) में स्वीकृत पशु चिकित्सालय का भवन नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

14. पुलिस आधुनिकीकरण के तहत दस हजार क्वाटर्स बनाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

15. विभाग द्वारा निर्मित भवनों का रख-रखाव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16 राजस्थान में आर.एस.आर.डी. कारपोरेशन के बजट को समय पर पूरा नहीं होने से मूल्य वृद्धि एवं जन सुविधाओं का अभाव होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. विभाग को प्राप्त राशि में से 1100 करोड़ के कार्य प्रारम्भ/पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश में सरकारी भवनों के रख-रखाव की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

19. विधान सभा क्षेत्र सोजत में चल रहे लोक निर्माण कार्य जल्द पूरे करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास):

20. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कार्यों हेतु अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय बामनवास में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर):

21. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्राम पंचायत पीपल्दा में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना):

23. नीमकाथाना क्षेत्र में नये जेल भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटडी (सिवाना):

24. समदड़ी मुख्यालय पर सार्वजनिक डाक बंगलों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू):

25. बायतू में स्वीकृत उपखण्ड कार्यालय के अधूरे निर्माण को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. बायतू के निर्मित विश्राम गृह में से उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खाली करवा कर डाक बंगलों के रूप में उपयोग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. गीडा उप तहसील कार्यालय में यात्री विश्राम गृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़):

28. राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में लोक निर्माण कार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

29. राज्य में सभी विद्यालयों एवं चिकित्सालयों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण हेतु स्थाई रूप से राशि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. राजकीय भवनों की समय पर मरम्मत, पुताई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. रामगंजमण्डी, कोटा में स्थित राजकीय महाविद्यालय के अधूरे भवन का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. राज्य में विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण करने, देरी होने पर कार्य की लागत में वृद्धि होने व घटिया निर्माण सामग्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना):

33. राज्य में विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. विभाग द्वारा कराये गये निर्माण की क्षतिग्रस्त होने की समय सीमा तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर):

35. प्रदेश में राजकीय भवनों के निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

36. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के निर्मित राजकीय भवनों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):

37. दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर विश्राम गृह का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. सीकर जिले के सार्वजनिक भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. सीकर जिले में पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारी एवं ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

40. श्रीगंगानगर में अधिकारियों व कर्मचारियों के क्वार्टर्स दुरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. श्रीगंगानगर पुलिस लाइन में बैरकों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. श्रीगंगानगर विद्युत विभाग के कार्यालयों का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

43. राज्य सरकार द्वारा आबंटित निर्माण कार्यों की राशि पी.डी. एकाउण्ट में डालने के बाद भी लम्बे समय तक कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां):

44. नावां एवं कुचामन के राजकीय भवनों का विस्तारीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

45. अजमेर दक्षिण के पुलिस थानों के भवनों के रख-रखाव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. अजमेर के राजकीय महाविद्यालय भवन के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. अजमेर दक्षिण के सभी राजकीय विद्यालयों के भवनों के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):

48. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के आवरीमाता, मंगलवाड़, डूंगला, भदेसर कानोड़ के डाक बंगला (विश्राम गृह) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

49. विभाग के विश्राम गृह बालोतरा को डाक बंगले में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नगराज (धरियावद):

50. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के पंचायत समिति लसाडिया में कूण में सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह/डाक बंगला निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण):

51. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उमरैन एवं कस्बा डहरा का भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

52. जयपुर के सरकारी भवनों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विभाग द्वारा भवनों के निर्माण में सामग्री की क्वालिटी की जांच के लिये प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. विभाग द्वारा जयपुर में बनाये जा रहे भवनों में निर्माण में सामग्री घटिया स्तर की काम में लिये जाने के बावजूद ऊंची दरों पर भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के पोलीट्रोमा के नवीन बनाये जा रहे भवन में घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने की जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. जयपुर के विधायक नगर (पूर्व) व विधायक नगर (पश्चिम) एवं गांधीनगर के एच टाइप स्टाफ क्वाटर्स में मरम्मत के कार्यों में संवेदक द्वारा घटिया निर्माण सामग्री काम लेने के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना):

57. मकराना क्षेत्र में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।